# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तीसवाँ दिवस संख्या [२२



मंगलवार, दिनांक २५-३-६६

**विधान सभा की बैठक म० पू० ११:१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई**

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

[वित्त, चिकित्सा पंचायत, सिचाई, वन, विद्युत व समाजकल्याण विभाग]

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न

प्रश्न सं. ५२४

**श्री रामानंद अग्रवाल।**

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५२५।

**श्री देवीदत्त गाड़िया।**

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५२६।

**राजवी श्री रूपसिंह।**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५२७।

**श्री केशरी सिंह हाडा।**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. ५२८।

**श्री जुझारसिंह।**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

**श्री देवेन्द्र कुमार मीना।**

अमरपुरा बांध कार्य।

५२९. **श्री देवेंद्रकुमार मीना (गोगुन्दा सु.)**–क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में टिडी अमरपुरा बांध बनवाने की

Page No 2



(देवेन्द्रकुमार मीना)

योजना है ? यदि हां तो इसका काम कब शुरू किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस तालाब का काम शुरू करने से पहले किसी ठेकेदार को काम सौंपा गया था ? यदि हाँ तो १९-६८ में कितने मजदूर काम पर लगे थे ?

(३) क्या यह सच है कि अमरपुरा बांध में काम करने वाले मजदूरों को मज-दूरी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे मज-दूर कितने हैं ?

**राज्य मंत्री सिंचाई** (श्री मनफूलसिंह) (१) जी हां, दिनांक २१-१०-६८ को।

(२) जी हां। लगभग १४०० मजदूर कार्य पर लगे थे।

(३) इस प्रकार की कोई शिकायत इस विभाग के पास नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री नन्दलाल बैरवा।

## समाज कल्याण विभाग में नियुक्तियां

५३०. **नंदलाल बैरवा (पाटन सु) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान समाज कल्याण विभाग में अगस्त १९६८ के पूर्व रिक्त स्थान थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि माह अगस्त १९६८ में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई नियुक्तियों की सूचना जारी की गई ? यदि हां तो कितने आवेदन पत्र आये और क्या उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के भी आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ?

(३) अगस्त १९६८ में किन किन तारीखों में कौन कौन से उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीद-वार नियमानुसार लिए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) राजस्थान समाज कल्याण विभाग में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कितने अधि-कारी कौन कौन से जिले में कार्य कर रहे हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के कितने अधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**राज्य मंत्री समाज कल्याण** (श्री—बी० एन० जोशी)। (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। आवेदन पत्रों का प्रश्न नहीं उठता।

(३) कुछ लिपिकों के परीक्षा के अंश-कालीन अवकाश पर जाने के कारण केवल ६ लिपिकों की अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से अनुसूचित जाति व जन जातियों के उम्मीदवार नहीं लिए गए हैं क्योंकि यह स्थान केवल उपरोक्त कर्मचारियों के अवकाश पर रहने तक के समय के लिए ही रिक्त थे।

# Page No 3



(श्री बी०एन० जोशी)

(४) समाज कल्याण विभाग में प्रथम श्रेणी के १० अधिकारी हैं जिनमें से एक अधिकारी अनुसूचित जन जाति का है । विभिन्न जिलों में द्वितीय श्रेणी के ३७ अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिनमें से २ अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। उपरोक्त अधिकारियों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री नन्दलाल बैरवा :** आपने प्रश्न तीन के उत्तर में जी नहीं बताया । आपने एक ही महीने के अन्दर ९ आदमियों की नियुक्ति की है, उनके नाम हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| १. श्री महेश पारीक | ब्राह्मण | |
| २. श्री शंकरलाल विजयवर्गीय | ,, | |
| ३. श्री रमेशचन्द्र शर्मा | ,, | |
| ४. श्री कृष्णकुमार शर्मा | ,, | १९-८-६८ |
| ५. श्री बंशीलाल गौड़ | ,, | १९-८-६८ |
| ६. श्री सत्यप्रकाश शर्मा | ,, | १७-८-६८ |
| ७, श्री राजेन्द्रकुमार पारीक | पारीक | १७-८-६८ |
| ८. श्री निरंजनलाल शर्मा | शर्मा | १९-८-६८ |
| ९. श्री सतीश कुमार हरीतवाल | ,, | १९-८-६८ |

**श्री बी० एन० जोशी :** माननीय सदस्य एप्रीशिएट करेंगे कि जवाब में मैंने कहा था ये अस्थाई वैकन्सीज थीं उनके अगेन्सट नियुक्तियां की गई थीं । नाम तो मेरे पास भी हैं । तो ये क्लीयर वैकन्सीज नहीं थीं, सिर्फ लीव रिजर्व पर इनको रखा गया।

**श्री नन्दलाल बैरवा :** अनुसूचित जाति व जन जाति के उम्मीदवारों को लिया जा सकता था ।

**श्री बी० एन० जोशी :** जो भी १५-२० दिन के लिए अवेलेबुल थे, उनको लगा दिया और आपने अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के लिए कहा, उनको ज्यादा तादाद में लिया गया है ।

**एक माननीय सदस्य :** अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को न लेने के क्या कारण हैं ?

**श्री बी० एन० जोशी :** वैकन्सीज क्लीयर नहीं थी नहीं तो आवेदन पत्र मांगे जाते या एडवरटाइजमेंट किया जाता या विधिवत भर्ती की जाती । उनके पास वेटिंग लिस्ट रहती है उनमें से १०-१५ दिन के लिए लगा देते हैं ।

**श्री विद्यासागर :** (खैरवाड़ा सु.) क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के नहीं थे ?

**श्री बी० एन० जोशी** : जो अस्थाई नियुक्तियां होती हैं १५-२० दिन के लिए उनके लिए परटीक्यूलर नहीं होते हैं।

**श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.)**: जब वैकन्सीज थी तो आपने....

**श्री बी० एन० जोशी** : वैकन्सीज एक भी नहीं थी। कुछ लोग छुट्टी पर चले गए उस पर उनको लगाया।

**श्री नंदलाल बैरवा** : इसका मतलब हुआ जो विभागाध्यक्ष है जो जिस जाति का है उसी जाति के उम्मीदवार को भर्ती कर लिया जाता है और दूसरों को मौका नहीं मिलता ?

**श्री बी० एन० जोशी** : जी नहीं।

**श्री नंदलाल बैरवा** : इससे पूर्व जो नियुक्तियां की गई हैं। समाज कल्याण विभाग में तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा किसी प्रकार के अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई नोटिस जारी किया गया था ?

**श्री बी० एन० जोशी** : इससे पूर्व जो नियुक्तियां की गई हैं, वह अलग मामला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

प्रश्न संख्या ५३१

श्री मेघराज ( अनुपस्थित कृपया आगे देखिये )

श्री वृद्धिचन्द जैन।

**बकाया और उसकी वसूली**

५३२. **श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर)**: क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की कुल बकाया की राशि ३१ मार्च १९६८ तक कितनी हैं? विभागानुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार ने उक्त बकाया रकम की वसूली के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं ? अगर हां तो विस्तृत रूप से सूचना देने की कृपा करें।

**वित्तमंत्री (श्रीमथुरादास माथुर)** : (१) राज्य सरकार की दिनांक ३१-३-५८ को मुख्य आय प्राप्तकर्ता विभागों में कुल राजस्व बकाया की राशि १६७३.५६ लाख रुपये थी। सूची संलग्न है।

(२) जी हां। वित्त विभाग संग्रहता की ओर जो आय अनुमान से कम आती है ध्यान देता है और ध्यान रखने के लिए मुख्य आय प्राप्तकर्त्ता विभागों से अर्ध वार्षिक मानचित्र मंगाता है वसूली में ढिलाई पाये जाने पर विभागाध्यक्षों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

**श्री वृद्धिचंद जैन** : वसूली में ढिलाई करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।

# Page No 5



**श्री मथुरादास माथुर** : कोई ऐसा सवाल मेरे सामने नहीं आया कि जिसने ढिलाई की हो उस पर कोई ऐक्शन लिया गया हो क्योंकि जो कुछ बकाया रकम है वह राजस्थान में आज तक की टोटल है और अकाल की वजह से यह रकम ज्यादा दिखती हैं क्योंकि वसूली हमने खुद ने रोक रखी थी।

वरना विभागाध्यक्ष को समय समय पर क्वार्टरली स्टेटमेन्ट्स देने पड़ते हैं और उनमें कमियां होती हैं तो हिदायत दी जाती है। सिक्समन्थली स्टेटमेंट होता है, अगर उसमें कोई बात ठीक नहीं पाई जाती है तो फिर हिदायत की जाती है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : वसूली में इतनी देरी क्यों होती है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : वसूली में देरी नहीं होती है। वसूली रोक दी जाती है, सरकार के आदेशों से रोकी जाती है यह रिकवरी के प्रासेस के अंदर कार्यवाही की जाती है. बाकी वसूली में ढिलाई नहीं होती।

**श्री वृद्धिचंद जैन** : इसमें जो बकाया रकम है उसमें कितनी स्टे की गई है और कितनी वसूली बकाया है, मैं जानना चाहता हूं।

**श्री मथुरादास माथुर** : यह बहुत बड़ी लिस्ट है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

**श्री मथुरादास माथुर** : हर विभाग का अलग प्रश्न है। कितनी वसूली की कार्यवाही चल रही है, अकाल की वजह से कितनी रकम के स्टे आर्डर्स हैं, हरेक विभाग के अलग अलग फिगर्स हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : पाली तहसील में लैंड रेवेन्यू उन लोगों में बकाया है जिनके पास काफी साधन हैं और आज भी पाली तहसील में कम से कम ४ लाख रुपए उन लोगों में बकाया है जो सर्वसम्पन्न व साधन सम्पन्न है। और वहां अधिकारी लोग वसूली नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

प्रश्न सं० ५३३

प्रोफेसर केदारनाथ

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५३४

श्री दुर्गलाल बाढ़दार

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

## विकास कार्यों के लिए ऋण

**५३५ श्री मूलचंद डागा** (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आज तक राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितना कितना ऋण

# Page No 6



(श्री मूलचन्द डागा)

किस किस विकास कार्य के लिए लिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार ने जिन कार्यों के लिए ऋण लिया उस ऋण के व्याज की अदायगी राज्य सरकार बराबर करती आ रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) राज्य सरकार ने जिस विकास कार्य के लिए ऋण लिया वह रकम उसी में ही ख़र्च हुई या अन्य कार्यों पर ? यदि अन्य कार्यों पर व्यय हुई तो क्यों ?

**राज्य मंत्री (श्री जयकिशन) :**

(१) महालेखाकार के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के अंत अर्थात ३१–३–६८ तक राजस्थान सरकार को जितना जितना ऋण जिस जिस विकास कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से मिला उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। प्रश्न नहीं उठता

(३) राज्य सरकार ने जिस विकास कार्य के लिए ऋण लिया वह रकम उस कार्य पर ही व्यय हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री विद्यासागर।

## खेरवाड़ा तहसील में बिजली

**५३६ श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा सु.) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस तहसील को जो सबसे सूखी तहसील है, बिजली देने की कोई योजना या सर्वे कराया है ?

(३) यदि हां, तो इसे कहां से बिजली दी जायेगी और कौन कौन से गांव योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार खेरवाड़ा तहसील के सूखी व पहाड़ी होने की वजह से उसे बिजली देने में प्रथमिकता देने का विचार रखती है ?

(५) यदि हां, तो कब तक बिजली आ जायेगी ?

**उप मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह) :**

(१) जी हां।

(२) सर्वे करवा लिया गया है। अभी कोई योजना स्वीकार नहीं हुई है।

(३) उक्त परिवेक्षण प्रतिवेदन के अन्तर्गत जावर माइन्स से डूंगरपुर को ३३ के. वी. की लाइन करीब ५० मील को होगी और इससे टोडी, प्रसाद रिखबदेव, एवं खेरवाड़ा का विद्युतिकरण हो सकेगा।

(उप मंत्री विद्युत)

(४)व(५) आगामी योजना बनाते समय इस पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**श्री विद्यासागर :** यह योजना कब तक तैयार की जावेगी ?

**श्री खेतसिंह :** आगामी वर्ष योजना बनायेंगे तब इस पर विचार किया जावेगा।

**श्री देवेन्द्रकुमार :** इसको प्राथमिकता दी जावेगी।

**श्री खेतसिंह :** मेरे कहने का कुछ ऐसा ही मतलब है।

श्री **रतनलाल** : जावर माइन्स से खेरवाड़ा तक बिजली की लाइन डालने की बात है। खेरवाड़ा से १४ मील ही डूंगरपुर रह जाता है। आस पास में अच्छे गांव हैं एग्रीकल्चर के कुए हैं और पानी है इसलिए क्यों नहीं खेरवड़ा से डूंगरपुर तक की लाइन बना दी जाय ?

**विद्युत मंत्री (श्री शिवचरण माथुर)** यह लाइन जावर माइन्स से डूंगरपुर तक होगी न कि खेरवाड़ा तक। खेरवाड़ा तक नया विद्युतिकरण होगा और डूंगरपुर को चम्बल से जोड़ा जावेगा।

**एक माननीय सदस्य :** मांडव की पाल कहां से होकर जावेगी ?

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

## सांचोर स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र

५३७. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर में सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तीनों उप केन्द्र चालू कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जब तीनों ही उप-केन्द्र चालू कर दिये जाते हैं तब यूनीसेफ की जीप स्वास्थ्य केन्द्र को दे दा जाती है ? अगर हां, तो सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभी तक वह जीप क्यों नहीं दी गई है ? तथा अब वह जीप कब तक दे दी जावेगी।

**चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा)** : (१) जी हां। उपकेन्द्र चालू होने के महिनों की तिथि क्रमशः निम्न प्रकार है।

(१) अरनाय माह सितम्बर, १९६५

(२) जानर्वा माह सितम्बर, १९६५

(३) भाग माह सितम्बर, १९६७

(२) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : प्रश्न क्यों नहीं उपस्थित होता है ? जब कि उपकेन्द्र चालू हो जाता है और आधार पूरे हो जाते हैं। जीप मिलनी चाहिए।

# Page No 8



**श्री बृजसुंदर शर्मा :** खाली उपकेन्द्र चालू हो जाने से जीप नहीं मिल जाती है। रिक्वायरमेंट्स इससे अधिक हैं। स्टाफ का रिक्वायरमेंट भी है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** वे आधार क्या हैं जरा बता दीजिये।

**श्री बृजसुंदर शर्मा :** रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक स्टाफ होना चाहिए। वह यह होना चाहिए कि डाक्टर कम्पाउडर ३, मिडवाइफ ४। उनके यहां चार में से एक ही मिडवाइफ लगी हुई है। लेडी हैल्थ विजिटर नहीं है, सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस स्टफ की पूर्ति हो जाने के बाद वह होगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** स्टाफ को लगाने की ड्यूटी तो सरकार की है। उप-केन्द्र चालू करना है। आप इसको टाल रहे हैं। यह आधार तो ऐसे हैं कि जिनको आपको पूरा करना है और आपके कंसर्न की चीजें हैं। मेन कण्डीशन यह है कि तीन उपकेन्द्र चालू हो जायं। आश्वासन भी दिया था। मकान भी बना दिये। उपकेन्द्र चल जावेंगे तब यह जीप दी जावेगी।

**श्री बृजसुंदर शर्मा :** लेडी हैल्थ डाक्टर उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं हैं। उसकी अब व्यवस्था करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**प्रश्न संख्या ५३८**

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल (जैतारण)

**राजस्थान नहर योजना के लिये आर्थिक सहायता**

५३९. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान नहर की योजना के निर्माण में केन्द्र द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रति वर्ष देने में वृद्धि की गई है ?

(२) यह योजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है।

(३) क्या इस योजना को जल्दी पूरा करने हेतु कोई कार्यक्रम अपनाया जा रहा है ?

**सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :** (१) राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता घटती बढ़ती रहती है।

(२) योजना का प्रथम चरण अनुमानतः १९७१-७२ तथा द्वितीय चरण १९७७-७८ तक पूर्ण होने की सम्भावना है, यदि निर्माण कार्यों के लिए उचित धनराशि उपलब्ध होती रहे।

**श्री शंकरलाल :** उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : (३) फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २ का क्या उत्तर दिया यह सुनाई नहीं दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : दुबारा उत्तर दे दीजिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने यह निवेदन किया कि हर योजना के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनती हैं उसमें जो धनराशि रखी जाती है उसके एन्युअल्स का अलाटमेंट होता है तो वह हर साल घटता बढ़ता है और हर साल एक ही रकम नहीं रहती है घटने बढ़ने से मेरा मतलब यह है। दूसरा मैंने निवेदन किया कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से प्रथम चरण ७१–७२ तक खत्म होना था और द्वितीय चरण ७७–७८ तक अगर धनराशि पूरी उपलब्ध हो जाय तो।

**श्री शंकरलाल** : सरकार ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने वृद्धि की तो इस साल कितनी वृद्धि की और आगे कितनी वृद्धि होगी? कितने साल में पूरी होने की संभावना है, पहले की संभावना के मुकाबले में?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ४५ करोड़ का पोंग डेम है और १६४ करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितनी धन राशि उपलब्ध होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। थर्ड फाइव इयर प्लान में एन्ड तक काम हुआ। उसके बाद में हर साल इसके टारगेट्स को पूरा करने के लिये जितनी धन राशि चाहिये उतनी उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो टारगेट्स इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किये गये थे उनके पूरा होने की संभावना नहीं है। अब भी ११-१२ करोड़ रुपया हर साल का दें तो ७७-७८ की फिक्स्ड डेट है, उसको पूरा कर सकते हैं।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** : क्या यह सही है कि पोंग डेम ७२ में पूरा हो जावेगा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अभी थोड़े दिन पहले डा० के.एल. राव ने वक्तव्य दिया था उसके अनुसार ७२के जून तक उन्होंने अपने बयान में घोषणा की थी।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : क्या यह सही है कि मौजूदा रफ्तार से खर्चा किया जावेगा तो २५ वर्ष में जाकर राजस्थान कैनाल पूरी हो सकेगी?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आज इस डिमान्ड पर आगे चल कर बहस शुरू होने वाली है जो मुद्दे माननीय सदस्य उठायेंगे मैं अपने जवाब के दौरान में उन सब मुद्दों का स्पष्टीकरण करूंगा।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : इस प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्टीकरण कर दें तो क्या हर्ज है? वह पानी हरियाणा और पंजाब को मिल जावेगा तो राजस्थान क्या करेगा?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इन सब बातों पर सारे विचार सदन में बहस होगी तो जवाब में पेश करूंगा।

**श्री शंकरलाल** । आपने कहा कि ११-१२ करोड़ रुपया सालाना मिले तो निश्चित समय में पूरी होगी। कितने साल में पूरी होगी और अभी कितना मिल रहा है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** । अभी तक टोटल धन राशि खर्च हुई है ३१ मार्च १९६९ तक वह ५६.८० करोड़ है। करीब ५७ करोड़। अब आप सोच लीजिये १६४ करोड़ खर्च करना है। २६३ करोड़ के प्रोजेक्ट के एस्टीमेट के हिसाब से आने वाले वर्षों में कोस्ट ओफ कन्स्ट्रक्शन बढेगा मंहगाई के कारण से। उसको जोड़ें तो प्लान का खर्चा बढेगा।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** : यह प्रथम चरण का है १६४ करोड़ यह और जरूरत पड़ेगी ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** । १६४ करोड़ तो केवल राजस्थान केनाल के लिये है। जब तक यह समाप्त होगी तब तक और जरुरत पड़ने की संभावना है। गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिब्युटरी चेनल्स को पहले बनायेंगे। २५ करोड़ उसका होगा।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** । पहले कुल कितना खर्चा होगा यह बताइये ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** । मैं समझता हूँ विस्तार से माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इसकी सही स्थिति अपने जवाब के दौरान निवेदन कर दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री शंकरलाल** : इस योजना को पूरा करने का कार्यक्रम अपनाया या नहीं ? नहीं तो क्यों नहीं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** । कार्यक्रम का क्या मतलब, यह मैं नहीं जानता। गवर्नमेंट ओफ इन्डिया प्लानिंग कमीशन में जितना प्रभाव हम डाल सकते हैं और जितनी पैरवी कर सकते हैं और रिकमंडेशन्स हैं वर्किंग ग्रूप्स की ओर की हो सकती हैं उसके लिये अधिक से अधिक धन राशि राजस्थान कैनाल को कम्पलीट करने के लिये मिले इसका प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अलावा और कोई कार्यक्रम हमारे पास में नही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर-माननीय सदस्या।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : एक प्रश्न है। अगर आप यह कहते हैं कि इसके लिए चेष्टा की है। वर्ल्डबैंक को यह परियोजना आपने बताई है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इसके बारे में बहस के दौरान में जबाब दे दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बनवारीलाल।

**श्री बनवारीलाल** : प्रश्न संख्या ५४०।

## धौलपुर में हाउसिंग स्कीम

५४०. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

# Page No 11



(श्री बनवारीलाल)

(१) सरकार ने अब तक भरतपुर जिले में हाउसिंग स्कीम में लोन देने के नाम पर कितनी कितनी धनराशि प्रदान की है ?

(२) क्या उक्त राशि का कोई अंश धौलपुर उप जिला के लिए मुख्यालय धौलपुर नगर पर खर्च किया गया है ?

(३) क्या धौलपुर नगर के महत्व को देखते हुए सरकार का यहां भी इस स्कीम को चालू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री बी० एन० जोशी) :

(१) समाज कल्याण विभाग में हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोन देने की कोई योजना नहीं है। अतः भरतपुर जिले में हाउसिंग स्कीम में लोन देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या शिड्यूल कास्ट को लोन, अनुदान देते हैं ?

**श्री बी० एन० जोशी** : अनुदान देते हैं, लोन नहीं देते हैं। लोन की स्कीम दूसरे डिपार्टमेंट के पास है।

**श्री बनवारीलाल** : इस अनुदान के तहत धनराशि बढ़ा दी जाय ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है।

**श्री शंकर लाल**: अनुदान देते हैं तो लोन देने की योजना रखिए। अनुदान थोड़ा सा देते है जिससे मकान अधूरे रह जाते हैं। आपकी योजना गलत होने के कारण यह स्कीम पूरी नहीं हो पाती है। अनुदान और रिण दोनों देना चाहिए।

**श्री बी०नए० जोशी**—यह बात निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अनुदान का पैटर्न समाप्त करके लोन का पेटर्न शुरु कर दिया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह लागू होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**—आप दोनों के लिए कह रहे हैं।

**श्री शकरलाल** - इससे तो अनुदान बन्द हो जाएगा।

**श्री बी० एन० जोशी**—जी हां

**श्री शकरलाल**—यह कब से ?

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) अनुदान बंद नहीं होना चाहिए।

**श्री बी० एन० जोशी**—यह अलग से प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। प्लानिंग कमीशन ने इस प्रकार की स्कीम एप्रूव की है। यह विस्तार में जाने की बात है। इस स्कीम से ज्यादा मकान बनना सम्भव होंगे। १००० में मकान पूरे नहीं होते। अधूरे रह जाते हैं, छत बन जाती है, किवाड, खिड़कियां नहीं

(श्री बी० एम० जोशी)

बन पाती। इसलिए यह सोचा गया हैं कि दो हजार रुपया इंट्रेस्ट फ्री दिया जाय और बीस आसान किस्तों में वसूल किया जाये। ५०० रु० खुद को लगाना पड़ेगा इसलिए।

**श्री उपाध्यक्ष**—इस पर चर्चा बन्द करें।

**श्री शंकरलाल**—अनुदान की रकम केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है। केन्द्रीय सरकार अनुदान दे रही है शिड्यूल कास्ट के लिए तो आप इसे क्यों बन्द कर रहे हैं? बन्द कर देने से गरीब आदमियों को जो सहायता मिल रही हैं यह बन्द हो जायेगी और वे मकान नहीं बना पायेंगे। जो अमीर हैं, वे इससे फायदा लेंगे।

**श्री बी० एन० जोशी** : नया पैटर्न प्लानिंग कमीशन ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, सलाह से तय किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री गोकुलचन्द** : अनुदान बन्द करने से क्या सरकार अब ऐसा मानने लगी है कि अब हरिजनों को विशेष रियायतें देने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि हरिजनों के लिए इसकी अब आवश्यकता नहीं रही।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता।

**श्री गोकुलचन्द** : यह हरिजनों का सवाल है?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय, उत्तर नहीं दे सकेंगे। यह प्रश्न में नहीं आया है।

**श्री गोकुलचन्द** : क्या सरकार ने यह डिसीजन ले लिया है। हमको भय है कि सरकार ने यह मान लिया है, सरकार यह रियायतें बन्द कर रही हैं।

**श्री बी० एन० जोशी** : पालिसी का कोई सवाल उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी के तौर से नहीं पूछा जा सकता है?

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न। मन्त्री महोदय, स्थान ग्रहण करें।

**श्री गोकुलचन्द** : हमारा घोर विरोध है। आपने कैसे इसको स्वीकार कर लिया? आप भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें और उसको मनवाइये।

प्रश्न सं० ५४१

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४२

श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं० ५४३

Page No 13



(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बालसिंह सोढ़ा ।

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री हंसराज आर्य ।

### भाखरा परियोजना पर व्यय और राजस्थान का हिस्सा

५४४ श्री हंसराज आर्य ( भादरा ) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) भाखरा परियोजना पर जो धन राशि खर्च हुई है उसमें राजस्थान को अपने हिस्से की कुल कितनी धनराशि देनी थी ?

(२) इस धनराशि में से कितनी दे दी गई और कितनी देनी बाकी है ।

(३) जो धनराशि देने से बाकी है उस पर ब्याज की दर क्या है ? और हर वर्ष कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी पड़ती है ?

(४) भाखरा क्षेत्र में राज्य सरकार को भूमि की नीलामी से व भूमि के मुस्तकिल अलाटमेंट से मण्डियों के प्लाट्स की नीलामी से व बिजली से और आबयाने से कुल अलग अलग कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और जो धनराशि भाखरा की राजस्थान को अपने हिस्से की देनी है वह उपरोक्त मदों से पूरी होगी या कुछ बाकी रहेगी ? यदि बाकी रहेगी तो कितनी और कब पूरी कर दी जायेगी ।

**सिंचाई मन्त्री** (श्री रामप्रसाद लढ्ढा): (१) भाखरा परियोजना पर जो धनराशि खर्च हुई है उसमें राजस्थान को अपने हिस्से का सन् १९४६-४७ से १९६४-६५ तक १९३३.१९ लाख रुपये कुल देने थे ।

(२) उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति दे दी गई हैं । १९६५-६६ के आंकड़ों की जांच हो रहा है । १९६६-६७ से अब तक के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

(३) ब्याज जो प्रतिवर्ष दिया गया है मानचित्र के कोष्ठ नं० ४ का अवलोकन करें । ब्याज की दरें इस प्रकार है : ३१-३-५८ तक प्राप्त ऋण पर ३ प्रतिशत उसके पश्चात्.... ...

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य आपस में बात न करें । शांति रखें ।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** . प्राप्त ऋण पर ४। प्रतिशत ।

(४) भाखरा कैनाल से सिंचित क्षेत्र पर कर निर्धारण की राशि सन् १९५४-५५ से खरीफ १९६९ तक की सूची संलग्न है । अन्य सूचना इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**श्री हंसराज आर्य :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जब भी उत्तर दें, स्पष्ट दें। बहस में प्रश्न आया था तो उसमें भी दोनों प्रश्नों को मिक्स्ड कर दिया था। कल एक प्रश्न था करणीसिंह-सादूंल ब्रांच का–उसमें भी दोनों को मिलाकर जवाब दे दिया गया। जबकि मैंने प्रश्न अलग अलग पूछा था। अब जो प्रश्न पूछा है कि कुल कितनी रकम वसूल की गई अलग अलग मद से, तो उसको एक मद में दे दी गई है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** कौनसा मद? सिंचाई से होने वाली आमदनी का जवाब सिंचाई विभाग ने दे दिया है। बिजली से कितनी होती है, इसका दूसरा मद है। यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है। सिंचाई विभाग में इस आमदनी का रिकार्ड नहीं रहता है इसलिए उसे सूची से अलग नहीं किया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यद्यपि इस प्रोजेक्ट की कास्ट और इन्ट्रेस्ट में भूमि की बिक्री का कोई सम्बन्ध नहीं है और न वो सारी की सारी प्रोजेक्ट की इन्कम कहलाती है। यह सही नहीं हैं। फिर भी यह निवेदन कर दूं कि ६ करोड़ के लगभग भूमि की बिक्री से आमदनी के तौर पर राजस्थान सरकार को हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**श्री हंसराज आर्य :** कुल कितना धन देना है, भाखरा का?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** जो आंकड़े हैं, वे मैंने बता दिये हैं कुछ बाद का एडजस्टमेंट होना है। लेकिन अभी फाइनल स्वीकृति नहीं हुई है इसलिये उसको आफिशियल जवाब में नहीं लिखा है। भाखरा प्रोजेक्ट पर करीब २७ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कामन वर्क्स की रकम और जो एक्सक्लूसिबली राजस्थान का भाखरा का वर्क्स है, दोनों को मिलाकर।

प्रश्न सं० ५४५

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न। श्री ओमदत्त भाटी....

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४६

श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५४७

श्री कृष्णकुमार गोयल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण।

**श्री जयनारायण :** प्रश्न संख्या ५४८।

**बांसवाड़ा में सिंचाई कार्यों के ठेके और उनका भुगतान**

**५४८ : श्री जयनारायण (लसाड़िया) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

# Page No 15



(श्री जैनारायण)

(१) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा ने दिनांक १-७-६८ को करीब चार लाख रुपयों के कार्यादेश जारी किये थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि नये अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा ने एक पत्र द्वारा बजट में रकम न होना बता कर दिनांक ४-७-६८ को उक्त कार्यादेशों को निरस्त कर दिया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि कुछ समय बाद इन्हीं कार्यों को करवा कर ठेकेदारों को पेमेन्ट किया गया ?

(४) यदि हाँ तो यह रकम किस मद से और कहां से आई ?

**सिंचाई मन्त्री : ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) :**

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) यह राशि १०० माईनर इरिगेशन मद से खर्च हुई।

**श्री जयनारायण (लसाड़िया):**— उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मेरे ख्याल से विभाग ने उनके पास सही उत्तर नहीं भेजा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब अधिशासी अभियन्ता श्री दुग्गल डूंगरपुर में थे, उन्होंने कुछ कामों के लिये आर्डर किया था। उनके स्थानान्तरण के बाद श्री रावत वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन सारे आदेशों को रद्द कर दिया और फिर कुछ समय बाद उनके कृपा पात्र जो ठेकेदार थे उनको व्यक्तिशः बुलाकर कह दिया और उन कामों को जारी कर दिया गया। इसकी सूचना असिस्टेन्ट इन्जीनियर, ओवरसियर को नहीं दी गई। परिणाम यह हुआ कि डूंगरपुर जिले में गत बरसात में कई तालाब टुट गये। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले के सिंचाई विभाग में यह अव्यवस्था है, इसकी पूरी जांच करावें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** तालाब इस वजह से टूट गया जो बात माननीय सदस्य ने कही वह तो सही नहीं है लेकिन जो बात माननीय सदस्य ने यहां सदन के सम्मुख कही है उसको मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

प्रश्न सं० ५४६

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री श्रवणलाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५५०

श्री बृजवल्लभ बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५५१

श्री रामप्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ५५२

श्री जुझारसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

प्रश्न सं० २२६

श्री बालसिंह सोढा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ३५०

श्री दौलतराम सारण

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं० ३५३

प्रो० केदारनाथ

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री हंसराज आर्य**: उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल निवेदन किया था कि माननीय मंत्रियों को हिदायत करें कि इस सदन में जितने भी प्रश्नों की सूची दी जाये वह हिन्दी में दी जाये। मुझे जो प्रश्नों की सूची उसका उत्तर दिया है वह आधा हिन्दी में है और आधा अंग्रेजी में। मेरे कल कहने के बाद भी अधिकारी आदत से बाज नहीं आते।

**श्री उपाध्यक्ष**: कल अंग्रेजी में थी और आज हिन्दी में भी और अंग्रेजी में भी है अब कल हिन्दी में आ जायेगी।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: एक हिन्दी का और एक अंग्रेजी का पेज जुड़ गया। 'आई एम सारी'

**श्री हंसराज आर्य**: बहुत अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भाषा की शिकायत नहीं है।

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री डेडराज भरतिया अस्पताल चुरू**

५३१. **श्री मेघराज** (चुरू)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चुरू में श्री डेडराज भरतिया हास्पीटल बनवाने का फैसला राज्य सरकार ने कब किया?

(२) दानदाता के साथ क्या क्या कन्डीशन्स तय हुई थीं और क्या उन कन्डीसन्श की पूर्ती हो चुकी है?

(३) भरतिया हास्पीटल सरकार द्वारा कब चालू किया गया? सरकारी तौर पर अस्पताल चालू करने से पूर्व दानदाता से अस्पताल भवन का चार्ज सरकार द्वारा संभाला जा चुका था या नहीं?

(४) क्या अस्पताल भवन का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत ड्राइंग्स एण्ड स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक हुआ है और पी.डब्लू.डी. व मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस भवन के निर्माण को मुताबिक शर्तों के सही तौर पर बनाया जाना माना है ?

(५) भरतिया अस्पताल आज मेडिकल विभाग के नियमों के मुताबिक किस केटेगरी में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ? और उसका सालाना बजट व स्टाफ की स्ट्रेन्थ क्या है ? भरतिया हास्पीटल के चालू होने से चुरू के बी. डी. बागला हास्पीटल की क्या कैटेगरी रह जाती है ?

(६) क्या यह सही है कि चुरू के लोगों ने व बागला अस्पताल बनाने वाले दानदाता के वारिसों की ओर से इस बात की शिकायत राज्य सरकार को की गई थी कि इस अस्पताल का दर्जा कम न किया जाये और ना इस अस्पताल का सामान जो उसके दान की राशि से जुटाया गया है यहां से स्थानान्तरित किया जाये ? यदि हां, तो सरकार ने इस शिकायत का क्या फैसला किया है ?

### उत्तर

(१) प्रति संलग्न है। शेष मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(२) दिनांक ५-५-६८ से औपचारिक रूप से भवन लेने की कार्यवाही अभी नहीं की गई है।

(३) जी हां।

(४) सी श्रेणी के अस्पतालों में उसके सालाना बजट के लिए प्लान के संशोधित अनुमान १९६८-६९ में २१,०००) रु० का प्रावधान रखा है एवं अतिरिक्त नान प्लान बजट में ९६,०००) रु० का प्रावधान है।

(५) इस अस्पताल के स्टाफ की स्ट्रेन्थ निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| १. डाक्टर | ४ |
| २. स्टाफ नर्स | १ |
| ३. मिडवाईफ | १ |
| ४. कम्पाउण्डर श्रेणी II | २ |
| ५. कम्पाउण्डर श्रेणी III | ३ |
| ६. टेकनीशियन | १ |
| ७. कनिष्ठ लेखक | १ |
| ८. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | १३ |

(६) शेष प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जी हां प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

### अकाल राहत केम्प बंबूल के मस्टर रोलों की जांच

**५३३. श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बंबूल अकाल राहत केम्प में गलत मस्टर रोल बनाकर ज्यादा पेमेन्ट

# Page No 18



(श्री केदारनाथ)

लेने की कोई शिकायत अकाल मंत्री जी व संबंधित अधिकारियों को दी गई थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस ने कब की और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह सही है कि सिंधी साहब ने २२-१२-६८ को मौके पर जांच की तो मेजरमेन्ट गलत निकला था और ज्यादा पेमेन्ट किया गया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

## सिकराय क्षेत्र में बिजली

५३४. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल जयपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिकराय के चारों ओर क्रमशः महुवा, टोडा, भीम, नादौता, दौसा, बांदीकुई आदि क्षेत्रों में बिजली दी गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र में होकर बिजली की लाइन लगभग ५ मील गई है परन्तु सिकराय क्षेत्र के एक भी गांव को बिजली नहीं दी गई है ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार सिकराय क्षेत्र को बिजली देने का इरादा रखती है ?

(५) यदि हां तो कब तक दे दी जावेगी

उत्तर

(१) जी हां। अलावा पंचायत समिति नादोली।

(२) जी हां।

(३) स्वीकृत योजनाओं में शामिल नहीं होने के कारण।

(४) अभी कोई योजना नहीं है।

(५) अगले वर्ष की योजना में अर्थ की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए योजना पर विचार किया जायेगा।

## लोकवाणी सोसायटी के श्रमिकों की समस्याएं

५३८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार-जयपुर) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

लोकवाणी सोसायटी, जयपुर के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु क्या राज्य सरकार द्वारा गृह सचिव, विधि सचिव, एवं श्रम आयुक्त को सलाह देने हेतु नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां। समिति ने अपना प्रतिवेदन

# Page No 19



(श्रममंत्री)

दिनांक १७-८-६७ को सरकार को प्रस्तुत कर दिया है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्रम विभाग से सम्बन्धित मामलों पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की गई है।

प्रोवीडेन्ट फंड तथा बकाया वेतन की कुल रकम तादादी ५२,००० तथा ३२००० सोसायटी से वसूल करनी थी, प्रोवीडेन्ट फंड की रकम ५२,००० के सम्बन्ध में रीजनल प्रोवीडेण्ट फन्ड कमिश्नर ने जिलाधीश, जयपुर को सर्टीफिकेट प्रोवीडेण्ट अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिलाधीश ने सोसायटी के प्रेस को कुर्क कर निलामी करवाई परन्तु उक्त रकम राज्य ने इन्डस्ट्रीयल लोन के पेटे जमा कर ली गई तथा प्रोवीडेण्ट फंड कमिश्नर को यह सूचित किया गया कि कोई रकम शेष नहीं है, जिससे प्रोवीडेन्ट फंड का चुकारा कराया जायें।

इसी प्रकार प्रोवीडेन्ट फंड कमीश्नर के सोसायटी के विरुद्ध ७ चालाना दायर किये जो अभी भी सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर की अदालत में विचाराधीन हैं।

श्री अमर हंस तथा श्री सुगनचन्द्र, जो उक्त सोसायटी के कर्मचारी हैं ने अपने वेतनसंबन्धी क्लेम पेमेंट आफवेजेज ओथोरेटी (सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर) के समक्ष प्रस्तुत किये। श्री अमर हंस का क्लेम तादादी ५५,००) इन्डस्ट्रियूल के अन्तर्गत अवार्ड के अनुसार बनता था। ओथोरिटी ने दिनांक २-६-६८ को ५,५०० के क्लेम की डिग्री तथा ४१२/रु. ब्याज के रुप में दिया। उक्त रकम का भुगतान न करने पर पुनः ओथोरिटी ने ५ रु० प्रतिदिन के हिसाब से दिनांक ११-६-६८ को फाइन के रुप में देने के आदेश दिये। कुल फाइन की रकम ५,५५०/ आती हैं।

श्री सुगनचन्द के मामले पर भी ओथो-रिटी ने ४३४०/-की डिग्री दी। जिसके इजराय का मामला भी पी.डो.आर. एक्ट के तहत जिलाधीश, जयपुर के समक्ष चल रहा हैं।

ओद्योगिक न्यायालय के अवार्ड दिनाँक २३-१२-६४ के अनुसार सोसाइटी को लग-भग ३०,०००/-की रकम का भुगतान करना बाकी था इसके बारे में ओद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ की धारा ३३ सी० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों पर लेबर कोर्ट ने सर्टीफिकेट जारी किया, जो जिलाधीश जयपुर के समक्ष पी०डी०आर० एक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन हैं।

राज्य सरकार ने औद्योगिक न्यायालय के उक्त अवार्ड दिनॉक २३-१२-६४ की अवहेलना के दण्ड स्वरूप दिनांक ३१-५-६८ की सोसायटी के निम्न सदस्यों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी।

यह मामला अदालत के विचाराधीन हैं।

१. पं० हीरालाल शास्त्री

Page No 20



(श्री श्रममंत्री)
२. श्री गोकुलभाई भट्ट

३. श्री सीताराम सेक्सरिया

४. श्रीमती रतन शास्त्री

५. श्री सुधाकर शास्त्री

## नेहरू पार्क सलूम्बर में किए गए कार्य पर व्यय

५४१. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा):— क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सलूम्बर में आर०एस०ई०बी० के असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने नेहरू पार्क पर दो कैंची लगाई थी ?

(२) यदि हां,तो इन कैंचियों के लगाने पर कितना खर्चा बोर्ड का आया।

(३) क्या यह सही है कि कैंची लगाते समय किसी ने भी बोर्ड में लिखित में शिकायत नहीं की ?

(४) क्या यह सही है कि बाद में किसी दबाव एवं प्रलोभन में आकर इन्हीं असिस्टेंट इन्जीनियर ने कैंची हटाने का निर्णय लेकर कार्य प्रारम्भ कर दिया।

(५) कैंची लगाने एवं हटाने का कार्य असिस्टेंट इन्जीनियर ने किसके आदेश से किया ? कैंची हटाने में बोर्ड को कितना खर्चा बैठा।

### उत्तर

(१) रा.रा. विद्युत मण्डल के कनिष्ठ अभियन्ता ने सलूम्बर के नेहरू मार्ग पर दो कैंची लगाई थी।

(२) हर खम्भे पर अलग-अलग खर्चा नहीं रखा जाता है।

(३) जी हां, कैंची लगाने के बाद में अध्यक्ष, नगर पालिका, सलूम्बर का पत्र शिकायत के रूप में आया था।

(४) जी नहीं।

(५) प्रत्येक खम्भे को किस स्थान पर लगाया जावे यह स्थानीय अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा ही मौके पर तय किया जाता है। स्थानीय अधिकारी कनिष्ठ अभियन्ता सुलूम्बर ही थे। कैंचिएं अधिशा अभियन्ता उदयपुर के आदेश से हटाई गई। खर्चा अलग खम्भे के कार्य का नहीं रखा जाता।

## हेमावास कमाण्ड एरिया

५४२. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष हेमावास कमान्ड एरिया को रिवाईज किया है ? यदि हां, तो इस आदेश के फलस्वरुप कितने काश्तकारों की कितनी कितनी भूमि कमान्ड एरिया के बाहर निकली अथवा अन्दर ली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त काश्तकारों की भूमि कमाण्ड एरिया में किस वर्ष लेने का फैसला

# Page No 21



(श्री पृथ्वीसिंह)

किया गया था ? और कितने वर्ष तक उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती रही ?

(३) अब कमाण्ड एरिया रिवाईज करने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में बन गई है ?

उत्तर

१. जी नहीं ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

३. प्रश्न नहीं उठता ।

## जेसलमेर जिले में अकाल और टाँके खोदने का कार्य

**५४३ श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर)** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष जैसलमेर जिले में अकाल था और अकाल विभाग द्वारा २८ टांके खोदने के लिए २,८०,००० की राशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि आज तक एक भी टांके का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि कलेक्टर जैसलमेर ने सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर (बी. एण्ड आर.) जोधपुर को इसके लिए कई बार सूचित किया है कि टांकों का कार्य आरम्भ करें ?

(४) क्या यह भी सही है कि एस. ई. जोधपुर टांकों के कागजात अपने पास एक वर्ष से अधिक समय से रोके बैठे हैं ? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं ? आज तक एस. ई. जोधपुर के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? इसके क्या कारण है ?

उत्तर

१—जी हां ।

२—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

३—जी हां । जिलाधीश द्वारा सूचित किया जाने पर अब टांकों का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

४—जी नहीं । केवल टांको का संशोधित अनुपात तय कराये जाने के कारण समय लगेगा ।

## परिचर्या सिस्टर व प्रशिक्षक की योग्यताएं

**श्री ओम दत्त भाटी (सरदारपुरा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) परिचर्य्या सिस्टर व प्रशिक्षक के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित हैं ? क्या सरकार मानती है कि प्रशिक्षक पद पर चयन करते समय उनकी विशेष योग्यता का होना आवश्यक है ?

(२) अगर हां तो सिस्टर व प्रशिक्षकों को समान वेतन किस आधार पर दिया गया है ? क्या यह न्यायसंगत है ?

( श्री ओमदत्त भाटी )

(३) अगर नहीं तो राज्य सरकार इनके निराकरण के लिए उपयुक्त कदम क्यों नहीं उठाती जब कि वेतन आयोग व सरकार की टी. एन, ए. आई. राजस्थान राज्य शाखा व शिक्षक वर्ग प्रतिवेदन दे चुके है ?

(४) क्या सरकार इनकी विशेष योग्यता एवं कार्य के आधार पर अन्य प्रान्त (मैसूर, आंध्र इत्यादि) की तरह अधीक्षक के समान दर्जा देने का विचार रखती हैं ?

## उत्तर

सिस्टर व सिस्टर ट्यूटर के पद की योग्यताएं राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम १९६५ के अनुसार निम्न प्रकार हैं—

सिस्टर ट्यूटर व सिस्टर पद की योग्यता—

(१) सिस्टर सीधी भर्ती के द्वारा आर. एन. सी और इसके समकक्ष कोर्स पास हों ।

(२) "ए" ग्रेड नर्स हो ।

(३) सिस्टर ट्यूटर कोर्स पास हो ।

(४) स्टाफ नर्स का ३ वर्ष का कार्य अनुभव ।

### सिस्टर पदोन्नत द्वारा

(१) ५ वर्ष स्टाफ नर्स का कार्य किया हो अथवा ४ वर्ष स्टाफ नर्स कार्य उसमें से ३ वर्ष ओपरेशन थियेटर में कार्य अनुभव ।

अथवा

३ वर्ष स्टाफ नर्स का कार्य सिस्टर ट्यूटर कोर्स सहित हो ।

प्रशिक्षक पद पर चयन करते समय उनकी विशेष योग्यता होना अनिवार्य हैं ।

(२) यह मामला विचाराधीन हैं ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं ।

## हिन्दुस्तान गम केमिकल्स एण्ड कं. भीवानी को गुंवार का परमिट

५४६. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्दुस्तान गम केमिकल्स एण्ड को. भिवानी (हरियाणा) को वित्तीय वर्ष १९६७—६८ में कितने टन गुंवार राजस्थान से बाहर ले जाने का परमिट दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इस गुंवार के बाहर जाने के कारण बाजारों में गुंवार के भावों में अत्यधिक तेजी आई और पशु (दुधारू) पालकों का जीवन मंहगा हुआ ?

(३) उपरोक्त कम्पनी को इतनी भारी तादाद में गुंवार को राज्य से बाहर ले जाने का परमिट किन आधारों और कारणों से दिया गया तथा राज्य सरकार और राज्य की जनता का इसमें क्या हित निहित था ?

Page No 23



(श्री रामनारायण चौधरी)

(४) क्या यह सही है कि इस कम्पनी का सम्बन्ध राज्य के एक बहुत बड़े उद्योग-पति परिवार से है ? यदि हां, तो क्या उसका नाम प्रकट किया जावेगा ?

### उत्तर

(१) हिन्दुस्तान गम केमिकल्स एण्ड को. भीवानी (हरियाणा) वित्तीय वर्ष ६७-६८ में कुल ६४०० टन गुवार को बाहर भेजने का परमिट दिया गया।

(२) जी नहीं ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(३) उपरोक्त कम्पनी को गुवार बाहर ले जाने का परमिट इस आधार पर दिया गया है कि यह कम्पनी गुवार गम बनाकर दुर्लभ विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली अथवा बचत करने वाली फर्मों को ऐसी सुविधा देने के लिए सिफारिश की गई थी।

(४) ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार के समक्ष नहीं है कि इस कम्पनी का सम्बन्ध किसी बड़े उद्योगपति परिवार से है।

### राणा प्रताप सागर बांध का हाई फ्लड लेविल-ग्राम नीमड़ी में अवाप्त भूमि का मुआवजा

५४७. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राणा प्रताप सागर बांध के लिए हाईफ्लड लेविल में ग्राम नीमड़ी तहसील भैंसरोड़गढ़ को जमीनें अवाप्त की गई है ?

(२) अगर हां, तो कब कब व किस किस की कितनी कितनी ? कृपया जमीनों के नम्बर रकबा व खसरा नं० सहित बतावें।

(३) इन जमीनों का कितना कितना मुआवजा कब कब किस किस को दिया गया ? व कितना बकाया है ?

(४) क्या यह सही है कि हाई फ्लड लेविल में अवाप्त भूमि डूब में अब तक नहीं आई ? अगर हां, तो उस पर कब्जा किसका है ?

### उत्तर

(१) जी हां

(२) सूचि संलग्न है (सूचि-अ)
(३) सूचि संलग्न है (सूचि-ब)

(४) जी हां, भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अवाप्त की जा चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

### गांवड़ी के एन्क्लोजर के फर्जी मस्टर रोल

५४९ **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन सु) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि श्री नेत्रभान

( श्री श्रवणलाल )

सिंह रेन्जर द्वारा गांवड़ी के एन्क्लोजर का मस्टर रोल फर्जी भरा गया था ?

(२) यदि हाँ तो उस फर्जी मस्टर रोल के द्वारा कितना रुपया किस किस के नाम से उठाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त मस्टर रोल फर्जी बनाकर गबन किया गया है ? यदि हां, तो कितने का गबन किया गया है ?

(४) क्या यह सच है कि उपरोक्त मस्टर रोल जांच करने पर फर्जी पाया गया है ? यदि हां, तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(५) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मस्टर रोल का केस एन्टीकरप्शन विभाग में भी चल रहा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

**उत्तर**

१. जी हां।

२. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

३. जी नहीं।

४. प्रारम्भिक जांच के आधार पर यह मस्टर रोल फर्जी माने गये और रेन्जर को चार्जशीट दी गई। अग्रीम कार्यवाही जारी है।

५. जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा) पुस्तकालय में रख दी गई)

### तहसील लाड़पुरा में चीनी का वितरण

५५०. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** : (दीगोद) क्या खाद्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लाडपुरा की किस किस पंचायत में हर माह कितनी शक्कर दी जाती है ?

(२) किस किस पंचायत में कौन कौन लाईसेन्सदार हैं ?

(३) किस किन लाईसेन्सदार द्वारा कितने महीने से शक्कर नहीं उठाई गई है ?

(४) जिस लाइसेन्सदार द्वारा शक्कर नहीं उठाई उस शक्कर का क्या किया गया ?

### जिला झालावाड़ में भू-संरक्षण कार्य पर व्यय

५५१. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा) पाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि जिला झाला-बाड़ वन विभाग द्वारा सन् ६७--६८ में भू-सरक्षण का कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो कहां किस जगह ?

(२) इस कार्य को किसी ठेकेदार द्वारा करवाया गया है अथवा विभाग द्वारा ही ?

(श्री रामप्रसाद बोहारा)

इस कार्य में कुल धनराशि कितनी कितनी खर्च हुई है ? कृपया विगतवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) इन कार्यों के लिए कौन कौन अधिकारी एवं कौन कौन कर्मचारी देख रेख के हेतु लगाये गये ?

(४) कृपया कुल कार्य के पेमेन्ट की सूची मय नाम पते के व मस्टर रोल बुक के सदन की मेज पर रखने का कष्ट कीजिए। किस किस को, कौन कौन सी तारीखों में कितना कितना रुपया पेमेन्ट किया गया है, इसका उल्लेख भी कृपया सूची में करें।

**उत्तर**

(१)जी हां। झालावाड़ रेन्ज के कांकन्दा घनवास वनखण्ड से।

(२) कार्य विभाग द्वारा करवाया गया। कुल व्यय १९,९९९.७० रु०हुआ। विगतवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) यह कार्य मन्डल वन अधिकारी के निर्देशन में (१) श्री कस्तूरचन्द जैन क्षेत्रीय अधिकारी झालावाड़ (२) श्री दलेल सिंह बनपाल।

(३) श्री छांटा सिह बनपाल।
झालावाड़ मण्डल

द्वारा पूर्ण कराया गया।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होंने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

**ग्राम सहरावदा में बिजली**

५५२ **श्री जुझार सिंह** : (रामगंज मन्डी कोटा) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) रामगंज मंडी व साँगोद में कितने ऐसे गांवों के ऊपर से बिजली गुजरती है जो योजना में शामिल नहीं किये गये हैं ? सुची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२)क्या यह सही है कि ग्राम सहरावदा तहसील रामगंज मण्डी में साइनिंग कोआप रेटिव द्वारा बिजली की मांग की हुई है और वे लाइन का खर्चा भी देने को तैयार है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) सहरावदा में अब तक बिजली नहीं देने के क्या कारण हैं और अब कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

उत्तर

(१) रामगंज मण्डी तहसील में ११ गांव व सांगोद तहसील में ३ गांव है जिनमें से ११ के० वी० को लाइन निकलती है जो कि किसी भी स्वीकृत योजना नहीं है सुची संलग्न है।

(२) जी हां, एस्टीमेट बनाकर आगे कार्यवाहीं की जा रही है।

(विद्युत मन्त्री)

(३) ग्राम सहरावदा विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

**स्थगित प्रश्न**

(११-३-६९)

**जैसलमेर जिले के छात्रावास**

२२९. **श्री बालसिंह सोढा** : (जैसलमेर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जाति व पिछड़े वर्ग के लिए कितने छात्रावास चलाये जारहे हैं और प्रत्येक छात्रावास में कितते कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) एक छात्र पर प्रति वर्ष क्या खर्च होता हैं ?

(३) छात्रावास में प्रवेश के क्या नियम हैं ? किस आधार पर प्रवेश किया जाता है और किसके द्वारा ?

(४) क्या यह सही है कि छात्रावास में प्रवेश के लिए एक समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो कौन उसका अध्यक्ष है और कौन कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(१) जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए ५ छात्रावास चलाये जा रहे हैं। प्रत्येक छात्रावास में छात्रों की संख्या की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई।

(२) एक छात्र पर लगभग ६०० रुपये वार्षिक आवर्तक व्यय होता है।

(३) छात्रावास में प्रवेश के नियमों की सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। नियमों के आधार पर छात्रावासों में प्रवेश जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रवेश सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार किया जाता है।

(४) प्रत्येक छात्रावास के लिए एक समिति इस प्रकार की बनाने का निर्णय लिया जा चुका है किन्तु जैसलमेर के छात्रावासों के लिए समितियों का गठन अभी तक नहीं किया गया है। समिति के अधिकांश सदस्य पदेन होंगे जिसका पेटर्न निम्नलिखित है—

| | |
|---|---|
| १. छात्रावास अधीक्षक | संयोजक |
| २. क्षेत्रीय विधान सभा सदस्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। | सदस्य |
| ३, क्षेत्रीय पंचायत समिति के प्रधान | ,, |
| ४, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्कूल | |

(समाज कल्याण मन्त्री)
के मनोनीत प्रधानाध्यापक ,,

५- दो स्थानीय समाज सेवक ,,

इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई है)

स्थगित प्रश्न

(१८-३-६९)

**भगवानदास अस्पताल, चुरू**

३५०. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या चुरू में सन् १८९५ में स्थापित भगवान अस्पताल को अपने भवन से हटाकर किसी धनिक के व्यक्तिगत भवन में भेज दिया गया है? अगर हां, तो कब और किस आदेश के अनुसार? उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि इस अस्पताल को हटाने के विरुद्ध जन आन्दोलन हुआ, चुरू में आम हड़ताल रही, प्रदर्शन हुए और भूख हड़ताल व धरणा दिया गया?

(३) क्या भगवानदास अस्पताल को स्थापित किया गया उस समय रायबहादुर सेठ भगवानदास बागला के साथ एक लाख रुपयों के दान के सम्बन्ध में कोई शर्त तात्कालिक बीकानेर राज्य द्वारा की गई थी? अगर हां, तो उन शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सत्य है कि सरकार मई, १९६८ से पूर्व शर्तों का पालन कर रही थी? यदि हां, तो अब इनका पालन क्यों नहीं किया जाता?

(५) क्या सत्य है कि इस अस्पताल के लिये औजार, एक्सरे मशीन आदि काफी सामान दान में जनता से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सामान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(६) एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था पर सरकारी सामान और स्टाफ किस आधार पर दिया गया है? क्या इसके लए उस व्यक्ति से कोई शर्तनामा लिखवाया गया है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(७) क्या राज्य सरकार गढ़ में स्थित भगवानदास अस्पताल को दानदाता के साथ की गई शर्तों की पालना करते हुये और जनता की सुविधा और माँग को देखते हुए वापिस पुराने भवन में ही स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कर दिया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

**उत्तर**

(१) जी हां। दिनांक ५-५-१९६८ को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ ७ (३४) चि- स्था./६७ दिनांक ३-५-१९६८

(चिकित्सा मन्त्री)

के अनुसार आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(२) जी हां, कुछ लोगों ने इसकी खिलाफत की थी, भूख हड़ताल व प्रदर्शन भी किया था ।

(३) जी हां । शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(४) जी हां । चूरू में भगवानदास बागला अस्पताल का भवन १८६५ में निर्मित हुआ था एवं उस समय की जनसंख्या व चिकित्सा सुविधा के दृष्टिकोण से वह भवन पर्याप्त था किन्तु वहां की जनसंख्या बढ जाने तथा चिकित्सा सुविधा की बढती हुई मांग को देखते हुए भगवानदास बागला अस्पताल का पुराना भवन अपर्याप्त होने से यह आवश्यक समझा गया कि चुरू के लिए बड़ा अस्पताल भवन ५० शैय्याओं का निर्मित कराया जाय । पुराने अस्पताल में केवल २६ रोगी शैय्याओं की ही व्यवस्था थी । उक्त अस्पताल गढ के अहाते में होने के कारण इसकी इमारत में किसी प्रकार का आवर्तन व परिवर्तन व विस्तार सम्भव नहीं है । इसे दृष्टि में रखते हुए श्री डेडराज भरतिया द्वारा नये भवन निर्माण के लिये डेढ लाख रुपये के दान के प्रस्ताव पर विचार किया गया व वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नये भवनके निर्माण की स्वीकृति दी गई । जो शर्तनामा सेठ भगवानदास बागला से २ फरवरी १८६५ में तात्कालीन सरकार द्वारा किया गया था उसमें इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी कि इस अस्पताल के अलावा चूरू में राज्य सरकार कोई अन्य अस्पताल नहीं स्थापित कर सकेगी । इसी प्रकार इस नये अस्पताल को बनाये जाने से उक्त शर्तनामे को किसी भी शर्त के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस शर्तनामे में यह दर्ज है कि इस ईमारत में सरकार सफाखाना ही चलायेगी जिसके अनुसार अब भी राज्य सरकार यहां पर एक डिस्पेन्सरी व मेटरनिटी होम चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है एवं शीघ्र निर्णय ले लिया जावेगा ।

(५) जी हां । सूचि संलग्न है ।

(६) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है क्योंकि अभी तक इस अस्पताल को संचालित करने के बाबत जो शर्तनामा लिखा गया है उसके अनुसार राज्य सरकार ही इसको संचालित कर रही है इस शर्तनामा की प्रति संलग्न है ।

(७) जनता की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए गढ में स्थित भगवानदास अस्पताल में डिस्पेन्सरी व मेटरनिटी होम कायम करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

**स्थगित प्रश्न**

(१८-३-६९)

**बीकानेर जिलों में अकाल राहत कैम्पों के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान**

३५३. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) :

Page No 29



( श्री केदारनाथ )

क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले में अकाल राहत कैम्पों में पूरे दिन काम करने वाले मजदूरों को किस किस कैम्प में प्रति दिन पैसा १०, २०, २५ व ३० पैसों के हिसाब से पेमेन्ट किया गया ?

(२) जिन स्थानों पर इस तरीके का पेमेन्ट किया गया वह कितने दिन काम करने के बाद किया गया ?

(३) क्या इन कैम्पों में बच्चे व अन्य मजदूर मरे हैं ? यदि हां, तो कितने और क्या उनकी जांच करवाई गई ? वे क्यों मरे हैं ? जांच किसने और कैसे की ?

## उत्तर

(१) सं० २०२५ की अभाव स्थिति में बीकानेर जिले में बान्धता कैम्प को छोड़कर किसी कैम्प पर पूरे दिन काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन १०, २०, २५ व ३० पैसों के हिसाब से चुकारा नहीं किया गया। बन्धाला में भी मजदूरों को निर्धारित मात्रा में काम नहीं करने पर किये गये कार्यों के अनुपात में चुकारा किया गया।

(२) बन्धाला में चुकारा लगभग १ माह १५ दिन बाद किया गया।

(३) जी नहीं।

## अतारांकित-प्रश्नोत्तर

### रिटायर्ड-मुलाजिमों को पेन्शन

३८५. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला अजमेर में १–७–६७ को कितने मुलाजिम रिटायर हुए ?

(२) इनमें से कितनों को पेन्शन मिल चुकी है ?

(३) कितनों को प्रोवीजनल (एण्टिसिपेटरी) पेन्शन दी गई है ?

(४) कितनों को आदेश नं० एफ. १ (४२) एफ. डी. (Exp. Rules) ६७।११ दिनांक १३ जून, १९६७ के होते हुए भी एण्टिसिपेटरी पेन्शन नहीं दी गई ? और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

### ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजना

३८६. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की पेय जल समस्या के निवारण के लिए चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया है ?

(२) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने ट्यूब वेल्स बनाने का विचार है और उनके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

(३) उक्त योजना में पाइप लाइन स्कीम के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

(४) क्या राज्य सरकार उक्त ट्यूब वेल्स को सिंचाई एवं घास पैदा करने के लिये प्रयोग में लायेगी ? अगर नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

### उत्तर

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । अतः वांछित सूचना उपलब्ध करना संभव नहीं है ।

### बन्दावड़ घाटी का कार्य

३८७. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति महुवा जिला सवाई माधोपुर द्वारा लगभग ८ वर्ष पूर्व बन्दावड़ की घाटी में कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कितने दिनों तक चला ? कितने मजदूरों को घाटी पर लगाया गया तथा इस कार्य पर सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ा ?

### उत्तर

श्रमदान के रूप में कार्य करवाया गया था । कोई मजदूर नहीं रखा गया और सरकार का कोई व्यय इस कार्य में नहीं हुआ ।

### पंचायत समितियों में प्रशिक्षित अध्यापक

३८८. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान में पंचायत समितियों में कितने स्नातक स्तर व स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षित अध्यापक हैं ? समितिवार संख्या बताने का कष्ट कीजियेगा ? इनमें से कितनों को प्रशिक्षित स्नातक स्तर का वेतन (ट्रेन्ड ग्रेजुएट पे स्केल) दिया जा रहा है ?

(२) प्रशिक्षित स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापकों को पंचायत समिति की सेवा से राज्य सेवा में क्यों नहीं लिया जाता ? यदि लिया जाता है तो कितने लिए गए और बाकी क्यों नहीं लिये गये ? कब से वहीं है ।

(३) ऐसे शिक्षकों के भविष्य के विषय में राज्य सरकार की क्या नीति और व्यवस्था है ।

### उत्तर

१. (क) स्नातक अध्यापक लगभग ६३३
स्नातकोत्तर अध्यापक लगभग ६१

(ख) सूची संलग्न है ।

(ग) पंचायत समिति में ट्रेन्ड ग्रेजुएट के कोई पद नहीं होते हैं अतः यह ग्रेड देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

( पंचायत मंत्री)

२. (क) शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति सेवा के अध्यापकों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है।

(ख) राज्य सेवा में लगभग ३८५ स्नातक अध्यापक तथा एक स्नातकोत्तर अध्यापक को लिया जा चुका है।

(ग) पंचायत समितियों के गठन दिनांक २-१०-५९ से ही अध्यापक पंचायत समिति सेवा में है।

३—पंचायत समिति सेवा के अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग (राज्य सेवा) में योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार पदोन्नति देने की व्यवस्था है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

## मोअत्तिल सरपंचों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

३८९. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कितने सरपंच अपने पद से मोअत्तिल (सस्पेन्ड) किए हुए हैं? उनके नाम, स्थान व मोअत्तिली की तारीख की सूचीं सदन की मेज हर रखने का कष्ट करें।

(२) पंचायत बामनवास जिला सवाई माधोपुर के सरपंच को कितने अर्से से मोअत्तिल किया हुआ है और उसके खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई है?

### उत्तर

१—सूची सदन की मेज पर रखी गइ है।

२—२५ अप्रेल १९६७ से मोअत्तिल है। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट १४-१२-६५ को प्राप्त हुई। उसके पश्चात विस्तृत जांच करवाई गई। जो सितम्बर १९६६ में प्राप्त हुई। २५-४-६७ को धारा ३५२, ५०४ तथा ३२३ ताजीरात हिन्द में चालान की स्वीकृति दी गई। विभागीय जांच में सुनवाई के लिए २ मई। १९६७ निश्चित हैं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

## ग्राम खजवाणा, तहसील नागौर का गंवाई कुआ

३९०. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) क्या पँचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सहीं है कि ग्राम खजवाणा तहसील नागौर के गंवाई कुए पर ग्राम पंचायत खजवाणा ने गांव वालों को पानी पिलाने के लिए जो मशीन लगाई उसके वाटर चार्जेज सरपंच, ग्राम पंचायत खजवाणा ने वसूल किए? यदि हां तो किस किस महिने में शुरू से तारीख ११-१-६९ तक कितनी कितनी रकम वसूल की?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

तथा यह वसूली किस किस दर से हुई ? इस मशीन का खर्चा भी किस किस महीने में कितना कितना किस किस मद पर हुआ ? पूरा विवरण सदन की मेज रखें।

### उत्तर

१—जी हां। सूचना सदन की मेज पर रखी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

### ग्राम चन्द्राई (नागोर) का ग्राम सेवक क्वार्टर

**३९१. श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) ग्राम चन्द्राई, पंचायत समिति लाडनू जिला नागौर में ग्राम सेवक क्वार्टर कब तथा किसके द्वारा बनाया गया और उसमें कितने रुपये किसके खर्च हुए ? जिस भूमि पर यह भवन बना है वह किसकी है उसका खसरा नम्बर क्या है ? और राजस्व लगान कौन अदा करता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

१—सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

### नोहर में पीने के पानी के कुए

**३९२. श्री रामचन्द्र आर्य** : (नोहर) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चुनाव क्षेत्र नोहर में जनता के लिए पीने के पानी के लिए कुवे जुड़वाये हैं ? यदि हाँ, तो कब व कितने कुवे ठेके पर चलाने के लिए चालू किए व किस रेट पर चालू किए गए ? अलग अलग ग्राम वाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि कुवे चालू होने पर भी मजदूरी नहीं चुकाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब कुवे चालू हुए और मजदूरी कब चुकाई गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि अकाल पड़ने पर भी जनता को मजदूरी व अनाज का प्रबन्ध नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो किस तारीख से प्रबन्ध किया है ?

### उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है

(२) जी नहीं। कुए ठेके पर दिये गये हैं और ठेकेदार को समय पर चुकारा हुआ है इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं। राजस्थान नहर परि-

(अकाल सहायता मंत्री)

योजना पर रोजगार दिलाने की सुविधा अभाव स्थिति के प्रारम्भ से ही उपलब्ध कर दी गई थी और उसके बाद दिनाँक २३-२-६९ से और भी सहायता कार्य खोले गये है। तथा साथ ही अनाज की दुकानें भी खोलने का आदेश दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

**बारां नगर के बाढ़ ग्रसित बेघरबार परिवारों को सहायता**

३९३. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां नगर में सन् १९५७ जुलाई माह में जो भयंकर बाढ़ आयी थी उसमें कितने परिवार बेघरबार हुए तथा कितने नर-नारियों की मृत्यु हुई ?

(२) क्या सरकार ने बाढ़ सहायतार्थ फण्ड खोला था ? यदि हां तो उस फण्ड में सरकार व गैर सरकारी सहायता के द्वारा कुल कितना रुपया इकट्ठा हुआ और उसमें से कितना खर्च हुआ और बाकी कितना शेष बचा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ितों को गृह निर्माण आदि कार्यों के लिये, ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि जिन गरीब परिवारों को ऋण दिया गया है उनसे ऋण की वसूली कर ली गई लेकिन अभी तक श्री लालबहादुर सक्सेना, श्री चन्द्रप्रकाश वैद्य, श्री भंवरलाल पीपल आदि से ऋण कीं रकम वसूल नहीं की गई है ? यदि हां, तो इनमें कितना कितना रुपया बाकी है और किन कारणों से वसूल नहीं किया गया ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

**अकाल सहायता कार्य तहसील लाडनूं**

३९४. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील लाडनूं जिला नागौर में इस वर्ष अकाल सहायता कार्य कहां कहां पर कब कब कौन कौन सा चालू किया गया और उन पर कितने कितने रुपये खर्च हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त कार्यों पर कितने कितने लोगों को रोजगार मिला और तहसील की कुल जनसंख्या अकाल पीड़ित कितनी है ?

(३) क्या कार्य इस दृष्टि से चालू किये गये हैं कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को सुविधा से मजदूरी मिल सके ?

(३) क्या यह सही है कि कार्य ऐसी जगहों पर चालू किये हैं कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोग वहां तक नहीं पहुँच सकें ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

१ -तहसील, लाडनूं जिला नागौर में इस वर्ष निम्न लिखित सहायता कार्य आरम्भ किये गये हैं :—

Page No 34



(अकाल सहायता मंत्री)

| नाम कार्य | प्रारम्भ होने की तारीख | कैम्प | जो खर्चा हुआ |
|---|---|---|---|
| (क) सुनारी से चन्दाई | १५-२-६९ | मुनारी | |
| ख–निम्मी-जोधा से सुरपालिया | १०-२-६९ | कानोता | |

(२) उपरोक्त कार्यों पर क्रमशः ३९७ व ३४६ श्रमिकों को २८ फरवरी को रोजगार मिल रहा था। तहसील लाडनूं के अभावग्रस्त ग्रामों की जनसंख्या ६८,२३९ है।

(३) जी हां। अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को सुविधा से मजदूर मिलने के दृष्टिकोण के साथ साथ अधूरे कामों को पूरा कराने का दृष्टिकोण भी मूलतः रखा गया है। इस कारण गत वर्षों के अधूरे कार्यों को पहले प्रारम्भ किया गया है।

(४) आस-पास अकालग्रस्त क्षेत्र के लोग काम पर आ सकते हैं। ऐसे ही स्थान पर कैम्प खोला गया है।

## तहसील नैनवा का मोतीपुरा बांध

३९५. **श्री केसरी सिंह हाडा** (हिन्डोली) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

( १ ) तहसील नैनवा, जिला बून्दी में मोतीपुरा बांध की सर्वे कब और किस इन्जीनियर द्वारा कराई गई थी ?

( २ ) इसका काम कब शुरू किया गया था और क्या इसका कार्य योजना के अनुसार पूर्ण होगया है ? इसमें क्या खर्चा हुआ ?

( ३ ) इस बांध से सिंचाई किस साल से की गई और इसका कमान्ड क्षेत्र कितना है ?

( ४ ) जो कमान्ड एरिया घोषित किया जा चुका है उस पर समूचे क्षेत्र पर कितनी बार पानी दिया गया ?

( ५ ) जो कर कमान्ड एरिया में लगाये जाते हैं वे यहां पर कब से लगाये गये

( ६ ) क्या इस क्षेत्र का आवंटन रोक रखा हैं ? यदि हां, तो क्या यहां पर जमीनें बोली लगा कर दी जायेंगी ?

### उत्तर

( १ ) तहसील नैनवा जिला बून्दी के मोतीपुरा बांध की सर्वे, श्री एस० आर० डी मेहता सहायक अभियन्ता भाभारपण एवं सर्वेक्षण उप खंड बून्दी द्वारा सन् ६१, ६२ में करवाई गई थी।

( २ ) बांध का कार्य माह जून ६३ में शुरू किया गया था व स्वीकृत तखमीने के अनुसार कार्य पूरा कर दिया गया इस पर कुल खर्चा ४, ५९, २३७ रु० हुआ।

( ३ ) मोतीपुरा बांध से प्रथम सिचांई

(सिंचाई मंत्री)

सन् ६५. ६६ ई से चालू की गई। इस बांध का कमान्ड क्षेत्र ९७१ एकड है।

( ४ ) एक बार भी नहीं।

( ५ ) सिंचाई शुल्क सन् ६५, ६६ से लिया गया, चूंकि इस बांध की सिंचित क्षमता १००० एकड से कम हैं। अतः इस क्षेत्र में सुधार कर नहीं लगाया गया।

( ६ ) इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नही हैं। प्रश्नराजस्व से सम्बन्धित है।

## खानपुर में मवेशियों हेतु पुलियाओं का निर्माण

३९६. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम आंकोदिया तहसील खानपुर में चराई पर जाने वाली मवेशियों के लिये किन स्थानों पर पुलियाएं बान्धी गई हैं।

(२) क्या यह सही है कि पुलियाएं बनाने के समय व्यवहारिक दृष्टि ते गाँव की सुविधा को ध्यान में नहीं रखा जाने के फलस्वरूप मवेशियों को नाहरिया गोहा से निकलने में अड़चन आती है व इस स्थान पर लोगों ने पुलिया की मांग की हुई है ?

(३) नई पुलिया बनाने के लिये सरकार के क्या नियम हैं और क्या सरकार गांव के खर्चे से उपरोक्त स्थान पर पुलिया लगाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(१) ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर में चराई पर जाने वाले मवेशियों के लिए कालीसिंध की नहर पर निम्न स्थानों पर पुलियां बांधी गई है।

(अ) मैन कैनाल चैन ५८५ व ६३४ पर।

(ब) आकोदिया माईनर से चैन ० व २४ व २८ पर

(स) गुरायला डिस्ट्रीब्यूटरी चैन ९० व १६४ पर

(२) जी नहीं।

(३) अमूमन २ मील के फासले पर पुलिया दी जाती है और विशेष आवश्यकता को देखते हुए यह फासला कम भी किया जा सकता है। गांव के खर्चे से पुलियाएं बनाई जा सकती है।

## ग्राम जोलया, तहसील खानपुर के तालाब की मरम्मत

३९७. **श्रीमती शिवकुमारी**(खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम जोलया तहसील खानपुर के तालाब की मरम्मत कब की गई थी और उसमें कितनी मरम्मत की आवश्यकता है

(श्रीमती शिवकुमारी)

जिससे तालाब को सिंचाई योग्य बनाया जा सके ?

(२) जोलया तालाब से कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकने की संभावना है और इसे पूरा करने की दिशा में विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है ? कृपया यह भी बतावें कि तालाब की मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी ?

**उत्तर**

१: सर्व प्रथम जौलया तालाब की मरम्मत सन् १९५५.५६ में की गई थी। उस पर अभी भी लगभग २ लाख रु० के मरम्मत के काम की आवश्यकता है ताकि तालाब सिंचाई योग्य बन सके।

२. लगभग २२० एकड़, इस कार्य की सर्वे की जा चुकी है एवं उक्त राशि का प्राक्कलन बना कर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है प्राक्कलन की स्वीकृती एवं वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर ही इस कार्य को पूर्ण किया जा सकेगा।

**सर्वेयर द्वारा जाली नियुक्ति-पत्र**

३९८. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सिंचाई विभाग के सर्वेयर श्री सुधीरकुमार को जाली नियुक्ति-पत्र देने के आरोप में पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि श्री सुधीरकुमार ने ने बाबूसिंह को सिंचाई विभाग में २५) रु० लेकर जाली नियुक्तिपत्र जारी किया था ?

(३) सरकार इस अभियुक्त पर कानूनी कार्यवाही कर रही है, या विभागीय कार्यवाही करा रही है ?

(४) क्या सरकार ने इस बात की जानकारी करने का प्रयास किया है कि इसमें और कौन कौन शरीक है ?

**उत्तर**

१– जी हां

२-मामला जैर तफशीश हैं।

३- कानूनी कार्यवाही जारी है।

४- इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा तफतीस जारी है।

**जयपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था**

३९९. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी सु.) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर ज़िले में सिंचाई की वर्तमान में समुचित व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में क्या सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं ? तहसीलों के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री लादूराम सुलानिया)

(२) क्या सन् १९५० के पश्चात् राज्य सरकार ने इस जिले के लिये कोई योजना चालू की है ? यदि हां, तो कहां कहां, कब कब ? सूचना मय गांवों के नाम मय तहसीलों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या राज्य सरकार इस जिले में सिंचाई की समुचित व्यवस्था निकट भविष्य में करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस किस स्थान पर और कब तक ? सूचना मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

१. जी हां, सूची सदन की मेज पर रखदी है सूची नं० १

२. जी हाँ, सूची सदन की मेज पर रख दी हैं। सूची नं० २ (i) (ii)

३. जी हां, अतिरिक्त सिंचाई साधनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। सूची नं० ३

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

### कालख सागर बन्ध

४००. **श्री सुवालाल चौधरी** : (दूदू) क्या सिंचाई मन्त्री यह इताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि बन्ध कालख सागर हर साल खाली रहता है ? अगर हां. तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध को भरने हेतु आज तक कोई योजना बनाई है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार इस ओर अब ध्यान देगी ?

### उत्तर

(१) कैचमेन्ट क्षेत्र में कम वर्षा होनें के कारण यह बान्ध पूरा नहीं भरता।

(२) जी हां।

### वन विभाग की कृषि योग्य मुमि

४०१. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** : (छबड़ा) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार कोटा जिले के वन विभाग की अधिकृत भूमि में से कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग में ट्रान्सफर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? रेन्ज वाइज इसके रकवे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

### उत्तर

(१) जी नहीं।

सामान्य वन नीति के अनुसार वन भूमि राजस्व विभाग को कृषि हेतु मुक्त नही की जाती है। कोटा जिले में वन विभाग के अधिकार की भूमि राजस्व विभाग में स्थानान्तर करना प्रस्तावित नहीं है। यह कार्य लोकल तथा डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा लैण्ड केपेबिलिटी सर्वे पूर्ण करने के पश्चात् किया

(वन मंत्री)

जाता है अभी तक उक्त सर्वे नहीं हुआ है ।

## ग्राम जसवन्तगढ़ जिला नागौर का विद्युतिकरण

४०२. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़ पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने कोई राशि जमा करवा रखी है कि जिससे ग्राम में ऐसी सार्वजनिक बिजली के लिये खंभे लगवाकर लाइनें खिचवानी है ? यदि हां, तो कब से कितने रुपये जमा करवा रखे हैं और अब तक उक्त गांव में लाइनें क्यों नहीं लगाई गई ?

(२) इस सम्बन्ध में रुपये जमा करवाने के पहिले पंचायत व विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के बीच क्या तय हुआ था और रुपये किस आधार पर जमा किये गये थे ?

(३) इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा कब कब विद्युत बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान उक्त लाईन डालने तथा कार्य पूर्ण करने के लिये आकर्षित किया गया जिस पर उक्त अधिकारियों ने क्या क्या कार्यवाही की ?

(५) उक्त लाइन का कार्य पूर्ण होने में कितना समय तथा रुपये लगेंगे और इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

### उत्तर

(१) जी हां। १७-२-६७ को ५०००) रु० जमा करवाये थे। पोल लगाने का स्थान ग्राम पंचायत ने अभी तक कई बार पूछने पर भी नहीं बताया है।

(२) ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा ५०००) रु० तक के पथ रोशनी का डिपोजिट कार्य करवाने के आधार पर रुपया जमा किया गया था।

(३) ग्राम पंचायत की ओर से तो केवल १७-८-६७ को ही इस क्रम में एक पत्र आया था किन्तु विद्युत मण्डल की ओर से इससे पूर्व ही १५ पोल जसवन्तगढ़ में भिजवा देने तथा अनेकों बार मौखिक अनुरोध के अतिरिक्त दिनांक २९-७-६७, ६-८-६८ को लिखे जाने पर भी ग्राम पंचायत द्वारा आज तक इन पोलों को लगाये जाने के स्थान नहीं बताये गये।

(४) वांछित लाइन पर २८,६९९-७५ पैसे का अनुमानित खर्चा होगा। काम का पूर्ण होना ग्राम पंचायत द्वारा समस्त औपचारिकता के पूरे किये जाने पर निर्भर करता है।

## समाज कल्याण कार्य पर खर्च हुई राशि

४०३. **श्री गंगासहाय** : (कठूमर सु.) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सन् १९५२ से १९६८ तक समाज कल्याण कार्यों पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ? जिला व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

Page No 39



## औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

४०४. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी-सु.) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में यह केन्द्र कहाँ कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर मय उनके नाम, पतों के रखने की कृपा करें।

(२) उक्त केन्द्रों में कितने कर्मचारी कब कब से किस किस पद पर व कहां कहाँ कार्य कर रहे हैं तथा उनकी वेतन श्रृंखला क्या क्या है ? वर्तमान में उन्हें क्या क्या वेतन मिल रहा है ? कर्मचारियों के नाम, पद नियुक्ति तिथि, सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इन केन्द्रों के किन्हीं कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम, पिता के नाम, जाति, जन्म तिथी, नियुक्ति तिथि, योग्यता एवं प्रमोशन की तिथी तथा प्रमोशन किये गए पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या इन केन्द्रों के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) वर्तमान इन केन्द्रों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन दिये जाने की क्या कोई विभागीय योजना है ? यदि हां, तो उस योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

(१) जी हां सूची को सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचि 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

## स्थगित प्रश्न

(१-३-६९)

### अस्थाई कर्मचारी

१४७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) समाज कल्याण विभाग में कितने कर्मचारी अस्थाई रूप से कब कब से कार्य कर रहे हैं ?

(२) यह नियुक्तियां किस प्रक्रिया के आधार पर की गई ?

(श्री श्रवणलाल)

(३) इन अस्थाई कर्मचारियों में कौन कौन कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ६ माह के बाद में सेवा काल में वृद्धि की जाती रही है ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखें जिसमें यह बताया जावे कि ऐसे कर्मचारियों की विभाग में प्रथम बार नियुक्ति कब की गई और उनके सेवाकाल में कब कब वृद्धि की गई ?

(४) विभाग के किन किन कर्मचारियों के सेवाकाल में कितने कितने समय का और क्यों इन्ट्रप्शन को कन्डोन किया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखें और यह बतावें कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति कब कब की गई और इनको कब स्थाई किया गया है ?

**(स्थगित हुआ)**

## अनुदानों की मांगों पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष :** अनुदान की मांगों पर विचार, मंत्री महोदय,

**मांग संख्या २५**

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहु प्रयोजन नदी योजनायें के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८४,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

**मांग संख्या २६**

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक), ४४-सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,०८,४६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

**माँग संख्या ४१**

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ८९—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) १००—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,४९,३३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** मांगें प्रस्तु की गईं।

**श्री नन्दलाल बैरवा**

**उपरोक्त मांगो पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।**

**मांग संख्या २५**

**श्री नन्दलाल बेरवा** (पाटन सु.) :

१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाऐं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की नहरों का कार्य सुविधाजनक नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या २६**

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत गेन्डोली के तालाब कार्य में हुए अव्ययन पर चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की (तहसील पाटन) में नहर द्वारा ग्राम रास्तों की असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी तहसील पाटन में खरीफ की फ़सल हेतु नहर द्वारा समय पर पानी नहीं देने से फसलें खराब हो गई, इस पर चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी तहसील पाटन) की सिचाई की अधूरी नहरें पूरी नहीं होने से असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में चम्बल एवं मेजा नदी की उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी तहसील पाटन में दिये जाने वाले सिंचाई के पानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या ४०**

८. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी तहसील पाटन के गांवों में बहने वाली नहरों के कार्य को पूरा कराने पर चर्चा के लिए)।

९. मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ९९—सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी को तहसील पाटन के ग्राम देवपुरा व अन्य ग्रामों को फाल नहीं बनने से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या २५**

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) :

१०. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक

(वृद्धिचन्द जैन)
४२—बहु प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की पूर्ण योजना जो बाड़मेर जिले में होकर कच्छ की खाड़ी तक पहुँचाने की थी उस योजना को क्रियान्वित करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या २६**

११. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३--सिंचन, नौचालन, आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी घाटी योजना को राजस्थान में कार्यान्वित कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या २५**

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :

१२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (माही नदी योजना को शीघ्र पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी योजनाओं के क्रियान्वन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या २६**

१४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लूनीनदी इन्डेशन योजनाओं सम्पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (साबी नदी बांध योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बडगांव, जेटपुरा नदियों पर बांध बनाने के बारे में चर्चा के लिए)

१७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी इंडेशन योजना पर अकाल सहायता कार्य में हुई अनियमितताओं के विषय की शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या २५**

**श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़)

१८. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राणा प्रतापसागर बांध (चम्बल प्रोजेक्ट) के डूब में आने वाले ग्रामों के विस्थापितों को बसाने हेतु भूमि दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

Page No 43



(श्री रामकुमार नन्दवाना)

**मांग संख्या ४०**

१९. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ ज़िले में लघु-सिचाई योजना के अंतर्गत अधिक धनराशि आवंटित करने के बारे में चर्चा के लिए)।

२०. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९ सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बागन नदी, ब्राह्मणी नदी, बेडच नदी पर मध्य सिचाई योजनान्तर्गत बांध बनाकर सिचाई के साधन बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

२१, मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९ सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ज़िला चित्तौड़गढ़ में फालतू बह कर जाने वाले पानी को रोक कर बांध बनाए जाने तथा बाढ़ पर नियन्त्रण करने के बारे में चर्चा के लिए)।

२२. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १०० सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में भदेसर तहसील में बागन नदी पर गरदाना के पास बान्ध बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

२३. मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक १००, सिचन, नौचालन, तटबन्धन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बेगू तहसील में ब्राह्मणी नदी पर बांध बनाए जाने तथा उसके लिए धनराशि आवंटन करने हेतु चर्चा के लिए)।

२४, मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक १०० सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बेड़च नदी पर गोगून्दा के पास मध्यम सिचाई योजना के आधार पर बांध बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२५. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १०० सिचान, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिचाई योजना हेतु अधिक धनराशि के प्रावधान की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १०० सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मोडया महादेव, नीलिया दह पर नये तालाबों व बांध बनाये जाने की स्वीकृति दिलाने तथा धनराशि के प्रावधान पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या २५**

**श्री यशवन्त सिंह नाहर :** (बनेड़ा)

२७. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (इस मांग के अंतर्गत आय-व्ययक विषमता और कार्य में ढिलाई सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

**मांग संख्या २६**

२८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

अंतर्गत मांग में से १०० रूपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में सिंचाई साधनों का पूर्ण उपयोग करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

२९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के आधीन आय-व्ययक विषमता अनुपातिक पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या ४०**

३०. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (इस मांग के आधीन योजनाओं के प्रसार और निर्माण की व्यवस्था सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

**मांग संख्या २५**

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर)**

३१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२--बहु प्रयोजन नदी योजनायों के अंतर्गत मांग में से १०० रूपया कम कर दिया जाय (इस विभाग में होने वाली अनियमितताओं को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

३२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से १०० रूपया कम कर दिया जाय (इस शीर्षक में होने वाली हानि को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या ४०**

३३. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस शीर्षक में होने वाली हानि को रोकने पर चर्चा के लिये)।

३८. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रूपया कम कर दिया जाय (इस शीर्षक में होने वाले खर्च में पक्षपाती रवैये को रोकने पर चर्चा के लिये)।

३५. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९--सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इस शीर्षक में स्थानों के चयन में होने वाले पक्षपात को रोकने हेतु चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या २६**

**श्री मूलचन्द डागा (पाली)**

३६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से १०० रूपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में सूकड़ी नदी का तटबन्धन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या ४०**

३७. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक

(श्री मूलचन्द डागा)

९९. सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (पालिताना के हेमावास बांध के पानी की वितरण व्यवस्था असामाजिक एवं अव्यवहारिक है, इस पर चर्चा के लिए)

३८. मांग संख्या४०, मुख्य शीर्षक १०० सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (पाली शहर की बांडी नदी का तटबन्धन पूरा न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३९. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १०० सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांव खैरवा की नदी का तटबन्धन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

४०. मांग संख्या ४०,मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय। इस रबी फसल में पाली के हेमावास में बांध की सिचाई व्यवस्था ठीक न होने से कई नहरी काश्तकार बिना पानी रह गये, इस पर चर्चा के लिए)

४१. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९९-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (गई रबी की फसल में हेमावास बांध के पानी के वितरण की व्यवस्था असन्तोषजनक रही, इस पर चर्चा के लिए)।

४२. मांग संख्या ४०,मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील में हेमावास के पानी का वितरण नियमों के विरुद्ध हो रहा है इस पर चर्चा के लिए )।

४३. मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन,नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (पाली मनियारी बांध का पानी कमेटी द्वारा वितरण न होने के कारणों पर चर्चा के लिये )।

## मांग संख्या २६

### श्री शंकरलाल (जेतारण)

४४. मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४४ सिचन, नौचालय, तटबन्धन आदि कि अन्तर्गत इस माग को घटाकर १ रू० कर दिया जाय (पाली जिले के खौड़ (ढ़ंिया) बांध की योजना क्रियान्वित करने सम्बन्धी नीति का अननुमोदन )।

४५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (पाली जिले की रायपुर तहसील के सुमेल बांध की योजना को क्रियान्वित न करने के कारण चर्चा के लिये)।

### श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०)

४६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत

(श्री कल्याणमल)

मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (जहाजपुर में बांध बंधवानेपर चर्चा के लिये )।

**श्री अभीलाल यादव** (बहरोड़)

४७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००रू० कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर नहरों से पानी नहीं मिलने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये )।

४८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रू० कम कर दिया जाय (तहसील बहरोड़ जिला अलवर के ग्राम खापरियां, आनन्दपुर, कुपीना में बांध बंधाने के संबंध में चर्चा के लिये ) ।

**श्री हंसराज आर्य** (भादरा)

४९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नहरों में क्षमता के अनुसार पानी नहीं रहता एवं जल वितरण में पक्षपात है, इस पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत** (भीम)

५०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (माइनर सिंचाई में बहुत कम रकम रखी गई है, इस पर चर्चा के लिये) ।

**श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा सु.)

५१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा के तालाब बंधाने व उन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

५२. मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की तहसीलों की नदियों की सर्वे कराई जाकर योजनाओं का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये) ।

**श्री जगन्नाथ** (टोड़ाराय सिंह)

५३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (डाई नदी पर बांध बनाने और वहां से टोरडी सागर में पानी डालकर सिंचाई की सुविधा करने हेतु चर्चा के लिये) ।

५४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय [बनास नदी के कालादेह (मोरमाटियान पंचायत, टोडारायसिंह तहसील) को सिंचाई के उपयोग में लाने हेतु

(श्री जगन्नाथ)

चर्चा के लिये] ।

५५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक, ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी पर कई बाँध बनाये जाने के बावजूद बाडमेर जिले के सिवाना, बालोतरा एवं बाड़मेर तहसील के क्षेत्र में लूनी नदी का पानी न पहुँचने से उस क्षेत्र के वीरान होने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

**श्री विद्या सागर** (खेरवाड़ा सु०)

५६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारोठ का नाका तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर का सर्वे कर सिंचाई योजनाऐं बनाने पर चर्चा के लिये) ।

५७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हकटिया सोमनदी कागदर का सर्वे करवा कर सिंचाई योजना (तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर) पर चर्चा के लिये) ।

५८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुड़ी, खावड़ा बलावला तलाब का नाका विलख (ऋषभदेव) की नदी पर सर्वे कर सिंचाई योजना बनाने पर चर्चा के लिये) ।

**श्रीरतनलाल रोत** : (चौरासी सु.)

५९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में अमरपुरा पी० के पास एवं भादर तालाब पर नहरों के विस्तार कार्य हेतु चर्चा के लिए) ।

६०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचत, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के अन्तर्गत काफी स्थानों में नये सिरे से बड़े तालाब निर्माण हेतु सर्वे कराने पर चर्चा के लिये) ।

६१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुन के सिंचाई विभाग में गेंती, फावड़े, सब्बल, ट्रैक्टर, ट्रक और रोलर मशीनों का नितांत अभाव पर चर्चा के लिए) ।

६२. मांग संख्या २६, मुख्य [illegible] ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के वामोंक, गजपुर, विलपण, टेंकों की नहर कार्य की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये) ।

६३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के अमरपुर

# Page No 48



(श्री रतनलाल रोत)

स्कीम की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये) ।

६४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के पास माही नदी पर कडाणाडेम में डूब में आने वाले गांवों की समस्या पर चर्चा के लिए ) ।

**मांग संख्या ४०**

**श्री शंकरलाल जाट :** (कपासन)

६५. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय ( तहसील बड़ी सादड़ी में तालाबों की कमी है वह कमी पूरी किये जाने पर चर्चा के लिए ) ।

६६. मांग संख्या ४०, मुख्द शीर्षक १००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १००रुपया कम कर दिया जाय ( गाँव जरखाना के नाले पर एनीकट और बीकावेली पर तालाब बनाने पर चर्चा के लिए ) ।

**श्री जयनारायण रोत :** (लसाड़िया)

६७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाऐं के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम मकर दियाजाय ( तहसील धरियावद में वर्ष भर बहने वाली नदियों पर बांध बांधने हेतु चर्चा के लिए )।

**श्री श्री निवास शारदा :** (निम्बाहेड़ा)

६८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय ( मिडियम एण्ड माइनर सिंचाई के बन्धों के निर्माण पर चर्चा के लिए ) ।

**श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिंचाई सम्बन्धी ८ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। बूंदी जिला और कोटा डिविजन में जो चम्बल नहर निकाली गयी है उसमें राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके किसानों को उनके खेतों पर पानी पहुँचाया है उसके लिए वहां के किसान और हम सब अपनी ओर से आभारी हैं कि राजस्थान सरकार ने जो कि हजारों वर्षों पूर्व से जहां पीने का पानी नहीं था वहां गांवों में पीने का पानी भी पहुंचाया है। आज राज्य सरकार के द्वारा कोटा बांध बांधकर के किसानों के खेतों को जो पानी पहुंचाया उसके लिए किसान आज इस समय काफी खुशहाल हैं। लेकिन इतना होते हुए भी आज जो सिंचाई विभाग के अन्दर कठिनाइयां हैं, वहां की जो समस्यायें हैं वह आपके सामने हैं और उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बूंदी जिले के अन्दर एक ब्रांच बूंदी गयी है दूसरी कापरेन ब्रांच गयी है और तीसरी पाटन गयी । बूंदी ब्रांच के अन्दर ७४ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए मुख्य नहर गयी हैं। दूसरी ब्रांच कापरेन में गयी है जो कि १ लाख ७४ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए नहर गयी है। उसके अन्दर इस वर्ष किसानों को एक

(श्री नन्दलाल बेरवा)

समस्या का सामना करना पड़ा जिसके बारे में मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। अभी गयी फसल के अन्दर जो भी पानी देने का कार्यक्रम तय किया जाता है वह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अधिकारी तथा वहां के सम्बन्धित प्रधान और सम्बन्धित गांव के सरपंच द्वारा उस कार्यक्रम को तय किया जाता है। उस कार्यक्रम के अनुसार यह तय होता है कि फलां तारीख को पानी मिलेगा और किसान अपने खेतों पर उस तारीख को पानी लेंगे। इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक हुई उसमें तय पाया गया कि १३ दिसम्बर को कापरेन ब्रांच में पानी छोड़ेंगे और काफी पानी मिला। लेकिन उसके बाद १३ दिसम्बर का कार्यक्रम तय किया गया उसके अनुसार सारा कार्यक्रम कापरेन ब्रांच में आता है वह इस अपेक्षा में थे कि १३ दिसंबर को पानी आयेगा लेकिन १३ तारीख गयी, १५ तारीख हुई और तारीखें निकलती गयीं लेकिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया। इस मामले को लेकर हम संबंधित उच्च अधिकारियों से मिले कि १३ तारीख का कार्यक्रम दिया गया था उसके अनुसार पानी पहुंचाना चाहिए था लेकिन हमें किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम और भी ऊंचे अधिकारियों से मिले। तब यह आदेश दिया जाता है कि २२ दिसंबर को पानी दिया जायेगा। २२ दिसम्बर को कापरेन ब्रांच में पानी छोड़ा जाता है लेकिन किन्हीं कारणवश वह पानी सिर्फ आठ-दस घन्टे चलने के बाद वह बन्द कर दिया गया। पानी खेतों पर नहीं पहुंच सका जो कि किसानों को मिलना चाहिए था। उसके बाद हम फिर सम्बन्धित अधिकारियों से मिले और वह कोटा के अन्दर हमारे सबसे बड़े सिंचाई विभाग के इन्जीनियर हैं उनसे जाकर डेपुटेशन मिला और हमने निवेदन किया कि हमारे काश्तकारों की फसल सूखती जा रही है और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप उन खेतों तक पानी दें। उस डेपूटेशन के अन्दर हमारी तहसील के प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उस गांव के सरपंच भी थे और मैं भी उस डेपुटेशन के साथ था। सम्बन्धित इन्जीनियर से निवेदन करने के बाद सारे कागज उन्होंने दिखाये कि इस प्रकार से उनको पानी देना है और जो कार्यक्रम बना था वह गलत था और कहा गया कि हमारे लिए पानी देने के लिए दिल्ली से आदेश आने के बाद हम पानी बढ़ायेंगे। हमने निवेदन किया कि जो पिछली बार पानी पहुंचाया गया था उस समय कहां से आदेश आये थे। हजारों बीघा जमीन के अन्दर पानी दिया उतना तो आप कम से कम दे ही सकते हैं लेकिन उन्होंने कई कागजात, कई फाइल और कई आर्डर्स बताकर टालमटोल कर दिया। उसके बाद हम किसानों से मिले और गांव गांव में जाकर फसलों को देखा तो वह फसलें सूखी हुई थीं और जिन लोगों ने ७।। रुपया, ५ रुपया और ३ रुपया किलो का बीज डाला था वह फसल हमने सूखी हुई देखीं साथ ही चनों के अन्दर पानी नहीं था और वह भी सूखे हुए थे। इसके बाद आपने अपने कार्यक्रम के अनुसार ३१ दिसम्बर को पानी छोड़ा। जब १३ दिसम्बर का प्रोग्राम था उसके बाद ३१ दिसम्बर को पानी छोड़ते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नन्दलाल बेरवा)

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जो काश्तकारों को १३ तारीख के बजाय ३१ तारीख को पानी पाते हैं तो इस बात के लिए सोच सकते हैं कि काश्तकारों की फसलों की क्या हालत होगी हमने एक एक गांव जाकर देखा है वहां और अधिकारियो से निवेदन किया है कि वहां जाकर देखें कि लोगों को समय पर पानी नहीं मिला है और हजारों बीघे की फसल खराब हो रही है। एक तरफ हम अकाल का मुकाबला करते हैं और जगह जगह लाखो रुपया खर्च करते हैं और अकाल का मुकाबला किया जा रहा है और एक तरफ लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करके नहरें बनाई जाती हैं खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए, लेकिन समय पर पानी नहीं पहुँच पाता है।

आज पाटन तहसील के अन्दर ४०-५० गांव अकालग्रस्त तो नहीं हैं लेकिन उन गावों में कम से कम १० आना, ८ आना और ६ आना खराबे की गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी हैं। इसका कारण है कि गांवों के अन्दर अगर ५०० बीघा जमीन है और उसमें थोड़ी सी जमीन में पानी पहुँच गया तो मान लिया गया कि गांव में अकाल नहीं है।

चूंकि पाटन तहसील, जिला बूंदी में २,४५,००० एकड़ के अन्दर पानी पहुँचाने का गवर्नमेंट के पास प्रावधान नहीं है और कई जमीनों में तो पानी बिल्कुल पहुँच नहीं पाता है और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि १० वर्षों के अन्दर आज तक पानी नहीं पहुँचाया गया है लेकिन उसको भी कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है, लेकिन पानी नहीं पहुँच पाता है। चम्बल नदी और मेज नदी के बीच में जो जमीन है उसमें १५०, २०० फीट के गड्ढे हैं उसको भी कमाण्ड एरिया में घोषित कर रखा है। इसके लिए हमारे यहां के प्रतिनिधि सम्बन्धित अधिकारियों से मिले और माननीय मन्त्रीजी से भी मिले कि जिस जमीन पर पानी नहीं पहुँचा सकते हैं उसको अनकमाण्ड घोषित करें जिसके अन्दर जो भूमिहीन किसान हैं वे जमीन जोतकर अपने पेट का पालन कर सकें। लेकिन जहां पर पानी नहीं पहुँचा पाते हैं उसको भी कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है। आज उन गावों में जाकर देखिये कि वहां पर अकाल है और लोग गांवों को छोड़कर जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बूंदी जिले के कई गांवों की जमीनों पर पानी नहीं पहुँचा है और गांवों को हजारों बीघा जमीन सूखी पड़ी रहती है लेकिन कमाण्ड एरिया में उसको भी घोषित कर रखा है। पास ही दसौड़ा ग्राम में पानी पूरी पंचायत में नहीं पहुँचा है, लेकिन वो कमाण्ड एरिया में है। माचीदा पंचायत के अन्दर २५ पर्सेन्ट पानी पहुँचता है, लेकिन पूरी पंचायत को कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है। चम्बल और मैज नदी के किनारे के गांवों तक पानी नहीं पहुँचता है, लेकिन उसको भी कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मन्त्रीजी वहां का निरीक्षण करके इस बात का निर्णय लें कि कितने एरिया में हम पानी दे सकते हैं। नहरें बनानी हों तो नहरें बनायें उससे काश्तकारों को काफी लाभ मिलेगा, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को लाभ पहुँचे। सवाल

(श्री नन्दलाल बेरवा)

यह है कि जब से नहरें बनी हैं आज दिन तक जितनी नहरें अधूरी रह गई हैं तो वे आज तक अधूरी ही पड़ी हैं और उसके लिए राज्य सरकार से कहते हैं तो कहती है कि पैसा नहीं है। अगर उसके लिए बजट में रखते भी हैं तो वह पैसा दूसरी जगह काम में लाया जा सकता है। हम प्रार्थना करते हैं और बारम्बार आप से मिलते हैं और कहते हैं तो कह देते हैं कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है और केन्द्र से रुपया नहीं आया है इसलिए वे नहरें पूरी नहीं हो सकती हैं।

मैं एक ओर निवेदन करूं कि जो नहरें शुरू से खुदी हैं तो उन नहरों के बराबर मिट्टी आ गई है लेकिन उन नहरों की मिट्टी निकालना मुश्किल है। इसके कारण मैं निवेदन करूं कि आज से काश्तकारों को जो तीन साल पहले पानी मिलता था वह इस वर्ष में उनको पानी नहीं मिल रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि नहरें बराबर होगई हैं, उनमें मिट्टी भर गई है। मिट्टी उनसे नहीं निकाली जाती है, और पानी नहीं पहुँच पाता है।

साथ ही पाटन एरिया में कापरेन एरिया में हजारों बीघा जमीन सीपेज में आगई है। उनका मुख्य कारण यह है ऊपर से पानी नीचे आये तो नीचे वालों को पानी मिल सकता है। तो उसके लिए निवेदन किया है कि सीपेज के लिए पानी को कैसे निकाला जाय तो सरकार की ओर से गांव गांव में गड्ढे करवाये गये है। आप जाकर देखें तो बूंदी जिले के अन्दर लाखों बीघा जमीन सीपेज की वजह से बेकार होगई हैं। गवर्नमेंट क्या करे, यह कहते हैं। पानी को निकालना है तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। इसको मानकर चलते हैं, लेकिन एक सुझाव की तरह से मैं निवेदन करूंगा कि जो सीपेज में आगई है जमीन उन लोगों को भी सिचाई विभाग द्वारा २, ३, ४, पानी के फार्म काट दिये गये हैं। उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि कि तुम्हारे खेतों में पानी भरा हुआ है चाहे तुम काश्त करो या नहीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने न चावल बोया, न गन्ना बोया, न गेहूं बोया, न चना बोया उन लोगों के भी फार्म काट दिये गये और कहते हैं कि तुमको रुपया देना पड़ेगा नहीं तो कुर्की ले आयेंगे और पैसा वसूल करेंगे। इसके मामले में सम्बन्धित अधिकारियों से मिलें कि बिल्कुल कोई फसल तैयार नहीं हुई है तो फार्म क्यों काटे गये। वे कहते हैं कि फार्म काटने का तो नियम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह नियम है तो सीपेज हो रहा है और सीपेज के कारण जमीन खराब हो गई है उसका कोई मुआवजा नहीं उसके बाद गलत तरीके से फार्म काट दिये गये और कहते हैं कि २०० रुपये जमा कराने पड़ेंगे।

साथ ही यह नक्शा बनाकर दे दिया जाता है कि फलां जगह से प्रयास करके नदी को बान्धती है और नहरें निकालती हैं, लेकिन न मालूम बजट कहां खर्च हो जाता है। न तो वहाँ पर पुलियाएँ बनाई जाती है। एक गांव से दूसरे गांव से जोड़ने वाली उन पुलियाओं का काम नहीं होता हैं तो रास्तों के लिए राज्य सरकार के सम्बन्धित अधि–

(श्री नन्नबाल बेरवा)

कारियों से निवेदन किया गया, लेकिन कई गांव तो ऐसे हैं कि जिनकी रात-दिन बैल और बैलग डियां बाहर खड़ी रहती हैं, वे अन्दर नहीं जा सकती है। उनके खेत एक तरफ और गांव दूसरी तरफ है। रास्ते बिल्कुल खराब हैं। सरकार से मैं निवेदन करुंगा कि लाखों रुपये जो काश्तकार अपने वहां से देते हैं तो उन नहरों को तुरन्त पूरा करवाया जाय।

साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देवपुरा जो मेज नदी के किनारे पड़ता है उसके अन्दर बांकी माइनर गई है उनको मैंने देखा है और लोगों ने खुद लेजाकर मुझे दिखाया है कि वहां पर कम से ५० फुट गड्ढा पड़ गया है उससे ऐसा लगता है कि पूरा गांव बैठ जायगा। उसके लिए एस्टीमेट बना दिया गया कि कितना पैसा लगेगा और शायद इन्जीनियर भी वहां जाकर उसको देख आये हैं लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं। मैं संबंधित मंत्री के पास गया, मगर आज तक प्रबन्ध नहीं किया गया। यह नहर से पानी लाने का प्रश्न है तो पानी ५० फुट गहरा है। पानी ५० फुट के नीचे जाता है तो पानी कैसे खेतों में आ सकता है। वहां पर सारा पानी रुक जायगा और मिट्टी भरने से नहरो में पानी आ सकेगा। तो वहां जो वह गांव है वह १५० घरों की बस्ती है वह बैठ जायेगा और सारे गांव वालों का नुकसान होगा। गवर्नमेंट से कहा गया तो कहते है कि गवर्नमेंट क्या करे, इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि जहां जहां नहरें गई है उनको पूरा करवाने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चना बोया है, गेहूँ बोया हैं और बहुत से गरीब आदमी हैं उन्होंने तलपड़ बोया है और फसलों को पानी नहीं पहुँचाया गया है फिर भी फार्म काट दिये गये कि पिलाई का पैसा देना पड़ेगा। मैंने निवेदन किया कि आपने फार्म कैसे काट दिये जबकि पानी नहीं पहुंचा तो वे कहते हैं कि फार्म काट दिये। आप अपील करें। अपील खारिज भी हो सकती है या कुछ ऐसा करेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी है, उसके पास १० बीघा भूमि है उसकी भूमि पर पानी नहीं पहुँच पाया और उसके नाम फार्म काट दिये तो उसको अपील करने जाना पड़ेगा।

सारे बूंदी जिले में काटे जा रहे हैं। शिकायतें की हैं और कहते हैं तो जवाब मिलता है अपील कर लो। अपील में कितना पैसा चाहिये, किसके पास जाना चाहिये। यह सब वह गरीब कहां से क्या करेगा। नहरों के निकालने से काफी लाभ हुआ है इसमें शक नहीं। पर थोड़े आदमियों को इससे नुकसान भी हुआ है, वह भी देखना चाहिये। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से इधर उधर से उधार लाकर खेतों में बीज वगैरह डालता है। पर समय पर उसमें पानी नहीं देने से सब बेकार हो जाता है और फिर उस पर भी उनके फार्म काट लिये जावें और फिर शिकायत करें तो अपील की बात कहें तो ये कठिनाइयां उनकी दूर होनी चाहिये।

सिंचाई विभाग द्वारा जो जो कठिनाइयां हैं वे मैं रख रहा हूँ। पर सिर्फ रखने से ही

(श्री नन्दलाल बे..ा)

काम नहीं चलेगा। किसानों की ये तकलीफें एक दिन असह्य हो जावेंगी और इस विभाग के द्वारा जो असुविधाएं और परेशानियां पैदा की जा रही हैं उसको कहीं तो हद होगी। किसान चाहता है कि उसके खेतों में पानी आवे और अधिक अन्न पैदा हो। आज बूंदी जिले में जहां जहां पानी की नहर आई है हमारे सिंचाई मन्त्री वहां वहाँ जाकर निरीक्षण करे कि वाकई में जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह सही है या नहीं। अगर है तो वे उसका कोई समाधान निकालें। एक काश्तकार है रही गांव में। रामकिशन उसका नाम है। उसकी शिकायत मैंने सम्बन्धित उच्चाधिकारियों और मन्त्री महोदय के भी सामने लाकर रखी। पर दो तीन साल हो गये उसका कोई समाधान नहीं हो सका है। सैंकड़ों काश्तकार ऐसे हैं जिनकी जमीनें डूब गई। रास्ता नहीं है। यह सारी समस्याएं काश्तकार कब तक सहन करता रहेगा। आपने तो चम्बल नहर का पानी देकर भी बिना अकाल के ही काश्तकार को पीड़ित कर दिया तो आखिर काश्तकार क्या करेगा?

काश्तकार चाहता है कि ज्यादा उत्पादन बढ़ावे, ज्यादा से ज्यादा सरकार को सहयोग करे। वह यह कभी नहीं चाहता कि पानी मिल जावे और सरकार को फिर भी सहयोग नहीं करे। सरकार को सहयोग करना चाहता है, पर समय पर उसको उसके खेत के उपयोग की चीजें नहीं मिलतीं, समय पर उसको पानी नहीं मिलता।

इसी तरह बूंदी जिले में सड़कों की कमी है और फिर जहां जहाँ से नहरें निकली हैं वहां और खराब हो गई हैं पर जहां बिना नहर के भी निकली हैं वहां भी सड़कों में दस दस फीट के गढ़े पड़ गये हैं। नतीजा यह होता है कि आठ आठ दस दस दिन लोगों को उन नाले नालियों को पार करके निकलने के प्रयास में लग जाते हैं। फिर भी आसानी से निकल नहीं पाते। मैंने खुद ने जाकर देखा है। किसानों के खेत हैं, कुए हैं वहाँ तीन जगह नालियाँ डालनी चाहिये थी पर नहीं डालने से रास्ते सारे खराब पड़े हैं किसान उनसे आसानी से निकल नहीं पाता।

सिंचाई विभाग में जैसा कहूँगा कि ऊपर से किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन नीचे से सिंचाई विभाग में काश्तकार के लिये भारी असुविधाएं खड़ी की जाती हैं, जिन्हें रोकने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। आज जो काश्तकार पैसा दे देता है नीचे वालों को तो उसको पानी बराबर मिल जाता है। पर जो काश्तकार गरीब हैं, पैसा दे नहीं सकता उसको पानी नहीं मिल सकता। आज बिना पैसा दिये पानी नहीं मिलता। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया। इसके बाद भी पानी के लिये किसान को पैसा देना पड़ता है, तब पानी मिलता है। बार बार इसकी शिकायत करते हैं, डेपूटेशन मिलते हैं। पर लाभ नहीं। सरपंच का काम ही यह हैं। पानी नहीं मिल सकता और नीचे वाले को पैसा नहीं दिया तो फसल तक लोगों की सूख जाती है, नहर में पानी के रहते हुए भी। क्या सरकार ने करोड़ों रुपया इसीलिये खर्च किया? किसान तड़पता रहे। मैं निवेदन करूं कि जब कि उस जमीन में नहर नहीं थी तो किसान को इतनी तकलीफ नहीं थी जो आज

# Page No 54



(श्री नन्दलाल बेरवा)

नहर आने के बाद हो गई है ।

साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा । मैंने आठ कटौती प्रस्ताव दिये हैं इसलिये निवेदन करूंगा कि कुछ जगह पर माइनर नहीं बनवाने से जमीनें सूखी रह जाती हैं । तमाम एरिया में आप पानी दे सकते हैं । उस जगह तो आप कमाण्ड और नान कमाण्ड दोनों जगह पानी दे सकते हैं ।

साथ ही एक निवेदन यह करूंगा कि चम्बल नदी और मेघ नदी पर लावेरी से होते हुए दूर तक दोनों तरफ जो खारड़ों की हजारों बीघा जमीन बेकार पड़ी है उसको आज आप समतल कराकर मशीन से साफ कराकर भूमिहीनों को बांट दें तो भूमिहीनों को जमीन मिल जावेगी और उस पड़त जमीन का उपयोग हो जावेगा । उधर खाद्यान्न भी उत्पन्न होगा । यह समस्या भी हल होगी । सरकार इसकी योजना बनावे । उसमें प्रत्येक भूमिहीन परिवार को १५ बीघा जमीन दी जा सकती है । अगर वह जमीन समतल कराई जावे तो नहर के द्वारा पानी भी आसानी से वहां पहुंचाया जा सकता है । यह समस्या है इस समय तो पर अगर समतल कर दिया जावेगा तो यह समस्या भी हल हो जावेगी ।

साथ ही यह निवेदन है कि खटकड़ से लेकर सवाईमाधोपुर से जोड़ने वाली नदी का सर्वे पूरा हो चुका है । यह पहाड़ों के नजदीक है जिसमें हर साल अकाल पड़ता है । थोलाई गेडाली से लेकर सभी गांवों में अकाल है जिसमें १० पंचायतें पड़ती हैं । मै निवेदन करूंगा इस नहर के लिये आप प्रावधान रक्खें । यह नहर निकलने से उस इलाके में काफी खुशहाली होगी ।

आगे एक तालाब के बारे में निवेदन करूंगा । आज से दो साल पहले गांव गिन्दोली में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब का निर्माण कराया गया था । तालाब पहले से बना हुआ था, मोरी पहले से बनी हुई है, आठ हजार रुपयों के लगभग पंचायत समिति पाटन ने उसके लिये मन्जूर किया और वहां के असिस्टेंट इन्जीनियर के मार्फत वह रकम खर्च करदी । मैं निवेदन करूं कि उस मोरी को इस ढंग से बनवाया जिससे कि खेत में पानी पहुँच ही नहीं सकता । तालाब के पानी से दो फीट ऊंचा बनवाया जो कि पहले नीची थी । गांव के लोगों ने कहा भी कि इसे ऊंची नहीं रखी जावे । खाली धोरों को पक्का बना दो । उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसको देखा । सरपंच, प्रधान सबने जाकर देखा तो ऐसा लगा कि उस सारे काम में ८०० से अधिक खर्चा नहीं हुआ । बाकी पैसे का पता नहीं कहां चला गया । इसके बाद कलेक्टर को लिखा पढ़ी की कि पानी नहीं पहुंचता है उस नाली की जांच कराई जावे । वहां से इन्जीनियर साहब आते हैं और आकर उस मोरी को तुड़वा देते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पैसे को लेकर जिस काम को किया जाता है, उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ है । जो मोरी वह तुड़वा दी गई, जितना पैसा गया, सरकार का गया । इन्जीनियर साहब का क्या गया ? इस प्रकार सिंचाई में जो अन्याय है, उसकी ओर

(श्री नन्दलाल बेरवा)

मैंने आप का ध्यान दिलाया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बूंदी जिले में जितना पानी देने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने तय कर रखा है, उतना पानी नहीं मिलता हैं उसे दिलवायेंगे। एक लाखएकड़ की सिचाई के लिए केशवराय पाटन की सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिलता है। यह भारत सरकार सोचती है उपाध्यक्ष महोदय, जितना पानी देने का प्राव-धान रखा गया हैं, उतना पानी दें। काश्त-कार पानी से महरुम नहीं रहे। इसलिए जितना आप का पानी है, उसी तरह से हमारे सरपंच, प्रधान और प्रमुख और हम सब को उतना ही पानी मिलेगा। साथ ही सर-कार को अपनी ओर से धन्यवाददेना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक सहकारी शूगर मिल १९६८ में शुरु की है। हजारों मन गन्ना और शक्कर बन जायेगी। अभी तक सरकार यह तय नहीं कर पायी है कि हम कितने एरिया तक पानी दे पायेंगे। काश्तकार इस फिराक में हैं कि हम गन्ना बोयें। इस विषय में अधिकारियों से हमारी बातें हुई हैं। किन्तु यह आश्वासन नहीं मिला है कि हम कितने एरिया को पानी दे पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय,समय पर गन्नामिल को काम करना है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि सरकार यह तय करे कि इतने मील तक बूंदी, पाटन, कापरेन, में हम पानी दे सकते हैं। वहाँ के काश्तकारों को अवगत करें। जिससे कि काश्तकार गन्ना बो सकें। अगर काश्तकार खेतों में गन्ना डाल देगा और पानी नहीं मिलेगा तो गन्ना सूख जाएगा। और वह बेकार हो जाएगा। इसलिए सरकार काश्तकारों को अवगत करे। जितनी भी हमारे सिचाई विभाग में कमियां है, उस मामले में मैंने विचार रखे। आशा है, मन्त्री- महोदय, इस ओर हमें विश्वास दिलायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२, बहुप्रयोजन नदी योजनाएं और मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन के बारे में मैंने ३ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहले पहल में नर्बदा नदी के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। नर्बदा नदी के बारे में जो कि एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है, उसके पानी के उपयोग के बारे में राजस्थान,गुजरात, महाराष्ट्र सभी ने सुझाव भेजे हैं कि इस नर्वदा नदी से हमारा क्षेत्र सिंचित किया जाये। राजस्थान सरकार ने जो सुझाव भेजे हैं, उसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले आते हैं इससे ७०० एकड़ भूमि सिंचित करने का प्रस्ताव रखा गया है इस योजना के लिए राज्य सरकार बड़ी कोशिश कर रही है, परन्तु कोशिश करने के उप-रान्त भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खोसला समिति की सिफारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने भी इस पर प्रभाव डाला हैं। हमारे जो राज्य के सिंचाई मन्त्री हैं वे और केन्द्र के सिंचाई मन्त्री डा० के० एल० राव कोशिश कर रहे हैं कि इस मेटर को आरबी-ट्रेशन के लिए दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ

(श्री नन्दलाल बेरवा)

कि राजस्थान सरकार पूरी कोशिश करे। इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाये। अगर इस मसले में राज्य सरकार जल्दी से जल्दी सफलीभूत हो जाती हैं तो हमारा बाड़मेर जिले का कुछ क्षेत्र सिंचित हो जाता है। दूसरा मैंने राजस्थान नहर के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है। पहले राजस्थान नहर की चीफ इन्जीनियर कंवरसेन ने योजना बनाई थी। उस योजना में राजस्थान नहर बाड़मेर जिले से होकर कच्छ की खाड़ी में गिराने का प्रपोजल था। ऐसा प्रावधान था। परन्तु राज्य सरकार ने उस प्रपोजल को भी मान्यता नहीं दी है। और अब राजस्थान नहर सिर्फ जैसलमेर क्षेत्र की कुछ भूमि को सिंचित कर सकेगी और बीकानेर का काफी हिस्सा सिंचित करेगी। बाकी बाड़मेर का भविष्य अन्धकार मय है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस विषय पर राज्य सरकार अपनी पूरी शक्ति लगाये अपना नया प्रस्ताव भेजे और जो श्री कंवरसेन ने योजना रखो उस योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में भी यह योजना लाई जाये। और कच्छ की खाड़ी में गिराई जाकर इस क्षेत्र को भी सिंचित किया जाय। मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो कोशिश की है वह पर्याप्त नहीं है। राजस्थान नहर ऐसी नहर है जो राजस्थान सरकार से ही सम्बन्धित नहीं है। ऐसी नहर से हम देश के काफी हिस्से को अनाज दे सकते हैं। काफी हिस्से को अनाज पहुँचा सकते है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह योजना कार्यान्वित हो तो हम सेल्फसफीसिएण्ट हो सकते हैं। राजस्थान नहर की अभी भी जो योजना है, यद्यपि बाड़मेरजिला नहीं लिया गया है, परन्तु उसमें ३० लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया जाएगा। परन्तु तीस लाख एकड़ भूमि में से अभी तक १.९२ लाख एकड़ भूमि सिर्फ सिंचित की गई है और ११६९-७० में २.६५ लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने का प्रपोजल है, प्रावधान है। इस प्रकार जिस रफ्तार से राजस्थान नहर का काम चल रहा है वह बहुत ही तीव्र गति नहीं कही जा सकती है। अभी तक यह स्थिति पैदा हुई है कि पोंग बांध का निर्माण १९७१-७२ में हो जायगा। उसके बाद में यह स्थिति पैदा होगी कि इस पोंग बांध के निर्माण से विस्थापितों को किस प्रकार से बसाया जाय। यह भी राजस्थान सरकार के सामने समस्या आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से कोशिश करे कि इस योजना को केन्द्र अपने अधीन ले। इस योजना का सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते, सीमावर्ती नहर होने के नाते और सुरक्षा की नहर होने के नाते विशेष महत्व है। आज पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण ही हिन्दुस्तान—पाकिस्तान का पहले युद्ध हुआ और भविष्य में भी कभी युद्ध हो सकता हैं। इसलिए विशेष रूप से इन क्षेत्रों को विकसित करना है और इनको विकसित करने के लिए जब तक आप राजस्थान नहर के काम में आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको शीघ्र ही पूर्ण नहीं करेंगे तब तक जो यह सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनको विकसित नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार को अपनी ओर से

(श्री नन्दलाल बेरवा)

पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि यह सदन चाहता है इस स्कीम को, इस योजना को केन्द्र अपने अधीन ले। इस योजना के लिए

(१२.११ म.प)

( श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष छः करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पहले साल पौने छः करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह छः करोड़ रुपये योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं तो राज्य के कोष पर भारी वजन पड़ता है। जब इस योजना के कारण से हमारे राज्य कोष पर छः करोड़ का भार आ जाता है तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति को धक्का पहुँचता है। मैं चाहता हूँ कि यह योजना केन्द्रीय सरकार के अधीन जाये। और अगर यह नहीं हो सकता है तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भार छः करोड़ का बढ़ता है, जो भारी वजन हमारे राज्य कोष पर बढ़ता है वह न बढ़े, इस अमाउन्ट को योजना के अन्तर्गत नहीं लिया और आउट आफ प्लानिंग इसकी व्यवस्था की जाय।

तीसरी चीज जो मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ वह मेरे जिले के सम्बन्ध में है। लूनी नदी पर जो बांध बांधे जा रहे हैं, और विशेष तौर से जो पाली में बांध बांधे जा रहे है, मैं उन बांधों का नाम भी सदन में बताना चाहता हूँ—एक तो रायपुर में बांध बनाने की स्कीम है और एक नरालिया में बांध बनाने की स्कीम है। अगर इस लूनी नदी पर इस प्रकार बांध लगाये गये तो हमारा जो क्षेत्र है, बालोतरा, सिवाना तहसील और सांचोर का क्षेत्र है ..

**श्री मूलचन्द डागा** : गलत कह रहे हैं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : आप शांत रहें।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप बात क्यों कह रहे हैं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं।

मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर बांध बनाये गये, तो मैं एक चीज की और सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कि यह जो सिवाना, बालोतरा, गुढ़ा और सांचोर का इलाका है— यह इलाका भी वीरान इलाका हो जायगा। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जो आज रेगिस्तानी इलाका है उससे भी भयंकर यह इलाका हो जायगा। साथ ही यहां पर पानी की भी भयकर समस्या पैदा हो जायगी। अभी वहाँ पर पानी की भयंकर समस्या पैदा हो जायगी। बालोतरा नगर के लिए मैं खास तौर पर कह रहा हूँ कि वहां पानी खारा होता जा रहा है। आज जो तिलवाड़ा फेअर होता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, अगर इस क्षेत्र में पानी लूनी नदी का नहीं आयेगा तो वह मेला भी नहीं लगेगा। इससे जो हमारा पशु पालन का व्यवसाय है उसको भी भारी

(श्री बृद्धिचन्द जैन)

धक्का लगेगा। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में बहुत मनन किया जाय, गौर किया जाय, ऐसा नहीं हो कि इस लूनी नदी पर बांध बनने से हमारा यह क्षेत्र वीरान हो जाय, वैसे अभी भी इसका असर हो रहा है। इसलिए मैं तो यह भी चाहता हूँ कि जो बांध बने हैं, उनसे ज्यादा नुकसान होता है तो उनको तुड़वा कर राहत देने की कार्यवाही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो, आज जो बाड़मेर सब डिवीजन है, यह रेगिस्तान हो जायगा और बालोतरा सब डिवीजन का एरिया है— यह भी रेगिस्तान हो जायगा और आज जो बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में समस्या है, वह समस्या यहां पर भी उत्पन्न हो जायगी। अभी जो सिचाई के साधन हैं, बालोतरा और सिवाना में वहां कुओं से सिंचाई होती है और कुओं से सिंचाई के काम में काफी प्रगति हो रही है, लेकिन इस सब प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जायगी। मैं इन शब्दों के साथ सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न को वह गम्भीरता से लें और यह कोशिश करें कि जो लूनी नदी पर बांध बनाये जा रहे हैं वह समाप्त कर दिये जायं, रोक दिये जायं।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह तो दोनों ही एक क्षेत्र के हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : सभापति महोदया, यह पाली से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार खड़े होकर डिस्टरबेन्स पैदा करते हैं, उनकी आदत खराब हो गई है।

मैंने एक कट मोशन माही नदी स्कीम के बारे में रखा है। माही नदी योजना के तहत कितने अर्से में यह योजना पूरी होगी और इससे कितने एकड़ भूमि सिंचित होगी? इस माही नदी पर जो कडाना नाम का बांध बनना है, जो मंजूर होकर शुरू होने को है, इसके साथ नर्बदा नदी योजना भी बनाई गई थी। जहां तक मेरा ज्ञान है, नर्बदा नदी की स्कीम मंजूर होकर इस योजना के साथ-साथ शुरू नहीं की गई है। इससे जो हमको, राजस्थान को फायदा होने वाला था, जालौर व बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर करीब दस लाख एकड़ भूमि को, जो इतनी भूमि के सिंचित होने का सर्वे किया गया था—अब इस फायदे के मिलने की हमें आशा कम है। आज इन्टर-स्टेट-गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो डिस्प्यूट खड़ा हो गया है कि कितने पानी का बटवारा किस तरह से हो। आज गुजरात वाले कहते हैं कि इस पानी का उपयोग हमारे गुजरात में ही हो, राजस्थान में नहीं जाय। यह झगड़ा खड़ा होने के बाद इस योजना से, कडाना से जो राजस्थान को फ़ायदा होने वाला है, वह फायदा होने की आशा कम है और इससे पानी नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ यह झगडा भी कर रहे हैं कि नर्बदा के पानी का डिस्ट्रिब्यूशन किस प्रकार होगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई मन्त्री जी इस प्रश्न का जवाब देंगे कि नर्बदा की स्कीम कब चालू होने वाली है और इससे राजस्थान को कितना लाभ होगा। इसके साथ साथ जो बांध बनने जा रहे हैं तो जैसा कि बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इससे कई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गांव डूब में आयेंगे, इससे विस्थापितों को बसाने की समस्या भी राज्य सरकार के सामने आने वाली है। इसके साथ २ कितना फायदा होने वाला है? आज नर्वदा घाटी की योजना है वह योजना खटाई में पड़ी है। इस बारे में राज्य सरकार कमजोर नीति दिखा रही है। जिस प्रकार कि भाखरा के पानी से पंजाब को फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि राजस्थान की नहर रुक जाती है, इस बात की ओर गंगानगर वगैरह के लिए माननीय सदस्य कई बार ध्यान दिलाते हैं कि इससे हमारे यहां नुकसान होता है। जब वहां ज्यादा पानी होता है तो ज्यादा पानी इधर छोड़ा जाता है तो उससे नुकसान होता है और अगर कम पानी छोड़ा जाता है तो नहरें सूखी पड़ी रहती है। आज यह समस्या पंजाब और राजस्थान के बीच में मौजूद है। अब इसके अलावा यह नई समस्या खड़ी नहीं हो जाय इस बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं यह जानकारी चाहता हूं कि नर्मदा नदी स्कीम कब शुरु होने को है? कब तक यह पूर्ण होगी और कितना राजस्थान को पानी मिलेगा इसके बारे में स्पष्ट एग्रीमेंट पहले से ही हो जाना चाहिये। अगर पहले से स्पष्ट एग्रीमेंट नहीं होता हैं, तो राज्य सरकार के सामने पानी के बंटवारे के बारे में समस्या उत्पन्न होने वाली है। आज गुजरात राज्य की विधान सभा में इस प्रश्न को लेकर हंगामा हुआ है, इस प्रश्न को लेकर वहां पब्लिक ओपिनियन भी उभारी जा रहीं है कि ज्यादा से ज्यादा पानी गुजरात को उपलब्ध हो और राजस्थान को कम पानी दिया जाय। इसलिए राजस्थान को इससे कितना फायदा होगा इसके बारे में मन्त्री महोदय बतायें ताकि सदन को भ्रम न रहे और जनता के अन्दर भी भ्रम रहे कि हमारा तो पैसा लगे और गुजरात को पानी मिल जाय, हमें कुछ भी पानी नहीं मिले। इसलिए इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभानेत्री महोदया, दूसरा मैंने लूनी नदी के बारे में एक कटौती का प्रस्ताव रखा है। लूनी नदी की योजना कई वर्षों से चल रही है। माननीय व्यास जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस समय यह सवाल उठाया गया था। पहले लूनी नदी का पानी नेचुरल कोर्स में जाया करता था और जालौर जिले में, बाड़मेर के जिले में, और जालौर के खास तौर से सांचोर तहसील में और जालौर तहसील में लाखों मन गेहूं, चना और सरसों इससे पैदा होती थी। परन्तु इन पिछले सालों में छोटे छोटे बांध इस नदी पर बांधे हैं, पाली जिले में, अजमेर में, जोधपुर में छोटे-मोटे बांध बांधने की मांग भी उपस्थित हो गई है देखा-देखी। परन्तु जोधपुर जिले में, बाड़मेर जिले में, जालौर जिले में, इन जिलों में लाखों एकड़ भूमि में इस नदी का पानी इनडेन्ट होता था और लाखों मन अनाज उससे पैदा होता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कई छोटी-मोटी स्कीम हाथ में ली हैं, पाली जिले में स्कीमें हाथ में ली गई हैं और उन पर लाखों रु. खर्च हुआ है लेकिन उससे फायदा कम हुआ है; इसलिए यह देखने की बात है। मेरा निवेदन है कि इसमें संकुचित दृष्टि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो छोटे-मोटे नाले और नदी जो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लूनी नदी में गिरते हैं, उन पर बांध बांधने से फायदा होता है तो जरूर बांध बाँधिये।

परन्तु इन छोटे-मोटे नालों को बांधने से लूनी नदी का डाइवर्शन जगह जगह दूसरे जिलों के अन्दर हो जाता है, और उससे ये सारे जिले, जैसे जालौर, बाड़मेर और जोधपुर उजाड़ हो जाते हैं और इससे हजारों कुए सूख जाते हैं और पानी का प्राब्लेम पैदा हो जाता है। इसलिए एकानामिक पुग्राइन्ट आफ व्यू से भी अगर देखते हैं तो यह जो छोटी-मोटी स्कीमें हैं जो हाथ में ली जा रही हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इससे आगे लोगों का आने वाला समय अन्धकारमय हो जायेगा। तो इसलिए सभापति महोदया में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले भी जब जिलों में कैबीनेट मीटिंग हुई थी, उसमें जहां तक मुझे ध्यान है, जालौर और बाड़मेर में जो कैबीनेट मीटिंग हुई थी, वहां पर यह तय किया गया था कि आगे लूनी नदी पर कहीं पर भी बांध नहीं बांधा जायेगा। वहां पर आंकड़े पेश किए गए थे कि कितने अनाज की प्राडक्शन हैं और कितनी लेवी दी गई है और नेचुरल प्राडक्शन बगैर राज्य की किसी सहायता के स्वतः ही कितना होता है। राज्य सरकार को वे आंकड़े देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वहां यही तय हुआ कि आगे पानी इस नदी का कभी रोका नहीं जायेगा। लेकिन इसके बाद भी प्रेशर होने की वजह से, छोटे-मोटे बांध बांधकर इन जिलों के लिए, बाड़मेर जालौर और जोधपुर के लिए पानी की समस्या उत्पन्न करदी। वहां नदी का पानी आता है,तो पांच छः महीने लोगों को पीने का मीठा पानी मिल जाता हैं, और अगर नदी नहीं आती है तो पानी पीने को नहीं मिलता। इसके अलावा वहां तीन चार लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ अगर नदी का पानी नहीं आता है तो एक दाना भी नहीं उगता। और इस तरह से वहां खेती की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

लूनी इनन्डेशन स्कीम जो सांचोर के लिए बनाई गई थी वह इसीलिए बनाई गई थी कि सभी नदियों का पानी, लूनी, जवाई और सूकरी का पानी जब बाड़मेर और सांचोर आयेगा तो नदियों का पानी का बहाव वहां इतना कमजोर है कि उनको अगर डाइवर्शन दे दिया जाये तो लाखों एकड़ जमीन में स्वतः ही गेहूं बगैर किसी कोशिश के, हाई यील्डिंग वैराइटीज का जितना भी आपका उत्पादन होता है, उतना हो जाता है। इतना पोटेंशियल देखते हुए वह योजना बनाई गई थी। लेकिन पानी की कमी हो गई और जितना पानी थोड़ा आता है वह फोर्स में आकर चला जाता है और जमीन एक बीघा भी सिंचित नहीं होती है। इसलिए मैंने समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वहां पर काली मिट्टी है। वहां सूकड़ी में बोरिंग किया गया तो १५०० फुट तक तो कोरी काली मिट्टी मिली थी और पानी की एक बूंद नहीं। तो इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि सैकड़ों बरस तक बिना खाद के उपज हो सकती है नर्बदा का अगर पानी आये तो उस एरिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

का भला हो सकता है, लेकिन वह दीखता नहीं, इसलिए कम से कम इन नालियों का पानी तो रोका नहीं जाना चाहिए जो लूनी में आता है वहां पर पानी रोकने के लिए बांध नहीं है, पानी डाइवर्ट करने के लिए बांध है तो उससे फायदा नहीं होता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और कई बरसों से चल रही है, अभी तीन साल से कुछ छोटे मोटे बांध हाथ में लिये हैं तो कुछ फायदा हुआ है वर्ना ऐसी भयंकर स्थिति थी कि एक बूंद पानी की नहीं मिलती थी और सारा इलाका उजाड़ हो जाता था जब कभी बरसात होती है तो थोड़ा बहुत पानी आता है, तो उसको युटिला-इज करने के लिए ओर्डिनरी डेम्स छोटे छोटे भवातड़ा से चितूलाना तक जब तक पूरे नहीं बन जायेंगे तब तक पूरा फायदा नहीं होगा।

मैं आशा करता हूं कि सिंचाई मंत्री इस अकाल बरस में जल्दी से जल्दी इन बांधों को हाथ में लेंगे और चीफ इन्जिनियर को बिठाकर इन सारे बांधों को फेमिन में बंधवालेंगे। वहां पर आपने केवल असिस्टेन्ट इन्जिनियर के भरोसे काम छोड़ रखा है इससे सुपरवीजन न होने से काम रह जाता है। तो सभापति महोदय, मैं इसके बारे में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इनन्डेशन स्कीम को कम्पलीट करने के लिये काम करें और कम से कम असिस्टेन्ट इन्जिनियर का हैड क्वार्टर्स सांचोर में स्थापित किया जाये, जिससे थोड़े से खर्चे से आप के लाखों मन अनाज पैदा हो सकता है। पिछले साल भी यह हुआ था और जब कि दूसरी जगहों पर गेहूँ एक सौ रुपये और १०५ रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था उस वक्त हमारे यहां लाल गेहूँ ५० रूपये क्विंटल में बिका था। फूड़ कार्पोरेशन ने वह अनाज लिया नहीं, हमने बहुत चिल्लाया लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ज्यादा अनाज पैदा होता है तो भाव एकदम गिर जाते हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसी उपयोगी योजना पर गम्भीरता से विचार करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। वहां पर इतनी समतल जमीन है कि सैंकड़ों एकड़ को पानी पिलाया जा सकता है और इतनी छोटी स्कीम से ही बहुत अनाज की पैदावार हो सकती है। उस स्कीम का नक्शा वगैरा भी बन चुका है लेकिन काम स्लो चल रहा है इसको राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करे। यह किसी एम. एल. ए. को या किसी क्षेत्र विशेष को राजी करने का प्रश्न नहीं है। अगर इन नदियों के पानी से बाड़मेर जालौर की समस्या का हल हो सकता है और यह उपयुक्त योजना है तब तो इसको हाथ में लिया जाये। सारे राजस्थान को इस बात से प्राडक्शन बढ़ने से फायदा होता है और राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मूलचन्दजी डागा को निमन्त्रण दूंगा कि वहां जाकर देखें। वहां पर जो खर्चा होगा और जो प्राड्क्शन होगा उन दोनों का मिलान करके आप देखिये कि इस कार्य को पुरा करना है या नहीं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और उसको मिलाकर कार्य अधूरा पड़ा है यह उपयुक्त नहीं है। आपने हमारी बात नहीं मानी। यदि आप यह समझें कि हमारी बात उपयुक्त है तो आपको हमारी आवाज में आवाज मिलानी चाहिये। राजस्थान के हित में सोचना चाहिये राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिये आप संकुचित हित छोड़कर हमारा सहयोग दीजिये।

सभानेत्री महोदया, इसके अलावा छोटी मोटी नदियाँ परमानेंट रूप से बहती है पंचायत समिति रानीवाड़ा, भीनमाल में साबी नदी चलती है। साबी नदी की स्कीम सरवे होकर यह इनन्डेशन के रूप में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके बाद में निश्चय पाया कि यह जो पानी चलता है इसका लिफ्ट करके आसपास के इलाके में सिंचाई की जा सकती है। यह सोचा गया था कि इनन्डेशन की स्कीम सफल नहीं हो सकती इसलिये वहां से पानी लिफ्ट करके आसपास की सिंचाई की जाय, वहां सिंचाई की जरूरत है पानी की बहुतायत है इस ओर हमने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अगर उस पानी का उपयोग किया जाय तो सिंचाई की समस्या भी हल हो जायगी और अनाज की भी समस्या हल हो जायगी।

इसके अलावा दूसरा बड़गाव जेतपुरा की नदियां हैं जो बारह मास चलती है जिसका पानी गुजरात में जाता है गुजरात सरकार अनापुर के पास बांध बान्धना शुरु किया था जिसका हमने विरोध किया था राज्य सरकार ने इस बारे में गुजरात सरकार को पत्र लिखा हम अपने इलाके के लिये इससे स्कीम बनायेंगे इस कारण उस समय तो यह काम स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब मालूम हुआ है कि गुजरात सरकार अब वहां बांध बनाने का सोच रही है। आपने कहा था कि हम स्कीम बनायेंगे लेकिन वह स्कीम कहां है आप उस पानी को युटिलाइज करने के लिये क्या कर रहे हैं यह भी मैं जानना चाहूँगा। जेतपुरा बड़गांव नदियों के बारे में मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उन नदियों का पानी गुजरात के बोर्डर पर जाता है जहां की सरवे होकर के भी कार्य नहीं हो रहा है इस बारे में सक्रिय एक्शन नहीं लिया जा रहा है मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें और जो नदियां बारह मास चलती हैं, उसका सरप्लस पानी रोक करके नहर के जरिये रानीवाड़ा इलाके से सांचोर की तरफ पानी दिया जा सकता है, वहां जो खारा पानी है इससे पीने के पानी की समस्या का भी समाधान हो जायगा। कुओं का लेवल भी ऊपर आजायगा। बेरों की सिंचित क्षमता भी बढ़ जायगी और पीने के पानी की समस्या भी मिट जायगी। बहुत कम पैसों में यह बहुत अच्छी स्कीम है। बरसात के दिनों में ज्यादा पानी आता है ओवर फ्लो होकर सांचोर में जाता है सांचोर के आसपास पूरी तहसील में जाता है। इसमें खुदाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं है मामूली सी नहर देकर गुजरात के बोर्डर पर बन्ध बनाया जा सकता है इससे जो करोड़ों रुपया पीने के पानी पर खर्च कर रहे हैं वह बच जायगा। बेरों का पानी ऊपर हो जायगा और जो सरप्लस पानी है वह भी काम में आ

( श्री रघुनाथ विश्नोई)

जायगा। इस पानी को युटिलाइज करने की कोशिश करें।

सभानेत्री महोदया, इसके अलावा एक कटौती का प्रस्ताव जो बान्धों पर कार्य चल रहा है उसके सम्बन्ध में है मलीफा नामक बान्ध पर जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, मैं मौके पर गया था वहां पर दरख्वास्तें आयी लोगों की मजदूरों की हमें जो वेतन दिया गया उसमें से इतना रुपया काटकर दिया गया। वहां के ओवरसियर कहते हैं कि रुपये में चार आना दो तो मजदूरी पर लगायेंगे। इस प्रकार की स्पेसिफिक शिकायतें थी, कोई अफसर वहां नहीं था। पहले काम शुरु हुआ उस समय केवल मेट और ओवरसियर ही थे। कोई अधिकारी वहां पर गया ही नहीं मेरा निवेदन है कि जो शिकायत की गई उसके बारे में क्या एक्शन लिया गया। जो कोन्क्रीट शिकायत थी फेमीन के समय में जो यह हो रहा है उसके बारे में ना भी दिये गये आपने उसके बारे में क्या एक्शन लिया। जिन ओवरसियर ने पैसा काटा उनको क्या सजा दी गई। आपके पास जब कोन्क्रीट शिकायत करें और उस पर भी एक्शन न लिया जाय बड़े दुःख की बात है। आप कहते हैं कि प्रूफ दोजिये आपके सामने यह लोगों ने प्रूफ के साथ शिकायत दी है आप यदि इसमें किसी को सजा दे देंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा। वहां पर भी टास्क बेसिस पर काम है ज्यादा बदमाशो की गुंजाइश नहीं हो सकती।

सभानेत्री महोदया, इस बारे में विशेष तौर से खास कटमोशन रखा है। इस बारे में आप कृपा करके बतायें। इसके अलावा आखिर में मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि माही योजना के साथ नर्मदा योजना की जो स्कीम है वह एग्री करवाकर उस पर काम शुरु करवाया जाय। बान्ध एक तो पूरा हो जायगा लेकिन उसकी युटिलिटी हमारी तरफ किसको मिलेगी, इससे राजस्थान को क्या फायदा होने वाला है। इस माही योजना से कितनी बिजली मिलेगी, कितनी भूमि उससे सिंचित होगी आप इस बारे में माननीय सदस्यों को संतोष दिलवाइये ताकि हम भी सोचें कि इस बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है। जो आपको दूसरी सरकारों ने आश्वासन दिया है वह पूरा होगा कब होगा यह भी बतलाइये। इस बारे में स्पष्ट चीज बताई जाय ताकि हम विचार कर सकें पुरजोर शब्दों में आग्रह करूंगा हमारी आवाज केन्द्र तक पहुँचायी जाय। नर्मदा जल योजना का क्या प्लान है, उससे लाखों एकड़ तक भूमि सिंचित होगी। पानी यदि बराबर मिलता रहा तो उससे लाखों मन अनाज पैदा होगा इससे हमारे राजस्थान की अन्न और पानी की समस्या भी हल हो जायगी।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री नाथूराम बागीडोरा।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : माननीय सभानेत्री महोदया, सिंचाई की मद में हमारी सरकार की तरफ से मोटी मोटी योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है।

(श्रीनाथूराम)

माननीय सभानेत्री महोदया, माही डेम बांसवाड़ा जिले में १८ जून १६५६ को शुरू हुआ जिसका शिलान्यास भारत सरकार के उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने ७ मई, १६६० को किया । इस तरह से लगभग दस साल में दो करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ इससे एक भी नींव का काम नहीं हुआ केवल बंगले बने हैं और अधिकारियों ने टी० ए० डी० ए० उठाया । माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ माही डेम जो बांसवाड़ा में बन रहा है उससे बजाजसागर बिजलीघर निर्माण योजना का इकरार नामा हुआ था जो सरकार के पास है। १६६६ में इस योजना के साथ साथ यह बताया गया इस बिजलीघर से जो बिजली पैदा होगी उस कडाणा डेम का पानी बाड़मेर और जालौर जिलों को भी दिया जायगा । मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ यह योजना प्लानिंग विभाग से मन्जूर नहीं हुई है, माही डेम जो बांसवाड़ा में बनाने का है वह प्लानिंग विभाग से मन्जूर नहीं हुआ है इसका जो इकरार नामा है वह खटाई में डालने के सिवाय कुछ नहीं है । सरकार ने एक तरफ माही डेम की योजना को खटाई में डाल दिया है दूसरी उसका शिलान्यास होगया । कडाणा डेम को सौ फीट ऊंचा करने का माही डेम को तीन करोड़ की योजना थी और ३३ करोड़ की योजना प्लानिंग कमीशन की थी यदि नर्मदा से पानी मिलता तो मध्यप्रदेश राजस्थान को उससे बिजली मिलती ।

हमारी राजस्थान की सरकार इस तरफ सो रही है । कडाना जो बनाया जा रहा है उसकी तरफ हमारी राजस्थान के जितने गांव डूब में आ रहे हैं उनकी कोई सर्वे नहीं की । मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ कि कडाना डेम की १० साल पहले सन् १६५८ में सर्वे की और १७ करोड़ ६० लाख की मंजूरी की मांग की थी, राजस्थान की सरकार क्यों चुप हो रही है । १२१ गांव डूब में आ रहे हैं, ४७ गांव गुजरात के आ रहे हैं । गुजरात सरकार उनको मुआवजा देने की जो व्यवस्था कर रही है । लेकिन हमारे १२१ गांवों के मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की । उनका कोई सर्वे नहीं किया गया और न कोई सूचना दी गई । मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ पंचायत समिति बांसवाड़ा, गढ़ी, सागवाड़ा और सीमलवाड़ा ये चार पंचायत समितियां सोना उगलने वाली पंचायत समितियां हैं। ये चारों डूब में आ रही हैं । बड़े बड़े गाँव और बड़े बड़े कस्बे डूबते हैं जैसा हाऊस में वाद विवाद हुआ है गलियाकोट तीर्थ स्थान है, हिन्दुओं के माताजी का मन्दिर है, मुसलमानों की दरगाह है वह डूब में आती है । जो ४१६ मील का ऐरिया बचाने के लिये किया गया है उसमें गलिया कोट को बचाने के लिये कहा है लेकिन ४१६ में गलियाकोट नहीं बचता है । आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ ४१६ में एक भी गांव नहीं जायगा । लाखों एकड़ जमीन डुबेगी लाखों आदिवासी भूमियों के अलावा भी जमीन डुबेगी, वे बेघरबार हो जायेंगे । इसलिये आपके द्वारा निवेदन है कि आपकी तरफ से सर्वे क्यों नहीं किया जाता है और भारत सरकार से मांग की कि बजाज

(श्री नाथूराम)

सागर की जो योजना बनाई है उसकी कोशिश क्यों नहीं की जाती है? आज हजारों की तादाद में आदिवासी डुबेंगे। उनके रहन सहन का एक ऐसा तरीका है वे इधर उधर जाने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। जो सोना उगलने वाली भूमि है वह डूब में आ जायगी तो सरकार क्यों सो रही है। मैं सरकार को आपके द्वारा निवेदन करता हूँ कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जो पंचायत समिति बताई है वहां तो हजारों की तादाद में आदिवासी रातदिन चिन्ता में डूबे हुये हैं इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि आज राजस्थान सरकार सर्वे करा कर जितना ऐरिया डुबता है गुजरात और भारत सरकार को चाहिये कि वह डुबावे नहीं। आदिवासियों के लिये हमारे संविधान में प्रोविजन है। राष्ट्रपति जी ने जो संविधान में घोषणा की है कि आदिवासी क्षेत्र के लिये जो शिड्यूल्ड ऐरिया कहलाता है। उसके लिये प्रान्त की सरकारों और सेन्टर के कानून बनते हैं उसका प्रावधान होता है। कडाना डेम को कम करने की कोशिश क्यों नहीं सरकार करती है मैं यह निवेदन करता हूं जैसा मैंने हाऊस में प्रश्न पुछा था जिसमें स्टेटमेंट देने के लिये सरकार ने आश्वासन दिया है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सरकार के पास कोई आश्वासन नहीं है सिवाय कडाना डेम को डुबाने के लिए कोई सरकार आश्वासन नहीं दे सकती। राजस्थान की सरकार कोशिश करके राजस्थान नहर को बढ़ावे और नर्बदा का पानी बाडमेर, जालौर ले जाने की कोशिश करें। कडाना डेम के बनाने की भी जरूरत नहीं है। ४१६ मील की जो स्वीकृति हुई है उसे घटाकर कम की जाय ताकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है वह डूबे नहीं। उस क्षेत्र में गेहूँ, चना, कपास आदि होता है। एक तरफ रेगिस्तानी क्षेत्र है और दूसरी तरफ उपजाऊ क्षेत्र को डुबो रहे हैं।

माही डेम में भी प्रभावित होगा और कडाना डेम बांसवाड़ा डुगरपुर की हजारों की जन संख्या कहां डुबेगी। इस कडाना डेम को डुबाओ और माही योजना का काम शुरु करो। नर्बदा का पानी बाड़मेर तक ले जाने की कोशिश करो, इसका पानी रेगिस्तान में जाना चाहिये। इसके साथ साथ सिंचाई के मद में मेरा यह भी निवेदन है कि छोटे मोटे तालाब बना रहे हैं, मैं मानता हूँ यह ठीक है लेकिन तालाब बनाते हैं और नहरों की व्यवस्था नहीं होती है। मगोरा तालाब और अढ़ाई तालाब १० साल से बन रहा है लेकिन पूर्ण नहीं किया गया। केवल ५-६ लाख का काम है लेकिन सरकार ने पूरा नहीं किया। आज वह कम्पलीट हो जाता तो हजारों ऐकड़ में सिंचाई होती और कुओं का लेवल ऊंचा होता। जो अढ़ाइ और मगोरा का तालाब है उसमें नहरों की व्यवस्था नहीं हुई है, अगर इसमें नहरों की व्यवस्था हो जाती तो हजारों ऐकड़ भूमि में सिंचाई होती। हजारों रुपया खर्च हुआ है लेकिन सभानेत्री महोदया मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं छोटे मोटे तालाब बनते हैं, मैं मानता हूँ उससे फायदा है लेकिन समय पर नहरों की व्यवस्था नहीं होती है, नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं होती है तो उत्पादन पर असर पड़ता है। माननीय सभानेत्री महोदया

(श्री नाथूराम)

में आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करता हूं माही,चाप ऐसी नदियां हैं जो साल भर रहती है दुष्काल में भी रहती हैं उससे लिफ्ट इर्रीगेशन का काम शुरु करना चाहिये। लिफ्ट इर्रीगेशन का काम अधिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा सिंचाई होगी और उपजाऊ जमीन नहीं डुबेगी। सरकार से निवेदन है लिफ्ट इर्रीगेशन का काम विजली देकर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करनी चाहिये जिससे जमीन डूब में भी नहीं आवे और सिंचाई भीज्यादा हो। इसके साथ साथ मेरा सरकार से यह भी निवेदन है जहां पर तालाब बनाते हैं, जिसकी डूब में जमीन आती है वैसे काश्तकार विरोध नहीं करते हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।

माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है छोटे मोटे नदी नाले हैं उनको एनीकट के रूप में बान्धकर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदया हम हर साल मांग करते हैं कि सिंचाई की सुबिधा होनी चाहिये ताकि उत्पादन पर जल्दी से जल्दी असर पड़े और लाखों लोगों को फायदा हो। यही इस मांग के द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री रामकुमार नन्दवाना।

**श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़-गढ़) : सभानेत्री महोदया मैंने कटौती प्रस्ताव सिंचाई योजनाओं के बारे में पेश किये थे। उनके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। चित्तौड़ का जिला पानी की उपलब्धता और भूमि के उपजाऊ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा इलाका है। चित्तौड़ जिले में राजस्थान निर्माण के पूर्व ६ हजार एकड़ पर सिंचाई होती थी आज इस जिलेमें करीब ५५ हजार बीघा जमीन पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस जिले में सिंचाई की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने अपना काफी योगदान दिया है, इसके लिए राज्य सरकार का बहुत आभारी हूँ।

चित्तौड़गढ़ जिला अपनी एक विशेषता रखता है, इस जिले में कई पहाड़ हैं, कई नदियां हैं, इसका उत्तरी भाग जिसमें बनास नदी बहती है तथा इसके पश्चिमी हिस्से में और दूसरी अन्य नदियां बहती हैं। साथ ही इस जिले का ऐसा इलाका है जहां का सारा पानी बहकर चम्बल बनास में जाता है उनके अलावा और कई नदियां हैं जिनका पानी बह कर जमुना में जाता है। और उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता। इस इलाके की ९ लाख एकड़ भूमि पर कृषि होती है लेकिन आज इतना इलाका कृषि योग्य होते हुए भी केवल ५५ हजार एकड़ भूमि पर पानी पहुँचाया जाता है। इस जिले की नदियां है गम्भीरी, बीगन बेड़च, ब्राह्मणी, औराई, बनास आदि। आज इन नदियों का पानी रोक कर बांध बनाने की आवश्यकता है। हालांकि राज्य सरकार ने गम्भीरी नदी पर,

(श्री रामकुमार)

औराई नदी पर तथा बनास व बड़ैच पर पानी रोक कर बांध बनाये हैं और इन नदियों का पानी रोका गया है, इस कारण ५५ हजार एकड़ भूमि पर पानी मिला है। पर जो तालाब बनाये गए हैं, गम्भीरी का बांध बना जिससे १५ हजार एकड़ भूमि पर पानी फिरता है पर नहरों पर शीपेज और वाटर लौगिंग होने से किसानों की काफी उपजाऊ जमीनें बेकार हुई हैं, खराब हुई हैं. तथा नहरें टूट जाती हैं, इन सब चीजों को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि शीपेज, वाटर लौगिंग और नहरों की टूट को नहीं रोकते हैं तो वहां किसानों की उपजाऊ जमीनें खराब होती जा रही है और पानी का भी बेकार वेस्टेज होता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उन नहरों को पक्का बनाया जाय।

यही हाल औराई नदी पर बने बांध का है, नया बांध बना नहरें हीं टूट जातीं हैं, पानी का शीपेज होता है, अधिकांश भागों में पानी बेकार बहीं कर चला जाता है, तो इसको रोकने की आज अत्यन्त आवश्यकता है। इस जिले का आज जो पानी बेकार बह कर चला जाता है, मैंने बजट भाषण पर भी निवेदन किया कि बागैन नदी पर कोई कंट्रोल नहीं है। बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़, भदेसर, तहसीलों का सारा पानी इकट्ठा होकर चित्तौड़ के पास होकर गुजरता है, इसलिए इस नदी पर कन्ट्रोल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बागन नदी से बह कर जो पानी जाता है उससे आये दिन चित्तौड़ को बड़ा खतरा रहता है। इसलिये आवश्यकता है कि इस नदी को गरदना के पास मदेसर तहसील में रोका जाय। मदेसर तहसील के उस इलाके में द्वितीय, तृतीय पंच वर्षीय योजना में बांध बनाने की योजना सरकार ने हाथ में ली थी, पर जनता में घोर रोष के कारण, राज्य सरकार की ऐसी गलत पौलिसी के कारण जनता में रोष पैदा हुआ और जिससे उस समय इस नदी पर बांध नहीं बन सका, उसके परिणाम स्वरूप वह योजना आज भी यों ही बेकार पड़ी हुई है, जिसको भारत सरकार के प्लानिंग विभाग द्वारा मंजूर किया जा चुका था। मैं पुनः उस माँग को दोहराता हूँ कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इस योजना को राज्य सरकार हाथ में ले। इससे मदेसर तहसील की जमीन पर सिंचाई हो सकेगी और चितौड़ को जो इससे हर समय खतरा बना रहता है, चित्तौड़ में कई नई बस्तियां बनी हैं, वह इस नदी के पानी से नहीं बह जाय, यह खतरा भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि चौथी पंच वर्षीय योजना में इस योजना को हाथ में लिया जाय और इस नदी पर बांध बनवाया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि बेंगू तहसील के अन्तर्गत जो ब्राह्मणी नदी है, उसकी यह हालत है कि वहां के बारे में एम. एल. एज. एवं जन प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया पर राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद भी उस योजना की कोई प्रगति नहीं की गई है। तो मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री महोदय इस ओर ध्यान

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

देंगे। सिंचाई मंत्री महोदय ने वह स्पोट देखा था जहां कि यह बांध बनाना है, और वहां जो लोग रहते हैं, उनके दर्द, दुख को सुना था।

माननीय सभानेत्री महोदया, इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी सादड़ी पहाड़ी क्षेत्र है जहां पडेरिया के पास काफी पानी बहता हुआ, नीमच होता हुआ मध्यप्रदेश की तरफ जाता है, उस बेकार बहते हुए पानी को भी रोका जाना चाहिये। यह योजना भी मध्यम सिंचाई योजना की है, इस ओर भी राज्य सरकार ध्यान दे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस जिले में करीब डेढ़ सौ २०० तालाब भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के समय में थे, पिछले कुछ वर्षों में भारी वर्षा के कारण तालाब टूट गये थे। हालांकि राज्य सरकार ने उनको ठीक कराने के लिये कुछ पैसा दिया है पर उन तालाबों की रिपेअर अभी नहीं हो पाई है। साथ ही इस जिले की लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ५॥ लाख रुपया देने का प्रावधान रखा है, वह बहुत कम धनराशि है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस लघु सिंचाई योजना पर ज्यादा प्रावधान कर के इन तालाबों को ठीक करवाया जाय।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि इस जिले का बहुत काफी पानी बह कर बेकार चला जाता है, उस पानी को बेकार बहने से रोक कर उसका सदुपयोग किया जाना चाहिये। इसलिये मैं चाहूँगा कि सिंचाई मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इस जिले की लघु सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत काम को पूरा करवायेंगे।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि भोपालसागर फीडर पर बहुत ही कम धनराशि रखी गई है, दूसरे छोटे तालाब हैं, उन पर भी थोड़ा पैसा दिया गया है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस जिले की जो अधूरी योजनाएं पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करने की कृपा करें और इन पर ज्यादा धनराशि दे कर इन्हें जल्दी से जल्दी पूरी करवायें।

मैंने बजट भाषण पर वाद विवाद के समय निवेदन किया था कि राणा प्रतापसागर बांध बनाया गया तो उससे हजारों विस्थापित बेघरबार हुए, उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया पर आज भी ४५०–५०० परिवार बेघरबार हैं, उनको बसाने की योजना पूरी नहीं हुई है। मैं चाहूँगा कि अप्रेल के महिने में वर्षा से पहले पहले उन लोगों को जमीनें अलोट कर दी जांय ताकि वे लोग खेती कर सकें।

चित्तौड़गढ़ जिले की एक लघु सिंचाई योजना है, वह है मोड़िया महादेव, जिसकी सर्वे के लिये हमने राज्य सरकार को लिखा, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और एक दूसरे असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने वह मौका देखा पर सर्वे का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। यह भी एक अच्छी योजना है, इससे चित्तौड़गढ़ तहसील का वह पहाड़ी क्षेत्र जहां

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

पानी की कमी है और सिंचाई के कोई साधन नहीं है, वह इलाका एक सरसब्ज इलाका बन सकता है।

तहसील गंगरार के अन्तर्गत नीलिया ऐसा स्थान है, वहां का पानी बेकार बह कर बस्सी आदि इलाकों में चला जता है। इस पानी को रोक कर इस पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। इस पर भी राज्य सरकार ध्यान देगी ऐसी मुझे आशा है।

तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२ और मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ९९ के अन्तर्गत अपने ये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : सभानेत्री महोदया और हमारे उपमंत्री के आदेश पर सभानेत्री महोदया, जो सिंचाई की अलग अलग योजनायें हैं उनके आधार पर विस्तार से विवरण किया गया है। उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना पसंद करूंगा। हमारे यहां पर एक तो बहु प्रयोजन नदी योजनायें हैं। एक वरद् नदी योजनायें हैं, मध्यम सिंचाई योजना और चौथी है लघु सिंचाई योजना। इस तरह सिंचाई योजनाओं का ४ तरह से विवरण किया गया है। पहली योजना के सम्बन्ध में कुछ तथ्य रख कर निवेदन करूंगा कि बहु सिंचाई योजनाओं में राजस्थान कैनाल का नंबर हमारी आर्थिक दृष्टि से, हमारी रक्षा की दृष्टि से और अनाज उत्पादन की दृष्टी से पूरा करने के लिए और डेजर्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है। मुझे जो साहित्य मिला है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस योजना को १९६१–६२ में चालू किया गया। उसके बाद पांग डैम को लेकर उसका जो टोटल पानी है उसमें से ८ मिलियन क्यूसेक्स राजस्थान के हिस्से में आया, उसमें १३४ मील पानी है जिससे सिंचाई का साधन पूरा नहीं होता है वह पंजाब में बहता है और १२२ इस योजना में उससे पूरा करना है। टोटल लेंथ दी गई है वह है २९५ मील। इस टोटल में से जितना पूरा किया जा सके वह राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा।

मैं कुछ तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर आप पहले फेज को लें तो १२२ मील लम्बाई में ८-९ साल से ५३ मील की लम्बाई पूरी हो चुकी है और जो अनाज इससे पैदा होगा उसकी पूरी कीमत होगी १५० करोड़। इस योजना के लिए जो हमारी तरफ से मांग की गई है चौथी योजना के लिए वह है ५५ करोड़ लेकिन जो प्रोग्राम एडवाइजर है उसने केवल २७ करोड़ सैंक्शन किए हैं, वह भी १२२ मील के लिए सैंक्शन किया है। उनकी नहरों के पक्की बनाने के सम्बन्ध में कोई खर्चा मंजूर नहीं किया गया है। इसको अगर पूरक किया जाय तो १५ करोड़ उसमें लागत आएगी और पूरा करने पर ८६० क्यूसेक्स पानी को और बढ़ा सकेंगे जिसके द्वारा ९ करोड़ रुपए साल में बचत कर सकेंगे क्योंकि एक क्यूसेक पानी पर १.५३) लाख की बचत करनी पड़ेगी, इन्हीं सिंचाई सुविधाओं से ३,१३,००० एकड़ और सिंचित हो सकेंगे। ऐसी हालत में हमें

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

केन्द्रीय सरकार से मांग करनी चाहिए। नहीं तो राज्य सरकार को और साधनों को छोड़कर इस राजस्थान नहर पर सारे साधनों को डाइवर्ट करना चाहिए ताकि इससे जो आर्थिक लाभ होगा, देश का बहुत बड़ा लाभ होगा।

एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाहता हूँ। इस पोंग डैम की वजह से २८ परिवार डिस्पलेस होंगे क्योंकि राज्य सरकार को भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि मेजर पोरशन हमको मिला हैं इसलिए सब परिवारों को बसाना चाहिए जिसके लिए ३,२५,००० एकड़ डिस्पलेस्ड परसन्स को देना तय किया है । तो इसके अंदर १५.८५ मिलियन एकड़ पानी में से लगभग ५३ प्रतिशत हमें मिल रहा है। इस ५३ प्रतिशत मिलने से कम से कम आधे परिवारों का वजन हम पर पड़ना चाहिये। बाकी का दूसरी सरकारों पर—काश्मीर है, पंजाब भी है ताकि राजस्थान की आमदनी पर कैपीटा भी बढ़े।

मैं आंकड़ों को पढ़ रहा था उसके आधार पर मुझे समझ में नहीं आया कि ये कहां तक सही हैं लेकिन अगर वे आंकड़े सही हैं तो ४ तरह का विवरण सिचाई की योजनाओं के संबंध में दिया गया है। मैंने देखा है कि १९६९ तक हम केवल ३० लाख नई एकड़ेज सिंचाई का बढ़ा पाए। २७ लाख एकड़ आजादी के पहले हमारे यहां सिंचाई होती थी और ३० लाख इन वर्षों में २० वर्ष में बढ़ा पाए। इन ३० लाख एकड़ में मल्टी परपज योजनाओं का हिस्सा ९.७० लाख करीब पड़ता है, मेजर २.१५ लाख और माइनर २.१५ लाख और मध्यम १.२५ लाख। इन पर, जो खर्चा आता है, उनमें माइनर सिंचाई योजनाओं पर खर्च अधिक पड़ता है लेकिन इन आंकड़ों को देखने से लगा कि माइनर सिंचाई पर केवल ४००) प्रति एकड़ खर्चा आता है और बहु नदी सिंचाई योजनाओं पर खर्चा ४५०) प्रति एकड़ है। इसी तरह से इसी तरह मेजर योजनाओं पर २,०००) और मध्यम सिंचाई योजना पर खर्च है एक हजार पर एकड़। यह वहां तक ठीक है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हमारे यहां योजनायें जो बनाई गई हैं वहां जो नदियां बांधी गई हैं उन पर पानी का बहाव बढ़ा है और नीचे समाप्त हो गए हैं, नीचे का पोरशन सूख गया है, पानी खराब हो गया है, वाटर टेबुल नीचे चला गया है। इस संबंध में सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस बात की पूरी तरह से जांच कराए कि नदियों के पानी के बहाव का नीचे के सेजे पर कितना असर पड़ता है, कितना कमांडेड एरिया डेवलप होता है। अगर उतना ही एरिया नीचे का सूखता है तो इससे कितना लाभ होगा, यह सोचने की बात है।

भीलवाड़ा के इस साल के जो आंकड़े देखे तो सिंचाई के लिए इस बजट में ६५७.५३ लाख रखा गया है। लोग समझते होंगे कि सिंचाई मंत्री भीलवाड़ा के हैं इसलिए वहां ज्याद खर्चा होता होगा लेकिन इस साल के आंकड़े देखेंगे तो आश्चर्य होगा। मैं आपका ध्यान ए–१७ की तरफ आकर्षित करता हूँ। १-१७ लघु सिंचाई ७.५० लाख का है, लिपट

(यशवन्त सिंह नाहर)

सिंचाई योजनाओं का बहुत बड़ा विस्तृत ब्योरा दिया गया है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा और जगह है और २:३३ लाख कुल भीलवाड़ा को मिले हैं। सिंचाई मंत्री मानेंगे कि वहां नदियों में लिफ्ट योजनाओं की बड़ी गुंजाइश है। अगर उनको पूरी तरह काम में लिया जाय तो एक करोड़ के साधन जुटाने से बहुत बड़ी सिंचाई योजना को पूरा करना पड़ेगा लेकिन ७ लाख करीब लघु सिंचाई में, २:४५ लाख लिफ्ट योजना में और मध्यम सिंचाई योजना पर जेतपुर में १२ लाख, इस तरह २० लाख रुपए भीलवाड़ा को कुल मिलाकर मिला है। मैं सोचता हूँ कि शायद सारे बजट में आंकड़ों को लिया जाय तो मैं सिंचाई मंत्री से आशा करता हूँ। मैं निराशा की बात तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इन आंकड़ों को लेकर में बहुत बड़ी आशा लेकर चलूं तो बड़ी गलती होगी।

इसके अतिरिक्त राजस्थान की जितनी जमीन है उसके आधार पर जितनी सिंचित जमीन है उसमें से ६ करोड़ ६० लाख एकड़ जमीन खती योग्य है। उसमें से केवल ५७ लाख एकड़ जमीन को सिंचायी दे पाये हैं और ऐसी सिंचायी दे पाये हैं कि बहुत कुछ इन्द्र भगवान् के आधार पर है। कितनी हर साल कर पायेंगे यह कहना कठिन है। हमारे यहां का जितना सरफेस वाटर है उसको एकसप्लोर करके बांध बना दिया जाय तो सीमित अवस्था में सिंचाई कर पायेंगे। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का यह प्रोग्राम हो कि बाहर की नदियों का पानी लाकर सिंचाई करके अधिक से अधिक जमीन को सिंचत की जाए और रेगिस्तान को रोका जाए लेकिन उससे भी पूर्ति न होगी इसलिए अधिक सिंचाई के लिए भूतल के भीतर का पानी का पता लगाया जाए और कम से कम भीलवाड़ा जिले में इसकी बहुत बड़ी मांग है कि अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा एक्स्प्लोरेशन करवा कर ट्यूब वेल्स खुदवाये जांये में सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा क्योंकि हमने तीन चार ट्यूब वेल्स प्राइवेट तौर पर खुदवाये हैं और जिनके द्वारा तीन तीन सौ चार चार सौ एकड़ जमीन में सिंचाई की है। राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अण्डर अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के जरिये एक्स्प्लोरेशन करवा कर जो बाकी की जमीन है उसकी सिंचाई की जाय इन मांगों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

**श्रीमती सभानेत्री :** श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर) **:** सभानेत्री महोदया, यह तो सौभाग्य की बात है राजस्थान सरकार को बधाई देने की राजस्थान में संसार की सबसे बड़ी नहर राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में ली और वह भी सीमा क्षेत्र में और इतनी बड़ी नहर शायद आज तक नहीं हुई। उसके साथ साथ एक और बधाई देता हूं कि लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा दो सौ फीट ऊंचाई पर पानी बढ़ा कर रेगिस्तानी क्षेत्र में देना यह भी बड़ी बात है। दोनों काम अच्छे हैं। लेकिन ये पूरे नहीं हो रहे हैं। बार बार धन के अभाव

Page No 72



(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

की बात कही जाती है। लिफ्ट इर्रीगेशन का काम इस वर्ष शुरु होगा। यह कहा जाता कि वहां पर मजदूर नहीं मिलते। मैं निवेदन करूं कि मजदूरों की कमी नहीं है। काम लिया नहीं जाता। मजदूरी उनको कम दी जाती है। लोग घर छोड़ कर जहां पर नहर खुद रही है वहां कम मजदूरी में पूरा पेट नहीं पालन कर सकते इसलिये नहीं आते हैं। राजस्थान सरकार के पास में धन नहीं है और दस वर्ष हो गये और इस नहर को पूरा नहीं कर पाये तो इसको एक राष्ट्रीय स्कीम बना कर क्योंकि जितना अनाज पैदा होगा वह देश की भूख को मिटायेगा और कमी को पूरा करेगा, राजस्थान सरकार का फर्ज है कि इसको भारत सरकार के अधीन कर दे। भारत सरकार यदि नहीं लेना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रान्त की गवर्नमेंट की यह कमजोरी है। भारत सरकार बहुत बड़े बड़े काम अपने हाथ में लेती है। लोहे के बहुत बड़े कारखाने खोल दिये। दो हजार करोड़ के कारखाने खोल दिये। अनाज पैदा हो सकता है नहर से तो क्यों नहीं इसको तुरन्त हाथ में लिया जाय और भारत सरकार क्यों नहीं लेगी सिवायी मंत्रीजी भारत सरकार के पास जाते और आर्गुमेन्ट देते और ठीक तरह से समझा पाते कि लाखों एकड़ जमीन बिना सिंचाई योजना के पड़ी है इसको हाथ में ले लें तो जल्दी से जल्दी अन्न की समस्या मिट सकती है । ऐसा क्यों नहीं किया और किया गया तो कामयाबी नहीं मिली देश में अनाज की कमी मिटेगी नहीं। राजस्थान केनाल पूरी नहीं हुई। छतरपुर के पास आ गई है। कोलायत के पास ला सकते हैं। अकाल के लिये दो साल में पचास करोड़ खर्च करने हैं तो इस नहर पर ही पांच सात करोड़ रुपया खर्च कर देते तो अन्न की समस्या पूरी हो जाती। सड़कों पर मिट्टी डलाई जाती है। वह रह नहीं सकती। इस पैसे से नहर खुदे तो अकाल का हमेशा के लिये काला मुंह किया जा सकता है। पूरी नहीं करते हैं तो काच की अलमारी में रखते हैं, वहां के लोग इस आशा में रहते हैं कि पानी आयेगा और बाल बच्चे सुखी होंगे। ऐसा दस वर्ष में भी नहीं हुआ। लम्बे कितने वर्ष जावेंगे ? सरकार भी नहीं बता पायेगी कि दो तीन वर्ष में पूरी कर देंगे। आज यही स्थिति है कि यह कब पूरी होगी। सदन ने सरकार से कहा था कि हम सब की ताकत आपके साथ इसके लिये ले लीजिये। भारत सरकार को सब्सीडी देनी चाहिये। बाहर से अन्न लाते हैं। यहां का सामान भेजते हैं तब अन्न मिल पाता है। इसलिए इस नहर को पूरा कराना चाहिये।

इसी तरह से नर्मदा योजना का भी यही हाल है। अभी तक काम शुरु नहीं हुआ है। यदि नर्मदा योजना हो जाय तो बाड़मेर और जालौर के जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां पर सिंचाई हो सके और उससे अकाल हमेशा के लिये मिट जाय। अकाल को दूर भगाने का काम इन दो योजनाओं से हो सकता है।

लिफ्ट व इर्रीगेशन योजना के लिए यह कहा गया कि वह दो साल में पूरी हो जावेगी। एक साल तो होने आगया। अगले एक साल में यह नहीं समझा जा सकता कि

# Page No 73



(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

वह बीकानेर तक पहुँच जावेगी।

नाहर साहब ने भी कहा कि मन्त्री महोदय भीलवाड़ा के हैं। फिर भी इतना पैसा नहीं दिया गया। थोड़ा थोड़ा पैसा सबको दिया जावेगा। यदि बनास को बांध कर मेजा में डाल देते तो यह सारा इलाका सरसब्ज हो जाता। छः मील छोटी सी नहर है। छः मील बनास का पानी मेजा में आजाय तो यह उपयोगी अधिक हो सकता है। मांडल का तालाब सैंकड़ों वर्ष पुराना तालाब है। उसका पानी मेजा में लिया गया। अब तालाब हर साल सूख जाता है। उस पानी को दूसरी जगह दे देते है। उस तालाब में बीसों लाख लगवा कर नहरें खुदवायीं। तालाब में यदि पानी दे देते हैं तो ठीक है। लेकिन ऊपर से नहर खुदवा दी ताकि इस गरीब गांव में चली जाय। बनेड़ा तहसील में पानी चला जाय और मांडल वालों की जमीन सूख जाय। यह इरादा नेक नहीं है। मांडल को पानी देना चाहिए। मांडल के लोग आकर नहीं बोलेंगे। लेकिन उन लोगो को बड़ा दुख है। सिंचाई मन्त्रीजी की कृपा हो जाय तो आज बनेड़ा में और कल जहाजपुर में पानी पहुँच जावेगा और भीलवाड़ा में भी आजावेगा। लेकिन मांडल को नहीं देंगे। आप कृपा उन पर भी रखें जो नहीं बोलते हैं। बनास को लेजाकर मांडल में पानी डलवायें।

मैजा से पानी माण्डल चला जायेगा। इस साल मैजा में पानी भरा हुआ है। आज मैजा में ४० फुट से ऊपर पानी है। इसमें से ६ इंच पानी दे दें तो माण्डल की बारह हजार जनता की भूख मिट सकती है। यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। वहां पानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि लोगों को राहत दीजिये। पानी दीजिए ६१ से ६६ तक पानी दिया है। अबकी बार क्यों नाराजगी आपकी हो रही है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है।

सभानेत्रीजो, एक और निवेदन करना है। पानी को ढूंढने में सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में १०० बीघा जमीन को पानी देने के लिये १० से ५० हजार रुपया लगा देते हैं, २००,३०० बीघा के लिये पानी मिल जाये तो १०, २० लाख रुपया आप लगा देते हैं और ५, ७ हजार एकड़ में पानी मिल जाये तो वहां एक-दो शहरों करोड़ की योजना आप बना देते है। परन्तु शहरों को जो पानी दिया जाता है, उसके सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी हैं। पानी के रिसोर्सेज आप ढूंढने जाते हैं, ट्यूबवेल्स आप खुदवाते हैं और हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। कई जगह आप तालाबों को बांधते हैं। जयपुर शहर में एक करोड़ गैलन रोज बेकार चला जाता है। इस पानी का उपयोग करें तो १०,००० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। गंगानगर के चारों तरफ पानी है। एक लाख से अधिक आबादी है। गंदा पानी बाजार, सड़कों पर फैला रहता है। अगर इसको बांध लें और गंगानगर में इस गंदे पानी से पांच गुना फसल हो सकती है। इसी तरह से ५ करोड़ गैलन अन्य शहरों में गंदा पानी है। इस पानी से एक साल में दो लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है और दस लाख

Page No 74



(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

रुपये से भी ज्यादा अन्न उत्पन्न हो हो सकता है। गंदे नालों पर और गंदे पानी से जो अनाज पैदा होता है, उससे आपके अन्न उत्पादन में ५-७ गुना फर्क पड़ता है। इसके लिए आप दस, बीस करोड़ की योजना बनावे तो शहरों के लोगों को आसपास में जमीनें दी जावे-एक, दो एकड़ और वे उस पर खेती कर सकते हैं। इन छोटी जमीनों पर वे १००, २०० मन धान उगा सकते हैं और इस तरह से बेकारी मिट सकती है।

स्थानों का चयन करने में, जहाँ बांध बनते हैं, सभानेत्रीजी पक्षपात किया जाता है। शहरों का ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर ख्याल रखा जावे तो दो, तीन लाख एकड़ भूमि उपजाऊ हो सकती है। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है आप अब भी देखें कि कितना ज्यादा पर्सेन्टेज है। जयपुर के इलाके में नहीं है। जयपुर में कितना पानी रोज बह जाता है। इसके लिए दो, तीन करोड़ की एक योजना बनावे। इससे दस, बीस हजार एकड़ में खेती हो सकती है। इसी तरह से जोधपुर, बीकानेर में हो सकता है। बीकानेर जिले में मगरा तहसील में अब भी १५, २० तालाब हैं जिसमें साल भर पानी रहता है। बीकानेर रियासत के वक्त के ये बन्धे हुए हैं। इन बर्षों में आजादी के बाद में इनकी कोई मरम्मत नहीं हुई। यह हमारा दुर्भाग्य है कि बीकानेर का इलाका रेगिस्तानी है, इसलिये वहां इसकी जरुरत नहीं है। बीकानेर की कोलायत तहसील, फलोदी तहसील में इस बात का ध्यान रखा जाये कि जो वहां पुराने तालाब हैं, उनको ठीक करना है तो इनसे हमें हजारों बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती है, जिससे अधिक अनाज पैदा हो सकता है। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसका ध्यान रखिये। राजस्थान कैनाल को भी आप जल्दी से जल्दी बनाइये। आपसे नहीं बन सकती है तो भारत सरकार से कहिये। लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम जो शुरु की है, यह भी आप पूरा करिये।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री मूलचन्द डागा।

**श्री मूलचंद डागा** (पाली) : सभानेत्रीजी, इस बार सिंचाई विभाग से जो पुस्तिका आई है, वह बड़ी अच्छी है। अन्दर के जो कागज हैं, सिंचाई मन्त्रीजी ने बहुत अच्छे दिये हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने तस्वीर भी दी है। ट्रेक्टर के द्वारा बड़ी बड़ी लम्बी सिंचाई की योजनाओं के द्वारा काश्त करवाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपने बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है। राजस्थान भारत भूमि का अत्यन्त प्राचीन भू-खण्ड है। देश के अन्य भूभागों के मुकाबले में राजस्थान को विरासत में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन मिला है। अब राजस्थान के सदियों से सोये हुए किसानों ने एक करवट ली है और जागा है किसान अपने अधिकारों को पहचानने लगा है और इंसान के सम्मान को प्राप्त करने में लगा है। यह बड़ा सुन्दर है। यह जरूर है कि हमने करवट बदली है। आपने साहित्यिक दृष्टि से यह सोचा है। मेरे ख्याल से यह ठीक ही सोचा है। हमने ऐसी करवट बदली है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। आपने करवट कैसी बदली है कि

(श्री मूलचन्द डागा)

आकाश से पानी पड़ा और धरती पर आपने उसे बांधा और आपके इन्जीनियर ने सारा पानी लेकर गड्डे में डाल दिया। यह आपकी करवट बदलना हुई है। सारा पानी धरती पर आया, लाखों रुपयों की पूंजी इकट्ठी करके, उसमें लगाकर उसको एक गड्डे में डाल दिया। समाजवाद को यह सबसे बड़ा साकार रूप आपने दिया है। आप कहते हैं किसानों ने करवट बदली। हेमावास में इस बार आपने एक बड़ा बांध बनाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हेमावास बांध का जो कमाण्ड एरिया है, उसमें कुल ९ हजार एकड़ एरिया सिंचित होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर आपने इस एरिया को बढ़ाकर २२ हजार सिंचित एरिया घोषित कर दिया है। १९६४ में इसका नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया है। यह आपने गलत किया है। नहरी जमीन, बारानी जमीन में आपने कोई फर्क नहीं किया है जबकि वह कमाण्ड एरिया में है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। आपकी बातों से मालूम होता है कि आप समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं और एक ओर ९ हजार एकड़ से बढ़ाकर यह घोषणा करते हैं कि सारे नहरी इलाके की बारानी जमीन को भी उसमें मिलाना चाहते हैं। दो रुपया प्रति एकड़ काश्तकार उस जमीन का देता है और नहरी जमीन का ४ रूपया प्रति बीघा एक काश्तकार देता है। उस जमीन को आप पानी देना चाहते हैं और जो नहरी जमीन है उसको भी पानी देना चाहते हैं। यह कहां तक उचित है। यह गलत है। ५ एफ० सी० एम० पानी आप हेमावास में बढ़ा देते हैं। यह गलत नहीं किया। परन्तु मैं पूछता हूँ आपने उसमें से कितना पानी जोधपुर शहर को दे दिया है यह नहीं बताया है। ५ एफ०सी० एम० पानी बढ़ाया और साथ ही साथ जोधपुर को कितना दे दिया। साथ में एरिया भी बढ़ाते गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप एरिया बढ़ाना चाहते हैं, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया ६४ में कि राजस्थान की नहरी जमीन और बारानी जमीन को एकसा पानी दिया जायगा। इस तरह से नहरी जमीन के काश्तकार तो अपने अधिकारों से वंचित रह गये। उनके अधिकारों पर आपने कुठाराघात किया। पानी नहीं दिया। उन लोगों को दिया जिनके पास ४००,५००,७०० बीघा जमीन है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि १० बीघा जमीन वाले २ बीघा जमीन वाले जो काश्तकार हैं, उनको आप पानी देना चाहते हैं। जिनके पास ९०० बीघा जमीन है, उसको ४०० बीघा में आप पानी देंगे। हमने आपकी सेवा में मेमोरेन्डेम पेश किया। उस पर आपने गौर भी किया और किस नतीजे पर पहुंचे। नतीजा वह निकला कि ठीक है बारानी जमीन को पानी कम दिया जायेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके ये माननीय इंजीनियर एक्सपर्ट हैं, हमारी उनके सामने कोई वक्त नहीं रखती। जो डिग्री उनने हासिल की है, उसके मुकाबले में हमारी डिग्री कम है। बड़े बड़े इन्जीनियर्स स हवान के चक्कर में आ जाते हैं और ये जो रेखाएं खींचते हैं, मेरे ख्याल से वे रेखाएं हम नहीं खींच सकते। सीधा पानी बारानी जमीन में जावेगा। ऐसी ढालू जमीन बनाई

(श्री मूलचन्द डागा)

हमारे मन्त्री ने मौका देखा और आदेश भी जारी किया। बहुत बड़ी कृपा की हम पर यह कहा कि रेगुलेटर जल्दी बनाये जावें। २७ अक्तूबर ६७ का यह आर्डर था। उसमें बड़ी अच्छी भाषा का उपयोग किया गया। सिंचाई मन्त्री एक वकील भी तो रहे हुए हैं जिन्होंने बड़ी तरकीब से लिखा। चीफ इन्जीनियर साहब शास्त्री जी मधुर ढंग से व्यवहार करते हैं। पर मैं आज तक समझ नहीं सका कि उस आर्डर का क्या हुआ। रेगुलेटर बनाए गए कि नहीं। नहर सीधी चली गई और हम पानी के बिना रह गये। मन्त्री महोदय के आर्डर का अनादर किया गया और केवल २० रेगुलेटर की जगह ४ बनाये गये। उनका भी फेस चोड़ा कर दिया गया ताकि पानी ओर जगह चला जा जावे। फाटक लगे हुए नहीं है। यह सब होते हुए भी तावान हम पर बराबर जारी कर दिये जाते हैं। बेटरमेन्ट लेवी ली जा रही है। जिस बारानी जमीन को आपने पानी दिया है वहाँ आपने चार-चार सौ बीघा जमीन को सिंचित किया है। आप अपने आंकड़े बतावें और पेश करें। तो हमारे काम करने वाले लोग शासन की आज्ञाओं का उल्लंघन क्यों करते हैं।

मुख्यमन्त्री सोजत रोड आये। वहां उन्होंने तै किया कि तीन भाग बारानी को दिया जावे और बाकी सिंचित भूमि को। पर उन आज्ञाओं का क्या हुआ? सिंचाई मन्त्री ने हुक्म दिया और कहा कि आपका यह मामला ठीक कर दिया। पर वहां जाकर देखा तो कुछ नहीं ठीक हुआ। डंडे के बल पर सारा पानी ले गये अपनी जमीन में। ज्यादा प्रश्न किया तो सरकार ने उत्तर दे दिया कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और इधर नहरी इलाके के काश्तकार अपनी किस्मत पर हाथ रखकर कहते हैं कि नहरी जमीन हमारे पास है और नहर हमारे पास से निकली है, क्या शानदार नहर बनी है। कल कल करके पानी बह रहा है। पर वह पानी बहकर नीचे चला जाता है और हम रह जाते है। मन मसोस कर बैठ जाते हैं। लोगों ने आवाज उठाई। मंत्री, उपमंत्री वहां आये। कहने लगे लम्बी चौड़ी जमीन को कमाण्ड एरिया में लेना चाहते है। कमाण्ड एरिया बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने कहा वह नोटिफिकेशन कैंसिल करिए। सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट राय देते है कि कमाण्ड एरिया बड़ा बनाया है हमने। अब हम उनकी टेकनिकल बारीकियों में समझते नहीं। इतना समझते हैं कि जो नहरी एरिया है, जहां तक पक्की नालियां बनी हैं। पक्की नालियों से सात हजार बीघा ज्यादा जमीन पानी पी सकती है तो आप पहले उसको पानी दे दें और फिर आप १४ मील कच्ची जमीन में ले जा सकते हो तो ले जावें, हमें ऐतराज नहीं। पर उस जमीन में पानी डाल कर आप आठ हजार सिंचित जमीन को पानी से वंचित करना चाहते हैं यह कौनसा न्याय और टेकनीक है? आप कच्ची जमीन में पानी डालना चाहेंगे और बीच की सिंचित जमीन को वंचित रखेंगे तो इससे तो सरकार की घोषित नीति को ही आघात पहुँचेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जब आपने आर्डर दिया तो तत्काल उसके अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये थी २७

(श्री मूलचन्द डागा)

अक्टूबर का आपका हुक्म है। मौके पर गये तो पता लगा फॉल बन रहा है। फॉल क्यों बन रहा है ? हमारा तो नीचे रह गया है एरिया। तो कहते हैं हमारे काम में इन्टर-फीयरेन्स मत करो। आई० पी० सी० काम में लाई जावेगी नहीं तो। थानेदार मौके पर आ गये। पानी गहरा है। हम कहते हैं हमें पानी दिया जावे। चीफ इन्जीनियर ने हुक्म निकाला जिन्होंने ज्यादा पानी पिला दिया है उसको दूसरी बार पानी नहीं दिया जावे। पर हुक्म का कोई असर नहीं। नीचे वालों ने दूसरी बार पानी पिला दिया और नहरी इलाके के लोगों को पानी के बिना रहना पड़ा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं जब कभी हम लोग कांग्रेस के उसूलों को लेकर असेम्बली में अपनी बात कहते हैं तो सरकारी वर्ग उसका दूसरा उल्टा अर्थ निकाल कर हमें जवाब देता है कि कमाण्ड एरिया बढ़ा दिया ? किस बात का कमाण्डर एरिया आपने बढ़ा दिया साहब। मैं मन्त्री महोदय से कहता हूं कि आप पहले तो अपने उस आर्डर को रद्द करिये जिसके आधार पर आपने कमाण्ड एरिया बढ़ा दिया। आप जागीरदारों को पानी देना चाहते हैं, बड़े बड़े फार्म वालों को पानी देने की बात करते हैं। जो छोटे हैं उनको नहीं देना चाहते हालांकि वे नहरी सिंचित एरिया में कमाण्ड एरिया में हैं। मैं जब जब सिंचाई मन्त्रीजी का स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि सरकार १५ बीघा जमीन वाले को अवश्य पानी देगी। बड़ी महरबानी होती अगर आप पाली में अपना यह आर्डर और स्टेटमेंट लागू कर देते। आप यह आर्डर लागू कर दें कि जो नहरी एरिया है उसको पानी मिलने के बाद बारानी को पानी मिलेगा। तब तो मामला न्यायपूर्वक समझ में आ सकता है। बड़े बड़े फार्मों में खेती करने वाले ट्रेक्टर लेकर खेती करने वाले हजारों की संख्या में होंगे। पर दो बैल लेकर खेती करने वाले करोड़ों हैं आज। उनकी तरफ आप ध्यान दीजिये। आप ट्रेक्टर वालों पर ध्यान देने लग गये हैं जो ऊंचे बैठते हैं, आसमान में उड़ते हैं, आप जमीन पर बैठने वाले किसानों की तरफ ध्यान देते रहें, नहीं तो आपका अस्तित्व जनतन्त्र में तो रहने वाला नहीं होगा आज आप लिफ्ट इरिगेशन की तरफ ध्यान देते हैं मैं कहता हूं आप तीन चार बीघा दूसरे छोटे काश्तकारों को देकर क्या उनसे यह उम्मीद करते हैं कि उनका निर्वाह इससे हो जावेगा जिनकी छोटी छोटी जोत हैं जिनकी थोड़ी काश्त है उनकी तरफ आप ध्यान दीजिये।

सिंचाई विभाग का जो आर्डर आपने निकाला है महरबानी करके उस आज्ञा को रद्द करिये। आप पहले सिंचित भूमि वालों को छोटी जोत वालों को पानी दीजिये, पीछे और बचा रहता है तो किसी को भी देने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप छोटी नेग्लेक्ट करके बड़े बड़े फार्म वालों को ट्रेक्टर वालों को तरजीह देना चाहते हैं यह गलत है मैं इसे गम्भीर मानता हूं। कम से कम १५। २० बीघा तक की जोत वालों को आप पानी पहले पूरा दीजिये और इसके बाद और को दीजिये। मेरी आपसे यह प्रार्थना है।

(श्री मूलचन्द डागा)

इस बात पर मैंने पहले भी प्रार्थना की थी और आज भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह नोटीफिकेशन्स सब आपके पास हैं। इसके अलावा एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सदस्य सांचोर से आये हैं श्री रघुनाथ जी विश्नोई उनकी पाली पर बड़ी कृपा थी। गिलोनिया बांध पर वह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बाम्बी नदी की जगह लूनी नदी की बात कह रहे हैं....

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** पानी लूनी नदी में पड़ता है या नहीं सब नदी नालों का मिलाकर-लूनी नदी बनती है।

**श्री मूलचन्द डागा :** आप मोटर में घूमे हैं। आपको पता नहीं है। सांचोर की बात है..

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** सांचोर विलायत में नहीं है। वहां हजारों मन अनाज पैदा होता है और आप खाते हैं। जैसे कभी ५० रुपये क्विटल बिका हमारे यहां बिका है फिर अनाज नहीं हुआ तो कहां से भाव गिरे ?

**श्री मूलचन्द डागा :** बड़े जागीरदार लोग शिकार के लिए और अपने आराम के लिए तालाब बनाते थे और वह उनकी काश्तकारों की भूमि में उन्होंने बना दिये और जो पानी राणा तालाब में इकट्ठा करके उस पानी को छोटे लेवल पर बांध बना दिया और केवल पानी जमीन पर जायेगा और पेटा काश्त होगी। इस प्रकार की बात कहने से इस मामले की सारी बातों की जांच हाईकोर्ट में हो रही है। यह गिलोनिया बांध भी मुख्य मंत्री जी ने एक बांध पर कहा था तब वहां पर सिंचाई मंत्री जी भी मौजुद थे तो वह गिलोनियां बना है जिससे हजारों काश्तकारों को लाभ होगा....

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** अगर उससे ज्यादा लाभ होता है तो उस दृष्टि से भी सोचिये आप।

**श्री मूलचन्द डागा :** मैंने तो आपको लाभ से वंचित किया ही नहीं। आपकी तरफ से बड़े बड़े भूतपूर्व जागीरदारों के वकील बड़ी पैरवी कर रहे हैं वहां नक्शे पेश हो चुके हैं और काफी ऊंची दीवारें आ चुकी है। वह तो ऐसा बनकर रहेगा जो आपको भी लाभान्वित करेगा और जब आप आयेंगे तो कहेंगे कि मैंने इस प्रकार की बातकर भूल की।

अब मैं राजस्थान सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। पाली में आपने तटबन्धन का काम किया। बाढ़ के समय में आपने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की लेकिन उस अधूरे काम को पूरा करना आपका काम है और अधूरे काम छोड़े जाते हैं यह अच्छी बात नहीं है। बाढ़ के जमाने में जब बाम्बी नदी का तटबन्धन कर रहे थे तो उसका आपने एक हिस्सा छोड़ दिया और पूरा काम किया ही नहीं और जो धनराशि आपने पाली जिले के लिए रखी थी उसका क्या हुआ इसका मुझे मालूम नहीं हुआ।

(१-४५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

(श्री मूलचन्द डागा)

लेकिन यह मालूम हुआ कि पाली के लिए जो धनराशि दी थी वह पूरी खर्च नहीं हुई और बाम्बो नदी का तटबन्धन आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं बारबार यह शिकायत करूंगा कि आप मेहरबानी करके पाली जिले में जो काम इस मामले में अधूरे छोड़ दिये हैं उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। यह तो स्वाभाविक है। जब आपका ध्यान उस तरफ है तो पाली भी उसी के मुकाबिले का औद्योगिक शहर है जिससे सरकार को बड़ी धनराशि मिलती है, हर रूप में मिलती है। उस शहर को इस बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है मेहरबानी करके तटबन्धन का काम पूरा करवाइये।

सबसे बड़ी बात उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान नहर के बारे में है। इसके लिए वित्त के साधनों का सवाल पैदा होता है। जहां मुरारजी भाई हमारे उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री अब खुले शब्दों में कहने लग गये हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वह प्रान्तों को दे सके। दूसरे प्रान्तों में जहां फर्क नहीं आंका जाता है राजस्थान की नहर बनाने के मामले में जो रवैया अख्तियार किया जहां ९० परसेन्ट सरकारी जमीन है अगर उस जमीन पर जनता आबाद होती है, भूमिहीन आबाद होते हैं तो राजस्थान की समस्याओं का सरलीकरण होता है। लेकिन राजस्थान में जो राजस्थान नहर की योजना चल रही है उस योजना का काम ५८ के बाद आज ६८ है याने १० साल के बाद क्या सिंचाई मंत्री जी हिम्मत के साथ कह सकेंगे कि यह काम अच्छी गति से चल रहा है ? मैं कहता हूं कि इस काम में गति बड़ी धीमी है और इसके अन्दर हमें नुकसान हुआ है और नुकसान इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान का हिस्सा जो हमारे बोर्डर पर पड़ता है मैं समझता हूं नहर बन जाने से एक दीवार सी खड़ी होती और जनता उस क्षेत्र में बस जाती तो यह आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती। लेकिन वित्त आयोग के सामने कहना कि कम से कम हमको ९५ करोड़ रुपया मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी वकालात की लेकिन आपको कितना मिल जायेगा। आप कभी हिम्मत के साथ जवाब नहीं दे सकते। बड़े ढंग से गोलमाल कहकर आंकड़े रख देंगे। बंगाल की गवर्नमेंट कड़ी जुबान में कहती है कि सारे संबंध मजबूत होने चाहिए और केन्द्रीय सरकार और हमारे अन्दर कोई अन्तर नहीं आना चाहिए लेकिन जो पिछड़ा हुआ राजस्थान है उसके मामले में जहां ९५ करोड़ की बात करें और केन्द्रीय सरकार २७ करोड़ भी देगी या नहीं यह निश्चित घोषणा कीजिए। सिंचाई मंत्री कहें कि २७ करोड़ रुपये में आप राजस्थान कैनाल को कितना आगे बढ़ा देंगे। आपने कहा था कि ६८ में ३० लाख टन अनाज पैदा होगा और इसकी कीमत १ अरब ५० करोड़ रुपये होगी—बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जिस गति से राजस्थान कैनाल चल रही है उससे हमको संतोष नहीं है। राजस्थान कैनाल की योजना अगर पूरी होती है तो हमारे राजस्थान की कई समस्याएं पूरी होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन जमीनों में पानी लाना चाहते थे यह जो डिस्ट्रिब्यूटरीज

(श्री मूलचन्द डागा)

बनी ९ करोड़ रुपये की आमदनी उससे होती है लेकिन राजस्थान की वित्तीय मामलों के संबंध में एक बात फिर केन्द्रीय सरकार को कहना चाहिए कि जो पिछड़े इलाके हैं, जहां रेगिस्तानी इलाका है वहां दौलत लगाने से ही दौलत पैदा होगी और देश को भी लाभ होगा । जिस धीमी गति से आप चल रहे हैं यह बतायें कि रुपया कितना आपको मिल जायेगा ? आज आप ६० मील ही लम्बी नहर पूरी कर पाये हैं । आप जब भी कहते हैं तो करीब करीब की बातें करते हैं । करीब करीब की बातें तो साहित्यिक करते हैं और इन्जीनियर्स नाप तौल कर बातें करते हैं । यह करीब और थोड़ा बहुत यह खतरनाक शब्द हैं । हम करीब करीब में विश्वास नहीं करते । यह करीब कब पूरा होगा, यह करीब हमारे लिए शब्द नहीं है और इन्जीनियर्स के लिए तो यह शब्द होना ही नहीं चाहिए । हम चाहते हैं कि आप पूरे आंकड़े बतायें । मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वित्त मंत्रालय से अपनी बात कहें । हमें आशा है कि हमें इसमें साधन उपलब्ध होंगे । किसी जमाने में आप वकील रहे हों तो थोड़ी महरबानी करके जोरों से वकालात करके पैरवी करें.......

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** आपको एन्गेज कर लें तो ।

**श्री मूलचन्द डागा :** बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की जानी चाहिये ।

एक बात कहना चाहता हूं राजस्थान नहर के बाबत कि हमें केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अपील करना चाहिए ताकि जिस प्रकार की कोशिश हो रही है और ६० मील की नहर आई है और ६० और उसकी डिस्ट्रीब्यूटीज़ बन रही है तो उसके मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है । उस मामले में तेजी से काम करना चाहिए । और दूसरी जगह की जो योजनाएं हैं मेरे ख्याल से उन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेकर पूरा करना चाहिए । आखिर हमारे पास जो साधन, हैं वे तो है ही । हेमावास के बान्ध के ऊपर जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है उस पर न्यायपूर्वक जजमेंट देंगे और समाजवाद की दृष्टि से आप पानी का वितरण करेंगे । आशा है आप पीछे तो हटेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे । चार बीघे की जगह १४ बीघा होगा । सिंचाई मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया और सिंचाई विभाग के जो छोटे बड़े मंत्री हैं, बड़ा लम्बा चौड़ा काम है । बहुत अच्छा बुलेटीन निकाला है । इससे आप हमें फुसलायें नहीं । हमारा काम कर दें । फुसलाने से लगता है कि पैरों पर फ्रेक्चर हो जाता है । हेमावास के काश्तकारों को आश्वासन दें । छोटी लघु सिंचाई योजनाएं जो माननीय रघुनाथ विश्नोई कहते हैं, उनका कहना है कि किसी जागीरदार के तालाब को बनायें........

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** माननीय उपाध्यक्ष, मैंने किसी जागीरदार वगैरह की पैरवी नहीं की है । आपने की होगी । आप फालतू बातें करते हैं ।

**श्री मूलचन्द डागा :** आप बुरा क्यों मान गये ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : हम उत्पादन की बात करते हैं। मैंने अपनी दृष्टि से कहा है।

**श्री मूलचन्द डागा** : दूसरी सिंचाई योजना की हमने बात रखी है। मनसारी बन्ध छोटा सा बनाने का था। सिंचाई मंत्रीजी में आपसे कहूँ कि १५ दिन में पानी आजाता है। पानी का एस्टीमेंट करना है। तो कमेटी को बुला लें, और कमेटी का ही क्या है हमारा निर्णय तो आप मानते नहीं हैं। निर्णय तो आप ऊपर थोप देते हैं। यह जो निर्णय आता है तो वह इस तरह से आता है कि इतना पानी मिलेगा और ऊपर से निर्णय थोप देते हैं। बड़े काश्तकारों पर आप का निर्णय थोपें। हम तो छोटे काश्तकार हैं जो कि वजन नहीं उठा सकते हैं। जब कमेटी है तो उसके निर्णय को समझा जाय। मेहरबानी करके उसको वापस पूछ लेना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकर लाल।

**श्री शंकरलाल** (जैतरण) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और बिजली आज के विकास के मुख्य साधन हैं, और राजस्थान जैसे प्रदेश में जो कि भारत के अन्दर अपने क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा है। उसका क्षेत्रफल करीब १,३०,००० वर्गमील का बताया जाता है, और जिसके अन्दर ८ करोड़ ४० लाख एकड़ भूमि में से करीब ६ करोड़ एकड़ भूमि जो है वह कृषि के योग्य बताई जाती है। मैं समझता हूँ कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें अगर हम सिंचाई से अगर उसके अन्दर उत्पादन कर सकें तो राजस्थान को जो पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा जाता है वह हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत ही उत्पादन वाला प्रदेश ऐसा हो सकता है कि जो न केवल अपनी जरूरत को पूरा करे, लेकिन दूसरे प्रदेशों को अनाज भेज सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि सिंचाई की दृष्टिसे हमारी जो योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार द्वारा उस पर प्रयास किये जा रहा हैं वे कहां तक सन्तोषजनक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि इन योजनाओं के बारे में मैं कुछ अपने विचार रखूं सरकार की इस सम्बन्ध में नीति है उस नीति में हाल ही में कुछ परिवर्तन देखकर तो मुझे बड़ी खुशीहोती है, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और वह इस मायने में कि अभी अभी जब राज्य के मुख्य मन्त्री रायपुर बांध का उद्घाटन करने पधारे थे तो हमने उनके सामने एक समस्या रखी थी कि बड़ी बड़ी योजनाऐं जो बन्धों की बनी हैं, लेकिन इनके पानी का वितरण एक ऐसी नीति से हो रहा है कि जिससे जो छोटे काश्तकार हैं उनको पानी उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलता है, और जो छोटे काश्तकार हैं उनको पानी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलता है और बड़े बड़े काश्तकार हैं वे पानी को लेकर दूसरों को बेच देते हैं और जो अपनी बड़ी बड़ी भूमियों के अन्दर पानी लेते हैं और दूसरों से काश्त कराते हैं, और एक तरफ जो छोटे काश्तकार हैं उनको पानी नहीं मिलता है। उस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारी दिक्कत यह है कि जवाई बांध के अन्दर पानी कुछ कम होता है तो पानी के

(श्री शंकर लाल)

परसेन्टेज से कटौती होती है मानलो कि ५ परसेन्ट पानी कम मिलेगा तो पांच परसेन्ट पानी का मतलब हुआ कि जिसके पास १०० एकड़ जमीन है तो उसको ५ एकड़ मे पानी मिलेगा, लेकिन जिनके पास ६ एकड़ जमीन हैं उसको एक एकड़ में पानी मिलेगा, मगर जिसके पास, उपाध्यक्ष महोदय, एक एकड़ जमीन है उसको कितना पानी मिलता है ? उसको जो पानी मिलता है वह बेकार रहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने और सिचाई मन्त्रीजी ने इस दिक्कत को समझा है। इस संबंध के अन्दर हमने यह अनुभव किया है कि हेमावास और जवाई बन्धों में इस तरह की घोषणा की कि कम से कम तीन एकड़ वाली जमीन को हम पूरा पानी देंगे, और जो बड़े काश्तकार हैं उनके लिए जो उसमें है उसके अनुसार कटौती होगी। यह घोषणा हेमावास और जवाई बन्धों के लिए की गई है और इसके पालन की भी कोशिश की गई है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य-मन्त्रीजी और सिंचाई मन्त्रीजी से कहना चाहुँगा कि आपकी आज्ञा की, आपकी घोषणा का पालन पूर्णतया नहीं हुआ। प्रारम्भ के अन्दर इस तरह की नीति अपनाना स्वीकार भी किया गया और सिंचाई अधिकारियों ने इस प्रकार से पानी भी दिया लेकिन ज्योंही इधर-उधर का प्रेशर आया, ज्योंही लोगों ने वहां पर जबरदस्ती पानी लेना शुरू किया, उपाध्यक्ष महोदय. उस छीना-झपटी की घटनाओं को जब हमने सुना जवाई बन्धे के अन्दर बहुत से बड़े बड़े लोगों ने तलवार और बन्दूकों के बल पर जबरदस्ती पानी ले लिया है तो हमने सिंचाई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें। उनके पास पिटने के लिए कैसे जायें चाहे हमारी यह नीति सरकार की है, यह नीति है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घोषणा भी हुई है, लेकिन ज्योंही घोषणा का पता पड़ा तो छोटे काश्तकारों को प्रारम्भ में तो पानी देना शुरू कर दिया, लेकिन ज्योंही दूसरी पाण का सवाल आया तो जबरदस्ती उन्होंने पानी ले लिया। पहले में भी, जबरदस्ती बड़े बड़े जागीरदारों ने और नये जागीरदारों ने पाण ले लिया....

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : नये जागीरदार कौन ?

**श्री शंकरलाल** : नये जागीरदार से मतलब मेरा उनसे है कि जिनके पास बड़े बड़े फार्म है, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, और जो अनुपात से पूरा पानी उसके लिए ले लेते हैं चाहे छोटे काश्तकारों को पानी मिले या न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने और सिचाई विभाग ने एक पुस्तिका वितरित की है उसमें बताया है इसकी भी जो घोषणा की गई है।

"सिचाई की विशेष व्यवस्था—जो छोटे काश्तकार हैं जिनके पास तीन एकड़ भूमि है तथा इस प्रकार के जो छोटे छोटे जोत हैं उनको नियमित रूप से पानी देने की व्यवस्था पर विचार किया गया जो कि एक विशेष सामाजिक व्यवस्था होगी। इस प्रकार से यह व्यवस्था पाली जिले के हैमावास और जवाई बन्धों के नीचे आने वाली भूमि के

(श्री शंकर लाल)

लिए की है और भीलवाड़े जिले के कुछ क्षेत्रों के तालाबों के लिए की गई है। आशा है यह व्यवस्था रखी है जो कि कार्यान्वित की जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह समाजवाद की जो किरण हैं, मुझे खुशी होती अगर इसका पालन होता। मै कहना चाहता हूं कि इसका पालन कतई नहीं हुआ है। आप कहते है कि पूरे राजस्थान में करेंगे। आपने जो घोषणाए की है, उनका कोई पालन नहीं होता हैं। आप दृढ़ता में पाली जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में घोषणापूर्वक यह कहिये कि सिंचाई में हमारे काश्तकारों को ३ एकड़ तक पानी दिया जाएगा। और बड़े बड़े जागीरदारों को भी अनुपात मे अधिक पानी नहीं दिया जाएगा और दृढ़ता से पालन किया जाएगा, क्योंकि हमारी समाजवादी नीति की छोटे छोटे काश्तकारों को पानी देकर उनके जीवन को ऊंचा उठाया जाना चाहिये। उनकी स्थिति को सुधारा जाए। जितने छोटे छोटे काश्तकार हैं. वह आए दिन हमारे पास आकर कहते हैं कि उन्होंने पानी ले लिया है। आप कहते हैं कि हमने कमेटी बनाई है। अगर वह कुछ कर नहीं सकती है तो वह कमेटी बेकार है। हर डिस्ट्रिक्ट पर एक जुम्मेदार कमेटी बने उसमें एस० पी० को भी इन्क्लूड किया जाये। जो जबरदस्ती पानी ले ले उसको दुबारा पानी नहीं दिया जाय। अगर कड़ाई से पालन करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और छोटे काश्तकार सिचाई से फायदा उठा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह देखा है कि लोगों को सिंचाई का पानी मिलता है तो वह पानी लेकर दूसरों को बेच देते है। हालांकि यह सिचाई विभाग को मालूम है। वह कहते है कि हमने तय कर लिया हैं। जैसे किसी को ३० बीघे का पानी मिला वह अपने काम में नही लेता है तो वह कहते हैं कि हम बेच सकते है। दूसरों को दे देते है। यह हमारा अधिकार नहीं है कि जो काश्त नहीं करता है तो यह अधिकार कैसे उसको देते हैं कि वह पानी बेच सकें। यह गलत नीति है। गलत व्यवस्था है। एक तरफ काश्तकारों को वंचित रखते हैं और दूसरी तरफ जो शहरों में नौकरियां करते है बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर हैं, वह पानी ले लेते हैं और बेचकर पैसा कमाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत चीज है इसको रोका जाना चाहिये। आपके सिचाई का पानी जरूरत के आदमी को मिले। इसके अन्दर इस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय जो योजनाएं है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल है जो बागीडौरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार कितना धन दे रही है। लेकिन यह व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कडाना और बांसवाड़ा डैम जिसको माही प्रोजेक्ट कहते हैं, राज्य का मार्च, ६६ में एक एग्रीमेंट हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एग्रीमेंट पढ़कर सुनाऊं, कितना वेग एग्रीमेंट है। जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा।

(श्री शंकर लाल)

Kadana Dam should be built to FRL 419. The entire cost and benefit of this will be borne by Gujerat. At a later date when Mahe areas are taken over by Narbada and a part of Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujrat aproporiate cost of the Dam for such use, The exact proportions will be fixed at the time when the release becomes available."

यानी आगे जब माही प्रोजेक्ट बनेगा, उस वक्त राजस्थान को देखना पड़ेगा कि एक्जेक्ट कितना देना पड़ेगा। यह तब तय किया जाएगा। यह ४०० फीट ऊंचा किया गया है। यह इतना ऊंचा कडाना डैम अगर चला गया तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो नीचे का एरिया है, वह डूब में आ जाएगा। जब कडान बांध शुरू हो गया है। राज्य सरकार से यह आवाज उठाई जा रही है कि कितनी जमीन डूब में जाएगी इसके बारे में प्रयत्न किया जाए। अभी आप आवाज उठायेंगे तो कुछ हो सकता है। वाद में आवाज उठाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। कडाना डैम वान्ध शुरू हो गया है। ९-१-६९ को गुजरात के मन्त्री बाबूभाई पटेल ने उसका उद्घाटन कर दिया। प्लानिंग कमीशन ने भी मंजूरी दे दी है। कडाना बांध की ऊंचाई से कितनी जमीन डूब में पहुंचेगी, राजस्थान सरकार को ध्यान रखते हुए अविलम्ब गुजरात सरकार और केन्द्रीय सरकार से इस बात को तय किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, माही नदी के लिए कहा जाता है कि काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार कहती है कि माही का काम शुरू हो गया है। किताब के अन्दर हो गया है। केवल दो करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। वहां पर क्वार्टर्स बने हैं, कर्मचारियों के लिए आने जाने की सुविधा के लिए सड़कें बनी हैं। काम कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। अगर माही प्रोजेक्ट पर इस प्रकार की असावधानी बरती गई कि २ करोड़ रुपये केवल सुविधाओं के लिए खर्च कर दिये गये हैं। गुजरात की तरफ से काम शुरू कर दिया जाये। इसके साथ यह वेग एग्रीमेंट है। जो कि भविष्य के बारे में किया है। –

"Banswara Dam across Mahe located in Rajasthan will be built FRL–921. Out of the total cost of the dam, a portion will be allocated for power which Rajasthan will develop from the waters of this resorveir. This will be at the Rate of Rs. 1250 per K.W. firm power. If the total cost of the dam increases beyond Rs. 14 Crores, the allocated cost per K. W. taken above will also be increased proportionately."

यानी सब बातें जो हैं वह सम्भावनाओं पर आधारित हैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा

# Page No 85



(श्री शंकर लाल)

होगा । या ऐसा हो जाएगा । कोई डेफीनेट प्लानिंग न तो इसमें बताई गई है और न लिखी गई है ।"

"The cost of the dam cor FRL–915 should be shared between Gujerat and Rajasthan in rstio of 40:9 as the utilisation of the waters for irrigation inclusive of evaporation losses are 40 TMC in Gujarat and 9 TMC in Rajasthan.

Building the dam above FRL–921 will give an additional storage of 7 TMC which will be useful in lean years for ensuring firming of power generation. In view of this. Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building dam between FRL–921 and FRL–915.

At a later date, when Narbada development takes place and when Mahe areas are fed by waters of Narbada and the Mahe waters at Banswara are released for use in Rajasthan, Rajasthan should reimburse the cost of the Banswara project paid by Gulerat."

यह जितनी सम्भावनाएं हैं, जो बताई हैं यह सब भावी सम्भावनाओं पर है, यह तब ही हो सकती हैं जबकि अपना डवलपमेंट का प्राजेक्ट माही का वह उस गति से चले और दूसरे जो कडाना डेम बन रहा है उसकी ऊंचाई इतनी नहीं हो जिससे कि पानी डूब में आ जाय। मैं समझता हूँ, इस मसले को बड़ी गम्भीरता पूर्वक राज्य सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए :

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार द्वारा जो सिंचाई विभाग का प्रगति विवरण दिया गया हैं, उसको भी मैंने देखा है । राज्य सरकार की उसमें यह घोषणा हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया है, बाढ़ नियन्त्रण के लिए हम कोशिश कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप कोशिश करते रहेंगे, आप चिन्तन करते रहेंगे लेकिन तब तक बरसात का टाइम आ जायगा, और भगवान न करे, यदि उसी प्रकार की वर्षा उस इलाके में आ गई, जैसा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गत साल हुई थी और बाढ़ आई थी, भरतपुर में बाढ़ आई थी, पाली में बाढ़ आई थी, तो उससे फिर क्षति होगी । आप कितने साल तक इस मास्टर प्लान को लेके बैठे रहेंगे ? आपके डिपार्टमेंट के लोगों से इस समस्या का हल नहीं होगा । इसीलिए हम राज्य सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि बाढ़ एण्ड फेमिन, बाढ़ और अकाल–इन दोनों के नियन्त्रण के लिए, इनके प्लानिंग के लिए, इनके एक्जीक्यूशन के लिए एक हाई पावर कमीशन बनाया जाय, जिसमें आफी–

# Page No 86



(श्री शंकर लाल)

सियल और नान-आफीसियल दोनों तरह के लोग हों, ताकि जल्दी से जल्दी प्लानिंग हो और जल्दी से जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। आप अपनी मशीनरी के बलबूते के ऊपर बाढ़ का नियन्त्रण करने के लिए मास्टर प्लान को एक्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं; जिसका सिंचाई मन्त्रीजी उत्तर नहीं देंगे कि आपका मास्टर प्लान कहां तक बन गया है और, उसका एक्जीक्यूशन कब तक करेंगे। मैं समझता हूं आपके जवाब से इस कार्य की धीमी गति से सदन परिचित हो जायगा इससे पूर्व संतोष नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ ग्रस्त जिले के अन्दर सब जिलों का नाम लिया है, मैंने उन्हें पढ़ा है लेकिन एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र और पालिका उसमें उल्लेख नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां बाढ़ के कारण करीब चार लाख की क्षति हुई और इतने तालाब टूट गये; सिंचाई के जो तालाब थे, मूमलिया और कोंडकी—इनमें बीच हुआ और उससे काफी क्षति हुई लेकिन इसमें उनका हवाला नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, क्या आप इस प्रगति विवरण को जल्दी में तैयार कराते हैं। इसलिए ही इसमें सारे आंकड़े आ सके हैं या नहीं यह मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रति सरकार इतनी नेग्लीजेण्ट क्यों है। मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, जो नुकसान हुआ है वह भी उसके तहत हमको क्यों नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिंचाई की नीति के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया है उसके साथ साथ यह भी नीति हमारी होनी चाहिए, राज्य सरकार को इस बात का, मेरे ख्याल में पता है कि कितने ही बांध और तलाब हैं—चाहे भीलवाड़ा जिले में हो लेकिन जिनको भूतपूर्व जागीरदारों ने और दूसरे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना रखा है। आज आजादी के बीस साल के बाद जबकि आपने जागीर समाप्त कर दी हैं, जबकि आपने बताया है कि हमने इतनी प्रगतिशील समाजवादी नीति सिंचाई के मामले में बनाई है, वहां तालाबों को व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाये रखना क्या प्रगतिशील मामले में जरूरी है—यह सोचने की बात है। इस बात को बराबर हम कहते हैं कि इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। क्या कारण है कि एक आदमी तालाब का मालिक बना बैठा रहे, बांध का मालिक बना बैठा रहे कुए का मालिक बना बैठा रहे और जिने सैंकड़ों किसानों के खेतों की पिलाई होती है उनसे मन चाहा लगान वसूल करता रहे? यह कब तक चलता रहेगा? पाली जिले का उदाहरण मालूम हुआ, जैसा अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां राणा का तालाब है, निम्बाज का क्षत्रसाल तलाब है, इसको वहां के कलेक्टर ने रिज्यूम कर लिया जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के तहत जिन तालाबों से किसानों के खेतों की सिंचाई होती है वह पुनर्ग्रहण करने योग्य हैं लेकिन उनको व्यक्तिगत प्रापर्टी में रखा गया है। जब कलेक्टर मौके पर आये और उन्होंने देखा कि पक्की नालियां बनी हुई खेतों में और...

**श्री मूलचन्द डागा:** खातेदारी अधिकार हैं।

Page No 87



**श्री शंकरलाल** : उसने फौरन उनको रिज्यूम करने का आर्डर दे दिया लेकिन ऊपर से वापिस स्टे आर्डर आ गया। सरकार कहती है कि यह मामला पर्सनल प्रापर्टी का है। अगर इनको आप पर्सनल प्रापर्टी मानते हैं तो जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट में यह पर्सनल प्रापर्टी में आते नहीं हैं। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप कानून के अन्दर व्यवस्था कर दीजिये, आप आर्डीनेन्स के द्वारा व्यवस्था कर सकते हैं। आप छोटे मोटे मामलों के अन्दर आर्डीनेन्स ला सकते हैं लेकिन जो समाजवादी नीति के अन्दर महत्वपूर्ण बात है उसके लिए आप कानून नहीं ला सकते विधान सभा के सामने ऐसे जो तालाब हैं, ऐसे जो कुएं हैं जिनसे किसानों के खेतों की सिंचाई की जाती है, उनका पुनर्ग्रहण करके उनको सरकार या जनता का बनायें। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में शीघ्र ही और अविलम्ब सरकार द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले के अन्दर एक जवाई बांध का हवाला बहुत बड़ा प्रगति विवरण में देखा। यह सब शुरू हुआ? उसके बाद में राज्य सरकार ने कुछ प्रगति की लेकिन बाद में कई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं लेकिन उन योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो कि पंचवर्षीय योजना में एक बार रखा जा चुका है, वह धारिया कोट का बांध है, उसको पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, लेकिन बीस लाख की योजना होने से कहा गया कि इसकी योजना छोटी बनायेंगे। लेकिन अब बाद में मालूम करते है तो कहते हैं कि चालीस लाख की योजना हैं। इसका मतलब है कि सरकार इस योजना को हाथ में नहीं लेना चाहती है। यह जो धारिया कोट की योजना है इससे पच्चीस गांवों के काश्तकारों को फायदा होने वाला है। यह अच्छी स्कीम है, जिसको मैं समझता हूँ, फेमिन शुरु कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस योजना की जांच कागजों में पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि कागजों के अन्दर इसकी जांच कई दफा हो चुकी है। कितनी बार इसकी जांच हो चुकी है, सात आठ बार, सुना है, इसकी जांच हो रही है। वहां गांव वाले कहते हैं कि जांच पूरी होनी चाहिए। इसमें शक भी नहीं है कि जांच होनी चाहिए लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। हम देखते हैं बहुत सी योजनाओं कि एकदम से किसी ने कोई बात कही और महीने भर बाद ही उसको चालू कर दिया जाता है, जब कि ऐसी योजना सात आठ साल से विचाराधीन पड़ी हुई है। यह समझ में नहीं आता है। या तो सरकार कह दे कि यह योजना कार्यान्वित करने योग्य नहीं है, और अगर वह है तो सरकार का उसे हाथ में लेने का इरादा होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर तहसील में सुमेर और बराठिया की योजनायें थी बांध की, वह योजनायें भी विचाराधीन पड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में इंजीनियर्स की रिपोर्ट आ गई है कि यह योजनायें यूजफुल हैं, फिर इन योजनाओं को हाथ में क्यों नहीं लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस रेड टेपिज्म का पता नहीं लगता, एक तरफ तो कह देते हैं कि हम सिंचाई के काम को प्राथमि-

(श्री शंकर लाल)

कता देते हैं, उनको जल्दी हाथ में लेते हैं और दूसरी तरफ योजनायें बहुत दिनों तक खटाई में पड़ी रहती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक भी इर्रिगेशन योजना हाथ में नहीं ली गई है। इतने वर्ष में पहली योजना सिंचाई की बनी है लेकिन सरकार उसको भी हाथ में नहीं ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ी इलाका है रायपुर का, इसमें छोटे छोटे एनीक्ट्स की बहुत सी योजनायें हैं, और जैसा कि अकल राहत कार्यों के अन्तर्गत मंत्री महोदय ने पैसा स्वीकार किया है छोटे छोटे एनीक्ट्स योजनाओं के लिये, लेकिन जो बडी योजनायें हैं उनको हाथ में नहीं लेने के कारण कुछ दिक्कत आती है, ऐसा लोगों ने बताया। वह कहते हैं कि जो पानी पिछिया में जाता हैं, अगर एनीट्स बनाये तो पिछिया का पानी रुक जायगा। इस प्रकार की बात कही जाती है। मै निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हू कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट इस बात की जांच कराये, कहने से कुछ नहीं होता, इसका कितना इन्टरसेप्शन होता है इसकी जांच कराये तो पता लगेगा कि जहां एनीक्ट्स बनाना चाहते हैं वहां पानी बिलकुल वास्तव में फालतु जाता है, वह उधर नहीं जाता है। आप कहने के लिए कह देते है कि ऐसा होगा ऐसा नही होगा। मेरा निवेदन है कि आप हर एक योजना की जांच करवाइये, उसके बाद में हा ना में जवाब दे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जो इस क्षेत्र की योजनाये हैं, उन योजनाओं को हाथ में लेकर उनका काम पूरा करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे राजस्थान नहर के बारे में कोई विशेष बात नहीं कहना चाहूंगा। कई बार यह प्रश्न सदन में उठाया जा चुका है। आज सुबह मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा था मैं जवाब देते वक्त इसके बारे में पूरा विस्तृत बताऊंगा? मेरी समझमें नहीं आता है, एक तरफ जो सिंचाई का प्रगति विवरण हैं उसके अन्दर योजना के अन्दर प्रथम चरण में १८४ करोड़ रुपये की बात है, लेकिन आज १६४ करोड रूपये की बात कही। समझ में नहीं आता, यह बीस करोड़ का डिफरेन्स कैसे है। मैंने प्रश्न किया था इसको जल्दी पूरा करने के लिए कोई योजना या कोई कार्यक्रम बनाया है तो कहते हैं कि कोशिश कर रहे है, दबाव डाल रहे है। लेकिन यह आज दबाव डालने से और कोशिश करने से नहीं होगा, यह मैं आपसे और इस सदन के सब माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे इसके बारे में केन्द्रीय सरकार के ऊपर चाहे सबको जाना पड़े, जाकर कहना चाहिये राजस्थान नहर योजना एक ऐसी योजना है जो राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिये एक बूंद साबित होने वाली है। इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिये। यह नहर पाकिस्तान की सीमा से सुरक्षा कर सकती, यह इम्पार्टेन्ट बात है लेकिन जोर देने से, यह कहने से इतना पैसा देदो या सिर्फ फाईनेन्स कमीशन ने वकालत कर दिया। इसके लिये और भी प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं यह और भी सुझाव दूंगा कि भारत सरकार के अलावा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक एक ऐसी योजना है जो दुनिया में इम्पार्टेन्ट योजना है। वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल सकता है और जितना प्रयत्न करना चाहिये उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिये।

(श्री शंकरलाल)

राजस्थान के सिंचाई के क्षेत्र में यह बहुत ही वरदान साबित होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में एक जवाई से सही की योजना हैं उसके बारे में मै निवेदन करना चाहता हूं जो उदयपुर के डिविजन से आकर इस जवाई बान्ध में पडने वाली है और जो कहा गया है इस योजना से सहीं नाथद्वारा जैतारण दोनों के पास चार म ल सुरंग बनाकर ४००घनफुट पानी चढ़ाने का प्रस्ताव है। योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके समाप्त होने पर १००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी यह उपाध्यक्ष महोदय हमने तो वहां पर कार्य चालू होता देखा नही हैं, हो सकता है उस तरफ कोई कार्य चालू किया गया हो। पहले ऐसा कहा था कि उद्घाटन होगा जवाई पर सब कुछ होगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय न उद्घाटन हुआ और न पानी ही उस जिले में आया है में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इसकी क्या प्रगति है ?

और यह कब समाप्त करने वाले है। १८०० एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई होने वाली है वह हो सकेगी या नहीं उपाध्यक्ष महोदय ?

अन्त में नर्बदा योजना के बारे में कहूँगा। गुजरात, मध्य प्रदेश जिले के प्रयोग का सवाल हैं। भारत सरकार को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपने अपने प्रस्ताव रखे है। राजस्थान ने बताया है कि ७ लाख एकड भूमि सींची जायगी और जालौर व बाड़मेर को भी शामिल किया गया है। मुझे जहां तक मालूम हुआ हैं जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री है डा० के० एल० राव उनको इस बात का सुझाव दिया गया है ट्रिब्यूनल में इसको ले जाकर जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिये। जो राजस्थान की योजना से लाभ मिलने वाला है वह मिले। इस प्रकार राजस्थान सरकार को मुख्यत: बड़ी बड़ी योजनाओं पर और छोटी मोटी योजनाओं पर इरीगेशन के मामले में बड़ी प्रगति करनी चाहिये। जो कुछ हुआ है यह ठीक नहीं हुआ यह मैं नहीं कह सकता, कुछ हुआ जरुर है लेकिन लोकतान्त्रिक राज्य में यह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसमें प्रगति करनी पड़ेगी, नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा और सिंचाई की योजनाओं को बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ाना पड़ेगा जिससे राजस्थान खुशहाल बन सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री कल्याणमल।

**श्री कल्याणमल** (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने से पहले राजस्थान का पानी अन्य जगह जाता था उसका हमारे राजस्थान के अन्दर कोइ लाभ नहीं होता था। मैं सरकार को धन्यवाद दूं—इस राजस्थान के उन इंजीनियर को धन्यवाद दूं जिनके दिमाग में यह बात बनी और इन नदियों की तरफ ध्यान गया और जिस तरह इनका उपयोग किया वह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना था तब राजस्थान में केवल २७ लाख एकड़ भूमि सिंचित होती थी जिसमें ९ लाख एकड़ भूमि केवल बीकानेर जिले के लिये थी और बीकानेर जिले में ही उनका उपयोग

(श्री कल्याण मल)

होता था फिर ३ लाख एकड़ भूमि पूरे राजस्थान में सिंचित होती थी तो इन आंकड़ों को देखते हुये और राजस्थान के बृहन क्षेत्र को देखते हुए जो आज सिंचाई विभाग ने कदम उठाया है......

**श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : यह सिंचाई बीकानेर जिले में नहीं गंगानगर जिले में होती थी।

**श्री कल्याण मल :** जो प्रगति रिपोर्ट बताई हैं उसके बाद में सिंचाई विभाग ने इसमें तरक्की की है और साधनों को बढ़ाया गया है। आज देखा जाय ५७ लाख एकड़ भूमि सिंचित होना आरम्भ हो गया। इतने कम टाइम में इतने कम समय में ५० प्रतिशत बढ़ा देना एक मामूली बात नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य से यह बात कह रहा था कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी भीलवाड़ा की तरफ अधिक ध्यान रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय अगर प्रगति रिपोर्ट को प्रेक्टिकल रूप से देखा जाय तो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने राजस्थान में जिस तरह पानी का बंटवारा किया है मेरे ख्याल से कोई भी विभाग ने इतनी समानता की दृष्टि से काम नहीं किया होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज देखा जाय तो भीलवाड़ा सिंचाई के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है और जिलों के मुकाबले देखा जाय तो बहुत ही ज्यादा तादाद में पिछड़ा हुआ है इतनी निष्पक्षता और समानता की दृष्टि से देखा जाय तो आज हम भी यह बात कह सकते हैं कि हमारा भीलवाड़ा इतना पिछड़ा क्यों ? मंत्री महोदय ने सबके साथ समानता का व्यवहार रखा है और माननीय सदस्य यह कहें कि भीलवाड़ा की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ज्यादा ध्यान है यह कहना बिलकुल गलत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान नहर के सम्बन्ध में बताया गया तो राजस्थान नहर ९०० वर्ग मील लम्बी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके लिए यह बताया जाय कि इसमें काम धीमी गति मे हो रहा है यह कहना गलत है। जितनी तेजी से जो काम किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद भाखरा, चम्बल, गान्धीसागर आदि बड़े बड़े बान्धों की जो व्यवस्था की है जिससे लाखों एकड़ भूमि सिंचित होगी और उनका लाभ आम जनता को मिलेगा और हमारे देश में जो अन्न की समस्या है वह मिटेगी यह सिंचाई विभाग की ही देन है।

और इन इन्जीनियर्स के दिमागों की बात है जो बहता हुआ पानी जा रहा था उस पानी को अपने दिमाग से रोका गया और उसको उपयोग में लाया गया। इस तरह से जो प्रगति सिंचाई विभाग ने की है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

अब मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं अकाल के सम्बन्ध में आज तक ३८ करोड़ रुपया फरवरी माह तक खर्च किया गया। उसके लिये अकाल मंत्री जी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा। इस तरह से इन्होंने जितनी तेजी से काम किया है जो भूखे मरते थे उनको काम दिया उनके पेट पालने का रास्ता बनाया है।

(श्री कल्याण मल)

अब मै हमारे क्षेत्र की जो योजनायें है उस संबन्ध में माननीय सिचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहताहूं। तीन योजनाओं है खैरुजा, हीटो, बीजेटा, जुठाना इन बान्धों की सर्वे होगई, हैं योजना विचाराधीन हैं इसके लिये मेरा निवेदन है कि इन तीनों बान्धों का काम जल्दी शुरु करवाना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि और जो भी योजना सर्वे का बिल हो उनका सर्वे कराया जाकर काम चालू करना चाहिये।

जहाजपुर तहसील पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है और फोजी इलाका हैं यहां पर छोटे छोटे बान्ध बान्धने से इस क्षेत्र को फायदा हो सकता हैं। मैं सिचाई मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इसकी सर्वे करा के जो भी सुटेबल हो बान्ध को बन्धवाना जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में राजगढ तहसील में जो कार्य अभी तक चालू किये हैं वह महत्वपूर्ण बात है। झालाटला, केकड़ी का सर्वे होकर के काम कम्पलीट होगया। सिचाई मंत्री जी से निवेदन करुगा इन पर काम जल्दी शुरु करवाने की कृपा करें। अब मैं ज्यादा न बोलकर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष : अमीलाल यादव।**

उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से सिचाई योजनाओं पर चर्चा चल रही है। यह विभाग मैं समझता हूं बिजली विभाग से और कृषि विभाग से किसी प्रकार कम नहीं है। इसलिए स्वभाविक है कि इस मांग पर सभी लोगों को बोलना और सुझाव रखने का सोभाग्य प्राप्त होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे मौका दिया है इसके लिए में आपका अत्यन्त आभारी हूं।

असलियत मैं हमारे यहां का प्रदेश सारे भारतवर्ष के क्षेत्रीय हिसाब से दूसरे नम्बर पर है। और उसके बगल में स्थिति इस प्रकार को है यहां पर जो पश्चिमी एरिया है जो ज्यादा मरूस्थल हैं और दक्षिण पूर्वी एरिया जहां पर करीब बोस तीस इंच सालाना वर्षा होती है। वहां पर जितना पानी गिरता है उस पानी से बाढ और क्षति होती हैं। इस इलाके में समस्या इस बात की है एक तरफ आकाश जो पानी मिलता है प्रकृति से जो पानी मिलता उस पानी को किस प्रकार सही मायने में इस्तेमाल किया जाय यह सवाल पैदा होता है ? दूसरी तरफ अण्डर ग्राउण्ड पानी हैं जिसको खोजकर किसानों को राहत दी जाय। इन दोनों समस्याओं के अन्दर यह कहना अतिशयोचित नहीं होगा कि हमारी सरकार बराबर जागरुक रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या वास्तव में जिस जगह जिन कार्यो को अच्छे तरीके से चलाना चाहिये वह चलते है या नहीं। सतर्कता से और जल्दी से कार्य चलते है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं सिचाई के अन्दर राजस्थान में प्रगति नहीं हुई यह में नहीं मानता। इसमें कितनी प्रगति हुई है किस

(श्री ग्रमीलाल यादव)

जगह पर सहूलियत मिलनी चाहिये उसके अन्दर क्रिटसिज्म नहीं है। जिन जगहों पर नहरें चली गई है किसान इस बात के लिए रोते हैं कि हमको समय पर पानी नहीं मिलने से फसले सुख गई। और उनको पानी मिलने में कठिनाई होती है। दूसरी तरफ किसान पानी के लिए तरसता है वहां उसके लिए कोई योजना नहीं है। कुछ जिले इस बारे में नेगलेक्टेड हैं जहां किसी प्रकार की योजनायें चालू नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा इस समय कई ऐसी योजनाएं है जो कागजों पर रखी जाती हैं जिनके लिए हर वित्तीय वर्ष में कागजों में रुपया रख दिया जाता हैं, और उसको विचाराधीन रख दिया जाता हैं, और उसको विचाराधीन रख दिया जाता हैं। इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं इस सिंचाई विभाग के अन्दर सतर्कता और जागरूकता आनी चाहिए। जिस प्रकार डाक और रेलवे विभागों में है इसी प्रकार की जागरूकता इसमें होनी चाहिये। इसी प्रकार से ओवरसियर्स, इन्जीनियर्स को इतनी जिम्मेवारी समझनी चाहिये और अपने कार्य में संतत् जागरूक रहना चाहिये। जिस समय पानी की आवश्यकता हो नहरों द्वारा बांधों द्वारा देने की जहां आवश्यकता होती है, कागजों के हेरफेर में न पड़ते हुए समय पर कदम उठाना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये अगर किसान को समय पर पानी नहीं मिलेगा तो क्षति उस किसान की कितनी होगी। हम किसान हैं, किसानों के दर्द को जानते हैं, यह हम सब जानते हैं कि आज पानी न देने से कितना नुकसान होता है। सारी उसकी बाह जोत, सारा उसका खाद, सारा उसका बहुत अच्छा बीज और सारी उसकी रखवाली, उसके आखिरी समय में जब कि उसकों सारी फसल पकने को आती है, यदि उसको पानी किसी कारणवश नहीं देंगे तो उसकी सारी फसल एक ही उस आखिरी पानी के नहीं मिलने से नष्ट हो जाती है और उससे न केवल किसानों को ही हानि होती है बल्कि हमारे सारे प्रदेश को, हमारे सारे देश को हानि होती है, और इस तरह से यह एक बड़ा नेशनल लोस होता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो अधिकारीगण सिंचाई विभाग में हैं, उनके लिये इस प्रकार की प्रणाली, इस प्रकार का सर्कूलर, इस प्रकार का आदेश जारी करना चाहिये कि किसानों को पानी देने में जिसकी त्रुटि मिलेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी, और इसमें जिस किसी अधिकारी की कमी पाई जाय गलती पाई जाय उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। आज देखा जाता है कि कई मर्तबा बिजली के बारे में, कइ मर्तबा सिंचाई के बारे में टेक्निकल राय बता देते हैं, यह इतनी टेक्निकल बातें हैं कि यदि कोई एक्शन लेने का विचार करे तो वास्तव में उसको विधान, कानून के तहत यह माना जाता है कि टेक्निकल राय की वजह से ऐसी बात वहां हुई। दरअसल टेक्निकल राय उनके मन की है। अगर स्थानीय अधिकारी, ओवरसीयर इस बात का मन में ख्याल रखे कि किसानों को एक पानी नहीं देने से कितना देश का और किसानों का नुकसान होता हैं तो टेक्निकल राय किसानों के हक में उनकी जा सकती

(श्री अमीलाल यादव)

है। टेक्निकल राय की वजह से जहां नहरें हैं वहां जो नुकसान होता है इसके सम्बन्ध में तो अन्य वक्ता महोदय प्रकाश डालेंगें क्योंकि मैं तो दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र से आ रहा हूँ, जहां नहरों का नामोनिशान भी नहीं है और न वहां होने की संभावना ही है। एक नदी साबी वहां से गुजरती है, उसकी योजना अखबारों में और आपकी टिप्पणी आती है, उसमें मैं देखता आ रहा हूँ, वह ६० से आ रही है, इस वर्ष भी दिखाई है २४०.३५ का खर्चा रख कर कहा जा रहा है कि केन्द्रीय वित्त आयोग को यह योजना स्वीकृति हेतु भेजी है पर पता नहीं हर वर्ष ही यह स्वीकृति हेतु चलती रहेगी या इस पर सरकार कोई अमल करेगी। यह मेरे ख्याल से मन्त्री महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं कि साबी नदी से अजमेरा पर का बांध बन्धा दिया जाता है तो ५००० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है और जो इसके कटाव से भूमि को बचाने के लिये कोट कासिम पर बांध बन्धा दिया जाता है तो इसके कटाव से बहरोड़ के काफी गांवों को नुकसान होता है और जो दूसरा एरिया इसके कटाव में आता हैं, वह कितने ही गांवों की भूमि का कटाव करता है इस बांध के बंध जाने से वह भूमि बचती है और इसकी सिंचाई के काम में आ जाती है, इस बंध के भराव से सिंचाई में भी किसानों को लाभ हो सकता है और जो भूमि कटाव में आती है वह भी बच जाती हैं उस भूमि से खाद्यान्नों की उपज बढ़ सकती है। पर इस योजना को आगे से आगे ही सरकाया जा रहा है। मै आशा करता हूँ कि सिंचाई मंत्री महोदय अपने कार्यकाल में इसी वित्तीय वर्ष से इस योजना को शुरु करवायेगे और सेंटर के कोरेस्पोन्डेन्स कर के इस कार्य को पूरा करवायेगे।

इसके साथ ही साथ में किसी क्षेत्रीय भावना से निवेदन नहीं करना चाहता, जहां भी राहत मिले, वह सब हमारे भारतवर्ष की भूमि है, हम सब एक हैं, चाहे भरतपुर को अधिक वर्षा से क्षति हुई है, उसका सुधार हो चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे चम्बल डेम हो,कहीं कोई योजना चालू हो, वह चले पर उनमें हमें य देखहना चाहिये कि किस जगह जरुरी काम करना है, उसको तो प्राथमिकता देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, में निवेदन करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बांध हरसोरा के अन्दर बंधाया गया था। आज मुझे खुशी होती यदि बद्री प्रसादजी अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए यहां उपस्थित होते, पर आज वे यहां नहीं हैं।

**अनेक माननीय सदस्यः यही हैं:**

**श्री अमीलाल यादवः** इसलिये मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि हरसोरा बांध पिछले तीनसाल से टूटगया है और आज तक उस बांध को बंधाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यदि यह बांध बंधा दिया जाता तो ४० गांव उस क्षेत्र के अकाल ग्रस्त घोषित किये है, वे यह बांध बंध जाने से अकालग्रस्त घोषित नहीं होते, काफी गांवों को इससे राहत मिल सकती थी। इसलिये मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हरसोरा बांध पिछले ३ साल से टूटा पड़ा है,

(श्री अमीलाल यादव)

उसको बंधवाने की कार्यवाही करेगें ।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने सिंचाई मंत्री महोदय को एक प्रार्थनापत्र दिया था और शायद मेरे ख्याल से आपके इस विभाग के बहुत ऊंचे अधिकारीगण भी जानते है कि जो तसीमना भाखरिया का पहाड़ है, उसमें से एक नाला जाता है, वह अमानपुर, खोरी, बहरोड़ तसीम आदि बहुत से गांवो की जमीन को कटाव से खराब कर देता हैं मैंने प्रार्थनापत्र से निवेदन किया था और आज उसके सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखा है, मै सिचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ आपके जरिये कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च का भी सवाल नहीं है, ४०–५० हजार रुपया खर्च होगा, उसकी सर्वे कराने के लिए पंचायत समिति लेवल पर भी कोशिश की थी. जिसको यदि बंधा दिया जाता है तो २००–२५० एकड़ भूमि उसके पेटे में कटाव से बच सकती है और दूसरी जमीन भी कटाव से बच जाती है और जो पानी भर जायगा उसका बहुमूल्य उपयोग सिंचाई के लिए दिया जा सकेगा । गोविन्दपुर मांडोद का डूंगराणा को और मांडोद का छोटा सा नाला बंधा देने से ३ गांवों की आरजी बच सकती है और ४०० एकड़ भूमि किसानों की सिंचाई के काम में आ सकती है ।

मैं इन दो बांधों के बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये बंध जाते हैं तो उस तरफ के १०, १५ गांव जो अक्सर अकाल से ही ग्रस्त रहते हैं वे गांव अकाल से बच सकते हैं ।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बांध हमारे सिरियाणी में बांधा गया था । उस समय जो इन्जीनियर्स थे, उन्होंने किस आधार को लेकर उस बांध को बाँधा था, उसके खर्च का हिसाब लगाया जाय तो ज्यादा फायदेमन्द नहीं नजर आता, उसमे यह तरमीम कर दी जाय कि कुराना के पास इससे लगता हुआ बांध है, उसको बांध दिया जाय, इससे १५ गांवों को फायदा मिलेगा और वहां के किसान सिंचाई की दृष्टि से लाभान्वित होंगे क्योंकि जमीन वहां की बहुत ही उपजाऊ है, बहरोड़ क्षेत्र की जमीन वास्तव में देखा जाय तो बहुत ही उपजाऊ है । वैसे वहाँ पानी मिलता है, कुओं से कोशिश करते हैं, कुओं से बिजली से पानी निकाल कर सिंचाई करते हैं, पर मैंने यह ३ बांध बंधवाने का सुझाव दिया है, इनको बंधवा दिया जाय तो वहां के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और हमारे प्रान्त की पैदावार बढ़ेगी । वैसे ही वहां इस साल अकाल घोषित हुआ है, अकाल राहत मन्त्रीजी और सिंचाई मन्त्रीजी पर यह काम छोड़ता हूँ कि किसी तरह समन्वय कर के इस कार्य को शुरू किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनमें ज्यादा खर्चे की बात नहीं है, इसका लाभ, आउटपुट आयेगा । वह बहुत अधिक आयेगा । इसलिये इसकी सर्वे करा कर वहां के किसानों को राहत देंगे ।

# Page No 95



(श्री अमीलाल यादव)

इसके अलावा एक बात और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जो सिंचाई के कार्य चल रहे हैं मेजर प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में भी यह बात कही है कि उनको गति धीमीं है, इस गति को तेज किया जाना चाहिये और इसके अंदर जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि लड्ढा साहब अपने माइंड को तेज रखें और जो जवाब आए वह एक्यूरेट आना चाहिए। योजना और पानी देने के आंकड़े एक्यूरेट रखने चाहिए। जैसे टेलीफोन, तार या रेल्वे के कर्मचारी हैं वे अपने काम को जितना एक्यूरेटली चलाते हैं उतनी एक्यूरेसी से इन योजनाओं को चलाना च हिए। जितनी प्रगति होनी चाहिए और इसमें शक नहीं कि प्रगति हुई है लेकिन यदि हम इजराईल को देखे कि वहां पर किस प्रकार प्रगति हुई है, उस दृष्टि से देखें तो हम बहुत पीछे हैं। हमारे आसपास के जो प्रदेश हैं, उनके मुकाबले में राजस्थान को देखें तो हम बहुत पीछे हैं। यू० पी० हरियाना और पंजाब हैं, जब हम उनको देखते हैं तो अपन बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यह जरूर है कि अपनी स्थिति इस प्रकार की थी कि हमारा प्रांत बहुत ही पिछड़ा हुआ था और हमारी सरकार इसके अंदर जागरुक है। तो मैं सिंचाई मंत्री जो बहुत इस बारे में दिलचस्पी रखते हैं, से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें और गति लाये और जो अपने पड़ौसी प्रदेश हैं, जहां हम जाते हैं तो सिंचाई की दृष्टि से हमें शर्म आती है। जब हरियाणा में जाते और उन लोगों से मिलते हैं, हमारे वहां सामाजिक रिश्ते हैं, हम जब जाते हैं तो ओल्हमा देते हैं कि आप राजस्थानी हो, हर चीज में बैक्वर्ड हो। इसलिए सिंचाई विभाग की ओर से जब मंत्री महोदय इतनी दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर इसको आगे बढ़ायेंगे और जो योजनायें हैं उनको पूरा करेंगे और जो मेरे सुजाव हैं उनका सर्वे कराकर काम करवायेंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सिंचाई कार्य को बहुत ही एक्यूरिसी के साथ चलाना चाि ए।

**श्री हंसराज आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का सौभाग्य है कि जितनी दुनियां की महत्वपूर्ण नहरें हैं, राजस्थान कैनाल उनमें एक है। मैं कहूंगा कि यह राजस्थान के लिए एक वरदान है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री सुखाड़ियाजी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से अपने असर से भारत सरकार को पंजाब सरकार को प्रभावित किया और पंजाब की नहरों में से कुछ पानी अपने लिए देना तय करवाया। इसके साथ ही राजस्थान के इंजीनियरों को भी धन्यवाद दूंगा। वह इसलिए कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी और आज भी राजस्थान कैनाल का आगे का जो हिस्सा है वहां के लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यह नहर इतने ऊंचे टीलों को पार कर सकेगी। जिन टीलों को राजस्थान नहर पार कर रही है उन टीलों को मनुष्य आसानी से शताब्दियों तक पार नहीं कर सकता था, उन टीलों की कहावतें हैं पानी के लिए, अन्न के लिए। वहां कहावत है जब मनुष्य रिश्तेदारियों में जाने के लिए अच्छा तेज चलने वाला ऊंट लेना चाहता था तो कहता था कि मैं किस सिरे का ऊंट लूं जो इस रेगिस्तान के टीलों को पार कर सके। वह पूंछते

# Page No 96



(श्री हंसराज आर्य)

थे कि किस ऊंट को लेकर चलू जो इन रेगिस्तानी टीलों को पार कर जाय। रेबारी कहता था कि कहो ऊंट चाहे मिल सकता है। कहावत है :

ओछी गोडी नेश वढ़, वह उलालां बग्ग,
बां ओठां बां कर लियां, दिन ऊगसी अलग।

जिनकी छोटी छोटी गोड़ियां हो, गर्दन लंबी हो। तो रात रात में टीलों को पार कर जाय। अगर दिन निकला तो ऊंट और में प्यासा मर जायेंगे, यह जो रेगिस्तान हैं वहां ऐसी कहावत है। पानी की अजीब समस्या थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चाहे बहुत से गांवों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा क्योंकि गांव ऊंचे टीलों पर हैं, भूमि ऊंची है किसान के बस की बात नहीं, प्राकृतिक चीज है लेकिन जिन गांवों में पीने का पानी १५-१५ २०-२० मील तक उपलब्ध नहीं और १५ मील जाने के बाद भी कुएं से पानी नहीं मिलता और मिले तो भी मीठा नहीं, पानी के लिए बड़ी कहावतें मिलती हैं लोगों को मिल जाती थीं। एक किसान पानी लेने के लिए दूसरे गाँव गया। दिन छिप गया, आंधी आ गई, बैठ गया। काफ़ी समय हो गया। घरवाली तलाश करने निकली क्योंकि वह भी प्यासी थी। रास्ते में दोनों मिल गए, आपस में टकरा गये, वह कहता है पानी नहीं, घरवाली कहती है पानी नहीं। दोनों मिलकर कहते हैं कि पानी नहीं मिला। पानी के अभाव में दोनों मर जाते हैं। इसकी कहावत है :

नर भटका नारी भटकी,
मिल्यो न कहीं पर नीर,
फिर मिल दोन्यूभटक्या,
प्यासा तज्यो शरीर।

प्यासे दोनों मर गए। राजस्थान कैनाल राजस्थान के जिस क्षेत्र में जायगी उससे वहां के किसानों को कई तरह का लाभ होगा। सबसे पहले लाभ होगा पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा और उसके बाद सिंचाई होगी, अन्नोत्पादन बढ़ेगा। जहां से इसका निकास है पोंग बांध से और भाखरा से, वहां बिजली पैदा होगी और हवाओं के वेग से जो टीले बढ़ते जा रहे हैं, वह भी रूकेंगे। राजस्थान कैनाल वरदान है। मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि इस नहर का काम धीरे चल रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता, राजस्थान नहर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। यह दूसरी बात है कि जितना धन चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। इसलिए कमी आ सकती है, कुछ काम बन्द किया जा सकता है लेकिन जितना पैसा है उसके अनुपात से हमारा काम तेजी से चल रहा है। राजस्थान कैनाल के कुछ भाग में पानी छोड़ा गया। जिस समय सर्वप्रथम राजस्थान कैनाल में पानी छोड़ा गया था यानी नौरंगदेशर और रावतसर ब्रांचों में वह एक साल पूर्व ही कैनाल तैयार हो गयी और पानी छोड़ा गया है।

जो समय इसके लिए निर्धारित है अमुक शाखा अमुक स्थान तक पहुंचनी चाहिये उससे पहले पहुंच रही है। इसलिए मैं वहां के अधिकारियों और खास तौर से इन्जी-

(श्री हंसराज आर्य)

नियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा । 'गवाह सुस्त हैं और मुदई चुस्त है । इन्जीनियर्स तेजी से काम कर रहे हैं । सरकार में कहीं सुस्ती है । वह इतनी प्रयत्नशील नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** आज तो बड़ा आशावादी भाषण हो रहा है ।

**श्री हंसराज :** मैं यह कहना चाहता हूं कि केनाल का काम बड़ी तेजी से चल रहा है । लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस बात का दुख है कि यह केनाल जो थोड़े दिन पहले ११ हजार क्यूसेक पानी लेकर चल रही थी वह अचानक क्यों बन्द कर दी गई ? २० फरवरी को वह क्यों बन्द कर दी गई ? काश्तकारों ने हजारों एकड़ जमीन काश्त की थी, उनकी फसल नष्ट हो गयी । पानी बन्द करने के लिए मैं इन्जीनियर्स की नीयत पर शक नहीं करता लेकिन पानी बन्द हुआ उसका क्या कारण है और उसका परिणाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ । यह मैं गेहूँ का नमूना पेश कर रहा हूँ जो राजस्थान केनाल में खड़ा हुआ था और २० फरवरी को पानी बन्द होने के बाद हजारों एकड़ में गेहूं की काश्त की थी, वह बिलकुल सूख गयी । बालियों में एक भी दाना नहींहै इससे किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है इसका हमें सख्त अफसोस है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार जो गंगानगर को स्वर्ग मान रही हैं साथ ही माननीय सदस्यों ने भी जिन्होंने देखा नहीं हैं गंगानगर को वे भी स्वर्ग मानकर चलते हैं । वास्तव में ऐसी बात नहीं है । गंगानगर का ५०, ९९, ६६३ एकड़ रकबा है । राजस्थान केनाल, भाखरा, गंग केनाल पूरी पूरी क्षमता से चले तो १५ लाख एकड़ के करीब सिंचाई होती है और इस साल नहरों में पानी की हालत गम्भीर रही है, गंगकेनाल, भाखरा राजस्थान केनाल का पानी बन्द हो गया । फिर कैसे कहा जा सकता है कि गंगानगर की हालत अच्छी है ? पानी की यह हालत रहते हुए भी जो टैक्स लगाये हैं उसका असर गंगानगर के किसानों पर सबसे अधिक पड़ने वाला है । सरचार्ज, शेष सब गंगानगर के काश्तकारों को देना पड़ेगा ।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि भाखरा नहर की हालत बडी ही गंभीर है । उसका पानी कभी कभी पूरा नहीं छुटता है । पता नहीं क्या गड़बड़ है । मैं कहना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि वे पंजाब के मंत्रियों के साथ बैठ कर बात करें कि इस प्रकार क्यों पानी छोड़ा जाता है इससे बार बार फसल सूख जाती है ।

उपाध्यक्षजी राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने लिफ्ट सिस्टम का उद्‌घाटन किया । यह अनहोनी बात थी । यह संसार में पहली नहर होगी कि जो दो सौ फुट ऊंची उठ कर पानी देगी । यह वह स्थान है जहां पर सदियों से दस दस मील बीस बीस मील में पानी नहीं है । वह इलाका है भडाण का जहां पानी नहीं मिलता । प्यासों के मारे लोग मर गये हैं । पानी के लिये कहावत अजीब हैं । एक किसान की औरत घर में गाय दूह रही थी । उसका पांवणा यानी

(श्री हंसराज आर्य)

जंवाई आ गये। तो वह कहने लगी :

दोहा—प्राणों से प्यारे पावणों,
चाखर पिज्यो नीर।
जेबिन चख्यां पियो,
तो छिण में जावे शरीर ॥

पानी के घड़े पड़े हुए हैं। यदि पानी को बिना चखें पी जाओगे तो मर जाओगे। एक कहावत है। बड़ी अजीब कहावत है। उसने कहा :

दोहा—खेजड़ रूंख भरूंट खां,
ऊंडो पाणी बिहां।
ढोलों बुझे मारवणों,
पूगल रूप किमां ॥

रूंख ये खेजड़लियां हैं। पांच सौ छः सौ फुट पानी गहरा है फिर भी महावद्मणिमां कैसे हैं? वहां पर आदमी रह ही कैसे सकता है यह मानते थे। वहां पर पानी राजस्थान के कैनाल का जावेगा इसकी हमें खुशी है। लेकिन पानी के लिये जो गड़बड़ी होती है उसके लिये हम परेशान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल को रावतसर के आगे जैसा यह पास देखें तो ताज्जुब होगा कि ऊंचे ऊंचे टीले हैं और उनके बीच में नीचे रेल की पटड़ी सी दिखाई देती है उसी प्रकार से नीचे पानी की धार दिखायी देती है टीलों को पार करती जा रही है। यह राजस्थान कैनाल इतनी बड़ी है कि इसका पूरा निर्माण करना राजस्थान सरकार की ताकत के बाहर है। इसके लिये भारत सरकार से जाकर राजस्थान सरकार प्रार्थना करे और सुस्ती न बरतें। सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों से और विरोधी पक्ष के नेताओं से निवेदन करूंगा कि सारे के सारे मिलकर एक डेपुटेशन के रूप में दिल्ली जांय और भारत सरकार से प्रार्थना करें कि यह राजस्थान केनाल राष्ट्रीय योजना है भारत सरकार को इसको हाथ में लेकर काम करना चाहिये इसमें लाखों का नहीं करोड़ों का प्रश्न है। यह राजस्थान सरकार की सामर्थ्य से बाहर!

यह प्रसन्नता की बात है कि इतनी बड़ी कैनाल है और इससे इलाका सरसब्ज होगा। एक बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान केनाल में लाखों एकड़ सरकारी जमीन पड़ी हुई थी लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसमें काश्त की चाहे वह जमीन उनको अलाट हुई हो या नहीं। जब फसल कटेगी तो कितने ही लोगों की आपस में गोलियां चलेगी क्योंकि वह जमीन नियमित रुप से अलाट नहीं की गयी है। राजस्थान कैनाल का वह एरिया जो सरकारी भूमि है वह आज नक्सलबाड़ी बना हुआ है। मैं समय से पूर्व मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसको कन्ट्रोल कीजिये। मंत्री महोदय को याद होगा कि एक बार हमने आपको कहा था आपको मालुम होगा कि जो जमीनों सूचियां बनायी गयीं थी वास्तव में वे जमीनें नीलाम नहीं हुई थी, फर्जी सूचियां दफ्तर में बेठ कर बना ली गयी थी। बोलियां नहीं लगाई गई थी। हमने कहा कि इनको कैंसिल कीजिये और दुबारा बोलियां लगवाइये मैं नहीं जानता कि यह क्यों नहीं मंत्रीजी ने किया। वही फर्जी लिस्ट कायम रही जिससे लाखों रुपयों का गवर्नमेन्ट का नीलामी न

(श्री हंसराज आर्य)

होने से नुकसान हुआ । खैर । बीती ताही बिसारिदे, आगे की सुधि लेय । जो हुवा सो तो हो गया । आगे के लिये मैं चाहूंगा माननीय मंत्रीजी सावधान रहेंगे ।

उपाध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी ने बार बार कहा और मंत्रीजी ने भी बार बार कहा कि राजस्थान केनाल में भूमिहीन किसानों को भूमि देंगे । पहले ५० बीघा भूमि भूमिहीनों को दी गई फिर देने की बात हुई, उसके बजाय १ मुरब्बा हो गयी । उसके बाद १५ बीघा पर सरकार आगयी । हमनें कहा कि २५ बीघा तो दे । गंग केनाल६० परसेन्ट, भाखरा में ६२ परसेन्ट और राजस्थान केनाल में ११० परसेन्ट पानी देगें ।

लेकिन अब सुनने में आया है कि यह प्लान था कि राजस्थान कैनाल की शाखाएं पक्का कर दी जायेंगी । जो पानी मिट्टी में जब्त हो जाता है, वह बच जायेगा । लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि भारत सरकार ने पक्की नहरों के लिए पैसा देने से इन्कार कर दिया है । शाखाएं सब कच्ची हैं तब ११० पर्सेन्ट की कल्पना है, वह कल्पना ही रह जायेगी । इसके लिए मैं मंत्री महोदय से और खासतौर से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें । भूमिहीनों को १५ बीघा देने के बजाय २५ बीघा दी जाय । १५ बीघा से उनका काम नहीं चल सकता है इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं । जो लिफ्ट सिस्टम चल रहा है, उस पर अकाल राहत का कार्य चल रहा है । उन मजदूरों को एक स्त्री, एक पुरूष और बच्चे को ३–७५ पैसे मिलने चाहिये । इसके बजाय उनको १–६५ पैसे दे रहे हैं । यह मजदूरी उनको पूरी नहीं दे रहे हैं । १–८८ पैसे इसमें कम है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो कमी पड़ती है, वह अकाल सहायता से नहर विभाग को दिलाए ताकि किसानों को ३–७५ पैसा मिल सके और वे मजदूर अपना पेट भर सकें और इससे नहर का काम भी तेजी से चल सकेगा । उपाध्यक्षजी, जहां पर नहर छत्तरगढ़ पर पहुंचती है, वहां पानी की क्या स्थिति हैं ? इस गर्मी के अन्दर पानी के लिये लोग लड़ते हैं, लाठियां चल जाती है । इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है :

**दोहा**– कुआं ऊपर कठ घणों,
जैठे तिसाया जीव ।
ल्यांता ल्यांता नीवड़े,
बरतां जाय ज्युं घीव ।।

**दोहा** –प्राणों से प्यारा पावणां,
चाखर पीज्यो नीर ।
जेबिन चाख्यों पीयो,
तो छिए में जावे शरीर ।।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाखरा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। भाखरा नहर का पानी बताते हैं २५६४ क्युसेक है । कोइ समय होता है जब हमारी नहर में कोटे के मुताबिक पानी चलता हो, मैं नहीं जानता कि भाखरा में पानी की कमी है, या पंजाब वाले गड़बड़ करते हैं । परन्तु

(श्री हंसराज आर्य)

हमें समय पर पानी नहीं मिलता है। हरियाणा सरकार ने हमारे साथ सहानुभूति दिखाई है, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं। परन्तु जितना पानी हमको मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। हमको आश्वासन दिया गया है किन्तु पंजाब से गड़बड़ी हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पंजाब सरकार से बात करें और उसको इस बात के लिये मनावें। अगर वह नहीं मानती है तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों को आपस में बैठकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रधान मंत्री से बात करके कोई आधार निकालना चाहिये। पानी की कमी के कारण जो किसान खेती करते हैं, उनको घाटा होता है। इसलिए कोई न कोई समाधान निकालना चाहिये।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि अमरसिंह ब्रांच है। इस क्षेत्र के किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सन् ५३-५४ में एलाटमेंट के समय लोगों की जमीन कोलोनाइजेशन विभाग ने ले ली कि तुम्हारी भूमि को पानी मिलेगा। ५० बीघा जमीन रख लो और बाकी छोड़ दो। ५० बीघा भूमि को पानी लगेगा तो अधिक भूमि की पूर्ति हो जायेगी। किसानों ने खुशी से जमीनें छोड़ दीं। ५० बीघा रखी फिर भी पानी नहीं मिल रहा है अन कमान्ड है और प्रश्न है कुछ गांवों को भाखरा जोन से निकाले आज ८ साल हो गये इन गांवों को भाखरा क्षेत्र से निकाल दिया गया है। नोहर, भादार में ३७ हजार एकड़ भूमि को अन कमांड एरिया मार्क किया है। इस सदन में मैंने गत वर्ष प्रार्थना की थी और मुख्य मन्त्रीजी तथा मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि आने वाले एक वर्ष के अन्दर ३७ हजार में से १८ हजार को कमाण्ड कर देंगे। उनका कहना, कहना मात्र ही रह गया। एक बूंद पानी नहीं बढ़ाया गया।

उपाध्यक्ष जी, भाखरा क्षेत्र में एक समस्या और है। जरुरत से अधिक गांवों को भाखरा योजना में शामिल कर लिया गया। भाखरा में शामिल कर लेने के बाद अब ८ साल बाद इनको निकालने की बात हो रही है। यह क्यों निकाले जा रहे हैं। इसका उत्तर सरकार की ओर से यह आता है कि हमारे इंजीनियरों ने यह सोचा था कि जैसी जमीन पंजाब की है, वैसी ही राजस्थान को होगी। जैसी पंजाब की मिट्टी है वैसी राजस्थान की मिट्टी होगी, किन्तु अब देखने से पता चला है कि यह भूमि ज्यादा पानी जज्ब करती है दूसरे भूमि तो अधिक एब्जार्ब करती है और इतना पानी नहीं है इसलिये इन गांवों को निकाल रहे हैं। १४ मील तक खुदी हुई नहर को कैंसिल किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, संसार में इसका दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। यह नहर खाली पड़ी हुई है और जो गांव भाखरा में लिये गये थे वे निकाल दिये गये हैं। हम प्रार्थना करते है कि इन गांवों को पानी दीजियेगा और पानी नहीं है तो किसानों को खातेदारी राइट्स दीजिए। परन्तु सरकार इन दोनों के लिए तैयार नहीं है। सरकार को लाभ है तो पानी दे और लाभ नहीं है तो किसानों

(श्री हंसराज आर्य)

को खातेदारी राइट्स दे। दोनों में से एक काम सरकार को किसानों के लिये करना चाहिये। टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ के अनुसार खातेदारी हक्क से वहां के किसान वंचित है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुख्यमन्त्री जी के चेम्बर में बैठक हुई थी और हमको यह विश्वास दिया गया था कि एक साल के अन्दर रेवेन्यु अधिकारियों, राज्याधिकारियों को बिठाकर इसका निर्णय कर देंगे कि जो गांव निकाल दिये गये हैं। वहां के किसानों को खातेदारी राइट्स दे देंगे। जो बात वहां कही गई थी, उसको पूरा किया जाना चाहिये। लेकिन एक साल बीत गया अभी तक खातेदारी हक किसानों को नहीं दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की नहरों की एक अजीब हालत है। हर साल नहरों की मरम्मत के लिये पैसा दिया जाता है। ऊपर से पैसा आता है, बजट से पैसा रखा जाता है। सरकार बजट इन्जीनियरों को भेजती है और वह ठेका इन्जीनियर ठेकेदारों को दे देते हैं। उनकी सुस्ती के कारण, उनके द्वारा देखरेख न किये जाने के कारण ठेकेदार इसमें गड़बड़ करते हैं। नहर का जो निर्माण किया गया था उस समय के पुराने खतानों को छिलकर मरम्मत दिखाई जाती है। जिसे ब्रांच की मरम्मत होती है, उसमें पूरी मिट्टी नहीं डाली जाती है। और पैसे पूरे दिये जाते हैं। इसलिये इसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसका यह परिणाम होता है कि मिट्टी पूरी नहीं पड़ती है और जब नहर में पूरा पानी आता है तो नहर टूट जाती है और इससे किसानों को नुकसान होता है।

उपाध्यक्ष जी मेहराणा गांव में १००० एकड़ जमीन इतनी बढ़िया है कि अगर उसमें पानी लगे तो एक बीघा में ५० मन अन्न पैदा हो सकता है। लेकिन वहां नहर का कोई लेविल नहीं है। इसके सम्बन्ध में हमने हरियाणा सरकार से बातचीत की थी। वे अपने यहां से तीन चार क्युसेक पानी देने को तैयार हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे हरियाणा सरकार से बातचीत करे और ४–५ क्युसेक पानी जो वे देने को तैयार हैं, लेकर किसानों का भला करें। मैं मन्त्री महोदय से यह भी प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी प्रगति हो, उससे हमें भी जरुर जानकारी दें।

उपाध्यक्षजी, गंगानगर जिला ऐसा जिला है जिसमें घग्घर के बैंज की सीमा पाकिस्तान तक लगती है। इस क्षेत्र में हनुमानगढ़, सूरतगढ़ अनूपगढ़, तहसीलें इसके अन्तर्गत आती है। इस क्षेत्र की जमीन अधिक उपजाऊ है। अगर नहर बढ़ाई जा सके तो ठीक है वरना ट्यूबवेल्स और बिजली पहुंचाकर इस क्षेत्र को सरसब्ज किया जा सकता है। गंगानगर जिले के किसान इस क्षेत्र में एक एक एकड़ में १००, १०० मन चावल पैदा कर सकते हैं जो कि जापान के मुकाबले में होगा। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार का ध्यान नहीं गया इस ओर जाना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, पिछले दिनों मुख्य मन्त्रीजी

(श्री हंसराज आर्य)

नोहर पधारे थे और नागरिकों ने उनसे प्रार्थना की थी हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या है। नोहर के कुओं का पानी बहुत खरा हो गया है। कुओं में पानी खारा है। आज मनुष्य और मवेशी उस पानी को पीने में हिचकिचाते हैं। आम सभायें मुख्यमन्त्री जी ने ऐलान किया था कि वहां वाटर वर्क्स को तो बनने में समय लगेगा इस बीच अस्थायी व्यवस्था की जाय तो इसके लिए कितना पैसा चाहिये। यह इन्जीनियरों को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ८४ हजार रूपया इस वक्त मिल जावे तो अस्थायी तौर से पानी नोहर कस्बे को मिल सकता हैं। वह ८४ हजार मन्जूर हो गये बताये। पर यह मैं नहीं कह सकता कि वह पैसा इस समय कहां पड़ा हैं। जिस विभाग के पास है, या नोहर पहुंच गया हैं। वह ८४ हजार कई महीनों पहले मन्जूर कर दिया गया था। रकम मन्जूर शुदा पडी है। पर नोहर आज बिना पानी के तरस रहा है। बीकानेर जिले से अकाल में आयी गायें तक भी प्यासी मर रही हैं। जिस किसी के पास यह पैसा हैं उसे जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री हंसराज आर्य : पांच मिनट और दीजिए। नोहर भादरा काफी इलाका ऐसा हैं जिसमें और घग्घर पानी को लाया जावे तो तीन चार लाख एकड जमीन की सिंचाई हो सकती हैं और इस तरह से बहुत बड़ा अन्न का उत्पादन हो सकता है। वह सारा इलाका आज पीने के पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है तो ऐसे गांवों को इससे पीने का पानी मिल जावेगा। और साथ ही सिंचाई भी हो सकेगी।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष जी, में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी दौरे पर पधारे थे तो नोहर में ऐलान किया था कि नोहर नहर के.......

**श्री उपाध्यक्ष :** एक साथ ही सारी बातें कहेंगे तो दो चार बातें ही पल्ले पड़ेगी आप थोड़ी बातें हीं कहे ताकि उनका जवाब दे सकें मन्त्री जी।

**श्री हंसराज आर्य :** के काम के लिए वे जल्दी करेंगे, पर वह काम आजतक नहीं हुआ। अन्त में माननीय मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा खास तोर से राजस्थान केनाल के लिए कि इसमें शक नहीं कि हमारे इन्जीनियर तेजी से काम करते जा रहे हैं, रेत के पहाड के पहाड हटाते जा रहे हैं। इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ। पर साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान केनाल जो बहुत बड़ा काम हैं, उसको चलाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिये कि इसे भारत सरकार सम्भाले और काफी पैसा इस पर लगाये ताकि आगे जाकर समय पर यह पूरी हो सके और इसका लाभ राजस्थान को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से मिल सके।

**श्री उपाध्यक्ष :** वाद विवाद में हिस्सा लेने वाले माननीय सदस्यों की सूचि काफी लम्बी है इसलिये समय सीमा दस मिनिट

# Page No 103



(श्री उपाध्यक्ष)

की गई है। इसका माननीय सदस्य ध्यान रक्खें।

**एक माननीय सदस्य** : जिनके नाम नहीं आ सके उनके नाम बता दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोशिश यह कर रहें हैं कि सभी के नाम आ जावें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : माननीय उपाध्यक्षजी, जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका जिक्र करते हुए मैं साथ ही साथ धन्यवाद प्रस्ताव भी रखना चाहती हूँ कि पिछले वर्षों में जिस तरह तालबों को लेकर सिंचाई के काम किये गये हैं उनसे सिंचित रकबा बढ़ा है। इसे हम सब जानते हैं। इन पिछले बीस वर्षों में सिंचित रकबा काफी बढ़ा है और जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है सिंचाई विभाग जिस तरह से काम कर रहा है उससे मैं पूरी तरह से सन्तुष्ट हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा लगता है आपकी भी जमीनें है वहां।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : जहां जो बात होनी चाहिये और आलोचना की जरूरत होती है तो आलोचना भी करती है और जहां अगर अच्छा काम हो रहा है और मैं समझती हूँ कि वास्तव में हो रहा है तो उसके लिये धन्यवाद देने में भी मैं कंजूसी करना नहीं चाहती।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो ऐसी बात कहरहीं है कि वहां पधारना ही नहीं पड़े और काम हो जावे।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय कि जिस तरह से राजस्थान सरकार राजस्थान केनाल के ऊपर सोच रही है उसके बारे में मैं विशेष रुप से कटौती का प्रश्न रख रही हूं। यह प्रश्न ऐसा है जिसका बहुत ऊंचे लेवल से सम्बन्ध है। जब हम राजस्थान केनाल की ओर नजर डालते है तो वहां जिस तेजी से काम होना चाहिये वह वहां नहीं हो रहा है, ऐसा पाते हैं और इसके लिये जब पूछा जाता है तो जवाब यह मिलता है कि धन की कमी है। मै मानती हूँ कि बेशक कमी है पर इस बारे में अधिक न कह कर संक्षेप में मैं एक दो प्रश्न सरकार से पूछना चाहती हूँ

पहला प्रश्न तो यह है कि जब वर्ल्ड बैंक के नुमाइन्दे यहाँ आये हुए हैं देश में और दूसरे कई कामों को खास कर रिवर वेली प्रोजेक्टों को देखने आये हुये हैं और वे इनके लिये मुक्तहस्त से रुपया भी दे रहेहैं तो हमारे देश के दूसरे कई राज्यों में कई जगह उनको ले जाया गया है और वहाँ की योजनाएं दिखलाई गई हैं और देखने के बाद उनको इस तरह की सहायता भी मिल रही हैं! मैं अपने सिंचाई मन्त्रीजी से खास तौर से पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान की परियोजनाओं को न आपने उनको दिखाया, न बताया और न उनके बारे में सहायता मांगी है। सबसे बडा जटिल प्रश्न तो यह है कि राजस्थान राज्य

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत)

क्या मन्त्रीजी यह जानते हैं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक वाले गये थे। इस तरह की कई स्कीमें उन लोगों ने उनको दिखाई और पाकिस्तान को इस पर उन्होंने कुछ ऐसी मशीने भी दी हैं जो एक दिन में १६०० स्क्वेग्रर गज नहर खोद देती हैं। अगर हमने भी उनको अपने यहां बुलाया होता और हमें भी ऐसी मशीनें मिल जाती तो हमें राजस्थान नहर का काम आगे बढ़ाने में इससे काफी मदद मिल सकती थी। तो एक तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण करें कि आपने इस बारे में क्या क्या प्रयास किये हैं। हमारी जहां तक जानकारी है, ऐसा लगता है, दूसरे राज्यों में वे ले जाये गये, पर राजस्थान ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पोंग डेम का पानी का बटवारा ७२ में होने वाला है। पाकिस्तान को बन्द किया जाकर वह पानी हमें मिलने वाला है।

(३.२५ म.प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

पर जिस गति से हम राजस्थान नहर का निर्माण कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि वह २५।३० साल में भी पूरी नहीं होगी। तो ७२ में जब पोंग डेम के पानी का बंटवारा होगा तो हमारी तैयारी नहीं होने से हम अपना हिस्सा नहीं ले पावेंगे और हरियाणा और पंजाब वह पानी ले जावेंगे और जब एक बार पानी का बंटवारा हो चुका होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी उसमें से हिस्सा लेना। इसका मतलब यह होगा कि २५।३० साल बाद हम इसे जब तैयार करेंगे पूरा तो हमें पूरा पानी इसमें नहीं मिलेगा। तो जब पाकिस्तान का पानी बन्द होगा और उस पानी के उपयोग करने की बात हमारे सामने आवेगी तो हम किस तरह से उसका क्या कर सकेंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे सामने आज है। तो जब तक इस समस्या को हल करने के लिये राजस्थान के मुख्यमन्त्रीजी पूरी ताकत नहीं लगावेंगे यह सवाल हल नहीं हो सकता।

जब हमारे यहां हर साल अकाल पड़ते जा रहे हैं तो उस अकाल की समस्या से लड़ने के लिए सबसे बड़ा कोई साधन हमारे पास होना चाहिये तो वह यह राजस्थान नहर हो सकता है। इन पिछले वर्षों में हम इस अकाल की विभीषिका से लड़ने के लिये सत्तर अस्सी करोड़ के करीब रुपया लगा चुके हैं। अगर यह रकम योजनाबद्ध तरीके से इस राजस्थान नहर के निर्माण में हमने लगाई होती और अकालग्रस्त लोगों को हमने उधर काम दिया होता तो इससे दोहरा लाभ होता।

इसके साथ साथ दुःख के साथ कहना चाहती हूं कि राजनैतिक कार्यकर्ता भी अगर राजस्थान नहर के निर्माण में सक्रिय होते तो आज हाल हम किसी न किसी रूप में इसके निर्माण को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते थे और इस तरह जब आज फेमीन में सहायक कार्यों के लिए करोड़ों रु. खर्च

# Page No 105



(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

किया जा रहा है उसके बदले में अगर हम लोगों ने थोड़ा कष्ट किया होता और चेष्टा की होती कि अलग अलग काम नहीं चलाये जाकर भिन्न भिन्न स्थानों के लोगों को वहां ले जाकर राजस्थान नहर क्षेत्र में काम पर लगाया होता तो आज यह करोड़ों रुपयों का खर्चा बड़ा सार्थक बन जाता और उसका रिटर्न हमें मिलने की जल्दी सम्भावना बन जाती, नहर काफी आगे बन चुकी होती।

आज इन करोड़ों रुपयों का क्या हो रहा है ? केवल जगह जगह मिट्टी डाली जा रही है अकाल के कामों में रोजगार देने के दृष्टिकोण से केवल, उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकल रहा है। वह पैसा सार्थक नहीं हो रहा है। यह मैं मानूंगी कि जो विधायक हैं, जो राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, उनकी इसमें अधिकाधिक जिम्मेदारी आती है। हमने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं विशेष समय आपका न लेकर दो मिनिट में माइनर इरिगेशन के लिये कुछ निवेदन करूंगी। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं उनकी नहरों के पानी का मिसयूज बहुत होता है। कभी बहकर वह पानी बाहर जाता है, उसकी नालियां टूट जाती हैं और काफी पानी बेकार चला जाता है। इससे दो तरह से नुकसान होता है। एक तो यह पानी खराब होता है, दूसरा यह कि जहां नालियां टूटकर पानी बहता रहता है वहां सीपेज होता है और इससे आसपास की जमीन ऊसर हो जाती है। इससे काफी खेती की फसल नष्ट हो जाती है। इसलिये जितने तालाब हैं और जितनी नालियां उनमें से निकली है उनकी लाइनिंग का काम पहले हाथ में लिया जावे और यह भी अफसोस की बात है कि अकाल में जो काम किया जा रहा है उसमें पक्के काम भी हाथ में लिये जा रहे हैं पर तालाब की नहरों की लाइनिंग का जहां तक सवाल है उन्हें अकाल के राहत कामों में शामिल नहीं किया गया है। इससे सम्भव है कि अकाल ये बहुत कम लोगों को काम मिल पाता हो; पर इसमें लगा हुआ पैसा सफल और सार्थक अवश्य होगा यह मेरा सुझाव है कि इन कामों को भी तुरन्त इन अकाल राहत कामों में शामिल किया जावे।

सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में, अपने क्षेत्र के छोटे से कामों के लिये भी मै मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहूँगी। छत्री नाम के तालाब को पहले ८० हजार रुपया दिया था इसमें कुछ काम हो चुका है लेकिन फण्ड्स की वजह से अधूरा काम पड़ा है इसलिए मैं आशा करती हूँ कि थोड़ी सी रकम के लिए अधूरे पड़े हुए तालाब को नहीं रखा जाये और दस, बीस हजार रुपये की कमी है उसको देकर इस तालाब को पूरा करा दिया जाये।

**श्री सभापति** : श्री मोहनलाल मोदी।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। राजस्थान सरकार ने इस सिंचाई की तरफ काफी

(श्री मोहनलाल मोदी)

ध्यान दिया है और जगह जगह बांध बनवाये हैं, काफी लम्बी नहरें बनवाई हैं और इससे काफी जमीन में सिंचाई होने लगी है। यह एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है जिससे देश की और राजस्थान की काफी प्रगति होने की सम्भावना है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी पहाड़ी इलाका है और उस इलाके में काफी छोटे छोटे बांधों की योजनायें बन सकती हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, श्यामपुर विहार बांध है जिसकी सेंक्शन मेरे ख्याल से तीन—चार साल पहले हो चुकी है और हर साल २,६२,००० रुपये की सेंक्शन बजट में आ जाती है लेकिन काम नहीं होता है। उसके अन्दर पहले काम चालू हुआ और चालू होने के बाद ठेकेदारों की लापरवाही से या किसी गलत कारण से वह काम बन्द हो गया। उसका मुख्य कारण यह बताया कि वेस्टवेयर के नीचे कोई पक्की सतह नहीं मिली। तो मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ कि पास में ही उस पहाड़ी का छोटा सा हिस्सा है और दोनों तरफ पहाड़ी भी है वहां पक्की जगह नहीं मिले मैं इसको नहीं मानता। हो सकता है उन्होंने गलती से दो—चार फीट हटकर जमीन खोदी हो तो दुबारा उसकी दो-चार फीट के फासले पर जमीन खोदी जाय तो जरूर पक्की जमीन मिल सकती है। अतः उसका दुबारा काम चालू करें या उसका डिजाइन दूसरा बनायें जिससे यह काम हो सके।

इसी क्षेत्र में छोटे छोटे बांध बनाने से बहुत सा एरिया सिंचाई के योग्य हो जायेगा। एक बिहारीपुर बांध है जो १४ लाख की लागत का है उसकी सर्वे हो चुकी है। मैं निवेदन करूं कि उसका बनवाने का काम करें। वहाँ इस क्षेत्र में बहुत सी योजनायें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रायपुर जागीर है, माकड़ी है, मावडा खुर्द है, भागेगा है, हरीपुरा है मीना का नांगल है, राणासर है—इन सब का पंचायत समिति द्वारा सर्वे हो चुका है और इन छोटे छोटे बांधों के बन जाने से इस क्षेत्र में काफी पैदावार बढ़ेगी और काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि रायपुर पाटन बांध तैयार हो गया और उसके नीचे जिनकी जमीन और मकान आये हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है। इसकी तरफ ध्यान देकर जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

भूदोली बांध है उसके पास कीरों की ढाणी कहलाती है। बाढ़ के समय में उस ढानी के चारों तरफ पानी आ गया और वे खाली करवानी पड़ी और फिर लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसमें माननीय मंत्री महोदय कार्यवाही करें। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण सीकर जिले में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। जैसे खण्डेला के अन्दर बहुत से आदमियों की मृत्यु हो गयी और बाढ़ से इतना पानी आया कि बहुत से लोगों की मृत्यु हुई और वहां पर माननीय मुख्यमंत्रीजी भी गये थे और सारे सदस्य मंत्री मण्डल के गये थे और उन्होंने देखा था। उस समय आश्वासन भी दिया था कि इस पानी

( श्री मोहनलाल मोदी )

को रोका जायेगा और उसके ऊपर बांध बनाया जायेगा और सर्वे हो चुका है। फिर बारिश होने वाली है, अगर यही धीमी गति से काम रहा तो मैं समझता हूँ कि आने वाली बरसात में भी गांवों को नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ में एक बाय गांव है और गोवटी गांव है दाता रामगढ़ तहसील में वह नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर वहां बांध नहीं बनाया तो काफी खतरा है। यहां पिछली बरसात से भी बहुत नुकसान हुआ है और आने वाले समय में भी उससे नुकसान होगा। यहां कोई एक हजार एकड़ जमीन में ६-६ और ७-७ फुट मिट्टी आ गयी और ३० कुए मिट्टी में दब गये जिससे करीब ३० परिवारों को नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसके नजदीक बांध बनाने की आवश्यकता है और उसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही करें।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो भी योजनायें बनाई जायें वह ठोस योजनायें बनाई जायें। जैसा अभी माननीय हंसराज जी ने कहा कि नहर खोदी गयी और वह पड़ी है। इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि हमारे पास पहले ही धन की कमी है। पहले योजना बनायें और फिर पड़ी रहे और फिर उसको चेन्ज कर दें तो जो खर्चा हो गया उसका भारी नुकसान होता है। मैं ऐसी ही मिसाल देना चाहता हूँ कि अन्न की पैदावार के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है और जहां बिजली पहुंच जाये वहां अन्न की पैदावार बढ़ सकती है। हमारी राज्य सरकार की किस प्रकार की योजना है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक वाल मुकन्दपुरा गांव है सांगानेर तहसील में जहां हमारे अमृतलाल जी यादव का कुआ है। उनके कुए पर बिजली देने के लिए ११ मील लम्बी लाइन ले जाई गयी। इसमें सन् ६८ तक सिर्फ एक कनेक्शन है और वह ११ मील लम्बी लाइन डाली गई। पहले तो वह ११ के० वी० की थी और फिर उसको ३३ के० वी० की लाइन में बढ़ा दी गई है। अब आप देखिये कि ऐसी योजना बनायें लेकिन एक कनेक्शन के लिए ११ मील लम्बी लाइन ले जाई जाये यह कहां तक शोभाजनक बात है मैं कहूंगा कि सिंचाई के साधनों में बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा कि विद्युत मन्त्री जी से आप बैठकर ऐसा नक्शा बनायें कि आज किस क्षेत्र में कितनी बिजली देने से पैदावार बढ़ सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गांवों में जिनके लिए मैंने निवेदन किया है उनकी तरफ ध्यान दिया जाकर और आने वाली बरसात के महीनों को देखते हुए काम करायें। नीम के थाने में अभी २०-२५ गांवों में ओलावृष्टि हो गई। उससे बहुत से लोगों की फसल नष्ट हो गई और ऐसी फसल नष्ट हुई है जैसे परोसी हुई थाली किसी से छीन ली जाये।

दो मिनट में ही समाप्त करता हूँ। ऐसी किसानों की हालत हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में अकाल मन्त्री जी से बात करके और विद्युत मन्त्री जी से बात करके बिजली देने की व्यवस्था करें। अकाल मंत्री जी से बात करके उनको

( श्री मोहनलाल मोदी )

सिचाई के साधन उपलब्ध करायें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करूंगा ।

अभी १७० लाख रुपया बाढ़ के अन्दर क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में खर्च हुआ लेकिन सीकर में कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि खण्डेला के अन्दर जैसा हुआ और जिसके लिए मैंने कहा उसकी तरफ शीघ्र ध्यान देकर कार्यवाही करें।

**श्री सभापति :** श्री पृथ्वीराज

**श्री सभापति :** माननीय श्री पृथ्वी राजजी !

**श्री पृथ्वीराज** (बामनवास) : सभापति महोदय, सवाईमाधोपुर एक ऐसा जिला है जिसमें डूंगर-डूंगर नहीं है और खुली जमीन है और सरकार उस जिले की तरफ तवज्जह नहीं दे रही है एक मोरल बान्ध बना था वह ऐसा बन्धा था कि बांध नीचे गांवों की जमीन सूखी पड़ी रहती है और पानी नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी हालत में वहां पर पम्प लगा दें क्योंकि बन्धे में पानी कम है, पानी की कोई कमी नहीं है।

आगे दूसरा बन्धा है ककाड़ा का उसमें भी जो ऊपर के आदमी हैं वे पानी ले लेते हैं और जो टेल के आदमी हैं उन गांवों का पानी नहीं पहुँचता है। वे लोग नहरों को तोड़ देते हैं और उसकी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है।

तीसरी बात यह है कि मोरल सागर का जो बन्धा है उस मोरलसागर के बन्धे में १८ फीट पानी का भराव रहता है उससे २५ गांवों की सिचाई हमेशा आसानी से होती है, लेकिन एस० के० साहब कहते हैं कि १० गांवों से आगे पानी नहीं ले जा सके हैं। जो उसके नीचे के गांव हैं वे पानी ले लेते हैं और टीलों तक पानी नहीं जाता है। उन गांवों में कहतसाली होती है तो भी इस वजह से उनको सहायता नहीं मिलती है। मेरा अर्ज यह है कि मोरल सागर बन्ध की नहर को बढ़ा दिया जाय तो हम लोगों के यहाँ जो बामनवास के आस-पास के गांव हैं उनमें भी सिचाई हो सकती है। मुरे बन्ध में काफी पानी भरा हुआ है और सिचाई दो-तीन बार होती है। एक नहर बासोती, बखेड़ा, जाजोरिया, पटेवरा और गदला ये गांव हैं जिनमें टेल से पिलाई हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे बामनवास की दो पट्टियां हैं तो एक पट्टी में तो बन्ध मोरलसागर का पानी आ जाता है और दूसरी पट्टी में हजारों बीघा जमीन सूखी पड़ी रहती है। इसलिए गवर्नमेन्ट का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि टेल पर पानी पहुँचाया जाय निश्चय के मुताबिक, और उसका फाल है वह ऊबला गांव ले लेता है। हमारे इलाके माधोपुर में पाछना नदी आती हैं। उस नदी को अगर गवर्नमेंट बांध दे तो कई गांवों को फायदा हो जाता है। करोली तहसील को और महुवा मंडावा तहसील को फायदा हो सकता है और माधोपुर में मंडावा, टोडा, नाडौती इन तहसीलों को फायदा हो सकता है। तीन साल पहले इनमें बड़ी कहतसाली थी

(श्री पृथ्वीराज)

और इस साल भी कहतसाली हो रही है। कई गांवों में तो ५–५ मील से पानी लाते हैं। सरकार को कई साल कहते हुए हो गये वहां पर ट्यूब वैल बनाकर दे दें तो काम चल सकता है। हमारी जमीन में पानी है कि नहीं यह देखना है। अगर पानी निकल जाय तो सरकार का जो पैसा लगेगा वह हम लोगों, किसानों से ले लिया जाय, लेकिन हमको ट्यूबवैल बना दिया जाय। अगर पानी मिल जाय तो पैसा हम दे देंगे और पानी नहीं निकले तो गवर्नमेंट देवे। ६–६ मील से पानी लाते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** सभापति महोदय,....

**श्री सभापति :** माननीय श्री बनवारी लाल।

**श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :** सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखकर सिंचाई विभाग के बारे में अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में बताया है। सिंचाई विभाग द्वारा जो सम्पूर्ण राजस्थान के कार्य की प्रगति होना चाहिये और विकास होना चाहिये उसको हम देखते हैं तो इसमें सन्देह नहीं है कि सिंचाई विभाग द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान के डेवलपमेंट और कान्स्ट्रक्टिव वर्क जो किए जा रहे हैं इसलिए सिंचाई विभाग का मैं आभारी हूँ, और खास तौर से माननीय सिंचाई मन्त्री का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने भरतपुर जिले में जब बाढ़ आई थी तो वहां पर इस विभाग ने वहां की जनता को बड़ी राहत पहुँचाई। कई बार माननीय मन्त्री जी गये स्वयं मौके पर जाकर मुआयना किया और जनता की तकलीफों को सुना और दूर किया। इसके लिए सम्माननीय मन्त्रीजी का आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ।

खास तौर से यहां पर कहते हुए माननीय सदस्यों की यह भावना रहती है कि मन्त्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन माननीय नाहर साहब जो भीलवाड़े से अभी आये हैं और हमारे सिंचाई मन्त्रीजी भी भीलवाड़े से हैं उन्होंने यह बताया है और पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उससे हम इस बात को महसूस करते हैं और मेरी राय यही है कि मन्त्री जी ने अपने क्षेत्र में विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया है अदरवाइज होता यह है कि हर मिनिस्टर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, और नाहर साहब के डेटाज से यह महसूस होता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है और पूरे राजस्थान में कान्स्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिये।

अब मेरे क्षेत्र के बारे में माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा माननीय मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि जो पंचायत समितियों को तालाब दे रखे हैं उनको वापस इरिगेशन डिपार्टमेंट में ले लिया जाय, और उनको मेन्टेन करके, उनके ऊपर खर्चा करके, उनको उपयोग में लाया जाय ताकि ज्यादा से

(श्री बनवारी लाल)

ज्यादा सिंचाई कर सकें। और अगर और जगहों के नहीं लेने हैं तो खास तौर से निवेदन करूंगा कि धौलपुर के सब डिवीजन तालाबों को ले लिया जाय क्योंकि वहां की पंचायत समितिके पास इतने फण्ड्स नहीं है कि उन पर खर्च कर सकें।

**श्री मूलचन्द डागा :** धौलपुर जिला तो है ही नहीं।

**श्री बनवारी लाल :** जिला वहां पर अवश्य बनेगा और बन जायगा।

दूसरा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बुघपुर और पटेवरा के तालाब को मिलाकर १९५६ में राहत कार्य की स्कीम बनाई गई थी। उसका सर्वे हो चुका है और एस्टीमेट भी बन चुका है, लेकिन स्कीम का सर्वे कराने के बाद में उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। वह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा बहुत सी जमीन पर इर्रिगेशन हो सकती है। तो मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि यह कोई लम्बी चौड़ी स्कीम नहीं है और केवल दो-तीन लाख की स्कीम है और सारा सर्वे हुआ पड़ा है इसकी सेन्क्शन कराकर जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें।

दूसरा मैं मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि रामसागर का बन्धा है जो कि स्टेट टाइम का बन्धा है। उससे काफी अच्छी इर्रिगेशन होती है, लेकिन फिर भी वहां पर पानी का भराव कम होने की वजह से उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि उस बन्धे को चार फीट ऊंचा करके पानी के भराव को ज्यादा करके उसमें से जो नहरें निकली हुई हैं उनका एक्स्टेन्शन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा देना है। यह मेरा निवेदन है।

तीसरी बात यह है कि विलमगा ताल पानी से भरा रहता है लेकिन वह इर्रिगेशन के काम में नहीं आता है तो उर्मिला सागर से एक नहर विलमगा ताल में लाकर डाली जाय तो उस ताल का उपयोग हो सकेगा और विलमगा की नहर को उर्मिला सागर वाली नहर से मिलाई जाय तो उस तालाब का उपयोग कर सकेंगे, और जो लोग पानी की सिंचाई से वंचित रह जाते हैं उसका उनको फायदा हो सके।

इसी प्रकार से उड़ेला, पटेवरा, नरपुरा और पावटा के छोटे छोटे तालाब हैं इनकी थोड़ी बहुत मरम्मत कराके उनका भी उपयोग कराना चाहिए।

चौथी बात मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि वहां जिस समय वर्षा कम होती है और पानी का भराव कम होता है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है लेकिन फिर भी लोग-बाग पानी वेस्ट ज्यादा करते हैं और अधिकारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। उनका चालान करते हैं तो एस०डी०ओ० के पास पहले ही काम बहुत होता है तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इसको कन्ट्रोल करने के लिए

( श्री बनवारी लाल )

अलग से व्यवस्था करने के लिये अलग से मजिस्ट्रेट अपाइन्ट करें ताकि विभाग को परेशानी न हो और उनको हटाने में दिक्कत नहीं आये।

पांचवी बात यह है कि सिंचाई के लिहाज से सर्वे कराया जाय और वहां के कस्बों को जितना फायदा दिला सकें दिलाने की कृपा करें।

छठी बात एक जरुरी निवेदन करना है कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है पी०डबलू०डी० विभाग में २० पर्सेंट कमीशन प्राप्त करते हैं, लेकिन इस विभाग के बारे में मेरी थोड़ी-बहुत जानकारी है कि सिर्फ ५ पर्सेन्ट तक ही कमीशन लेते हैं। तो पी० डबलू०डी० विभाग को सिंचाई विभाग से सीखना चाहिए, जिससे कि सभी माननीय सदस्य उसकी तारीफ करें। ऐसे कन्स्ट्रक्टिव कार्य करें ताकि सिंचाई विभाग की तरह वह भी पापुलर हो सके।

**श्री देवेन्द्र कुमार** (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, (विराम) जो आज की डिमांड हमारे सामने है, बड़े महत्व की है। उदयपुर एक ऐसा जिला है जो कि

**एक माननीय सदस्य** : जहां के मुख्य-मन्त्री है।

**श्री देवेन्द्रकुमार** : जो कि पहाड़ी एरिया है। और वहां पर कई बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। उस पहाड़ी एरिया में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासियों के पास न ही इतनी जमीन है। जो कुछ समतल है, वहीं खेती होती है। वह एरिया पहाड़ों के बीच में है। छोटे छोटे टुकड़ों में है। जहां जहां नदियां बहती हैं, वहां नालों में कुए हैं। बान्धों से कुओं में सहेजा रहेगी जिससे उनकी सिंचाई होगी तो उन किसानों को छोटे छोटे टुकड़ों से काफी फायदा हो सकता है। अच्छा अनाज पैदा कर सकते हैं। कोटड़ा तहसील और गोगूंदा तहसील जो मेरे क्षेत्र में है। मैं माननीय मन्त्री जी को यह बधाई दे सकता हूँ कि वहां पर जो नागेश्वा टेंक है, वहां पर काम चल रहा है। लेकिन जैसा काम चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये। उनके पास ही ब्राह्मणों का कलवाना है, जिसकी सर्वे हो गई है। उसका नक्शा पास हो गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद करता हूं कि उस टेंक को आपने बनवाया। गोगुन्दा की जमीन बहुत उपजाऊ हैं। उस टेंक से पानी मिल सकता है। पानी मिलने से उस जमीन में गन्ना ज्यादा पैदा होता है। गन्ना और गेहूं से किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाये। जहां सिंचाई के साधन नहीं है, वहां छोटे छोटे डैम बना दिये जायें तो फायदा हो सकता है। कोटड़ा ऐसी जगह है जहां २५ हजार रु० से एक तालाब बन सकता है। पंचायत समिति के पास इतना रुपया नहीं है। रुपया है तो उतने रुपये से तालाब का काम नहीं हो सकता है। बरसात होने पर ऐसा बांध टूट जाता है और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासी एरिया में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि यह सदियों से

(श्री देवेन्द्र कुमार)

पिछड़े हुए हैं। ताकि वह आदिवासी छोटे छोटे टुकड़ों से कुओं के सहज से ज्यादा फायदा कर सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इन आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जहां बड़ी नदियां हैं, उनके बांध बनवाये जायें। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

**श्री सभापति :** श्री देवीलाल।

**श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसे तालाब हैं जो कि टूटे पड़े हैं। उन तालाबों को बनवाया जाये। अगर उनको बनवा दिया जाये तो काफी भूमि सिंचित हो सकती है। हमारे क्षेत्र में एक तालाब जो कि जागीरदार का है। गये साल उसका तखमीना बनाया है। मेरा ख्याल है, सैलवास का तालाब है। जो जागीरदार के द्वारा बनवाया हुआ है। उसमें एक हिस्से की पाल टूट जाने से पानी अब रहता नहीं है। फिलहाल एक लाख रु० लगाकर अगर उसको बना दिया जाये तो उससे २-३ हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। उसका सर्वे हो चुका है। सिंचाई सर्वेक्षण विभाग ने मेरा ख्याल है, डाइरेक्टर साहब के पास भेज दिया है। तीसरी एक योजना ऐसी है, जो लाटीयामाली डायायोजना के नाम से सर्वे किया गया है। जो रेलां और पलेदडा ग्राम के पास हैं। उसका सर्वे हो चुका है। उसका तखमीना पूरा बन गया है या नहीं, यह मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन सर्वे हो चुकी है। नक्शा बन चुका है। उसको भी बनवाया जाये। तो उससे ३० गांवों को फायदा होगा। और गांवों में अकाल ग्रस्त घोषित होता है तो इससे काफी एरियां सिंचित होगा। इससे जो गांव अकाल में आते हैं, वह समस्या दूर हो जाएगी। तीसरे हमारे यहां सोम नदी आती है उस पर मैंने कई बार बताया भौराई गांव के पास नौहा का नाका नाम से वह प्रसिद्ध है। उसको बनाने से, उसको अगर १०-१५ फुट ऊंचा कर दिया जाये तो सराड़ा तहसील-

(४ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

में पानी पहुँच सकता है। उधर आदिवासियों की जमीन सिंचित हो सकती है। डूंगरपुर के कई आदमी उसमें दिलचस्पी रखते हैं। मैं भी रखता हूँ। इस से सराड़ा तहसील की जनता को फायदा हो सकता है। दूसरे जो बरसात की नदी बहती है जो गिरवा तहसील के पहाड़ों से बहकर आती है जब तक वह हमारे क्षेत्र में रहा तब तक मैं भी प्रयत्नशील रहा। बिलकपाल काफी सूखा क्षेत्र है। यह आदिवासियों की बस्ती हैं। करीब एक हजार घरों की बस्ती है। जिसमें पानी का कोई साधन नहीं है। इसमें कुड़ी खाबड़ा के पास हमने सर्वे इंजीनियर साहब को बताया है। यहां बिलकपाल के पास है। यहां अकाल की समस्या है। बहुत लोग पीड़ित रहते हैं। उनके पास और कोई धन्धा नहीं है। यह बांध बनने से रिखबदेव जी के आस पास तक फायदा हो सकता है।

(श्री देवीलाल)

तीसरा यह है कि खेरवाड़ा तहसील का मसला है, जिसकी सन् १९५२ में सर्वे कराई थी। जो अवास का नावा है, और जो टारवा का नाका है, उसके लिए कहते हैं कि सर्वे हो चुकी है। उसकी बहुत बड़ी योजना बनने को थी, पर वह योजना नहीं बन पाई है। क्या मालूम इसके कागज कहां पड़े हैं। इससे खेरवाड़ा तहसील के कई गांवों को फायदा पहुंच सकता है।

एक दूसरा नाका बताया था, महैया की चौकी का। इस महैया की चौकी की सर्वे कर बनाये जाने से काफी फायदा हो सकता है लेकिन इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग की ओर से क्या मालूम, सर्वे विभाग की ओर से क्या टेक्निकल अड़चन है। यह जो आदिवासी क्षेत्र है यह हमेशा के लिए पिछड़ा हुआ तब तक रहेगा जब तक कि वहां की जमीनों में पानी नहीं होगा। वैसे राज्य सरकार ने इस ओर काफी ध्यान दिया है। गोमती नदी में ऊंटी के नाके में बांध बनने से जो गांव अकाल पीड़ित रहते हैं उनको फायदा होगा और कुछ खेती की सिंचाई करने से काफी फायदा होगा। अगर यहां दो चार योजनायें बन जायं तो काफी एरिया अकाल से मुक्त हो जायगा, नहीं तो इस एरिया में अकाल रहेगा। सराड़ा में जो बांध है, उससे सिंचाई होती है। क्योंकि सूखा है इसलिए इतना साधन नहीं है कि बीस गांवों की सिंचाई हो सके। यह बांध अच्छा हो सकता है। वह ऐसा बांध नहीं है जो कि पंचायत समिति के द्वारा बनवाया जा सके क्योंकि छोटी योजनायें ही पंचायत समिति के अन्तर्गत आती है। वैसे यह योजनायें ऐसी हैं जो कि पंचायत समिति अगर बना सके तो बना सकती है लेकिन आज पंचायत समिति के पास पैसा नहीं होने की वजह से नहीं बना पाती है। मैं गत वर्ष पंचायत समिति के इन्जीनियर और ओवरसियर को ले गया था। उनका कहना था कि जिन योजनाओं में पच्चीस हजार का खर्चा लगता है। वो योजना बना सकते हैं पचास हजार रु० लगते है या लाख रु० लगते है उन योजनाओं को हम योजना में नहीं ले सकते, सिंचाई विभाग वाले उनका सर्वे नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि यदि योजना दो लाख, चार लाख की हो तो हम ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि छोटी योजनाओं का सर्वे करके इन्हें भी राज्य सरकार को अपने प्लान में लेना चाहिए और उसके तहत ऐसी योजनायें भी बनाई जानी चाहिए जिनसे पचास एकड़, पच्चीस एकड़ या तीस एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में आप जानते हैं कि छोटी योजना जब तक नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी योजना वहां पर काम में नहीं आती है क्योंकि वहां पर अधिक भूमि नहीं है। आपने बड़ी योजनायें बनाने के लिए तो उनका सर्वे करा लिया है लेकिन जो छोटी योजनायें हैं वह पंचायत समिति के अन्तर्गत चलती हैं। मेरा निवेदन है कि पचास हजार की योजना पर कम खर्च करना तो उसके अधिकार पंजायत समिति को दिये जाय, साथ ही उसके लिए रकम भी दी जाय तो वह योजना पूरी हो सकती है, नहीं तो ऐसी योजनाओं को सिंचाई विभाग के अन्त-

Page No 114



(श्री देवीलाल)

गंत लिया जाय और पचास हजार की योजना को भी सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जाय।

मेरे क्षेत्र में एक गोमती नदी है, उसकी ऊंटी के नाके की सर्वे इन्जीनियरों द्वारा होना बाकी है। इसकी ओर से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरे जो गोमती नदी है, इसकी ऊंटी के नाके की सर्वे करा कर वहां पर एक पिकपवेयर बनाया जाय। आज उसके नीचे ऐसे गाँव है, जो सूखे पड़े रहते हैं। वहां पर आदिवासियों की आबादी है, इटाली पाल जिनके वरों में आज आपको खाने तक को नहीं मिलेगा। ऐसी हालत कई गांवों की है जिनको उन सिंचाई योजनाओं से पानी मिल सकता है और वह अपनी जमीन में काफी पैदावार कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इन तहसीलों के सम्बन्ध में जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ध्यान दें। वैसे में यह भी कहता हूं कि राज्य सरकार ने काफी सिंचाई की योजनाओं पर ध्यान दिया है लेकिन जहां पर एरिया सूखा पड़ा है, वहां पर सिंचाई का कुछ प्रबन्ध करने को निवेदन करता हूं। इतना कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब भाषण की समय-सीमा सोच से सात मिनिट होगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा साढ़े चार बजे।

**श्री जगन्नाथ :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत दिन हो गये, कटौती प्रस्तावों पर बोलने का समय नहीं मिला है....

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री जगन्नाथ।

**श्री जगन्नाथ :** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव इस मांग पर दिये है यह माँग या विषय ऐसा है कि इसमें जिस मंत्री के द्वारा काम अच्छा होता है उसको तमाम दुनिया याद करती है। हमारे सिंचाई मंत्री महोदय हैं उनको भी ईश्वर ने, मुख्य मंत्रीजी ने मंत्रीमण्डल में ऐसा पद दिया है जैसा राजा इन्द्र का है, और जैसा इनका नाम है, वैसे ही सरल स्वभाव के हैं और जो इनके पास जाता है उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष :** अब काम की बात शुरू कर दें।

**श्री जगन्नाथ :** मेरे क्षेत्र की जो बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को निवेदन करता हूं और आशा करता हूं वह मेरी मांग को स्वीकार करेंगे।

टोंक जिले के अन्दर सिंचाई के साधनों में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन, उपाध्यक्ष जी, जिसकी थाली में आये वही परोसा, उसी का पेट भरता है दूसरे का नहीं भरता है। टोडा तहसील के अन्दर एक समेरा बांध सरवाडा के पास बनाना शुरु हुआ था। लेकिन वहां पर जो लखाडिया बांध बना है उससे फायदा नहीं हुआ। यहां पर जो ढाई नदी है, इसका बांध समेरा के पास बना दें तो पांच तहसीलों को फायदा होगा। सरवाडा के उत्तरी हिस्से, केकड़ी के उत्तरी हिस्सा, देवली के पश्चिमी हिस्से, टोड़ा तहसील के पूरे हिस्से और

(श्री जगन्नाथ)

मालपुरा के एक बटा दो और टोंक के चौथाई हिस्से को फायदा होगा। इस बांध को बाबत में पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि इस बाँध को बना दिया जाय। हमने सुना था कि पचपन लाख की योजना मंजूरी के लिए प्लानिंग कमीशन के पास भेजी हुई है लेकिन मैंने यह मंत्री महोदय के मुखारविन्द से बात नहीं सुनी। मैं यह आशा करता हूँ कि १९६९-७० के बजट के अन्दर इस योजना को रख कर, मंजूरी करके इसका काम शुरु करवायें, इससे काफी फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय मालपुरा की तहसील के अन्दर एक टोडली सागर है, जिसके अन्दर २१ फीट १६ इंच भराई पिछले साल हुई थी, और इस साल २१ फीट ६ इंच भराई हुई है, इससे आधे क्षेत्र की भी पिलाई नहीं होती है, क्योंकि यह बांध विक्रम सात १९२५ में बना था, और १९४० के साल में इसकी मोरी टूटी थी, अगर इसका हिसाब लगायें तो इसको ८५ वर्ष के आस पास हो गये हैं, इसका जो केचमेंट एरिया है उसके अन्दर काफी बान्ध बन गये हैं, और काश्तकारों ने नाले बना लिये हैं इससे इसकी आव बन्द हो गई है और इसमें अब पानी नहीं आता है और टोडा क्षेत्र की जिन तहसीलों का मैंने नाम लिया है उनमें सिंचाई नहीं होती है। इस क्षेत्र के अन्दर यह समेरा का बांध बन आय तो काफी जमीन की सिचाई इन पांच तहसीलों के अन्दर होगी। यह एरिया पूरे एरिया को कमाण्ड कर लेगा और पाचों तहसीलों का भला होगा।

एक अर्ज और है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी जल्दी निवेदन कर दूं, पहले भी नदी बनास के बारे में मैंने निवेदन किया था। लेकिन उसमें काफी खर्च होगा, इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि बिसलपुर बांध बना दिया जाय, इसमें कोई ज्यादा गांव नहीं डुबेगें। बनास में इतना पानी आता है कि जब इस नदी के अन्दर बाढ़ आई तो उससे ५४५ एकड़ भमि और फसल का नुकसान हुआ, लेकिन चल और अचल सम्पत्ति का नुकसान नहीं हुआ। इस बांध के बनने से बिजली कई किलोवाट पैदा हो जायगी और टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर तक इसके पानी की सप्लाई हो सकेगी। इसकी नहर की रूड रेखा बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सिचाई मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि इस विषय में मैंने कटौती प्रस्ताव नहीं रक्खा है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दें, बाकी इसके ऊपर भी विचार करके इसकी रूप रेखा बनाने की कृपा करें। एक देवली तहसील के अन्दर आकोडिया बांध है जिस पर पचास हजार का काम हुआ है। एक किसान की भूमि इसके अन्दर आती है वकालत के नाते वकील लोग लड़ा लड़ा कर उस बांध को रोक दिया है। जिससे कम से कम १५ गांव तहसील देवली के आयी हुई जमीन की सिंचाई हो सकती है लेकिन आज वहां अकाल है जैसा अकाल बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय जब टोंक से जहाजपुर पधारे थे मोटर में जाते हुए मैंने उनसे निवेदन किया था आकोड़िया बांध बना दिया जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

बनास नदी के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर बांध बनाना बड़ा आसान

(श्री जगन्नाथ)

काम है। गुजरात के अन्दर माही नदी पर कडाणा का बांध बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई कम कर दी जाय और उधर से जो पैसा बचे वह पैसा बनास नदी पर लगा दिया जाय इससे आदिवासी भी बच जायेंगे और हमारा काम भी हो जायगा।

देवली तहसील में मोती डूंगरी बांध है यह काफी पुराना है जिसकी ऊंचाई पांच फीट और कर दी मैं माननीय मन्त्री को धन्यवाद दूंगा कि उस बांध से अच्छी पिलाई हो रही है इस बांध ने अकाल का सिर तोड़ दिया है। जिस क्षेत्र का मैं हूँ मुझे ६६ वर्ष लग गया काल का मुंह नहीं देखा इतने सालों में। उसमें पानी काफी हो गया हैं।

उपाध्यक्षजी, मोतीसागर में बाईस फीट की भराई हो जाय वहां बहुत पानी आता है जो बेकार जाता है उसको पांच फुट चढ़ा दिया जाय और एक नहर पूर्व से निकाल दी जाय। और तीन मील की दूरी पर जाकर जारटा बांध में गिरा दिया जाय उससे पानी काफी आ जायगा। उससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो जायगी, और इससे खाद्य समस्या का भी हल हो जायगा। मोती सागर बान्ध में एक खामी है जिस जगह मोती सागर पानी का कमाण्ड करता है, उसके दो मील तक मुड़ा है। उसमें से पानी रिसता है उस नहर से पश्चिम में जो काश्तकार के खेत है उनकी फसल नष्ट हो जाती है, पानी बेकार हो जाता है। इसलिये नीचे सीमेन्ट कान्क्रीट बिछा दी जाय डेढ़ मील तक बीछा दी जाय तो डेढ़ मील तक जो पानी जाया होता है वह बच जायगा। अब मैं बिजली मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ सिंचाई मन्त्रीजी उनको कह दें आज उनको मांग नहीं है फिर भी उनसे कह दे बनास नदी पर बान्ध बन जायगा तो आस-पास सात तहसीलें हैं तो उस तहसील वालों का भला हो जायगा। इसकी सर्वे हुई है दो तीन साल हो गये पास में खम्भा भी लगा हुआ है जो सवाई माधोपुर टोंक होते हुए टोडा को गया हुआ है। वहां पर बान्ध बनाया जायगा तो दो तीन गांवों पानी पहुँच जायगा खाद्य समस्या हल हो जायगी इसलिये आप मेरी मांग को स्वीकार करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री विद्यासागर।

**श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४३ में मेरे भी तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, खेरवाड़ा तहसील जिला उदयपुर में यह पहाड़ी इलाका है वैसे देखा जाय तो हमारे यहां बड़ी योजनायें नहीं बन सकती हैं। जब अकाल की स्थिति आती है राज्य सरकार छोटे मोटे तालाब बनाती है मैं इस कट मोशन के जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि तहसील खेरवाड़ा के अन्दर बैराटी नाम का नाका है यह तहसील में सबसे बड़ा नाका है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान देवे तथा सरकार सर्वे कराकर इस पर तालाब बना देवे तो इसके आसपास के जो गांव है, उन गांवों की जमीन पीवल हो सकती है।

दूसरा मेरा कट मोशन है हुकड़िया, सोम

(श्री विद्यासागर)

नदी कागद उपर तो इसकी योजना बना कर के तालाब बन्धवाने के लिये सर्वे कराया जाय इससे वहां के आदिवासियों को बहुत राहत मिल जायगी ।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है कुडी, खाबड़ा, बलावाना तालाब का नाका बिलख की नदी पर सर्वे कराया जाकर इसके लिये कोई योजना बनाई जाय । वैसे ही मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ ये पहाड़ी तहसीलें है, इस वजह से बड़ी योजनायें नहीं हो सकती राज्य सरकार इस ओर भी कम ध्यान दे रही है । वैसे देखा जाय तो राज्य सरकार मैदानी इलाके के लिये योजनायें बनाती है और इसी तरफ विशेष ध्यान देती है । हमारे यहां आये दिन लोग अकाल से परेशान होते हैं । इस ओर आप ध्यान नहीं देते सड़क और छोटे मोटे काम ज्यादा होते हैं इनको रोककर तालाब बनवायें जांय । अकाल के दिनों में जो काम होते हैं उनमें यदि तालाब आदि वनवाने को प्राथमिकता दी जाय तो वहां के लोगों को अकाल में राहत मिल सकती है । मेरा आपकी मार्फत राज्य सरकार से प्रार्थना है कि उदयपुर की जितनी पहाड़ी तहसीलें हैं उनके लिये विशेष योजनायें बनानी चाहिये ताकि जब कभी पैसा खर्च करने का समय आये ज्यादा से ज्यादा उन्हीं योजनाओं पर खर्च किया जा सके ताकि अकाल होवे तो उसका हल निकल सकता है । अकाल के समय अब सरकार सड़के और जंगलों के काम पर पैसा खर्च करती है मेरा आपकी मार्फत अनुरोध है कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में सर्वे करा कर अभी जो पैसा खर्च हो रहा हैं वह भी तालावों में काम आ सके ।

कडाणा डेम के लिए वैसे ही हमारे साथी निराश है उधर पैसा कम खर्च करके वह पैसा दो तीन तहसीलों को दे दिया जाय तो उनका उपकार हो जायगा ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रतनलाल रोत ।

**श्री रतनलाल रोत** (चौरासी सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने छः कटौती के प्रस्ताव दिये हैं जिसमें से डूंगरपुर के अंदर हो रहे कार्य के बारे में है उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा । मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले की ओर दिलाना चाहूंगा । जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ एरिया ऐसा है जो पिछड़ा हुआ एरिया है । वहां पर दूसरी प्रकार की योजनायें चालू हो । लेकिन मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूँ कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर के उस क्षेत्र के अन्दर हमेशा अकाल पड़ते रहे हैं । जैसे भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिये कुछ स्कीम बनाई गई है और रेगिस्तान को मिटाने के लिये बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं मेरा उनसे विरोध नहीं लेकिन डूंगरपुर जिले में जिस प्रकार हमेशा अकाल पड़ते रहे हैं तो वहाँ भी बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने के बारे में विचार करना चाहिये । मैंने सदन में एक दो बार भाषण भी दिये थे उसमें मैंने निवेदन किया था उस ऐरिया में अभी भी जो कार्य किया जा रहा है वह काफी मात्रा में है लेकिन अकाल को मिटाने के लिये, अकाल के हमेशा के निवारण के

(श्री रतनलाल रोत)

लिये जिस ढंग से काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

पिछले ७ वर्षों से कई तालबों की सर्वे की गई है और ५ लाख से १० लाख के आसपास के तालाब है। मुझे समझ में कम आता है कि तालाबों की सर्वे की गई है लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं हुई है। ४–५ वर्ष से बराबर अकाल पड़ता है, अकाल के समय तो काम शुरू किया जाता है और बाद में स्वीकृति नहीं होने से उल्टे वे काम खराब हो जाते हैं। पशुओं की स्थिति भी बड़ी खराब है। मैं आपकी मारफत सिचाई मंत्री जी से यह चाहूँगा कि जितने छोटे छोटे तालाब हैं, जिनकी सर्वे हो गई है उनको अविलम्ब स्वीकार किया जाना चाहिये। और बड़े पैमाने पर काम शुरू किया जाना चाहिये। अभी हाऊस में काफी चर्चा हो चुकी है, कड़ाना डेम की बात बताई जा रही थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जहां आदिवासी क्षेत्र है उस बान्ध को बान्धने से बड़े भयभीत हो रहे है। मै चाहता हूँ उस बान्ध को जरूर बन्धाया जाय लेकिन इससे पहले आदिवासियों का विश्वास प्राप्त किया जाय और जो उनके सोने जैसी जमीन को बरबाद की जा रही है, १३० गांव डूंगरपुर बांसवाड़ा के डूब में आ रहे हैं, हजारों की सम्पत्ति बरबाद हो रही है ऐसी हालत में तालाब को बन्धाया जाय इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसके पहले आदिवासी जो पहले से पिछड़े हुए हैं उनकी जो जमीन डूब में आ रही है सोने जैसी उसी प्रकार की जमीन उनको दी जानी चाहिये और पहले उनको पुनर्वास किया जाना चाहिये। वहां अभी भी जमीन बहुत कम है, मैं चाहता हूं आप यह कहेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कडाना डेम बनाया जा रहा है तो उनको जमीन देंगें लेकिन वहां एक इन्च भूमि भी पड़त नहीं है। दूसरी जगह गंगानगर में या केनाल एरिया में देना चाहेंगे तो उनकी जाने आने की क्या स्थिति होगी, उनकी माली हालत पहले ही खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक शोचनीय बात है। कडाना डेम की ४१९एफ० आर० एल० को ऊंचाई है। वहां अक्सर बाढ़ आती है। माही नदी पर एक गलियाकोट का कस्बा है वह मुसलमानों का तीर्थस्थान है साथ ही आदिवासी और हिन्दुओं का शीतला माता का मन्दिर है वह भी तीर्थ स्थान है उसको बचाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये। माही नदी पर बाढ़ आती रहती है उससे किनारे के जो गांव है वह भी प्रभावित होते हैं। जब यह बान्ध बन्ध रहा है और उसके बान्धने से गलियाकोट का एरिया नहीं डूबेगा यह मेरे ख्याल से गलत है। मेरे ख्याल से बान्ध अवश्य बनाया जाए लेकिन इसकी ऊंचाई कम की जाय और इससे जो काश्तकारों को नुकसान हो रहा है उनको मुआवजा दिया जाए और उसी प्रकार की जमीन दी जाए यह मैं चाहता हूँ। इसके अलावा में यह चाहूंगा डूंगरपुर में अभी जो स्कीम चलाई जारही है कुछ मौके ऐसे है जहां पर अच्छे अच्छे तालाब है वहां एनीकट बनाए जा सकते हैं उनको नए सिरे से सर्वे की जानी चाहिये। दो दो जिलों में जो एक-दो ओवर सीयर है उनसे काम नहीं चल सकता है, उनका विस्तार होना चाहिये उनसे पूरा सर्वे नहीं किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि स्टाफ को बढ़ाया जाना

(श्री रतनलाल रोत)

चाहिये और ज्यादा काम सर्वे का लिया जाना चाहिये । उदयपुर, डूंगरपुर में लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना चलाई जा रही है। बड़ी बड़ी नदियां बहती है उनमें काफी पानी भरा रहता है। उससे लिफ्ट इर्रिगेशन से सिंचाई होनी चाहिए। लिफ्ट इर्रिगेशन के मारफत आदिवासी किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है इसलिए इसकी सर्वे कराकर लिफ्ट इर्रिगेशन के काम को हाथ में लिया जाना चाहिये। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूँगा कि लिफ्ट इर्रिगेशन के द्वारा जो रेट रखी गई है वह बड़ी ऊंची है और वहां के लोगों के लिए यह काफी है। लिफ्ट इर्रिगेशन के मार्फत जो सिंचाई होती है उसकी रेट कम की जानी चाहिये और एक फसल में लगभग १०० रु० इतने रुपये किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते है इसलिए उसकी रेट है सिंचाई को वह कम किया जाना चाहिये। इसके अलावा डूंगरपुर...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

जिले में सिंचाई के साधन बहुत कम है। ट्रेक्टर व रोलर बहुत कम है इनसे छोटे छोटे तालाबों पर काम किया जारहा है, ऐसी स्थिति में वहां पर ट्रेक्टर ज्यादा दिये जाने चाहिये और ज्यादा साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये। बजट में ८ लाख दिया है वह वर्ष के दिवाली के बाद से काम किया जाना चाहिये लेकिन दुख है आज २५ मार्च है और आज से १० दिन पहले उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है ऐसी स्थिति में पूरा पैसा लग नहीं पायेगा और काम जिस ढंग से किया जाना चाहिये उस ढंग से नहीं हो सकेगा। जो विभाग की कमियां है उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डूंगरपुर में जो ओवरसियर और कर्मचारी है जो स्टाफ है वह बहुत कम है, जिस ऐरिया में काम किया जा रहा है, वह कम है। एक एक असिसटेन्ट इंजीनियर और ओवरसियर को और बढ़ाया जाना चाहिये ताकि सुविधा पूर्वक काम कर सके।

तालाब जो लिये जाने चाहिये उनका काम शुरू करने के लिये कहा गया है लेकिन जिस ढंग से कर रहे है और जिस मात्रा में कर रहे है वह पर्याप्त नहीं है। सरकार यह कहती है कि छोटे छोटे किसानों को ज्यादा फायदा पहुँचाना चाहते है ऐसे तालाबों का का काम हाथ में लिया गया है जिनकी विभाग से मंजूरी चली गई हैं लेकिन साधन कम होने की वजह से खेती, फावड़ी, तगारी आदि नहीं होने से काम को नहीं चलाया जा सकता है। अभी ५ दिन पहले नई तगारी, फावड़ी आदि आये है। ऐसी स्थिति में काम नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं फेमिन में ज्यादा मात्रा में मजदूर लगाये जाने चाहिये यह नहीं लगाये जा रहे हैं। दूसरे कामों में लगाये जा रहे है। ऐसे तलाब जिनको सर्वे हो गई है और जिनकी स्वीकृति देदी गई है फैमीन में अभी भी बढ़े पैमाने पर काम नहीं किया गया है। मै आपकी मारफत माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा वहां ज्यादा स्टाफ स्वीकृति करके काम किये जाने चाहिये।

(श्री रतनलाल रोत)

इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सूरी नदी, गोड़िया का नाका और दो तीन और स्कीमें है, उनकी सर्वे के लिए चार पांच वर्षों से निवेदन किया जा रहा है पर टैक्निकल ढंग का नाम ले कर, कर्मचारियों की लापरवाही से, उनको बेकार कह दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह आदिवासी एरिया है, जहां भयंकर अकाल की हालत रहती है, वहां आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे कार्यों की सर्वे की जानी चाहिए और जो सरकार के सामने आयें उनको स्वीकार करना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शारदा।

**श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्षजी, सिंचाई का सम्बन्ध विशेष कर के कृषि से है....

**श्री उपाध्यक्ष** : भूमिका तो बांधो मत, सीधे विषय पर आ जाइये।

**श्री श्रीनिवास शारदा**: क्योंकि सिंचाई से जो आज हमारे यहां खाद्यान्नों की कमी है, उसको पूरा करके हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर हो सकते हैं। राजस्थान की जमीन दो करोड़ एकड़ है और उसमें से ९६० लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है, उसमें से हम ६७५ लाख एकड़ के ऊपर खेती कर रहे हैं। जो कुल भूमि का १३,८ परसेंट है, उस हिसाब से ४२,५ परसेंट जमीन पानी के अभाव में पड़त है। इस दृष्टि से सिंचाई के साधनों का मूल्यांकन करें और जो भूमि कृषि लायक है, उसको सिंचित करने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारे हिन्दुस्तान के सामने आज खाद्यान्नों की स्थिति है कि हम बाहर से अनाज मंगाते हैं, वहां उस स्थिति में न रह कर बाहर अनाज भेजने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान चित्तौड़ जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि बाकल और फागल दो नदियां हैं, उन पर बांध नहीं बने हुए हैं, उन दोनों नदियों में इतनी बाढ़ आई थी कि उस बाढ़ से चित्तौड़ को काफी नुकसान हुआ और सैनिक स्कूल और पशु चिकित्सालय तक पानी आया, मिलीटरी स्कूल से चित्तौड़ शहर तक लोगों की जानमाल का नुकसान हुआ। यह इसी कारण हुआ कि इन दोनों नदियों पर बांध नहीं है। इसलिए इन दोनों नदियों पर बांध बनाया जाय जिससे कि चितौड़ जिले में सिंचाई के साधन बन सकें। हमारा जिला ऐसा है कि उसमें केवल गंभीरी नदी का बांध है। निम्बाहेड़ा, डूंगला, मदेसर एसी तहसीलें हैं कि जहां नहरों और बांधों का कोई साधन नहीं है, इसलिए कृषि योग्य जमीन योग्य जमीन यों ही पड़ी रह जाती है, जो किसान हैं, जिनके पास खेत हैं पर सिंचाई के साधन नहीं है इसलिए अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं और आज हमें अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे यहां बड़ी सादड़ी में एक बरसोलिया बांध बनाया गया, उससे एक दो गांवों की जमीन की सिंचाई होती है, उससे एक दो ही पानी दिये जाते हैं और उस बांध का पानी सूख जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री श्रीनिवास शारदा)

वहां बड़ा बांध बनाया जाय। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका मुग्रावजा तय नहीं हुआ है। मैं यह कहूँगा कि जो वाजिब मुग्रावजा हो वह तय करें ग्रौर मुग्रावजा तय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वहां के जागीरदार साहब ने कम्पेन्सेशन ज्यादा प्राप्त करने के लिए तै कर दिया है, इसलिए कृपा कर के उसका वाजिब मुग्रावजा तय करें, जो मुग्रावजा दूसरे लोगों को देते हैं उसी हिसाब से उनको मुग्रावजा दें। एक तरफ गरीब किसानों को कम मुग्रावजा देते हैं, कन्नौज में तालाब बनाया, उसमें जो किसानों की जमीनें डूब में ग्राई उनको वाजिब मुग्रावजा नहीं दिया, दूसरी तरफ इनके दबाव में ग्राकर जागीरदारों को ज्यादा मुग्रावजा दें ग्रौर किसानों को कम मुग्रावजा दें यह नहीं होना चाहिए।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि बड़गांव बांध है ग्रौर उसका पानी ग्रोवरफ्लो होता है, वह पानी ग्रगर एक फीडर के द्वारा, जो फीडर भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी केवल दो मील की फीडर होगी उससे कपासन तहसील के गांवों को पानी दें तो वहां के लोगों को बड़ा लाभ पहुँचेगा, क्योंकि वहां पर पीने के पानी की बड़ी कमी है। जैसे भोपालसागर फीडर है, उसका ज्यादा पानी है उस पानी को जास्मी को दे रहे हैं, उसी तरह जैतपुरा के तालाब में यह पानी डाल देंगे तो कपासन का सूखा एरिया ठीक बन जायगा। भदेसर तहसील में तीन चार पंचायतें ऐसी हैं, मैंने मंत्री महोदय को प्रार्थनापत्र दिया था, वहां पर एनीकट ग्रौर छोटे छोटे तालाब बना दिये जायं तो उनसे ग्रापको काफी रिटर्न मिलेगा ग्रौर लोगों को काफी लाभ होगा, ग्रौर मैं भी उस क्षेत्र से चुना गया हूं तो मेरे ऊपर भी लांछन नहीं रहेगा।

एक बबारा डेम से जमीन नहीं डुबोई जाय, मेरे साथी को शायद बोलने का मौका नहीं मिले इसलिये मुझे वकालत के लिये कहा है, वह जमीन डूब में नहीं ग्रानी चाहिये।

काफी समय हो गया है, इसलिये मैं यही कह कर ग्रपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** राजस्व मंत्री।

**एक माननीय सदस्य :** मुझे बोलने का समय दिया जाय।

**श्री जयनारायण (लसाड़िया) :** मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे ५ मिनट दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मुझे ग्रापत्ति नहीं है पर ग्रापके कट मोशन्स का ध्यान रखूंगा।

**श्री जयनारायण :** कुछ सुझाव हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** ग्राप ५ मिनट बोल लें।

**श्री जयनारायण (लसाड़िया) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूँ कि गत

(श्री जयनारायण लसाड़िया)

वर्ष १४ मई को मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जाकम प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था। उपाध्यक्ष जी, हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने कृपा कर के जाखम प्रोजेक्ट के लिये ६ लाख रुपये की राशि स्वीकार की थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उस जाकम प्रोजेक्ट के डेम के निर्माण पर वह पैसा नहीं लगाया गया और न सड़कों का निर्माण किया गया। जहां जाकम प्रोजेक्ट बन रहा है वहां अफसरों के लिये और स्टाफ के लिये ही काम किया गया है। हमारे अधिकारियों ने इसके विपरीत जैसी कि मुझे सूचना मिली है, कई गाड़ियां खरीदीं, काफी रुपया पैट्रोल आदि में खर्च किया। इसके अलावा जाकम प्रोजेक्ट के बन जाने के पश्चात् इसका सारा सम्बन्ध धरियावद क्षेत्र के रहने वाले लोगों से है। अधिशासी अभियंता कार्यालय के लिए प्रतापगढ़ में क्यों मकान बना रहे है। धरियावद के जो आदिवासी हैं वे यहां से २५ मील दूर रहते हैं। इस बांध के बन जाने से इस आदिवासी क्षेत्र का सम्बन्ध रहेगा, सारी नहरें उस क्षेत्र में आयेंगी। पानी वहां आने वाला है। जब इतनी सारी चीज धरियावद क्षेत्र में मिलने वाली है, तो मैं नहीं समझता कि आखिर हमारे अधिकारीगण बांध से सम्बन्धित कार्यालय, मकान आदि प्रतापगढ़ में क्यों बना रहे हैं। मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जाकम बांध से सम्बन्धित जो भी मकानात प्रतापगढ़ में बनने जा रहे हैं वे नहीं बनें।

एक माननीय सदस्य ने यहां कहा कि पंचायत समितियों के पास २५ हजार रुपए तक की धनराशि खर्च करने का अधिकार है वह पर्याप्त नहीं है। मैं भी उन माननीय सदस्य से सहमत हूँ और कहना चाहता हूँ कि उदयपुर जिले में आज कई इस तरह के काम पड़े हुए हैं जिनमें सरकार ने करीब २ करोड़ रुपए खर्च किए हैं और सारे के सारे काम अधूरे पड़े हैं। अगर इन कामों को पूरा नहीं किया गया तो हमारे २ करोड़ रुपए जो हमने खर्च किए हैं व्यर्थ चले जायेंगे। इसलिए सिंचाई मंत्री से निवेदन है कि ये भी अधूरे काम हैं इनमें करीब ८० लाख की धनराशि और मिले तो सारे काम पूरे हो सकते हैं। कम से कम इन अधूरे कामों को पूरा करें।

मैं आदिवासी क्षेत्र के लिए खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ। आदिवासी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर कई नदी नाले और सिंचाई के योग्य साधन हैं जिनसे उन आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। आदिवासियों को अगर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में एक चीज राज्य सरकार उपलब्ध करा सकती है। वह यह कि उस क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब और एनीकट्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाय जिससे आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे और अपनी खेती में ज्यादा अन्न पैदा कर सकेंगे।

सालूम्बर तहसील में जोधपुर पंचायत में जीवनी नामक एक तालाब बन रहा है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि पिछले

(श्री जयनारायण लसाड़िया)

१४-१५ वर्षों से इस तालाब का निर्माण का कार्य चल रहा है लेकिन आज तक उस तालाब को हमारा सिंचाई विभाग पूरा नहीं कर सका। इतने वर्ष तो भाखरा योजना बनाने में भी लगे हैं।

अन्त में मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो डूंगरपुर–बांसवाड़ा के आदिवासी कडाना बांध से भयभीत है। वहां के आदिवासी सोचते हैं कि यह बांध बन जायगा तो सारा का सारा क्षेत्र डूब में आ जायगा तो हम कहां जायेंगे ? इसलिए भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए इस बांध की जो ४१६ फीट ऊंचाई है उसको कम करा दिया जाय। मैं यह मानकर चलता हूँ कि वहां पर जो आदिवासी हैं वे प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उसके जन जीवन में कोई हानि नहीं हो और वह क्षेत्र विकास कर सके ऐसी व्यवस्था करने के लिए। अतः कडाना बांध के भय को कम करने के लिए सिंचाई मंत्री जी से मैं खास तौर से निवेदन करता हूँ।

**श्री श्रीनिवास शारदा** (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव के संदर्भ में जो हमारे जिले की समस्याएं हैं उन पर बोलूंगा। मुझसे पूर्व मेरे जिले से आने वाले माननीय दो सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि पिछले वर्षों में इसमें संदेह नहीं कि सिंचाई विभाग ने काफी तेजी के साथ काम किया, काफी धन जुटाया, काफी योजनायें हाथ में ली और उसीके परिणामस्वरूप बहुत कुछ अंशों में हमारी अन्न की समस्या का समाधान भी हुआ और काफी भू भाग सिंचित भी हुआ। जो योजनायें हाथ में ले ली गई वे भी इस प्रकार हैं की माइनर, मीडियम, मेजर लेकिन इन सब योजनाओं के बावजूद भी आवश्यकता इस बात की है कि हम जो भी योजनायें हाथ में लें, बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ उनकी एस्टीमेट्स तैयार करें और उनका क्रियान्वियन करें। यह देखने की बात है कि जो हमारी प्रस्तावित योजनायें थी, जो प्रस्तावित एस्टिमेट्स थे, उनसे कहीं हम आगे पीछे तो नहीं गए है। काफी तादाद में ऐसी योजनायें मिलेगी जो वरदान तो नहीं अपितु अभिशाप भी सिद्ध हुई हैं। जो अनुमान थे प्रस्तावित्त सिंचाई की क्षमता के जिन योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित किए गए वे पूरे नहीं हो पाये। इस स्थिति को चैक करना बहुत आवश्यक है। लीकेज होता है, ब्रेकेज होते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। मुझे गंभीरी का अच्छी तरह से याद है। मैं समझता हूँ, गंभीरी की योजना सफल योजनाओं में से एक है लेकिन इस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप गंभीरी की एस्टीमेट को उठाकर देखें तो ओरिजिनल एस्टिमेट है गंभीरी का वह ४१-४२ लाख के लगभग है और वह प्रोवीजन था कि इससे लगभग २५ हजार एकड़ या १९ हजार एकड जमीन को सिंचित करना पड़ेगा, जबकि आज वह योजना १० हजार एकड़ जमीन से ज्यादा सिंचित नहीं कर पा रही है और साथ ही साथ ४२ लाख के बजाय उस योजना पर ७० लाख रुपया खर्च हो चुके हैं और मेरी ऐसी धारणा है कि आज

Page No 124



(श्री श्री निवास शारदा)

गंभीरी के परिणाम स्वरूप उसका अभिशाप जिन लोगों के लिए जिन किसानों के लिए, उन तमाम को ठीक करने के लिए लाखों रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। आखिर यही देखने की बात है ? इंजनियरिंग स्किल कहां गयी ? क्या ईंजनियरिंग स्किल हैं ? साधारणतः गांव का आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, एक तलैया या तालाब के मौके को देखकर यह बता सकता है कि यह ५० बिघा जमीन को सिंचित करेगी या १०० बिघा सिंचित करेगी और इसमें इतना खर्चा होगा तो जहां इंजनियरिंग स्किल की दुहाई दी जाय, वहाँ यह इंजनियरिंग स्किल इतने कमाल पर पहुँच जाय कि ४० लाख की एस्टिमेट पर ७० लाख रुपए खर्च होने पर भी प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं पूरे हों इसके साथ हो साथ जो अभिशाप की बात मैं कहता हूँ वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बांध बना। आस पास की जमीन काश्तकारों की थी वह बांध में ले ली, नहरें बनीं जमीन ले ली, जिनसे जमीन ली उनसे अब कोई बात नहीं करता है, न तो कोई उसको कम्पन्सेट करने की बात की जाती हैं और न ही कोई उसके मुआवजे की व्यवस्था की जाती है। यह किसानों के लिये अभिशाप बन गया है। यह स्थिति कोई अच्छी नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता चाहे शासन करने वाले लोग ही हों उनकी नेकनामी और बदनामी का भी उसमें सवाल आता है। इसलिये यह बारीकी से देखने की बात है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग गलत हाथों में, एन्टी नेशनल लोगों के हाथों में चले जाते हैं और कोर्ट में संरक्षण लेते हैं। क्यों नहीं, इसके सारे प्रास्पेक्टस को सोच समझ कर एक ऐसा कदम उठाया जाय कि जिसमें हमें आगे चलकर कोई दिक्कत पैदा न हो। जहां नहरें बन जाती हैं, किसानों की जमीनें उसमें आती हैं। ओवर सीयर द्वारा किसी को बचाकर दूसरे के खेत में डाल दी जाती है, उसके बचा कर उसके खेत में डाल दे आखिर इसके पीछे क्या मौटिव हो सकता है यह सहज ही समझ में आ सकता है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती है ? अभी भी कई बांधों का निर्माण जहां जहां हुआ है लोगों के आम रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, पानी का लेवल बढ़ जाने से और आम रास्तों के अवरुद्ध हो जाने से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कोई डिटेल्ड एस्टीमेट्स क्यों नहीं बना दिये जाते हैं, कितने लोगों की जमीन डूबेगी, कितने आम रास्तों पर इसका असर पड़ेगा और कितनी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। अभी भी ऐसी मिसालें हैं कि जिन किसानों के खेतों में नहरें गयी हैं, गड्ढे खोदकर मिट्टी ली गई है, उनसे लगान वैसा का वैसा ही वसूल हो रहा है। जब कि बांध को बने वर्षों हो गये। कम्पन्सेट उनको किया नहीं। उसके बावजूद भी एक्चुअल पजेशन पांच बीघा में था और एक बीघा जमीन में कैनाल के लिये मिट्टी खोद ली गई तो उसको पांच बीघा का ही लगान अदा करना पड़ रहा है जब कि चार बीघा जमीन ही उसके पास पजेशन में रही चाहे कहने के लिये ये कुल मिलाकर छोटी बातें हों लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होता है। मुकामी अफसरों को ऐसे आदेश मिलने चाहिये कि रस्ते चलते जिनके लिये यह योजना अभिशाप हुई है, क्यों नहीं उनकी जायज मांग को पूरी कर दी जाय।

(श्री श्री निवास शारदा)

इसके साथ ही साथ कुछ समय पहले यह निर्णय हुआ कि जिन लोगों की जमीनें बांध में डूब गयी हों और आस पास में जमीनें खाली हों तो उस किसानों को उन जमीनों पर पूरे अधिकार लौटा दिये जांय । इस सिलसिले में कोरा ऊपर से हुकम निकाल देने से, मैं समझता हूँ, समस्या का समाधान नहीं होता है। यह भी देखने की बात होती है कि कौनसे इन्जीनियर्स के पास कितने आवेदन पत्र रेस्टोरेशन के पड़े हुए हैं और उनका यथा समय भुगतान हुआ या नहीं । नतीजा यह होता है कि किसान चक्कर लगाया करते हैं। छः छः महीने तक चक्कर लगाते हैं, बीसों बार कोर्टस में आते हैं, दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं लेकिन उनकी समस्या समस्या ही बनकर रह जाती है और रेस्टोरेशन के अधिकारों से अब तक भी वंचित रह पा रहे हैं । इस आस्पेक्ट से भी सोचने समझने की बात है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरी काफी इच्छा थी कि दस पन्द्रह मिनिट समय और लेता और हैल्दी सुझाव देता ।लेकिन आपकी लाल आंखों से भय होता है और घंटी से खतरा यही सोच कर मैं समाप्त करता हूँ ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सिंचाई मंत्रीजी ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, सिंचाई के सम्बन्ध में हुई बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सिंचाई की समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित किया और अपने विचार भी व्यक्त किये जिससे यह जाहिर होता है कि सिंचाई के साधनों के प्रति कितने जागरुक हैं और अपने अधिकारों के प्रति भी कितने जागरुक हैं। ऐसा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि सिंचाई इस संसार में, सारे विश्व में जीवन यापन का सबसे बड़ा विज्ञान है । जीवन के अस्तित्व के लिए पानी ही एक मूल आधार है और तथ्य है । इसके जरिये इनसान अपनी सामाजिक और आर्थिक तरक्की करता है । इसलिये पानी का संरक्षण करना, उसका घेराव करना, उसका उचित उपयोग करना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ी समस्या है, दुनिया ने इसको समझा है । दुनिया में लगभग १/३ हिस्से में कई बार प्रायः अकाल रहता है और दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसमें ७५ प्रतिशत से ज्यादा हिस्से में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं ? २५ परसेंट से भी कम क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं । कुछ मुल्क हैं। जैसे जापान । सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया का सिंचित एरिया ७५ परसेन्ट या पाकिस्तान में ४५ परसेन्ट है और बाकी मुल्कों में बहुत कम क्षेत्रफल कल्टीवेटेड एरिया का है । सिंचित क्षेत्र कम है और दुनिया की आबादी धीरे २ बहुत बढ़ती चली जा रही है और अकाल भी प्रायः पड़ता रहता है तो इस समस्या पर स्वाभाविक तौर पर सोचना आवश्यक है। हिन्दुस्तान संसार का चीन को छोड़कर सबसे बड़ा आजादी के लिहाज से मुल्क है । स्वावलम्बी होने की दृष्टि से सबसे बड़ा आवश्यक सवाल है कि सिंचाई के साधनों की तरफ

# Page No 126



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ध्यान दें। अब जो ध्यान दिया गया है उसके अनुसार........

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रोर्डर प्लीज

सदन की अनुमती से बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया गया।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: इस समय हिन्दुस्तान में जो कल्टीवेटेड एरिया है उसका २७ प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है इसलिए हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से इस और ध्यान देना आवश्यक है। हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा स्थान है जिसका काफी बड़ा हिस्सा शुष्क या अर्धशुष्क है, कुछ हिस्सा पहाड़ियों में और कुछ हिस्सा मैदानों में और हिन्दुस्तान में राजस्थान जोग्राफिकल एरिया की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ८ करोड़ ४० लाख होता है। जिसका ८ करोड़ ४०लाखका क्षेत्रफल हो और साथ ही प्राकृतिक परिस्थितियां भी इस प्रान्त की ऐसी हों कि२७ पर्सेन्ट

(५.०० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

कल्टीवेटेड एरिया है इस प्रदेश में और बरसात १.२३ हो तो इस क्षेत्र में रहने वालों को सिंचाई के साधन दे सकना बड़ा मुश्किल काम है।

उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सिंचाई के साधन दे सकना बहुत बड़ा मुश्किल काम है और राजस्थान में जबसे इसका निर्माण हुआ तब से इस समस्या को बहुत महत्व दिया जाने लगा है। इसलिए महत्व दिया जाने लगा कि इसमें बरसात कम हो तो सारे राजस्थान की जमीन में पानी नहीं पहुंचा सकते।

माननीय सभानेत्रीजी, थोड़े दिनों पहले एक मास्टर प्लान के बारे में विधान सभा में मैंने कहा था, राज्य सरकार की ओर से मास्टर प्लान सैल कायम किया गया। इसके जरिये जमीन में पानी कितना है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना पानी हार्नेस दिया जा सकता है, वह हार्नेस कर लिया गया है। कितनी योजनाओं से हार्नेस कर सकेंगे इसके बारे में विभाग ने यह शाखा खोली थी। उस शाखा ने काम किया है और इसके अन्दर यह तथ्य सामने आया है कि हमारे राजस्थान में पानी की क्षमता ६६१ मिलियन क्यूबिक फीट है और जिसमें से हम सारी योजनाओं के जरिये, परिश्रम करके, साधनों को उपलब्ध करके ४७४ थाउजैन्ड क्यूबिक फीट पानी हार्नेस कर सकते हैं। सिर्फ ७२ पर्सेन्ट का हार्नेस कर सकते हैं। १७७ थाउजन्ड क्यूबिक फीट पानी को हार्नेस नहीं कर सकते। या तो लिफ्ट के जरिये या पानी का डाइवरसन चैनल्स के द्वारा थोड़ा हार्नेस कर सकते हैं जिससे हमारी सिंचाई ज्यादा नहीं हो सकती-उसके मुकाबले में कम रहा है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है देश के आजाद होने के बाद यह सोचा गया है कि राष्ट्र एक है, सब प्राणीमात्र एक हैं, पानी भी राष्ट्र का है और राष्ट्र के लिए जहां पर अधिक से अधिक उपलब्ध हो वह काम में लिया जाना चाहिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसी वजह से हमारे यहां भाखरा, राजस्थान कैनाल, चम्बल और एसी ही अन्तर्राज्यीय योजनाएं बनीं। कुछ बनने जा रही है, कुछ की शुरूआत हो रही है, कुछ पूरी हो गई है और कुछ अब बनेंगी। इन सब से मिलाकर हम करीब १ करोड़ जमीन को सिंचित कर सकेंगे। उसके बाद इस समय जो कल्टीवेट कर रहे हैं ३ करोड़ ७५ लाख उसके लिए पानी की ओर कमी रह जाती है। यह अपने आप में एक समस्या है। लेकिन इस समस्या को किस हद तक हल करने के लिए अन्तर्राज्यीय योजनाओं को हाल में लिया गया है।

यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान कैनाल के बारे में, इसके प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, इसके कार्यक्रम की शिथिलता के बारे में चिन्ता प्रकट की है और उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इसलिये कि राजस्थान में एक ओर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिले बार्डर पर है, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, वहां पानी नहीं है। पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। हर साल अकाल पड़ता है। लाखों आदमी बेघरबार होते हैं। मवेशियों को तकलीफ होती है। इस डेजर्ट में पानी का कोई जरिया नहीं है। दूसरी जगह से लाने के उपाय नहीं है। इसके अलावा वहां पर धरती के नीचे, अंडरग्राउंड में पानी इतना इनकरेजिंग नहीं है कि प्रोग्राम को सक्रिय रूप से चला सके। इसलिये इस योजना के शुरु में ६६ करोड़ से पेरीनियल, नान-पैरीनियल बनाई थी। जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बना और इन्डूस ट्रीटी हुई, तब १९५५ में तय किया गया कि रावी और व्यास के वाटर को जो पाकिस्तान में जाता है, और जिसको बाद में बंद किया जायेगा, मंगला डेम के बाद इसका डिस्ट्रीब्युशन राष्ट्र के हित में किया जाय। उस समय राष्ट्र के हित में पानी का ध्यान रखते हुए, डेजर्ट का ध्यान रखते हुए, पानी की समस्या का ध्यान रखते हुए यह कल्पना की कि राजस्थान के इस डेजर्ट को पानी उपलब्ध कराया जाये। राजस्थान के इस डेजर्ट में तीन लाख एकड़ में सिंचाई के साधन उपलब्ध कर सकते हैं और जब नान-पैरिनियल स्कीम के बारे में सोचा। १९६३ में इस योजना को रिवाइज्ड एस्टीमेट किये गये। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के पास भेजे कि इस योजना को स्वीकार करें। इसी बीच कमियां शुरु हुई और हम चाहते थे कि इन कमियों को दूर करें और उसके मुताबिक ६८-६९ में पहला चरण और ७७-७८ में दूसरा चरण समाप्त कर ३० लाख एकड़ जमीन बीकानेर, गंगानगर जिले और जो जैसलमेर जिला है, उसको सिंचित कर दे। दुर्भाग्य से हमारे बहुत कोशिश करने पर भी, हमको जितनी धनराशि चाहिये नहीं मिली। हमने बहुत कोशिश की कि इस योजना को सेन्टर अपने हाथ में ले ले, वह इसको फाइनेंस करे और इस योजना को जल्दी से जल्दी बनावे। हम इस कोशिश में नाकामयाब रहे। हमने यह भी कोशिश की कि इस योजना पर होने वाला सारा खर्चा प्लान सीलिंग से बाहर रखा जावे क्योंकि राजस्थान एक गरीब और पिछड़ा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुआ प्रान्त है वह अपने सारे रिसोर्सेज केवल एक प्रोजेक्ट पर ही नहीं लगा सकता। इसलिये हमने और भारत सरकार और योजना आयोग से यह निवेदन किया था कि इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे को प्लान सीलिंग में न रखा जावे मुझे खेद है कि हमारी यह कोशिश भी नाकामयाब रही। जो धन उपलब्ध हुआ समय समय पर उसके हिसाब से हमने अब तक जो कार्य किया है वह ६० मील लम्बी कैनाल हैं और उसमें १३४ मील लम्बी फीडर कैनाल तैयार की हैं। जो मैन केनाल्स है उस पर ९० मील की इस समय प्रगति हुई हैं। अनूपगढ़ शाखा का काम, सूरतगढ़, रावतसर और नौरंगदेसर तक मुकम्मिल कर दिया हैं और २ लाख ४० हजार एकड़ में इरिगेशन राजस्थान कैनाल से कर दिया है। लेकिन इससे राजस्थान की जनता, इस क्षेत्र के लोग खुश नहीं हैं। थोड़े दिनों पहले जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा डा० के०एल० राव ने एक वक्तव्य में कहा कि हम पौंग डेम को ७२-७३ के जून तक पूरा कर लेना चाहते हैं। ७२ के जून का मतलब हैं कि करीब ५.८५ मिलिएन एकड़ में पानी देने की क्षमता पौंग डेम में है। राजस्थान का इसमें हिस्सा है। ७२ के जून में पौंग डेम में पानी भर जायगा। इसका ५३ प्रतिशत पानी राजस्थान को इस्तेमाल करना है। इस पानी को इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जबकि कैनाल्स की सब-कैनाल्स बन जाय तभी राजस्थान इस पानी को पूरे तौर से इस्तेमाल कर सकता है। किसानों के हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि इस समय तक राजस्थान कैनाल का कांस्ट्रक्श ५६ करोड़ ८० लाख रु० या करीब करीब ५७ करोड़ रू० खर्च हुआ है और जैसा कि मैंने बताया है यह योजना १८४ करोड़ रू० की और इसमें २५ करोड़ और जोड़ देते है। नहर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स, है उनको पक्का करने के लिए, तो इस तरह से यह प्रोजेक्ट २०० करोड़ का हो जाता है इसमें ४५ करोड़ अलग कर देते हैं तो १६४ करोड़ की योजना बनती है। इस १६४ करोड़ में ५७ करोड़ हम अब तक खर्च करपाये हैं। इसकी मतलब यह हुआ कि १०८, ११० करोड़ रू. हमें और चाहिये। इतना रु. इस पर और खर्च करना है तब जाकर यह कैनाल पूरी हो सकती है। हमने बजट में जो प्रावधान रखा था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा था वह हमने ५५ करोड़ रु. रखा था, जिसमें ४३ करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके बजाय २७ करोड़ रु. दिया जायेगा।

(५.१० म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पूनमचन्द विश्नोई पदासीन)

इस प्रकार ५ करोड़ रु. प्रतिवर्ष मिलेगा तो १०८ करोड़ रु. खर्च करने के लिए २१ वर्ष चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस कैनाल की कम्प्लीट कन्स्ट्रक्शन में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में २१ वर्ष लगेंगे। २१ वर्ष होते हैं इस रु. के हिसाब से और २१ वर्ष में मंहगाई बढ़ेगी, कास्ट आफ इंन्स्ट्रक्शन बढ़ेगी, इसलिए हो सकता है इसकी कास्ट रिवाईज़ हो। ५० प्रतिशत और हो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकती है तो। इससे माननीय सदस्यों को शंका होती है कि २१ वर्ष के बजाय २० वर्ष लग सकते हैं। इस रफ्तार से धन राशि उपलब्ध हुई तो हो सकता है कि इसको पूरा करने में ३० वर्ष लगें।

एक तरफ इसमें तीस वर्ष लगने का प्रश्न है, दूसरी तरफ १५७ करोड़ खर्च हुआ है। इसमें राजस्थान सरकार को करीब ३७५ लाख रुपया जैसा आपने बजट में देखा होगा, ब्याज का देना पड़ता है। उधर पोंग डैम पर करीब ४२ करोड खर्च हुआ है। उसमें आठ नौ करोड ब्याज पर खर्चा आया है। इसका भी तीन करोड ब्याज का देना पडता है तो ६॥ करोडके लगभग ब्याज अभी से देना पड रहा है। अगर इसका तीस वर्ष तक हम पूरा फायदा नहीं उठा सकें और हमारी क्षमता नहीं बन सकी तो ब्याज का वजन बढता जावेगा। ६॥ करोड का तो अभी है। अगले साल इससे अधिक बढ़ेगा, उससे अगले साल और अधिक बढ सकता है, और हो सकता है ३० वर्षों में १८४ या २१० करोड की योजना बनती है तो तब तक ४०० या ४५० करोड की योजना बन जाय जो राजस्थान के सामर्थ्य के बाहर की बात है। तो इस पर चिन्ता होना स्वाभाविक बात है और मुझे भी इस विषय में बहुत चिन्ता है। हम चाहते हैं कि केन्द्रिय सरकार से इस सम्बन्ध में विशेष वार्तालाप करें। माननीय मुख्यमन्त्रीजी, प्राइमिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेन्स मिनिस्टर आदि से इस बारे में विशेष वार्तालाप करेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था हो कि राजस्थान केनाल के कन्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम अगर पोंग डैम के साथ साथ कम्पलीट न हो सके तो भी इनके कम्पलीशन में जो आज गेप नजर आता है वह कम किया जावे और इतना कम किया जावे कि हम इस पोंग डेम के पानी के लाभ से वंचित न रहे। माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की कि अगर राजस्थान कैनाल के बनने में बीस तीस वर्ष लगते हो तो पोंग डैम से आने वाला पानी उसकी इन्तजार नहीं करेगा। कहीं न कहीं, वह सिंचाई के काम आवेगा। इसके बाद वापिस उस पानी को प्राप्त कर लेना बडा कठिन काम है क्योंकि हमारा भाखरा कैनाल का और गंग कैनाल का इस बारे का तजुर्बा है। हमारा तजुर्बा राजस्थान कैनाल का अभी का भी है, हम जानते हैं कि इसमें कितनी अड़चने आती हैं। इसलिए यह भी अहमियत का प्रश्न है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्षजी, यह सभी जानते हैं कि पांग डैम के ७२ के जून तक बन जाने पर पाकिस्तान को पानी रोकने की बात आती है तो पोंग डैम से प्रभावित लोगों को बसाने का प्रश्न भी आता है। राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान में पहली सरकार है जिसने माना है कि उन विस्थापितों के लिये राजस्थान कैनाल क्षेत्र में ३७५ हजार एकड़ जमीन सुरक्षित रखी जावेगी। पोंग डैम का लाभ हमें भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, और हरियाणा को भी मिलेगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, अगर यह ७२ के जून में कम्पलीट हुआ उस समय तक हम ३७५ हजार एकड यह जमीन विस्थापितों को नहीं दे सकेंगे। हमने यह पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि हम यह ३७५ हजार एकड जमीन सारे राजस्थान के प्रोजेक्ट क्षेत्र में रिजर्व रक्खेंगे। अभी हमारे अनूपगढ तक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निर्माण कार्य हुआ है और जो रफ्तार बताई है १२२ मील तक फोर्थ फाइव ईयर प्लान पीरियड में बनाने का हमारा टारगेट है वह पूरा हो तब बसा सकते हैं। वरना वह भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिये जो जमीन हैं उस अनूपगढ शाखा तक वह हमारे पास इतनी नहीं हैं कि उनको दे सकें। अभी तो टोटल जमीन है १३४ हजार एकड़ खातेदारों की है, २८७ प्री १९५५ लीज होल्डर्स की हैं, १५० लेंडलैस हरिजनों के लिये और दूसरों के लिये रिजर्व की हुई है, १०४ हजार पोलिटिकल सफरर्स मेकेनिकल फार्मिंग्स के लिये है, जिसमें शहिदों के लिये २० हजार और एक्सपेरीमेन्टल डिमान्स्ट्रेशन करने के लिये दस हजार, पोंग डैम के विस्थापितों के लिये पांच हजार, पंचायत समितियों के लिये पांच हजार और १५ हजार कम्पन्सेशन के लिये। इस तरह से यह एक लाख दो हजार आबादी के लिये और एक लाख पोंग डैम के लिये इस तरह कुल मिलाकर ९२८ हजार एकड का यह टोटल एरिया है। इसमें ९२८ हजार से कम है तो एक लाख एकड भूमि कन्स्ट्रक्टेड पोर्शन जो अभी है, वहां तक नहीं दे सकते। तो एक समस्या यह भी आने वाली है इसलिये माननीय सदस्यों की चिन्ता उचित है और इसकी रोशनी में केन्द्रीय सरकार को और प्लानिंग कमीशन को कनविंस करने की कोशिश करेंगे जिससे राजस्थान कैनाल के कम्पलीशन का कार्य में गति आ सके। आपने इन सब सुझावों ने सरकार को ताकत दी है। इस सहयोग के आधार पर आपकी आशा के अनुसार आगे कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे।

देवगढ से आने वाली माननीय सदस्या ने यह भी कहा कि राजस्थान कैनाल के लिये वर्ल्ड बेंक से क्यों नहीं लोन लेते हैं। और अभी टीम आई थी उसको हम यहां क्यों नहीं लाये यह भी कहा। मैं निवेदन करूं कि माननीय सदस्या को जानकारी होगी कि वर्ल्ड बैंक से लोन भारत सरकार लेती हैं। स्टेट इण्डिविजुअली नहीं ले सकती है। ऐसा मुझे बताया गया है और जो कुछ भारत सरकार लोन लेती है वह प्लान सीलिंग में लेती है। तो भारत सरकार ने कहा है कि पोंग डैम पर इस बैंक से लोन ले रखा है। इसको वे एक प्रोजेक्ट मानते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट के लिये भारत सरकार की प्लान सीलिंग की ओवर आल पोजीशन में क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है इस वजह से भारत सरकार ने राजस्थान कैनाल के लिये वर्ल्ड बेंक से लोन लेना मुनासिब न समझा हो।

तो मैं यहां पर राजस्थान कैनाल के बारे में यह निवेदन करना चाहता था। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस नहर को पक्का करने का प्रावाधान था, वह नहीं माना गया है इसलिए अब क्या होगा। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी और प्लानिंग कमीशन को भी कहा था कि जो राजस्थान कैनाल में कैनाल तो पक्की बनाना चाह रहे हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटरीज और चैनल्स को भी पक्का बना लेते हैं तो उससे हमको न केवल पानी की बचत होती है बल्कि प्रोडक्शन में भी मदद मिलती है, इरिगेशन में भी मदद मिलती हैं। और इन सारों के फिगर्स को कैलकुलेट किया तो १६७५ हजार क्यूसेक वाटर की बचत होती है। जिसकी कीमत २४ करोड़ रुपया होती है जिससे ५७१ हजार एकड में इरिगेशन हो सकेगी और ४.५ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होगा जिससे तीस करोड़ रुपया सालाना का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इसलिए जिन डिस्ट्रिब्यूटरीज और चेनल्स को पूरा पक्का करने में २५ करोड़ खर्च होता है और एक साल में २० करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन होता हो वह योजना लाभदायक है और उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन को इतमीनान दिलाने की कोशिश की है और वे इस बात

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

को मानते भी हैं कि इससे वास्तव में फायदा होगा। और हमारे उद्देश्य के अनुसार उनको पक्का ही करने का कार्यक्रम बना रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान केनाल के साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया कि अकाल पड़ते हैं यहां पर अन्न का उत्पादन कम होता है, हमें इस मामले में स्वावलम्बी होने के लिए राजस्थान केनाल पर पूरा जोर देना चाहिये सर्वोच्च प्राथमिकता इसे दी जानी चाहिये। मैं मानता हूँ कि वास्तव में इसके बन जाने से जैसा माननीय सदस्य ने कहा ३० लाख टन की वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में आ सकेंगे जिसकी कीमत १५०करोड़ रुपया होती हैं। इतना हमारा वार्षिक उत्पादन बढ़ेगी इस टोटल केनाल के पूरी हो जाने पर। अतः जब तक यह नहीं बनती है तब तक केवल रकम के ब्याज का नुकसान होता है, न केवल रकम हमारी बेकार जाती है, न केवल हमारे पर लायबिलिटी बढ़ती है न केवल इसके कारण मिलने वाले पानी पर देर होने से दूसरों के हक पैदा होते हैं, बल्कि साथ ही साथ देश को १५० करोड़ रुपया के सालाना उत्पादन की हानि भी होती है। अगर आधा भी हमने उत्पादन कर लिया तो ७५ करोड रुपये की हानि होती हैं लेकिन हानि इतनी बड़ी है इन टर्म्स आफ मनी इतनी बडी है कि हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि राजस्थान केनाल के कम्पलीशन में अधिक गति आए और पोंगडैम और इसके बीच में जो गैप हैं वह कम हो। पोंगडैम इसलिए बन रहा है कि इन्टरनेशनल कमिटमेंट है मंगला डैम बन गया है और पाकिस्तान को जाना बन्द हो गया उस पानी को हिंदुस्तान में रोकना है। वह भी आवश्यक है। वह भी आवश्यक है तो साथ ही साथ जो मैं राजस्थान केनाल के विषय में कह रहा हूं वह भी आवश्यक है।

दोनों का समन्वय बिठाना ही होगा और तब ही यह सुचारू रूप से काम हो सकेगा।

यहां पर माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान केनाल के साथ साथ दूसरे इन्टरस्टेट की प्राजेक्ट्स की भी बात कही गई। नर्मदा वाटर्स के बारे में कही गई और इस नर्मदा वाटर्स का क्या हो रहा है, राजस्थान क्या कर रहा हैं, अब तक क्या कार्यवाही हुई, उससे राजस्थान को क्या मिलने वाला हैं, कब मिलेगा—इन सबके बारे में भी अभी विचार व्यक्त किये गए। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस नर्मदा वाटर को एक्जामिन करने के लिये एक स्कीम बनाने के लिये, एक मास्टर प्लान बनाने के लिए डाक्टर ए० एन० खोसला के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी और ए० एन० खोसला ने उस कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इण्डिया को दी और गवर्नमेंट आफ इण्डिया को जो यह रिपोर्ट इस नर्मदा पानी के लिए दी उसका जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है दो तीन बातें उसमें खास है जो कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि नर्मदा डैम गुजरात में बना उसका एफ० आर० एफ ५०० का लेबल है और दूसरी नर्मदा केनाल जो कि नौगांव को टेकअप करेगी उसका लेवल एफ० एस० एल० ३०० है। यह दोनों इसलिए जरूरी हैं नर्मदा से ही हम राजस्थान के हिस्से को पानी दे सकते हैं और उस पानी के बारे में यह कहा कि जो केनाल का पानी हाई लेवल केनाल बन जाएगी उससे १ या १॥ लाख एकड जमीन को सिंचित करने के लिए पानी मिलेगा। इसके साथ ही साथ माही और साबरमती के कम्पलेक्स की एक इन्टीग्रेटेड स्कीम भी और उसके साथ ही साथ इस कमेटी ने सुझाव भी अपनी रिपोर्ट में दिया और कहा कि जो माही का पानी है और कडाना डेम में आता है और जो जमीन सिंचित होती है करीब ७॥ लाख एकड़ जमीन वह चूंकि जब नर्मदा का डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और गुजरात को नर्मदा का शेयर मिल जाता है और वह सारा सिस्टम जो कि माही के पानी से सिंचित होता है वह नर्मदा के पानी से सिंचित होने लग जायेगा । तो उस सूरत में ७.१ लाख एकड़ सिंचित होने वाला पानी कैनाल से राजस्थान में जालोर और बाड़मेर इलाके को जाकर वहां की जमीन को सिंचित करेगा । तो इस तरीके से करीब ९ लाख एकड़ जमीन इस नर्मदा के डिस्प्यूट खत्म होने से और इसका फैसला होने से राजस्थान के उन इलाकों को पानी मिल सकता है जहां सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है । हमेशा हमने इस बात की कोशिश की कि इसका जल्दी निपटारा हो । राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व किया, अपने केस को रखा इसलिए बोर्डर एरिया होने की वजह से और रेतीला इलाका होने की वजह से और इसबात को माना और इसलिए भी माना कि पानी की एक सोसायटी एज ए होल की ओनरशिप है और किसी व्यक्तिगत स्टेट या इन्डीविजुअल की नहीं है और इसी वजह से हम इस बात पर आगे चल रहे थे । मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बीच में सहमति नहीं आई । अन्त में इस विवाद को आपस से नहीं निपटता देखकर हमने २९ फरवरी, १९६९ को राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को लिखा कि अब यह म्युचुअल सैटलमेन्ट से यह मामला तय नहीं हो सकता इसलिए इस मामले को जो ट्रिब्यूनल है सुप्रिम कोर्ट की जजेज को जो कि इन्टर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट की धारा ५ के तहत कान्सटीटयूट होती है उसके तहत इस मामले को उनके सुपुर्द कर दिया जाये । उनको सुपुर्द करने के लिए हमारी तरफ से केन्द्रीय सरकार को लिख दिया गया है । केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है । लेकिन कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था कि मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट के हवाले से भी कि मध्यप्रदेश की गवर्नमेन्ट अब इस बात पर रजामन्द है कि इस मामले को म्युचुअल सैटलमेन्ट के तरीके पर निपटाया जाये । एक तरफ अखबार की वह खबर हमारा उत्साह बढ़ाती है कि यह मामला जल्दी में निपट जाये तो इससे ज्यादा लाभ हो उसको आगे चलकर प्राप्त कर सकें । तो यह मैंने आपको नर्मदा के बारे में कहा ।

नर्मदा के साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने माही के बारे में भी यहां पर चिन्ता व्यक्त की । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इतने वर्ष हो गये हैं इस माही को अभी तक नहीं बनाया गया है । कुछ सड़कें बनीं, कुछ बंगले बने और कुछ काम नहीं किये और इसमें जमीन डूबी है और उसका लाभ कुछ नहीं हो रहा है । यह बात सही है कि हमारा इरादा सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को इरिगेशन प्रोजेक्ट की तरह से दो तीन करोड़ की लागत का बनाने का था । उससे राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में करीब ७० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी और हम उसका काम शुरु कर रहे थे लेकिन उसके बाद में कडाना की हाइट का प्रश्न आया कि इसकी ऊंचाई कितनी हो, कितनी नहीं हो । उस समय यह तय किया गया कि कडाना का प्रश्न आया और कडाना की ऊंचाई कम की जाये और ज्यादा थी उसको घटाकर जैसा एग्रीमेन्ट आप सब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर सुनाया था उससे जाहिर होता है तो उसकी ऊंचाई ४१९ थी और साथ ही साथ इसको बड़ा प्राजेक्ट बनाने की योजना बनायी गयी । इसकी फर्स्ट स्टेज के अनुसार ९६ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई लिफ्ट से राजस्थान में होगी और १०००. क्युसेक्स पानी कडाना डैम में जायेगा और जो नर्मदा से सिंचित होगा और यह पानी जो हम दे रहे हैं वह वापिस कडाना हाई लेवल कैनाल के जरिये जालोर और बाड़मेर ले लिया जायगा तो इस तरह से प्राजेक्ट के बारे में विचार पैदा हुआ और यह तय किया गया । प्लानिंग कमीशन से इसका

# Page No 133



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्लियरेन्स नहीं आने की वजह से इस काम को शुरु नहीं किया जा सका । इस पर १ करोड़ ७० लाख रुपया पहले खर्च किया जा चुका है और इसके अलावा दूसरी इमारतें भी बनी हैं, इन्जीनियर्स के रहने के लिए आवास चाहिये, सड़कें भी चाहिए, पावर हाउस भी चाहिए-यह चीजें १५ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को शुरु करने के पहले आवश्यक हैं-अनावश्यक नहीं है । लेकिन दूसरे काम अभी जल्दी शुरु नहीं हो सके हैं इसलिये कि प्लानिंग कमीशन की क्लियरेंस नहीं मिली है । लेकिन अब ऐसा है कि प्लानिंग कमीशन की क्लियरेन्स इसके अन्दर ही मिल जायेगी और हम आने वाले साल में इसके काम को तेजी से शुरु कर सकेंगे....

**श्री नाथूराम बागीडोरा :** कडाना का हो गया लेकिन माही की मन्जूरी क्यों नहीं हुई ?

**श्री रामप्रसाद लडढा :** आपका जवाब दे दूंगा ।

**श्री नाथूराम बागीडोरा :** क्या जवाब देंगे । कुछ नहीं है जवाब आपके पास ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** इस तरह से हमने अभी फैमिन रिलीफ वर्क्स के अन्तर्गत माही के काम को लिया है और तेजी से काम चल रहा है और आशा की जाती है कि अगली साल जो हमने खर्च किया । १ करोड़ ७० लाख वह हमने हमारे हिस्से का खर्च किया है । अब ज्यों ही माही का क्लियरेन्स होता है और अब बनता है तो हमने जितना खर्च किया है हमारा जितना शेयर आ सकता है उसी मुकाबले गुजरात का भी बनता है वह रुपया मिलने से आगे चलकर हम इसको अधिक गति दे सकेंगे । अब तक क्लियरेन्स आने नहीं दिया । यह बात उचित है लेकिन साथ ही साथ में यह निवेदन करता हूँ क्योंकि राजस्थान के ऊपर प्लान सीलिंग छोटा होता है और बहुत काम भाखरा, और चम्बल के हाथ में थे और राजस्थान कैनाल भी थी इसलिए हम प्लान सीलिंग में स्पष्ट कर सकें ऐसी क्षमता प्लानिंग कमीशन ने नहीं समझी हमारी इस वजह से इसका क्लियरेन्स नहीं दिया लेकिन अब चम्बल समाप्ति पर आ रहा है भाखरा समाप्ति पर पहुँच चुका है । इसलिए अब हमें आशा है और करीब करीब सत्य है कि इससे क्लियरेन्स हमें मिल जायगा, और हम अगले साल से अच्छी तेजी से काम शुरू कर सकेंगे ।

यहां पर माही के साथ ही साथ कडाना के विस्थापितों के बारे में बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । साथ ही कई और माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, और स्वाभाविक है कि उनको चिन्ता हो कि एक प्रोजेकट तो गुजरात में बन रहा है, यद्यपि बाद में जाकर कभी लाभ राजस्थान को मिल सकता है, लेकिन इस समय डूंगरपुर, जिले और बांसवाड़े जिले के १२१ गांव इससे प्रभावित होते है, और साथ ही साथ इसमें काफी भूमि जलमग्न होती है । गलियाकोट और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

माताजी के मन्दिर के बारे में भी कहा गया। मैंने बीच में एक बार यह निवेदन किया था कि मै इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य जो सही स्थिति है उसकी जानकारी करके दूंगा। यदि आप चाहें तो मैंने वह वक्तव्य बनाया है आप लोगों की जानकारी के लिए। मैं उसे अभी इसी समय दे सकता हूँ, लेकिन आप जबानी बात मुझसे पूछना चाहते है........

**कई माननीय सदस्य :** दे दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** यह कोई एक छोटा सा प्रश्न नहीं है। कई प्रश्न माइन्यूट से माइन्यूट प्रश्न श्री नाथुरामजी ने पूछे थे। उसी हिसाब से मैंने यह वक्तव्य तैयार किया है।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष, अलग से स्टेटमेंट देने के लिए बताया है तो अलग से दे दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** तो अच्छी बात है। वक्तव्य के लिए माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार अलग समय पर रहूँगा। उसके बारे में डिटेल में कार्यवाही करूंगा, लेकिन माननीय महेन्द्रकुमारजी ने यह कहा कि कडाना बांध पहले से कम ऊंचा हो और उसके विस्थापितों को बसाया जाय.......

**श्री नाथूराम :** उपाध्यक्ष महोदय, कल यह वक्तव्य दे दें तो अच्छा हो।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** अच्छी बात है कल वक्तव्य दूंगा।

तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, जो नर्मदा के बारे में, माही के बारे में और राजस्थान कैनाल के बारे में जो कुछ विचार माननीय सदस्य ने रखे थे उसके सम्बन्ध में जो कुछ सही स्थिति थी उनको अवगत कराई है। यहां बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान कैनाल का काण्डला पोर्ट तक नेवीगेशन स्कीम थी उसको क्यों बन्द कर दिया ? तो मैंने पहले भी यहां पर निवेदन किया था कि यह स्कीम ओरीजिनल प्रोजेक्ट में कभी नहीं थी, लेकिन बाद में यह चर्चा आई थी, उसकी चर्चा कमेटी आफ डाइरेक्शन्स में भी डिस्कशन में हुई थी और सन् ६६ के अन्दर यह व्यवस्था की गई थी। कि इस स्कीम को क्रियान्वित करें। ७० करोड़ रुपया इस पर लगाते हैं और बनाते हैं और फिर कुछ और रुपया लगाते हैं इसके साथ जोड़कर तो लगभग २१० करोड़ इस पर खर्च हो जाता है। २१० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी १००० क्युसेक पानी हमेशा टेल एन्ड से काण्डला तक नहर की नेवीचेनल के रूप से काम में लेने के लिए रखना चाहिए। उसमे एव्जार्पशन एवोपरेशन और लासेज होते हैं। १००० क्यूसेक पानी से दो लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है और दो लाख एकड़ जमीन से १० मन फी एकड़ भी मानें तो २० लाख मन अनाज का नुकसान होता है। २१० करोड़ रुपया लगेगा और दो लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रहे और फिर एयर अटेक का और दूसरे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का डर बनेगा तो इस योजना को हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा गया । इसलिए वह स्कीम ड्राप कर दी गई । तो माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे ।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर कुछ लुनी नदी के लिए और दूसरी योजनाओं के बारे में कहा गया है । सबसे पहले चम्बल की बात कर लेता हूँ और उसके बाद मैं माइनर और मीडियम इर्रीगेशन के बारे में कहूँगा ।

बूंदी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने चम्बल क्षेत्र के संबंध में जिक्र करते हुए ध्यान आकर्षित किया था । उनकी कई समस्याएं थीं कि उन्हें पानी नहीं मिलता है, जिन गांवों को पानी नहीं मिलता है उन गांवों को भी कमाण्ड एरिया में घोषित कर रखा है । वहां जमीन नीलाम पर बिकती है और पानी पहुँचता नहीं है, पैदावार होती नहीं है । तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बूंदी में लिफ्ट कैनाल जिसका वे जिक्र कर रहे थे तो १२ गांव ऐसे हैं जो कि उनकी एक्स्टेन्शन स्कीम में आते नहीं है, न लिफ्ट स्कीम में आते है और न मौजूदा स्कीम के अन्दर उनको पानी मिल सकता है । इसलिए उन १२ गांवों को चम्बल कमाण्ड से डिकमाण्ड कर देंगे कि जिससे उनको जो तकलीफ हो रही है वह समाप्त हो जायगी ।

इसके साथ ही ढ़ोरों वगैरह का जिक्र किया गया और सीपेज का जिक्र किया गया । सीपेज का प्राब्लम राजस्थान के अंदर थोड़ा-बहुत और जगह भी है, लेकिन सबसे तीव्र और गम्भीर समस्या यदि है तो वह चम्बल क्षेत्र में है, और १९६८ में जून के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक ० से ५ फीट जहां पर वाटर लागिंग होता है उसका क्षेत्र ४४ हजार एकड़ है और उससे नीचे जाते हैं तो और अधिक बढ़ता है । लेकिन वहाँ पर यह गम्भीर समस्या है । इसको गम्भीरता से राजस्थान सरकार ने सोचा और समझा है और एक योजना बनाई है ४६ लाख की वह योजना सी० पी० डबलू० सी० से पास हो गई है और चम्बल 'कन्ट्रोल बोर्ड के पास स्वीकृति में है । उसकी स्वीकृति होने पर और धन की उपलब्धि होने पर इस काम को प्रारम्भ किया जायगा । लेकिन इस बीच में कुछ छोटी योजनाएं कुछ छोटे प्रावधानों के अन्तर्गत ली जा रही है । इससे कुछ लाभ पहुँचा है । पूरी स्कीम योजना की स्वीकृति के बाद और धन की उपलब्धि होने पर ली जा सकेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस समस्या का हल किया जाय कि जिससे कि नहरों पर करोड़ों रुपया लगा है और जिससे लाखों एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है, एसे साधनों को बढ़ायें । आपको यह जानकर खुशी होगी कि चम्बल क्षेत्र में पहली बार ३,८०,००० एकड़ जमीन पर सिंचाई इस साल हो रही है । यह सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र इसी साल इस चम्बल में रहा है । ऐसी जगह में वाटर लागिंग का प्राब्लम जिस तरह से हल हो उसका प्रयत्न करेंगे ।

धीरे और नहरों के जो बाकी काम हैं उनको पूरा करने के साथ साथ रिवाइज्ड एस्टीमेट की मन्जूरी होने के बाद एक्स्टेन्डेड पोर्शन में जो नहरें बनानी बाकी है और काफी दूर तक पानी पहुँच सके जिससे कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पानी का उपयोग हो सके तो स्कीम की स्वीकृति होने के बाद और धनराशि उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

यहां पर माननीय सदस्यों ने मीडियम और माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने अपने क्षेत्र के बारे में कई विचार व्यक्त किये हैं। जाखम की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जाखम का काम शुरु नहीं हुआ। दफ्तर धरियावद में नहीं बनाकर और जगह बना रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी किसानों की गरीबी को दूर करने के लिए सिंचाई के साधन देना आवश्यक था इसी कारण इस तीन करोड़ की योजना को साधनों की उपलब्धि की कमी होते हुए भी हाथ में लिया गया है, और इसी साल ३ लाख रुपये की विशेष ग्रान्ट भी दी गई है ताकि काम इसी साल शुरु हो सके ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक गति से चल सके और यह मुकम्मल होकर इस क्षेत्र को लाभान्वित कर सके। इसी साल इसके लिये ३ लाख रुपये दिये हैं और आने वाले साल में २०लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है,और हम चाहते हैं कि हमारी जो चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के प्रस्ताव हैं जो कि प्लांनिग कमीशन के पास भेजे गये हैं, उसके अनुसार हम चतुर्थ पंजवर्षीय योजना में इस कार्य को पूरा कर देना चहते हैं। रहा दफतर का ख्याल कि धरियावद का क्षेत्र सिंचित होता है और उधर के काश्तकारों को लाभ होगा तो इन्जीनियर का दफ्तर होगा वह दरियावद में होगा इस मामले में शंका किसी भी माननीय सदस्य को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी मकान बनेंगे और इधर या उधर का सवाल था तो एकाध मकान इधर भी बनेंगे। जहां तक आफिस के परमेनेन्ट दफ्तर का सवाल है, रेग्युलेशन का सवाल है उसे ज्यादा फायदा इस क्षेत्र का हो रहा है तो उससे महरुम नहीं रखेंगे।

यह पाली की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने साई डाइवर्शन की स्कीम के लिए कहा है, और यह कहा है कि डाइ-वर्शन की स्कीम जो शुरु होने वाली थी वह शुरु नहीं हुई है। यह बात गलत है। साइ डाइवर्शन में साई नदी को रोककर टनल के द्वारा उसको जवाई में डाला जायगा। यह डेढ़ करोड़ की योजना बनी थी, लेकिन बनने के बाद धनाभाव के कारण उसको लिया नहीं गया हो ऐसी बात नहीं है। इस साल एक विशेष ग्रान्ट उसको भी तीन लाख रुपये की दी गई है और उस पर काम प्रारम्भ हो गया है। एप्रोच रोड्स भी बन रही है, अर्थ वर्क भी हो रहा है और टनल का भी कान्ट्रेक्ट दिया जा चुका है, टेन्डर हो चुके हैं तो शुरु में कोई भी नया काम शुरु करते हैं तो सफलता होने में देर लगती है। तो जो काम पूरे नहीं हुए हैं, इसको भी ऐसा ही नहीं मान लिया जाये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार हमें पूरा करना चाहिए।

बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने लूनकरनसर क्षेत्र के बारे में कहा है, उन्होंने मेजा के बारे में भी कहा है कि अब तक मेजा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में पानी क्यों नहीं डाला गया है ? मेजा में पानी पहुँचाने की योजना बनाई गई है वह स्कुट्रिनी में है । ज्योंही मंजूरी मिल जाएगी हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को हाथ में लेंगे और मेजा से मांडल जुड़ा है, वहां के तालाब को भी पानी दिया जा सकता है । इस प्रकार वहां जो पानी की कमी है, उसे दूर किया जा सकता है । यह समस्या भी बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कही है । वह भी हो जाएगी । यह भी कहा है कि लूनकरणसर का वादा पूरा करने को कहा था वह भी पूरा होगा या नहीं ? इसमें उन्होंने शंका की है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहता हूं कि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की समस्या बहुत कठिन है । वहां पिलर चेंनल बनाई जाती रही है । उसके बाद दूसरा काम शुरू किया जाता है । जहां ऐसा है, वहां जुलाई में काम शुरू हुआ है । पहले साल में काम ने गति नहीं पकड़ी है, लेकिन आने वाले दो वर्षों में जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है, हम उस योजना को पूरा करना चाहते हैं । जिससे बीकानेर क्षेत्र में लूनकरणसर तहसील में एक लाख एकड़ सिंचाई पीने के लिए पानी सैंकड़ों गांवों में मिल सके । यह योजना इसलिए बनाई गई थी । तो मैंने पहले लूनकरणसर योजना के बारे में कहा है । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने हरसोर के बांध के सम्बन्ध में कहा है कि वह टूटा हुआ है, उसे ठीक क्यों नहीं करवाया जाता है ? हरसोर के बान्ध की पुरानी स्कीम है । मैंने उसका इतिहास देखा है । बांध ३ बार टूटा है । कोई कहता है कि तोड़ा गया है । उसका तखमीना बनाया है । वह राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन है । उसके स्वीकृत हो जाने पर उस काम को हाथ में लेंगे । इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में सर्वे की बात कही । उनका मैं एक एक का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ । लेकिन मैं बता दूं कि सिंचाई विभाग जागरूक है । और समय आने पर आवश्यकता के अनुसार पूरा किया जाएगा । जहां तक खेरबाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि डूंगरपुर, बांसवाडा, खैरवाडा और प्रतापगढ़ इन तहसीलों का हवाला दिया था कि ये आदिवासी क्षेत्र हैं । राष्ट्रपति ने इनको शिडयूल एरिया और शिडयूल टाईप एरिया घोषित किया है । वहां पर पहाड़ी एरिया है । कई छोटे छोटे मोखे हैं । कई काम अधूरे पड़े है । कई और काम हैं, जिनको हाथ में लेना है । आपको यह मालूम ही है कि राजस्थान में गांधी शताब्दी में यह निर्णय लिया है और ट्राइब्ल एरिया के लिए २५ लाख रुपया का विशेष प्रावधान रखा गया है । यह २५ लाख रु० का विशेष प्रावधान ट्रायवल एरिया में अधूरे कामों के पूरा करने के काम में लिया जाएगा । उससे आदिवासी क्षेत्रों में सहायता मिलेगी । जिससे उनकी गरीबी दूर होने में सिंचाई विभाग कुछ सहायक होगा । जहां तक सिंचाई विभाग के बारे में पाली जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है राजस्थान में तीन पंचवर्षीय योजनाओं में १७६ करोड़ रुपया खर्च किया गया है । अकाल राहत और फ्लड के अन्दर ३॥ करोड़ रुपया खर्च

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया गया है। समाज कल्याण में भी अब तक १९६ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया सिंचाई का साधन वाटर पोटेंशियल राजस्थान में सीमित है। वर्षा में नदी नालों में बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, वह भी हरनेस हो जायगा। साढ़े ९०० योजनाएं राजस्थान को पानी रोकने के लिए बनाई है। इन योजनाओं से राजस्थान में पानी बहता हुआ नजर नहीं आएगा। मुझे कुछ हिस्से जैसे चम्बल और बनास है, उनका तो बाहर जाना ही पड़ेगा। बाकी सारा पानी रुक जायगा। जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर जोर दे कि जितना पानी है, उस को रोके। उसको किस किस तरह से काम में लें। किसको कितना मिले। समाजवाद का नारा लगाते हैं, उसकी पूर्ति किस प्रकार से हो। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक लोगों को और अधिक से अधिक भूमि को पानी मिल सके। उसका उपयोग कैसे हो, यह विचार करना है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला प्रान्त हैं, जिसने इरिगेशन को सोशल ईजेशन करने का पहला कदम उठाया है। एक्सपेरीमेंटल रूप से पाली और भीलवाडा जिले में इसको प्रारम्भ किया गया था। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि इस साल हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली है। जिसका हमें दुःख भी है। इसिलिए इस वाजिब काम को आज नहीं कर पाये। लेकिन पाली और भीलवाड़ा में इस योजना को लागू किया था, उस में यह किया था कि ५ बीघा जमीन वालोंको पूरे ५ बीघा जमीन में पानी मिलेगा। १० बीघा वाले को १० बीघा के १।३ भाग पर मिलेगा यह योजना कि जो मीडियम प्रोजेक्ट है, उनमें ९० परसेंट पालन हुआ हैं। उसी का परिणाम है, जिनके १००-५० बीघा का फार्म था, उनका मिनिमम ५० परसेंट पूरा हुआ है। इस प्रकार १०० बीघा वालों का ५० परसेंट इन्ट्रेस्ट पूरा होने पर उनका पेट भर जाता है। लेकिन जिनके पास ५ बीघा या १० बीघा जमीन है उनका ५० परसेन्ट इट्रेस्ट पूरा होने पर पेट नहीं भरता है। इस योजना से मिनिमम पूअरसेक्शन आफ सोसाइटी को लाभ मिलेगा। हमें उसकी गरीबी मिटानी है। इसलिए मैंने एक योजना बनाने का निर्णय लिया। जिसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा कि ऐसे क्षेत्र में कितनी होल्डिंग्स है, कितनी खाते-दारी हैं। उनकी साईज क्या हैं? किसका कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसकी होल्डिगं ज्यादा है। कम वालों के अधिक पानी मिले यह हम चाहते हैं और अधिक होल्डिगं वालों को कम पानी मिले। तो उसकी योजना बना रहें हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस योजना को इस वर्ष कार्यान्वित करने में यह जरुरी हुआ कि हमें कानून में परिवर्तन करना चाहिए तो इरिगेशन आनट्रेनेज एक्ट में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कई आदमी हमें धमकी देते हैं कानून के अन्तर्गत अदालत में की जाने की तो हमें कानून में भी परिवर्तन करना पडेगा लेकिन इस सोशलाइजेशन सिस्टम को इरिगेशन में शनैः शनैः हम लागू करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह भी निवेदन करना

# Page No 139



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

चाहता हूँ, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने हेमावास की बात करते हुए कहा था कि जो हमने योजना बनाई थी उसके अनुसार पहले ज्यादा पानी देना तय किया था लेकिन ऐसे मामले हैं जिनमें कमाण्ड, अनकमाण्ड नहरी और बारानी जमीन में भेदभाव बरता गया हैं और इस योजना का पूरी तरह पालन नहीं किया गया हैं। यह एक जरूरी बात हैं, मैंने पानी देना स्टेटस पर तय किया था, मैंने चार बीघा, तीन बीघा को अलगस्टेटस मान कर तय कर दिया था। इस सिस्टम को इस साल लागू करने में थोडी ढ़िलाई रही है, लेकिन आने वाले साल में हम पूरी सख्ती से इसको कार्य रुप में परिणत करेंगे। इसके साथ ही में निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर की हम चार सौ एम० सी० एफ० टी० पानी देते रहे हैं। माननीय सदस्य को जोधपुर को चार सौ एन. सी. एफ. टी पानी देने में एतराज हैं, उनके अनुसार इससे सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाती है। में यह समझ नहीं पाया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हमने हेमावास के पानी को पूरा करने के लिए हेमावास फीडर का निर्माण प्रारम्भ किया हैं, इससे आवों की स्थिति सुधर जाने से जो पानी की क्षमता है वह अधिक बढ़ जायगी। इससे काश्तकारों को भी सुविधा होगी और जोधपुर वालों को जो पानी मिलता रहेगा। इसके हाथ ही यह तय किया गया हैं कि जवाई बांध के डाईवर्शन के बन जाने के बाद में जवाई बांध में पानी बहुतायत में आ सकेगा और इससे जोधपुर में भी पानी की सहुलियत होगी। इसे पब्लिक हैल्थ ने स्वीकार किया है और नहर को पक्का बना कर जोधपुर को निश्चित तौर पर एस्थार्ड पानी की सप्लाई के लिए यह उसे किया जा सके, तब तक यह व्यवस्था चालू रहेगी: और जोधपुर को एस्थार्ड पानी सप्लाई के लिए यह व्यवस्था भविष्य में की जा सकेगी—यह भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं।

इसी प्रकार बहुत सारे छोटे बड़े प्राजेक्ट्स के बारे में यहां पर कहा गया। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य को सुनेल खोड़ के लिए मैं निवेदन कर दूं, दरअसल यह पचपन लाख की स्कीम है और पचपन लाख की स्कीम को आज में लेने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर इधर इंजीनियरिंग ओपिनियन यह हैं कि यह प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए पास में नींव के लिए पत्थर भी नहीं है और भी कई अड़चने हैं। मैं माननीय सदस्य को स्वयं इसकी रिपोर्ट बताऊंगा। मैं समझता हूँ वह स्वय रिपोर्ट का अध्ययन करके कहेंगे कि अगर यह नहीं बन सकता है तो कोई एनीकट्स ही बना दें...

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके एवज में छोटा बांध बना दें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : वही कह रहा हूँ....

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : आप तो छोटे मोटे पर आ गए, हमने जो प्रश्न उठाया है उनका जवाब ही नहीं दिया है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : सुनेल के बारे में मैंने कहा है, उसके एस्टीमेट्स वगैरह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर विचार करने के बाद यह प्रश्न आता है कि उसकी क्या शक्ल बन सकती है और उसको किस तरह कार्यान्वित किया जा सकता है। तो यह योजना बनाने के लिये और भेजने के लिए मैंने कहा है। उसके आने पर उस पर विचार करके हम जल्दी ही कोई निर्णय लेंगे।

एक बात माननीय सदस्य जैतारण से आने वाले और पाली से आने वाले कहते है और एक बात माननीय सदस्य बाड़मेर से आने वाले और जालौर से आने वाले कहते हैं, लूनी को हाथ मत लगायें, यहां तक रहने दें और यह कहते हैं कि इसको यहां तक रहने दें...

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** जो केबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, जो सरकार ने निर्णय किया है उसका क्या हुआ ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** यह विवाद लम्बा न हो, इसलिए पूरे तथ्यों की जानकारी करके, एक दूसरे पर एडवर्स अफेक्ट नहीं हो और दोनों हकों के मुताबिक पानी का उपयोग होसके इस बात का ध्यान रखना चाहिये और इसी दृष्टि से हम इस सम्बन्ध में भी प्रयत्न करेंगे।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो योजनाओं के बारे में कहा। पहले वह किन्हीं कारणों से योजनायें बन्द कर दी थी, जो कि माननीय सदस्य को मालूम है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इसका पानी बाहर जाता है और इसकी इनन्डेशन स्कीम से इस पानी का इस्तेमाल जालौर में इस क्षेत्र में किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ और इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये उचित आदेश दूंगा।

इसी तरह से धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ योजनाओं के बारे में कहा था। उनका कहना था कि पंचायत समितियों के पास जो तालाब हैं या इनन्डेशन स्कीम हैं उनको राजस्थान का इरिगेशन डिपार्टमेंट ले ले क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। दरअसल यह नीति का प्रश्न है और यह पंचायत विभाग और विकास विभाग से ताल्लुक रखने वाला प्रश्न है। यह निर्णय विकास विभाग ने एक समय लिया था कि पचास एकड़ से नीचे के तालाब है या स्कीम है यह पंचायत समिति या पंचायत के तत्वाधान में रहें। उसके अन्दर एक क्लाज और है, वह यह है कि पंचायत समिति कोई प्रस्ताव पास करे किसी योजना के बारे में कि हम इसको सिंचाई विभाग के सुपुर्द करना चाहते हैं, सिंचाई विभाग इसे सम्भाले इसे ठीक करे, इसकी मरम्मत कराए और अपने कब्जे में रखे, और साथ ही सिंचाई शुल्क भी वसूल करें। ऐसे उचित मामलों पर सिंचाइ विभाग विचार कर सकता है। ऐसे तहकीकी प्रस्ताव आने पर उन पर विचार किया जा सकता है।

माननीय सदस्य पृथ्वीराज जी ने अपनी सवाई माधोपुर जिले की कुछ तहसील के बारे में, मुरेर बांध के बारे में,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं बनाने के सम्बन्ध में लिफ्ट इरिगेशन के बारे में और वामनवास में सिंचाई सुविधा देने के लिए कटौती के प्रस्ताव रखे थे। मेरा निवेदन है कि मुरेर का बांध अपने टार्जेट पर नहीं पहुँच पाया है, वैसे इस साल काफी पिलाई हुई है। धीरे धीरे इसकी इरिगेशन स्कीम सेट इन हो रही है। एक स्कीम है कि लम्बी नहर निकाल दें, लेकिन पीछे पीछे वाले पानी मांगने लगेंगे तो बाद में तकलीफ होगी। इसलिए में सारे मामलों पर विचार कर रहा हूं कि किस हद तक हम इन नहरों का विस्तार कर सकते हैं पीछे वालों को विना नुकसान पहुँचाये। इस पर मैं पूरी रिपोर्ट आने के बाद में विचार करूंगा।

इसी प्रकार टोंक जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कामों के बारे में कहा। टोडली सागर, लसाड़िया और एक दूसरे बांध के बारे में कहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सदस्य ने कुछ समस्यायें कुछ दिनों पहले मेरी सामने रखी थीं, जिनका जिक्र अब भी किया है और उनकी जानकारी में है कि मैंने उस सम्बन्ध में उचित आदेश पहले ही दे दिये हैं। इसलिए उस मुताबिक व्यवस्था हो जायेगी।

जहां तक टोडली, समेला, बांध बनाने का और लसाड़िया का बांध बनाने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लसाड़िया बांध की सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन से मंजूरी हो चुकी है और इसको मंजूर हुए कई वर्ष हो चुके हैं। वह एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको हम धनाभाव की वजह से पूरा नहीं कर पाये हैं, शुरू नहीं कर पाये हैं, अभी भी शुरू नहीं किया गया है। अब लसाड़िया सागर से, समेला पर बांध बांध कर पानी उधर ले जाते हैं तो उसका मुझे पता नहीं है कि कितना उसके ऊपर खर्चा होगा, कितना इससे लाभ पहुँचेगा। जहां लसाड़िया से नहीं पहुँचे तो उधर कितना लाभ होगा, कितना नहीं होगा। यह तहकीकी तौर पर नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस समय इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना मुनासिब समझूंगा।

दूसरा उन्होंने नहर के सीपेज के बारे में कहा। डेढ़ मील तक सीपेज मोती सागर का बताया है। इस कार्य को हम हाथ में लेंगे और इसकी लाइनिंग करेंगे, इससे जो सीपेज होता है और जो पानी झरने की बात है जिससे किसानों को परेशानी पैदा होती है, उसको हम रोक सकेंगे।

मैं मुख्तसिर तौर पर यद्यपि सभी माननीय सदस्यों के सभी प्रस्तावों या सभी सुझावों पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाया हूँ लेकिन जो कुछ मेरा...

**श्री उपाध्यक्ष :** सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय दस मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** अंत में कुछ और योजनाओं के बारे में जो भादरा से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये थे उनके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने यहां सदन में एक तथ्य प्रस्तुत किया था कि सैंतीस हजार एकड़ जमीन कमान्ड में है लेकिन उस पर पानी नहीं पहुंचता, नहीं पहुँच सकता, न पहुँचने की उम्मीद है, न नौहर फीडर से पहुंच सकता है, न लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से पहुंच सकता है-ऐसे गांवों को इस कमाण्ड में रखने से सरकार को क्या फायदा है। यह बात सही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जिस क्षेत्र को जिस भूमि में न भाखरा से पानी पहुंचना है, न भाखरा से आगे पहुंचने की सम्भावना है, न नौहर फीडर से पहुंचनी सम्भव है, न लिफ्ट इरिगेशन से पहुंचने की सम्भावना है—न सतपुड़ा से पहुंचने की सम्भावना है—ऐसे क्षेत्र को भाखरा से डिमाण्ड घोषित करने की कार्यवाही करेंगे जिससे इस क्षेत्र के लोगों को जो तकलीफ है उनको राहत मिल सके।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** इसके साथ साथ....

**श्री हंसराज आर्य :** उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा नहर का पानी जिस जगह लगता था, पानी के लिये कमिटेड थे उसे अनकमाण्ड कर दिया ?

**श्री उपाध्यक्ष :** फिर आप कनफ्यूज कर रहे हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** आपने इस जमीन के साथ साथ कोलोनाइजेशन की समस्यायें भी रखी।

**श्री हंसराज आर्य :** बीस गांव निकाल दिये उसके लिये क्या कर रहे हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** बीस गांव निकाल दिये इसकी तसदीक करके आपके कथनानुसार तसदीक करके उस पर उचित आदेश दूंगा।

इसके साथ साथ मेरे ख्याल से कोलोनाइजेशन के बारे में माननीय सदस्य जो भादरा से आये हैं उन्होंने समस्यायें रखी थीं एक तरफ जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है राज्य सरकार सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है जहां पर राजस्थान के प्रारम्भ होने से पहले ९ लाख एकड़ नहरों से और १८ लाख एकड़ कुओं से सिंचाई होती थी वह बढ़कर इस साल २७ लाख एकड़ तक पहुंच चुकी है इसके साथ साथ तालाब के पेटे जो जमीन है जहां नमी रहती है दो तीन लाख एकड़ भूमि में वह नमी इर्रीगेटेड बेनीफिट्स जनता को देती है इतने पर भी उनमें कई समस्यायें हैं उसको हल करने की कोशिश कर रही है।

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोलोनाइजेशन के बारे में समस्यायें रखी। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं ये समस्यायें दो तीन रोज पहले ही माननीय सदस्य ने रखी थी उसको एग्जामिन करा रहा हूँ उस पर छानबीन करके उन पर उचित आदेश दूंगा जिससे माननीय सदस्य की तकलीफ दूर हो सके।

**श्री हंसराज आर्य** : राजस्थान नहर का पानी जो बन्द होगया....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान नहर बीस फरवरी को बन्द होगई, उसका एलान सबको कर दिया था यह भी कह दिया गया था गेहूं न बोये जांय चने बोये जायें बीस फरवरी के बाद पानी नहीं मिलेगा। पानी देना मेरे हाथ में नहीं राजस्थान कैनाल से पाकिस्तान को २० फरवरी से पानी देना शुरू किया था। पेरेनियल कैनाल नहीं इस वजह से क्षति हो सकती हैं। माननीय सदस्य ने फसल के नुकसान के बारे में कहा वहां एक लाख एकड़ में गेहूँ बोया गया जिसका नुकसान हुआ इसबात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो फसल बोई गई उसकी जिन्सवारी के आंकडे कुते है सारे क्षेत्र में एक एकड़ के करीब गेहूं बोया गया। एक लाख एकड़ जमीन का सवाल कहां हैं ? बीस फरवरी को राजस्थान नहर के पानी बन्द करने की इत्तला दे चुके थे और भाखरा और गंग केनाल में भी बरसात की कमी की वजह से हमारे शेयर में पानी कम आया हमने इसके बारे में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और इरिगेशन मिनिस्टर से और पंजाब गवर्नमेंट से भारत सरकार से मिल कर इस बात की कोशिश की और इसी का परिणाम हैं कि गंग केनाल चल रही हैं जितनी आवश्यकता है हमारा जो शेयर है वह मिल रहा है।

भाखरा में भी हमारा जितना शेयर था उसके आधार पर पानी आया लेकिन शेयर के मुताबिक ऊपर पानी न होने के कारण पानी की कमी रहने से हमारा शेयर जो है उससे अधिक नहीं मिलता है। हमने पानी बन्द होने का नोटिस दे दिया था लेकिन प्रकृती के कारण वर्षा की कमी से पानी नहीं जा सका तो जितना भी पानी मिला है उसी से सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये।

नौहर क़स्बे की पानी स्कीम के लिये ६० हजार रूपये की योजना बनाई है पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के ऐजेन्ट हैसियत से सिंचाई विभाग को एग्जीक्यूट करना है हमनें उसकी स्वीकृति दे दी है। उनका इस बारे में लेटर आजायगा तो तत्काल कामशुरू करके पानी की तकलीफ को दूर कर देंगे

अन्त में मै यही निवेदन करूंगा जहां तक हो सका है मैंने सभी माननीय सदस्यों को सन्तोष देने की कोशिश की है। कुछ मुद्दे की बाते रह गई है उनको सदन के बाहर सन्तोष देने की कोशिश करेंगे। सभी माननीय सदस्य इस मांग को सर्व सम्मति से पास करेंगे।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, लूणी नदी पर बान्ध बान्धा नहीं जाये इस बारे में कुछ नहीं कहां। लूणी नदी पर बान्ध बन्धाने पर बालोतरा उजाड़ होजायगा आपने इसके बारे में स्पष्ट कमिटमेन्ट नहीं दिया ?

# Page No 144



**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मैंने निवेदन किया है सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे पर प्रभाव को न्यास में रखते हुए अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पुर्वक विचार करके ही योजना जहां कहीं होगी ली जायगी उसमें सब बातों पर विचार कर लिया जायगा ।

**श्री रतनलाल रोत :** डूंगरपुर के सात मोटे तालाबों की टेकनिकल सर्वे पूरी हो गई है उसकी फाइनेन्सियल स्वीकृति नहीं होने से बडे पैमाने पर काम नहीं लिया जा रहा है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** पच्चीस लाख रुपया सब आगया ?

**श्री राम प्रसाद लड्ढा :** आदिवासी क्षेत्र के लिये फाइनेन्शियल रिर्टन्स का नियम लागू नहीं किया जायगा हम राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं रकम का जो ब्याज आता है सोसायटी एज होल को फायदा होता हैं तो कितना लाभ होगा इसका ध्यान नहीं रखते हुए बेनीफिट कितना होता है इसमें माननीय सदस्य की सब योजनायें आजायगीं ।

**श्री मोहनलाल मोदी :** मैंने जिन योजनाओं का जिक्र किया क्या वे योजनायें बरसात से पहले चालू हो जायगीं उन पर बरसात के पहले काम होजायगा या नहीं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** आप मुझ से बात कर लीजिये ।

**श्री मूलचन्द डागा :** मेरी समस्याओं के बार में मैं आपसे बात कर लूंगा ।

**श्री जयनारायण :** हमारे इलाके की इतनी बड़ी योजना है उसके लिये सरकार अलग से डिविजन स्थापित करके इस काम को गति देना पसन्द करेगी ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** धनराशि उपलबन्ध होने पर फन के अनुपात में जिस स्थान की आवश्यकता होगी उस आवश्यकता की पूर्ति की जायगी ।

**श्री नन्दलाल बैंरवा :** साबी नदी के बारे में

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** मैं करुंगा साबी नदी के बारे में उस पर बान्ध बनाने के बारे में ईन्टर स्टेट योजना है। दिल्ली और हरियाना और राजस्थान की इस योजना के बारे में कहा था में निवेदन करना चाहता हूँ यह योजना केन्द्रीय सरकार को भेजीं गई सी० पी० डब्लू० सी० ने चौथी योजना में कुछ प्रावधान भी रखा है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** सदन की अनुमति से बैठक का समय पांच मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता हैं ।

**श्री नन्दलाल :** फसलों में पानी नहीं पहुँचने से काश्तकारों को नुकसान हुआ हैं उसके बारे में मुआवजा दिलाने के लिये प्रयास करेंगें ।

### मांग सं० २५

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२ बहु प्रयोजन

(श्री उपाध्यक्ष)
नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३, ८४, ५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग सं० २६**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य ( वाणिज्यक )

४४--सिचन, नौचालन तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य ( अवाणिज्यक )

४५-सिचन ( संयुक्त स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,०८,४६, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई ।

**मांग सं० ४०**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत ( वाणिज्यिक )

१००-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत ( अवाणिज्यक ) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,४९,३३,०००रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई ।

**श्री उद्योग मंत्री ।**

**श्री हरिदेव जोशी ( उद्योग मंत्री )** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(१) कल दिनांक २६ मार्च, १९६९ को सदन की बैठक प्रातः ८ बजे से रखी जाय,

(२) २६ मार्च, १९६९ को अनुदानों की मांगों पर मतदान के पश्चात, राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६९ को विचारार्थ एवं पारण हेतु लिया जाय ।

(३) २७ से ३१ मार्च, १९६९ तक सदन की बैठकें न रखी जायें ।

(४) १ से ३ अप्रेल, १९६९ को निम्नांकित शासकीय विधेयकों को विचारार्थ एवं पारण हेतु लिया जायः—

(श्री हरिदेव जोशी)

(१) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६९।

(२) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्रहता–निवारण) विधेयक, १९६९।

(३) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६९

(४) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, १९६९।

(५) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, १९६९।

(५) ४ अप्रेल, १९६९ को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को विचार हेतु रखा जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही कलप्रातः ८–०० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६-१३ म०प० दिनांक २६ मार्च, १९६९ के प्रातः ८–०० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

## परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न सं० ५३० की सूची)

### समाज कल्याण विभाग में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सूची

| क्रमांक | पद का नाम | अधिकारी का नाम | जिले का नाम | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १: | निदेशक | श्री भगवान सहाय जोशी | निर्देशालय जयपुर | — | — |
| २: | उप निर्देशक | श्री बी० डी० शर्मा | निर्देशालय जयपुर | — | — |
| ३: | प्रिन्सिपल | श्री एन० एन० व्यास | उदयपुर | — | — |
| ४: | आदिम जाति संघ संस्थान | | | | |
| ४. | सहायक निदेशक | श्री एस० सी० वर्मा | निदेशालय, जयपुर | — | — |
| | | श्री शान्तिलाल गुप्ता | जयपुर | — | — |
| | | श्री एन० एल० बींदिया | उदयपुर | — | — |
| ५. | लेखाधिकारी | श्री मोहन चन्द माथुर | निदेशालय | — | — |
| ६. | क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी | श्री तेज सिंह पान्डे | जयपुर | — | — |
| ७. | प्रचार अधिकारी | श्री आईदान सिंह | जयपुर | — | — |
| ८. | सांख्यिकी | श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता | जयपुर | — | — |
| ९. | प्राध्यापक | श्री रूप सिंह भील | उदपुयर | — | अनु०जन० जाति |
| १०. | | श्री एन० डी० चोधरी | उदयपुर | — | — |

———

## ल्याण विभाग में कार्य करने वाले द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की जिलेवार सूची (ब)

| क्रमांक | पद का नाम | अधिकारी का नाम | जिले का नाम | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १. | जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी | १. श्री विश्वेन्द्रनाथ गुप्ता | कोटा | | |
| | | २. श्री जगदीशप्रसाद | श्रीगंगानगर | | |
| | | ३. श्री प्यारेलाल पुरोहित | जयपुर | | |
| | | ४. श्री राघवसिंह | झालावाड | | |
| | | ५. श्री रूपसिंह लोढा | नागौर | | |
| | | ६. श्री बी०आर०के० शर्मा | भीलवाड़ा | | |
| | | ७. श्री रामेश्वरलाल | अलवर | | |
| | | ८. श्री कालूलाल सुखलाल | उदयपुर | | |
| | | ९. श्री चांदमल जैन | भरतपुर | | |
| | | १०. श्री हमीरमल कटारिया | पाली | अनु०जाति | |
| | | ११. श्री वृन्दावनबिहारी | बूंदी | | |
| | | १२. श्री हेमेन्द्रकुमार | बासवाड़ा | | |
| | | १३. श्री गोविन्दसिंह | सीकर | | |
| | | १४. श्री लोकीराम शर्मा | सिरोही | | |
| | | १५. श्री नारायणसिंह | बाड़मेर | | |
| | | १६. श्री रोशनलाल अग्रवाल | टोंक | | |
| | | १७. श्री विमलचन्द जैन | सवाई माधोपुर | | |
| | | १८. श्री रवीन्द्रनाथ शर्मा | बीकानेर | | |
| | | १९. श्री युसूफअली | डूंगरपुर | | |
| | | २०. श्री त्रिलोकीनाथ | जालोर | | |
| | | २१. श्री लक्ष्मण गोस्वामी | चुरू | | |
| | | २२. श्री नारायण बन्धु | चित्तौडगढ़ | अनु०जाति | |
| | | २३. श्री केदारनाथ अजमेर | अजमेर | | |
| | | २४. श्री मंगलसेन | जैसलमेर | | |
| | | २५. श्री इन्द्रराजसिंह | झुंझनूं | | |
| | | २६. श्री दलपतराज मरडिया | जोधपुर | | |

# Page No 149



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | २. अधीक्षक गृह | १. श्री जी० डी० सिलवा | अजमेर | | |
| | | २. श्रीमती रामेश्वरी वैश्य | जयपुर | | |
| | | ३. श्री श्यामसुन्दर व्यास | उदयपुर | | |
| | | ४. श्रीमती एन० जी० शर्मा | अजमेर | | |
| | | ५. श्री गोपीलाल | अजमेर | | |
| | ३. परियोजना अधिकारी | १. श्री सुधीरकुमार | जयपुर | | |
| | ४. परिवीक्षा अधिकारी :मु: परिवीक्षा अधिकारी भिक्षावृत्ति | १. श्री सुरेन्द्रकुमार दलेला | जयपुर | | |
| | | २. श्री जसवन्तसिंह झाला | अजमेर | | |
| | ५. समाज कल्याण अधिकारी | १. श्री हरचन्द जैन | जयपुर | | |
| | | २. श्री प्रभुलाल गुप्ता | अजमेर | | |
| | | ३. श्री तेजपाल सिंह रोकड़िया | कोटा | | |

# परिशिष्ट २

## (तारांकित प्रश्न सं० ५३२ की सूची)

सरकारी (राजस्व) बाकीयात की सूचना

| नाम विभाग | ३१. ३. ६८ [लाखों में] |
|---|---|
| १. भू–राजस्व | ६१०.१० |
| २. सिंचाई | ८१.३२ |
| ३. वन | २२.६८ |
| ४. जन स्वास्थ्य | १२१.०२ |
| ५. यातायात | २७.०३ |
| ६. खान एवं भूगर्भ | ६१.३८ |
| ७. उद्योग तथा प्रदाय | १०.८९ |
| ८. सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा पथ) | ४७.७६ |
| ९. आबकारी | ६७.८० |
| १०. वाणिज्यकर | २६३.६१ |
| | १,६७३.५६ |

## परिशिष्ट ३

### (तारांकित प्रश्न संख्या ५३१ की सूची)

केन्द्रीय सरकार से ३१-३-१९६८ तक प्राप्त ऋणों की योजनावार सूची.

| | | |
|---|---|---|
| १. | भाखरा नांगल परियोजना | ४४,०८,२२ ३८५.०० |
| २. | चम्बल परियोजना | ४८,४९,८५,६३२.१७ |
| ३. | व्यास परियोजना | २३,८४,९७,४३४.५० |
| ४. | राजस्थान नहर परियोजना | ५३,०६,८६,८५५.०० |
| ५. | अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी उन्नति के लिए कार्य | २,७५,००,०००.०० |
| ६. | जवाई परियोजना | १,२२,६७,०००.०० |
| ७. | बाढ़ नियन्त्रण कार्य | ५,६३,९८,०००.०० |
| ८. | विद्युत सुविधाओं का विस्तार | १,१८,४३,४३०.०० |
| ९. | ग्रामों में विद्युत व्यवस्था | ८,७८,४५,२३३-७९ |
| १०. | ग्रामीण जल प्रदाय योजना | ७,४८,४१,६८६.०० |
| ११. | सामुदायिक विकास सहकारिता एवं राष्ट्रीय सेवा खण्ड | ९,३०,१७,२६५.०० |
| १२. | अधिक अन्न उपजाओ एवं लघु सिंचाई योजनाएं | ३२,५१,८९,९२८.७१ |
| १३. | अल्प कालीन ऋण | २१,७८,१०,०००.०० |
| १४. | विविध विकास योजनाएं | ६१,९४,८२.०००.०० |
| १५. | लघु उद्योग | २,८६,०९,२१५.०० |
| १६. | मैट्रिक प्रणाली में माप व नाम व्यवस्था | ६,८५,०४६.०० |
| १७. | अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना | ३.०५,५२,०००.०० |
| १८. | सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना | ५१,८८,६३९.०० |
| १९. | ग्रामीण गृह परियोजना | ७२,१९,०००.०० |
| २०. | गंदी बस्तियों की सफाई योजना | ६,९३,०००.०० |
| २१. | भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना | ६,००,०००.०० |
| २२. | अल्प बचत योजना | १३,६८,७५,०००.०० |
| २३. | पंच वर्षीय ब्याज मुक्त इनामी हुण्डियां | ४८,७१,०००.०० |
| २४. | सहायता एवं पुनर्वास | ४,८५,०७,२६९.१३ |
| २५. | सार्वजनिक ऋण में से प्राप्त राशि | ५,००,००.०००.०० |
| २६. | शिक्षा प्रयोजन हेतु भवन निर्माण योजना | १,०३,३५,०४०.०० |
| २७. | अकाल सहायता | १९,३७,०१,१२३.०० |
| २८. | संरक्षिका गृह योजना | १,९४,४०,०००,०० |

| | |
|---|---|
| २६. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों हेतु भवन निर्माण योजना | ३०,१८,८७०.०० |
| ३०. सड़क विकास योजना | १,३१,२०,६००.०० |
| ३१. पूंजीगत व्यय हेतु ऋण | ३७,८०,३५०.०० |
| ३२. भारत सेवक समाज | ३,००,०००.०० |
| ३३. ग्राम्य मानव शक्ति का उपयोग एवं ग्रामीण काम दिलाऊ योजना | ६८,६०,०००.०० |
| ३४. निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थानान्तरण | १,००,००,०००.०० |
| ३५. ग्रामदान एवं भूदान | ४,५५,६००.०० |
| ३६. सुनारों के लिए पुनर्वास ऋण | ६६,००,०००.०० |
| ३७. गुड़गाँव नहर | १८,३६.०००.०० |
| ३८. सतपुड़ा | ४,२४,००,०००.०० |
| ३६. गांधी सागर | २,३३,००,०००.०० |
| ४०. मार्गोपाय अग्रिम | १,०४,१०,८१,८६८.६४ |
| | ४,६२,४५,१६,४७१.२४ |

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न सं० ५४४ की सूची)

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE ON BHAKRA NANGAL PROJECT CAPITAL EXPENDITURE

| Year<br>1 | Total Expenditure in curred by the Punjab Govt.<br>2 | Share of Rajasthan Government (in lacs)<br>3 | Interest charges there/on (in lacs)<br>4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 64.73 | 10.43 | 0.20 | |
| 1947-48<br>1947-48 | 25.04<br>44.63 | 4.21)<br>7.15) | 0.48 | |
| 1948-49 | 250.46 | 42.12 | 1.26 | |
| 1949-50 | 445.76 | 77 97 | 3.11 | |
| 1950-51 | 522.15 | 98.69 | 6.07 | |
| 1951-52 | 577.39 | 117-24 | 10.11 | Accepted |
| 1952-53 | 1181.70 | 212.10 | 17.02 | |
| 1953-54 | 1881.35 | 331.07 | 29.03 | |
| 1954-55 | 1332.60 | 197.83 | 34.40 | |
| 1955-56 | 568.22 | 84.06 | 36.21 | |
| 1956-57<br>,, | 145.58)<br>298.60) | 14.11)<br>42.21) | 40.73 | |
| 1957-58 | 567.33 | 71.15 | 45.17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1958-59 | 497.22 | 76.22 | 36.28 | |
| 1959-60 | 616.71 | 89.24 | 10.18 | Accepted |
| 1960-61 | 629.63 | 91.52 | 11.48 | |
| 1961-62 | 425.09 | 57.32 | 15.13 | |
| 1962-63 | 101.81 | 2.07 | 16.39 | Accepted on adhoc basis. |
| 1963-64 | 282.74 | (—)2.28 | 6.84 | |
| 1964-65 | 77.76 | 8.43 | 2.62 | |
| TOTAL | 10,536.50 | 1,633.16 | 322.71 | |

Note:—Figures 65-66 are under checking and those for 1966-67 onwards have not been received from the Punjab Govt.

———

भाखरा कैनाल से सिंचित क्षेत्र पर कर निर्धारण का विवरण। आँकड़े लाख रुपयों में

| साल | कर निर्धारण |
|---|---|
| १९५४.५५ | १.८५ |
| १९५५.५६ | ४.६० |
| १९५६.५७ | ३.९४ |
| १९५७.५८ | ६.६७ |
| १९५८.५९ | १०.१७ |
| १९५९.६० | १२.५० |
| १९६०.६१ | ८.२८ |
| १९६१.६२ | ११.६७ |
| १९६२.६३ | १७.८५ |
| १९६३.६४ | १९.३८ |
| १९६४.६५ | २८.४८ |
| १९६५.६६ | २७.२७ |
| १९६६.६७ | ३१.८५ |
| १९६७.६८ | ४७.५४ |
| १९६९. खरीफ | २४ ७८ |
| | २५६.८३ |

### परिशिष्ट–५

(ता. प्र. सं. ५४७ की सूची)

सूची–अ–

| क्र०सं० | नाम खातेदार | खसरा नं० | रकबा |
|---|---|---|---|
| १. | श्री नरपतसिंह आत्मज नाहरसिंह | ६११ | ३–॥)१ |
| | जाति राजपूत साकिन चावरा | ६१२ | ६८–॥) २ |
| | | ६१३ | २३–।।।) |
| | | ६१४ | ) २ |
| | | ७१४ | ४–।।।)२ |
| | योग :– | ५ | १००–।।।)२ |
| २. | श्री राजेन्द्रसिंह आत्मज | | |
| | जवानसिंह | ३११ | १००१)२ |
| | श्री नरेन्द्रसिंह आत्मज जवान सिंह | ३१२ | )२ |
| | श्री नारायणसिंह आत्मज महेन्द्रसिंह | ३१४ | ७–१) |
| | जाति राजपूत साकिन कीकया | ४११ | ३६२–।)४ |
| | हिस्सा बराबर | ७११ | ६)४ |
| | | ८ | ७–१३ |
| | | ६११ | ६–११३ |
| | | ६१२ | २–११३ |
| | | ६१३ | ५–।) |
| | | ६१४ | २–११)४ |
| | | ६१५ | )३ |
| | योग :– | १३ | १४०८)२ |
| | कुल योग :– | १८ | १५०६–)२ |

## सूची-ब-

जमीनों के लिये संबंधित व्यक्तियों को दिये गये मुआवजे का विवरण

| | नाम | मुआवजे की रकम | चुकारे की तारीख |
|---|---|---|---|
| १. | श्री नरपतसिंह आत्मज श्री नाहरसिंह जाति राजपूत साकिन जाबरा | २८६०९-१४ | ४-३-६६ |
| २. | श्री राजेन्द्रसिंह | २२६५३-४८ | १२-५-६६ |
| ३. | श्री नरेन्द्रसिंह | २२६५४-२० | २२-६-६६ |
| ४. | श्री नारायणसिंह | २२६५४-२८ | १-६-६६ |
| | योगः- | ९७९६२-०३ | |

इन जमीनों का कोई मुआवजा अब शेष नहीं है।

## परिशिष्ट ६

( ता० प्र० सं० ५५२ की सूची )

रामगंज मण्डी व सांगोद के तहसील ग्राम जिनमें से ११ के० वी० लाईन गुजरती है लेकिन किसी भी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं हुए है।

**रामगंज मंडी**

(क) फीडर २ — ११००० वोल्टस फीडर रामगंज मण्डी से सुकेत सलावद

| | | |
|---|---|---|
| १. | दुर्जनपुरा | कवारी एरिया |
| २. | लक्ष्मीपुरा | आधा माइल स्कीम के लिए था मगर नोनरिम्युनरोटिव है। |
| ३. | जोगनखेडी | कवारी एरिया |
| ४. | सलावद खुर्द | इस गांव में १ या २ कुये मुश्किल से हैं। |

(ख) फीडर २ — ११००० वोल्टस फीडर रामगंज मण्डी से चेचट फानदा तथा कुकड़ा खुर्द

| | | |
|---|---|---|
| १. | कुतेपुर | आधा माइल स्कीम में लिया गया था मगर नोन-रिम्युनरोटिव है। |
| २. | सालेडा कलां | एक माईल की स्कीम में ले लिया गया था मगरे नोन रिम्युनरोटिव |
| ३. | अराअली | आधा माइल स्कीम में ले लिया गया था मगर नोन रिन्युमरोटिव है। |
| ४. | तेन्या खेडी | क्वारीज एरिया है। |
| ५. | सहरावदा | योजना बनाकर मण्डल की सेंक्शन के लिये भेजी गई है। १ या २ मील स्कीम में है। |
| ६. | जालिमपुरा | क्वारीज एरिया है। |

(ग) फीडर ३ — **११००० वोल्टस फीडर झालावाड़ रोड से उन्डवा नियामत खेडी तक**

| | | |
|---|---|---|
| १. | जयपुर | आधा माइल की स्कीम में ले लिया गया था मगर नोन रिन्युमरोटिव है। |

सांगोद — **११००० वोल्टस बापावर खुर्द सांगोद लाइन**

| | | |
|---|---|---|
| १. | तालची | आधा माईल स्कीम में लिया लेकिन रिन्यूमरोटिव नहीं था। |
| २. | मूला हेड़ी | आधा माईल स्कीम में लिया लेकिन रिन्यूमरोटिव नहीं था। |

**११००० वोल्टस–सांगोद हिन्गोनिया लाईन**

| | |
|---|---|
| १. | थाना हेडा गांव में केवल २ कुएं हैं। |

## परिशिष्ट ७

(अ. ता. प्र. सं. ३८९ की सूची)

| क्र.सं. १ | नाम २ | स्थान ३ | जिला ४ | निलम्बन ६ दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| १. | श्री छोटेलाल | झोटवाड़ा | जयपुर | ४-१-६६ |
| २-,, | श्री नारायण | आमनवा | सवाई माधोपुर | २४-४-६७ |
| ३-,, | दोस्त मोहम्मद | केलाबा | जैसलमेर | २७-४-६६ |
| ४-,, | लक्ष्मीनारायण उप सरपंच | बैराठ | जयपुर | २५-६-६६ |
| ५-,, | किशन | रायपुर पाटन | सीकर | २९-६-६६ |
| ६-,, | हंसाराम | रोड़कला | सवाई माधोपुर | ३०-४-६६ |
| ७-,, | बलवीरसिंह | किशनगढ़ रेनवाल | जयपुर | ७-११-६६ |
| ८-,, | भौरीलाल | मूडला | जयपुर | १८-११-६६ |
| ९-,, | सेडूराम | मावडाखुर्द | सीकर | १२-१२-६६ |
| १०-,, | चांदमल | कानाखेड़ी | अजमेर | २२-१२-६६ |
| ११-,, | फतेहसिंह | धाणसा | जालौर | २२-१२-६६ |
| १२-,, | लक्ष्मणसिंह सरपंच | खरेडा | टोंक | १४-१२-६६ |
| १३-,, | लेखराज ,, | बीकमसरा | चुरू | १८-१०-६६ |
| १४-,, | रामसिंह ,, | मंडावरा | नागौर | १३-११-६६ |
| १५-,, | देवीसिंह ,, | कामलीवाट | उदयपुर | १६-१२-६६ |
| १६-,, | चंद्र | हवावास | जयपुर | १०-४-६७ |
| १७-,, | बंशीलाल | नारायणा | ,, | ४-७-६७ |
| १८-,, | सीताराम | जाहौता | ,, | ७-११-६७ |
| १९-,, | रतनसिंह | गनवर | टोंक | ३०-३-६७ |
| २०-,, | अजीतसिंह | ६० जी.बी | गंगानगर | ३०-३-३७ |
| २१-,, | मलसिंह | मौहल्ला | ,, | २४-५-६७ |
| २२-,, | ओडरमल | हाकमाबाद | ,, | ११-१२-६७ |
| २३-,, | गोवर्धनराम | शिव | नागौर | १७-६-६६ |
| २४-,, | गोवर्धनराम | कंवरपुरा | सीकर | ३१-१-६८ |
| २५-,, | छीतरमल | जमवारामगढ़ | जयपुर | १०-५-६८ |
| २६-,, | रमजानीमेव | घोंसिगा | भरतपुर | १५-५-६८ |
| २७-,, | मोतीसिंह | सोहनाबजी | पाली | १५-६-६८ |
| २८-,, | कृष्ण मत्सप्र | हिरनौदा | जयपुर | ७-८-६८ |
| २९-,, | निजामुद्दीन | किरडोली | सीकर | ३१-८-६८ |

**नोट :**-दिनांक १३-३-६९ को हाई कोर्ट के निर्णय तक बहाल किया गया ।

# Page No 161



| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ३०–,, | श्री महाबक्स | सांगलिया | सीकर | २९–१०–६६ |
| ३१–,, | हेमराज | कोछोर | ,, | २५–९–६८ |
| ३२–,, | जयसिंह | उन्डू | बाड़मेर | ६–११–६८ |
| ३३–,, | जगन्नाथ | डोडवाडी | टोंक | २४–२–६८ |
| ३४–, | फौजमल | ककोड | ,, | १४–६–६८ |
| ३५–,, | भंवरलाल | खीवसर | नागौर | २६–६–६८ |
| ३६–,, | कानाराम | चान्दारूण | ,, | २६–६–६८ |
| ३७–,, | समुद्रसिंह | रूपपुरा पोरडा | ,, | १२–७–६८ |
| ३८–,, | भूरालाल | आवर | झालावाड़ | ११–९–६८ |
| ३९–,, | कानाराम | गिरजास | बीकानेर | १५–११–६८ |
| ४०–,, | खडगसिंह | दिसनाऊ | सीकर | ३–५–६८ |
| ४१–,, | बनेसिंह | अजान | भरतपुर | १–१–६९ |
| ४२–,, | गोवर्धनलाल | इनायती | सवाई माधोपुर | २३–१–६९ |
| ४३–,, | पुरुषोत्तमलाल | रुपनगढ़ | अजमेर | १३–१–६९ |
| ४४–,, | पारसमल | बदनौर | भीलवाड़ा | ५–३–६९ |

## परिशिष्ट ८

(अ. ता. प्र सं. ३९१ की सूची)

ग्राम चन्द्राई पंचायत समिति, लाडनूं के ग्रामसेवक क्वार्टर के निर्माण सम्बन्धी विवरण।

१—दिनांक १५—५—६५ से १७—६—६६ तक की अवधि में सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्राई द्वारा ग्राम सेवक क्वार्टर का निर्माण करवाया गया।

२—कुल व्यय रू० ४७७६)०० का हुआ उसमें से रू० २७००,०० पंचायत समिति के खर्च हुये।

३—भूमि का खसरा नम्बर ६५ हैं व इसका लगान श्री जालमसिंह अदा करते हैं जिनकी यह भूमि है।

४—श्री जालमसिंह ने ग्रामसेवक क्वार्टर के लिये २८० वर्ग गज जमीन पंचायत चन्द्राई को दी है।

## परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ की सूची)

| क्र०सं० | नाम ग्राम | जिस तारीख से कुआ चालू किया गया। | दिया गया। |
|---|---|---|---|
| १. | भुकरका | १-१२-६८ | २४/— |
| २. | मोहला | १-१२-६८ | १२/५० |
| ३. | दलपतपुरा | ,, | १५/— |
| ४. | सूरपुरा | ,, | २०/— |
| ५. | संगठिया | ,, | १७/— |
| ६. | चैनपुरा | ,, | २५/— |
| ७. | सुरजनगर | ,, | २५/— |
| ८. | असरवाना | ,, | २०/— |
| ९. | भूगुत्री | ,, | २५/— |
| १०. | धावसिया | ,, | २५/— |
| ११. | शयोरानी | ,, | २५/= |
| १२. | मतासर | ,, | २५/— |
| १३. | अरड़की | ,, | १२/— |
| १४. | भोगराना | ,, | ८/— |
| १५. | नयोलखी | ,, | २४/— |
| १६. | अवरासर | ,, | २५/— |
| १७. | महविराना | ,, | २५/— |
| १८. | मोटंर | ,, | २५/— |
| १९. | मदरपुरा | ,, | २५/— |
| २०. | रेड कोहलासर | ,, | २५/— |
| २१. | दुर्गाना | ,, | २५/— |
| २२. | भावलदेसर | ,, | २५/— |
| २३. | पूर्णसर | ,, | २५/— |
| २४. | नईयासर | ,, | २५/— |
| २५. | मालिया | १-२-६९ | २१/— |
| २६. | ललानायास दिखनादा | ,, | २५/— |
| २७. | भ्रमणवासी | १-२-६ | १३/— |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २८. | जैलासरी | ,, | २२/— |
| २९. | बाडूसर | ,, | २०/— |
| ३०. | चक दर्ददासपुरा | ,, | २५/— |
| ३१. | भगवानसर | १–२–६९ | १५/— |
| ३२. | सीपड़ा | २०-२-६९ | १७/— |
| ३३. | महराना | २०-२-६९ | १५/— |
| ३४. | सालासर | १-२-६९ | १७/— |
| ३५. | सिरनगर | १-१२-६८ | २५/— |
| ३६. | भैंदासर | ,, | २५/— |
| ३७. | पल्लू | २४-२-६९ | ३०/—आयुक्त राज० जयपुर से फोन वार्ता के बाद आदेश दिया गया। |
| ३८. | गंगासर | १-२-६९ | अभी तक तहसीलदार नोहर से दर प्राप्त नहीं हुआ केवल कुआ चलाने की स्वीकृति दी गई है। दर आने पर दर सूचित कर दिया जायगा। |
| ३९. | हरदासवाली | १-२-६९ | |
| ४०. | पाण्डूसर | १-२-६९ | |
| ४१. | सौती | १-२-६९ | |
| ४२. | भिराना | १-२-६९ | |
| ४३. | टिडियासर | १-२-६९ | |

# शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २५ मार्च, १९६९)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| २ | ४ | श्री वेश्रीसिंह हाड़ा | श्री केसरीसिंह हाड़ा |
| ५ | अन्तिम से १३ | श्री बी० एन० जेशी । | बी० एन० जोशी : |
| ८ | ६ | १६८ | १९६८ |
| ,, | १५ | मूख्य | मुख्य |
| १० | १ | ा | का |
| १२ | ४ | खेरवडा | खेरवाड़ा |
| ,, | ८ | बिजला | बिजली |
| ,, | अन्तिम से १३ | प्रथमिकता | प्राथमिकता |
| १३ | शीर्ष | ( उपमंत्री विद्युत ) | (श्री उप मंत्री विद्युत) |
| ,, | १० | खेरवाडा। | खेरवाड़ा |
| १४ | १२ | दे दा | दे दी |
| १५ | १३ | स्टफ | स्टाफ |
| १६ | ११ | प्रतिवष | प्रतिवष |
| २६ | ११ | रहा | रही |
| २९ | शीर्ष | (श्री जैनारायण) | (श्री जयनारायण) |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २९ | ५ | यिे | किये |
| ३० | १६ | जा | जो |
| ,, | १८ | बत | बात |
| ,, | २० | प्रप्त | प्राप्त |
| ३२ | शीर्षक | क. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर | अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ३३ | शीर्ष | — | (श्री मेघराज) |
| ३५ | अन्तिम से १३ | श्री दुर्गालाल बाढदर | श्री दुर्गालाल बाढ़दार |
| ३६ | ७ | राज। | राज्य |
| ,, | ५ | अयुक्त | आयुक्त |
| ४० | ७ | रूप | रूप |
| ४२ | शीर्षक | अतारांकित प्रश्नोत्तर | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ४६ | शीर्ष | (श्री रामप्रसाद बोहारा) | (श्री रामप्रसाद बोहरा) |
| ५२ | ६ | के | की |
| ,, | १२ | परिर्वक्षा | परिविक्षा |
| ,, | अन्तिम से ६ | पेटर्न | पेटर्न |
| ,, | अन्तिम | क्रल्याण | कल्याण |
| ५४ | १६ | लयं | लिये |
| ५५ | ६ | भत्रन | भवन |
| ६८ | अन्तिम से ८ | भ भरपण | भू भारपण |
| ,, | ६ | करवाई | करवाई |
| ७३ | ३ | (दूदू) | (दूदू) |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ७६ | अन्तिम से १५ | खर्चां होगा | खर्चा होगा |
| ७६ | १५ | स्यई | स्थाई |
| ८५ | ६ | मुख्य शर्षक | मुख्य शीर्षक |
| ६३ | १७ | खेरवग्ड़ा | खेरवाड़ा |
| ६५ | अन्तिम से १३ | मुस्द | मुख्य |
| ,, | ,, ४ | मकर | कर |
| ६६ | २ | महोदल | महोदय |
| १०३ | शीर्ष | (श्री नन्नवाल वैरवा) | (श्री नन्दलाल वैरवा) |
| ११० | अन्तिम से ६ | सिफरिशें | सिफारिशें |
| १११ व | शीर्ष | (श्री नन्दलाल वेरवा) | (श्री वृद्धिचन्द जैन) |
| ११२ | | | |
| ११५ | ,, | (श्री वृद्धिचन्द जैन) | (श्री वृद्धिचन्द जैन) |
| १२५ | अन्तिम से १२ | ना | नाम |
| १३३ | २ | नदा | नदी |
| ,, | १५ | खरब | खराव |
| १३४ | १३ | प्लागिं | प्लानिंग |
| १४१ | शीर्ष | (यशवन्तसिंह नाहर) | (श्री यशवन्तसिंह नाहर) |
| १४१ | अन्तिम से १० | खती | खेती |
| १४७ | शीर्षक | अनुनाद | अनुदान |
| १५० | २० | पस | पास |
| ,, | १७ | बेघा | बीघा |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १५० | अन्तिम से ८ | उवके | उनके |
| ,, | ४ | सहबान | साहबान |
| १५४ | १३ | आपक | आपका |
| १५६ | १२ | हमरे | हमारे |
| १६२ | ६ | जो रहा | जा रहे |
| १६३ | ६ | जि के | जिनके |
| १६४ | १३ | उपध्यक्ष महादेय | उपाध्यक्ष महोदय |
| १७७ | १० | मल | मील |
| १७८ | ७ | राजस्थान | राजस्थान |
| १७९ | ५ | सिचाई | सिंचाई |
| ,, | अन्तिम से ५ | सुकाबले | मुकाबले |
| १८६ | ११ | य देखहना | यह देखना |
| १९० | ५ | सुजाव | सुझाव |
| ,, | ८ | चाएि | चाहिये |
| ,, | ९ | श्री हंराज आर्य | श्री हंसराज आर्य |
| २०३ | ५ | खरा | खारा |
| २०५ | १३ | तालबों | तालाबों |
| २०८ | अन्तिम से ६ | कर्यकर्त्ता | कार्यकर्त्ता |
| २१० | १७ | भें | में |
| २१३ | ३ | मत्वपूर्ण | महत्वपूर्ण |
| २१५ | ७ | ।वेदन | निवेदत |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| [illegible]३४ | अन्तिम से ८ | करीब | करीब |
| [illegible]० | ८ | भार्म | भूमि |
| २३७ | ६ | उपलव्ध | उपलब्ध |
| २७२ | १० | साइ डाइवर्शन | साइडाइवर्शन |
| २८५ | १२ | सदय | सदस्य |
| २८६ | ८ | मग | मांग |